खण्ड-460, अंक-6
गुरुवार, 9 भाद्रपद, शक संवत् 1928
(31 अगस्त, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 460 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	च-ञ
प्रश्नोत्तर	...	...	...	1-41
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं				41-42
जनपद कुशीनगर में नेबुआ रायगंज से जटहा जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	42
जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत जगदीशपुर एवं मोसाह स्थित लिफ्ट केनाल की सफाई कराकर आखिरी छोर तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	43
आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा उचहुवा बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	43
लखनऊ में लगभग एक सौ अवैध कालोनियों को शासन द्वारा नियमित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	43-44
प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	44
जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सराय ताल्लुके छितौना (बिजली पुरा क्षेत्र) में तत्काल चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	44-45
जनपद बांदा के बिसण्डा नगर में संचालित राजकीय बालिका विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	45
जनपद फैजाबाद में सोहावल में स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	45
जनपद बरेली के ग्राम वैरम नगर में भूमिहीनों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	46
जनपद अम्बेडकर नगर में कतिपय ग्रामों को घाघरा नदी की कटान को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	46
जनपद मेरठ एवं मुजफ्फरनगर के चार जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	46-47
जनपद चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय में परास्नातक कक्षायें चलाये जाने एवं रिक्त प्रवक्ताओं के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	47
रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा अमहा में पुल निर्माण कराकर कनहा-भीटी सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	47
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)			...	48
नियम 311 में सूचना दिये जाने की जानकारी			...	48

विषय		पृष्ठ-संख्या
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	...	48
राजनैतिक दल के कार्यालय में राजनीतिक परिचर्चा के दौरान सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति एवं उनके भाग लेने से आल इण्डिया सर्विसेज (कण्डक्ट) रूल्स, 1968 तथा आचार संहिता का उल्लंघन होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	48-52
जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि ज़िलांश के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों को आयुक्त फैजाबाद मण्डल द्वारा स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	...	52-53
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-22 जो सदन में दिये जने वाले कार्यों की सूचना से सम्बन्धित हो, का शासन द्वारा अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	53-54
जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों को आयुक्त फैजाबाद मण्डल द्वारा स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	54
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 289-क तथा 291-क "व्यक्तिगत आक्षेप तथा स्पष्टीकरण" के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	54-58
दिनांक 11 मई, 2006 को विधान मण्डल के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का आभार-पत्र	...	58
वर्तमान विधान सभा के सदस्य सर्व श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, जयवीर सिंह, श्री राम कृष्ण, श्री धर्मपाल सिंह एवं श्री राम जी शुक्ल के प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेश की सदन को दी गयी सूचना	...	58-59
उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	...	59
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	...	59
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	...	59
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	...	59
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	...	60
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	...	60

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ...	60
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ...	60
वर्ष 2005 के प्रथम सत्र के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के अस्पष्ट उत्तर पर औचित्य के प्रश्न की सूचना पर मा0 अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित सूचना को 31 अगस्त, 2006 को सदन में तलब किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी ...	60-61
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	61-62
प्रदेश के समस्त नहरों, राजबहों व माइनरों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा दि0 24 अगस्त, 2006 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	62-69
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ...	69-83
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और (अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2006 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2006 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पारित हुआ।) (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ...	83-94
उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था,(प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ।) (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ...	94-107
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2006 के अननुमोदन का संकल्प तथा डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ...	107-110
प्रदेश में भीषण सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल , श्री प्रमोद कुमार, श्री लाल जी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर चर्चा ...	110-125
प्रदेश में अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी) ...	126
उत्तर प्रदेश साहकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित) ...	126-129

विषय		पृष्ठ-संख्या
सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 (पारित)	...	130-153
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत)	...	153-154
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	...	154-172
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	173-174
जनपद प्रतापगढ़ के थाना सांगीपुर में मुकदमें में नामजद श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	...	174-178
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-जे, जानकीपुरम में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मस्त राम चौ0 एडवोकेट द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	...	179
प्रदेश में चल रहे वैधानिक/अवैधानिक (कट्टीघर) गौ-हत्या के केन्द्र को बन्द कराने एवं गोशालाओं को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	...	179-182
जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में बेतवा नाले पर पुल का निर्माण एवं गड्ढा युक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	...	182-183
जनपद मैनपुरी में छात्राओं द्वारा प्रवेश न मिलने के कारण किये जा रहे शन्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	...	183-184
प्रदेश में जाति एवं आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु नोटरी शपथ पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमारू राम सरोज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	...	185
लखनऊ स्थित देव स्थान नामक आवसीय कालोनी पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	...	186
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में 4-डी (2) में कार्यरत लिपिक व वैयक्तिक सहायक द्वारा लूट-खसोट और दुर्व्यहार किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	186
जनपद आजमगढ़ स्थित निजामाबाद रजबाहा में पानी न पहुँचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	...	187

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा स्थित मोहल्ला मीरानपुर में अचानक हुए अग्निकाण्ड में मृत परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	...	188
जनपद सीतापुर स्थित महाराजा छीता पासी के किले के पुराने भग्नावशेषों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	...	188-190
मऊ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित श्रीमती रेखा गुप्ता को नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	190
राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद को स्नातकोत्तर स्तर का बनाये जाने विषयक दिनांक 23 अगस्त, 2006 की कार्य-सूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	...	190
नत्थियां	...	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 31 अगस्त, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।)

उपस्थित सदस्य--298

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
जय कुमार, डा0	बागपत
जय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मांयं उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद,श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूँ
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र शिशोदिया, श्री	गाजियाबाद

नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
पी0के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फेन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0काम0, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबा फूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी

यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर

विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदादेवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट--औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम) एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पालीथीन के बढ़ते प्रदूषण को रोकने की कार्य योजना

**1--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पालीथीन के प्रयोग से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पालीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कोई कार्य-योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री उज्जवल रमण सिंह)--

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियमों एवं नियमों में विहित प्राविधानों के अनुसार पालीथीन की सामग्री के निर्माण एवं उपयोग को नियंत्रित किया जाता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुन: चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग नियम, 1999 प्रख्यापित किये गये हैं। इन नियमों में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी विक्रेता पुन: चक्रित प्लास्टिक के बने कैरी बैग या पात्रों का खाद्य पदार्थों के भण्डारण, लाने-ले जाने, प्रदाय करने या पैकेजिंग के लिये उपयोग नहीं करेगा तथा प्लास्टिक से बने कैरी बैग एवं पात्रों का विनिर्माण तभी कर सकेगा जब वह सुनिश्चित करे कि अनुप्रयुक्त प्लास्टिक से बने कैरी बैग और पात्र प्राकृतिक रंगत वाले या सफेद हो तथा खाद्य पदार्थों के भण्डारण और पैकेजिंग से भिन्न प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले रंजक और रंगक भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित सूची के अनुरूप हों। यह व्यवस्था भी की गयी है कि अनुप्रयुक्त प्लास्टिक या पुन: चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैगों की न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन से कम नहीं होगी तथा वह नियमों के अनुरूप पुन: चक्रण एवं चिन्हांकन/कूटांकन के प्राविधानों को पूर्ण करता हो। वर्तमान नियमों के अनुसार विनिर्माण इकाइयों द्वारा उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त करने की प्रणाली भी निर्धारित की गयी है। पुन: चक्रण एवं विनिर्माण के सम्बन्ध में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में ऐसी इकाइयों का चिन्हीकरण किया गया है, जो प्लास्टिक के कैरी बैग एवं कन्टेनर्स का निर्माण करते हैं।

वर्तमान में पुन: चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग (संशोधन) नियम 2003 के अन्तर्गत उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में कुल 287 प्लास्टिक इकाइयां चिन्हित की गयी हैं, जिनमें से 67 इकाइयां बन्द हैं तथा 84 इकाइयों को उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत किया गया है। गैर पंजीकृत उद्योगों की संख्या 136 है। इनमें से 107 इकाइयां शहर के आवासीय क्षेत्रों में स्थापित हैं, जिन्हें नगर निगमों के माध्यम से बन्द कराने की कार्यवाही की जा रही है। 29 इकाइयों के प्रकरण अभी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्तर पर विचाराधीन हैं।

प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में उ0 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण विनियमन) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से सम्बन्धित प्राविधान किया गया है। इस प्राविधान के अन्तर्गत नगर निगमों तथा अन्य स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रवर्तन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, कृपा करके मेरा प्रश्न देखने का कष्ट करें। मेरा प्रश्न यह है कि क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पालीथीन के प्रयोग से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पालीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? इसका कोई उत्तर नहीं है, जबकि उत्तर होना चाहिये, नहीं। फिर यह आना चाहिये था कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियमों एवं नियमों में विहित प्राविधानों के अनुसार पालीथीन की सामग्री के निर्माण एवं उपयोग को नियंत्रित किया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम और नियमों में विहित प्राविधान क्या है ?

उत्तर के दूसरे भाग में कहा है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुन: चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग नियम, 1999 प्रख्यापित किये गये हैं। इन नियमों में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी विक्रेता पुन: चक्रित प्लास्टिक के बने कैरी बैग या पात्रों का खाद्य पदार्थों के भण्डारण, लाने-ले जाने, प्रदाय करने या पैकेजिंग के लिये उपयोग नहीं करेगा। इसमें चेकिंग के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गयी है और क्या हम इसे रोक पा रहे हैं, और चेकिंग की गयी तो कितने केस इस तरह के पाये गये हैं ?

उसके बाद आपने लिखा है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग एवं पात्रों का विनिर्माण तभी कर सकेगा जब वह सुनिश्चित करे कि अनुप्रयुक्त प्लास्टिक से बने कैरी बैग और पात्र प्राकृतिक रंगत वाले या सफेद हो तथा खाद्य पदार्थों के भण्डारण और पैकेजिंग से भिन्न प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले रंजक और रंगक भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित सूची के अनुरूप हों। तो मान्यवर, इसको सुनिश्चित करने की प्रक्रिया क्या निर्धारित की गयी है ? जनता को इसका पता कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि आप नोट कर लें और एक-एक प्रश्न का उत्तर दे दें। अगला प्रश्न यह करना चाहता हूं कि 20 माइक्रेन की बात माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कही है, सामान्य जनता कैसे नापेगी कि मैं 20 माइक्रेन के लिफाफे में अपना सामान लिये जा रहा हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मांस को जो भी व्यक्ति अपने घर लेकर जाता है वह काली पालीथीन में दिया जाता है और काली पालीथीन शतप्रतिशत अखाद्य है, खाद्य पदार्थों के लाने ले जाने के लिये। इसके बाद माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इकाइयों को पंजीकृत करने के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। तो यह प्रक्रिया कब निर्धारित की गयी है और कितनी इकाइयां पंजीकृत हुयी हैं ? माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 67 इकाइयां बन्द हैं, 84 इकाइयां पंजीकृत हुयी हैं। गैर पंजीकृत इकाइयां 136 हैं और 107 इकाइयां शहर के आवासीय क्षेत्रों में स्थापित हैं जिनको बन्द कराने की कार्यवाही नगर निगमों के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा 136-107 जो इकाइयां शेष हैं इसके बारे में

सरकार का क्या उत्तर है ? 107 इकाइयों के लिये कब कार्यवाही के लिये कहा गया और क्या हुआ और यह इकाइयां कब तक बन्द कर दी जायेंगी ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री उज्जवल रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी वरिष्ठ सदस्य हैं। विधान सभा में उन्होंने एक गम्भीर प्रश्न उठाया है जिसकी विकरालता काफी व्यापक है लेकिन सरकार द्वारा इसकी कार्य योजना बनायी गयी है और उसी के तहत कार्यवाही कर रहे हैं। हम लोगों ने 30 सितम्बर, 2006 तक इसमें नगर निगमों को निर्देश दिये हैं कि इसमें जो इकाइयां पंजीकृत नहीं हैं उनको पंजीकृत करके सूचित किया जाय। माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जाहिर की है कि 136 में 107 इकाइयों के अलावा अन्य इकाइयों के बारे में क्या किया गया है तो मैं बताना चाहता हूं कि 67 इकाइयां बन्द हैं, 84 इकाइयों को पंजीकृत किया गया है और 29 इकाइयों के प्रकरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विचाराधीन हैं इनके बारे में निर्देश दिया गया है कि एक महीने के अन्दर इसमें जो निर्णय लेना हो वह ले लिया जाय। माननीय सदस्य ने विहित प्राविधान के बारे में जानना चाहा है तो एक विधेयक इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने पास किया था वह चाहेंगे तो मैं उसकी कापी उनको दे दूंगा। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण विनियमन) अधिनियम, 2000 को यहां की विधान सभा ने पारित किया है और उसमें विस्तृत रूप से, हर पहलू को ध्यान में रखकर प्लास्टिक से सम्बन्धित जितनी भी चीजें हैं उनके निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी है। अगर माननीय सदस्य जानकारी चाहेंगे तो मैं इस अधिनियम को पढ़कर बतला दूंगा। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि चेकिंग की प्रक्रिया क्या है तो मैं बतलाना चाहूंगा कि इसमें नगर निगम के अधिकारियों को विहित प्राधिकारी बनाया गया है, उसकी एक लम्बी सूची है जिसमें हेल्थ आफिसर, नगर आयुक्त और नगर निगम के विभिन्न अधिकारी हैं जिनको यह पावर दी गयी है कि आप जाकर चेकिंग कर सकते हैं और चेकिंग के बाद धारा 12 में यह भी प्राविधान दिया गया है कि उनसे जुर्माना वसूल किया जा सकता है और उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और चलाया भी जा रहा है। माननीय सदस्य ने यह भी जानकारी चाही है कि मानक सूची में प्रक्रिया क्या है रंगों की, जो हमारे संस्थान हैं जिसके बारे में हमने अपने उत्तर में कहा है तो हम इसकी सूची सदस्य को उपलब्ध करवा देंगे जिसमें प्राविधान दिये गये हैं। एक जानकारी और सदस्य महोदय ने जाननी चाही है कि 20 माइक्रोन से कम को पब्लिक कैसे तय कर पायेगी उन्होंने गोश्त देने की पालीथीन को विशेष तौर पर इंगित किया है मैं सदस्य महोदय को बतलाना चाहूंगा कि इसका निर्धारण नगर निगमों द्वारा और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसको तय करने का अधिकार इनको है यह इसको चेक कर सकते हैं कि यह 20 माइक्रोन से कम हैं या ज्यादा। इस समस्या की विकरालता को देखते हुये समस्या का हल यह नहीं है कि इसको बैन कर दें विश्व में कोई भी ऐसा राज्य नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं जिसने इसको बैन किया है इसके हैण्डलिंग में और रेगुलेशन में सुधार ला सकते हैं जिसके लिये सरकार ने विभिन्न नियमों का प्राविधान किया है। सरकार ने कार्य योजना बनाकर 30 सितम्बर तक का समय दिया है जो भी इकाइयां नगरों के आवासीय क्षेत्रों में चल रही हैं समयबद्ध कार्यक्रम के तहत उनको बन्द कराकर शासन को सूचित करने के निर्देश नगर विकास विभाग द्वारा दिये जा चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाहर किस राज्य में पालीथीन से पेट्रोल बनाने की कोई प्रक्रिया चल रही है, यदि चल रही है तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कार्य कराया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

किस प्रदेश में पेट्रोल बनाया जा रहा है यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री उज्जवल रमण सिंह--

अध्यक्ष जी बाम्बे के पास एक प्रयोग किया गया था इसमें आर0 टी0 आई0 बाम्बे के सहयोग से प्लांट लगाने की बात की गयी है इसकी कामर्शियल बाइबिल्टी है कि नहीं, यह प्रयोग होना बाकी है।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया कि शहरी क्षेत्रों में 107 इकाइयां स्थापित हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, शहरी क्षेत्र घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं उनमें प्लास्टिक की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उससे जन स्वास्थ्य को खतरा है इसको देखते हुये समयबद्ध कार्यक्रम हो और शहरी क्षेत्र की ऐसी फैक्ट्रियों को बाहर ले जाने के लिये बाध्य कर दिया जाय ऐसी कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि है तो कब तक इसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

श्री उज्जवल रमण सिंह--

मैंने उत्तर में सारे तथ्यों से अवगत करा दिया है मैं पुन: बताना चाहता हूं कि 19 जुलाई, 2006 को प्रमुख सचिव नगर विकास ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं कि जो भी आवासीय क्षेत्र में फैक्ट्रियां चल रही हैं ऐसी 107 फैक्ट्रियों की बात कही गयी है इनको 30 सितम्बर, 2006 तक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत शहर से बाहर किया जाय यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब काफी हो चुका है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

(श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 2 का उत्तर पढ़ने पर)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बैठ जायं। बाजपेई जी कुछ शंका का निवारण करना चाहते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यह पालीथीन का प्रयोग नगरीय क्षेत्रों में जल भराव और जल निकासी की समस्या का कारण बन रहा है और इससे जानवरों के मरने की भी समस्या पैदा हो रही है। माननीय मंत्री जी, चूंकि यह केन्द्रीय कानून है इसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध नहीं लग सकता है। लेकिन कोई ऐसी कार्य योजना तो आप बना सकते हैं कि शनैः शनैः क्रमशः पालीथीन के प्रयोग में धीरे-धीरे कमी आती जाय और अन्ततोगत्वा इसके इस्तेमाल के जो खतरे हैं उनका निवारण किया जा सके। क्या ऐसी कोई कार्य योजना बनाये जाने, या ऐसे दिशा निर्देश दिये गये हैं ?

श्री उज्जवल रमण सिंह--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि इसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध हो। मान्यवर, इस बारे में यही कहना है कि इसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध तो जन जागरण और सहभागिता के द्वारा ही लगाया जा सकता है। नियमों के तहत जो कार्यवाही हम कर सकते हैं वह हम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि इलाहाबाद, गाजियाबाद में पिछले एक वर्ष में क्या कार्यवाही की गयी है, इसके बारे में हमारे पास पूरी सूची है यदि आप चाहें तो आपको बता दूं।

श्री अध्यक्ष--

आप इनको दे दीजियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर बहुत से प्रश्न हो गये हैं। आप अपना प्रश्न कीजियेगा।

प्रदेश में ऋण जमा अनुपात एवं उसे बढ़ाने के उपाय

**2--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश का ऋण जमा अनुपात कितने प्रतिशत है ? क्या अन्य राज्यों की तुलना में इस प्रदेश का ऋण जमा अनुपात कम है ? यदि हां, तो क्या इसको बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमानुपात 47 प्रतिशत है।

प्रदेश के निकटवर्ती समान पृष्ठभूमि वाले राज्यों बिहार (30%), झारखण्ड (34%) का ऋण जमानुपात प्रदेश से कम है तथा मध्य प्रदेश (60%), उड़ीसा (65%), छत्तीसगढ़ (50%) एवं पश्चिम बंगाल (57%) का ऋण जमानुपात प्रदेश से अधिक है।

यद्यपि मूलत: यह केन्द्र सरकार का विषय है फिर भी ऋण जमानुपात में अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार अपने स्तर से निरन्तर प्रयासरत है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख बड़े बैंकों क्रमश: इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक आफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की जाती रही है, इसके अतिरिक्त नाबार्ड एवं रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी ऋण जमानुपात की समीक्षा कर इसके अभिवृद्धि हेतु प्रयास किया गया है। फलस्वरूप मार्च, 2003 (33%) की तुलना में वर्तमान में मार्च, 2006 में प्रदेश का ऋण जमानुपात 47% के स्तर पर पहुंच गया है तथा लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में भी ऋण जमानुपात की निरन्तर समीक्षा की जाती है सरकार की नीति के अनुसार कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण 3 वर्षों में दोगुना किये जाने के अनुपालन में व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से आधार वर्ष 2003-04 में वितरण रु0 7,848 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रु0 13,752 करोड़ का ऋण वितरण कराया गया जो आधार वर्ष के सापेक्ष रु0 5,904 करोड़ अधिक है।

बैंकों को ऋण जमानुपात बढ़ाने में राज्य सरकार से जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है उसे ससमय उपलब्ध कराया जाता है, जैसे--

1--कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों में बैंकों द्वारा और अधिक ऋण वितरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा बढ़ा कर रु0 5.00 लाख की गयी।

2--ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उ0 प्र0 कृषि उधार अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन किया गया।

3--किसानों को स्वरोजगारी बनाने के उद्देश्य से बैंको के सहयोग से किसान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करायी जा रही है।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर उत्तर पढ़ा गया।)

(मंत्री द्वारा उत्तर पढ़े जाने के दौरान रुपये तेरह सात पांच दो बोले जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी वर्ष 2005-2006 में रुपये तेरह हजार सात सौ बावन करोड़ का ऋण वितरण कराया गया है। ठीक है, हम इसको सुधार लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि राज्य सरकार द्वारा ऋण अनुपात को बढ़ाने के लिये समय सीमा पर जो हमारे व्यावसायिक बैंक हैं उनके अधिकारियों के साथ हमारे स्तरीय अधिकारी बैठक करके निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के साथ और नाबार्ड के साथ भी प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, लेकिन आपने देखा मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो इनके ऋण जमा अनुपात हमारे प्रदेश की तुलना में कहीं ज्यादा है और मान्यवर, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो साउथ के हों वहां ऋण जमा अनुपात 90 प्रतिशत, 95 प्रतिशत, 100 प्रतिशत है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के बैंकों में जो पैसा उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा जमा किया जा रहा है

उन्हें उस जमा के सापेक्ष जो ऋण दिया जा रहा है उसका प्रतिशत 47 प्रतिशत है उत्तर प्रदेश का। ना अगर बैंक में 100 प्रतिशत रुपया जमा किया जा रहा है तो उसके सापेक्ष केवल 47 प्रतिशत रुपया उत्तर प्रदेश के विकास पर खर्चा हो रहा है। अन्य पैसा दूसरे राज्यों में कहीं भी ऋण में या किसी बड़े कार्यों में खर्चा किया जा रहा है लेकिन प्रदेश में 100 के सापेक्ष 47 रुपया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस ऋण जमा अनुपात को जो बैंकों में जनता के द्वारा जमा किया जा रहा है इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग शत-प्रतिशत सदुपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में हो या उत्तर प्रदेश के जनता के किसी कार्य में, बेरोजगारी के, स्वावलम्बी की दिशा में उनको ऋण मिल सके, तो क्या सरकार तहसील स्तर पर कोई एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में कोई टास्क फोर्स गठित करने की कृपा करेगी ? जो तहसील स्तर पर विभिन्न व्यवसायिक बैंकों में ऋण के लिये जो आवेदन-पत्र दिये जाते हैं और उनके बैंकों के चक्कर लगाने के बाद भी ऋण नहीं मिल पाता है तो उन ऋणों की समीक्षा कर सके। हमारे उप जिलाधिकारी और ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्ति ऋण चाहता है बैंकों से उनके प्रार्थना-पत्रों को निस्तारित करके उनको ऋण उपलब्ध करायें। क्या सरकार इसमें ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, प्रदेश के विकास के दृष्टिकोण से, जनता को ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से, एक तहसील स्तरीय पूरे प्रदेश में वहां के एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, प्रदेश सरकार जिस स्तर पर भी हो, प्रदेश की जनता को सहूलियतें देने, उनके अधिकार दिलाने, गरीबी की रेखा से उन्हें ऊपर लाने, जो उनकी आशायें सरकार से हो सकती हैं उसकी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यह गम्भीर प्रश्न है लेकिन मूलत: यह प्रश्न भारत सरकार से सम्बन्धित है प्रदेश सरकार से नहीं है। बैंकों पर राज्य सरकार का कोई अंकुश नहीं होता है, कोई कन्ट्रोल नहीं होता है, विद्वान सदस्य हैं उन्हें हमसे ज्यादा मालूम है लेकिन मान्यवर, यह भी मेरे जवाब में शामिल हैं कि हमने 14 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की है जो पहले से ज्यादा है। मात्र इतने कम अरसे में 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी खुद में अच्छी खासी अहमियत रखती है। मैं यह भी बतलाता चलूं आपको, कि रिजर्व बैंक का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रह गया है। जब तक भारत सरकार खुद ही कुछ ऐसे अधिकार राज्य सरकारों को न दे जिससे अपने राज्य में चलने वाले बैंकों पर कुछ न कुछ पाबन्दी, कोई जिम्मेदारी आइद कर सकें। उस हद तक सिवाए कहने सुनने के बैठकें करने से जितना काम चल सकता था उतना काम चलाया गया है। बात टास्क फोर्स की कही गयी है यह अच्छी बात है तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि यह खालिस केन्द्र सरकार का इश्यू है और मान्यवर यह बात बिल्कुल सही है पाल साहब की, कि जितने पैसे बैंक जमा करते हैं कायदे से यह होना चाहिये कि 100 रुपया अगर बैंक में जमा हो रहा है तो 100 रुपये की वापसी अगर नहीं करता है तो लोन्स की शक्ल में, स्कीम्स की शकल में, ताकि गरीबी की समस्या हल हो, बेरोजगारी की समस्या हल हो तो 90 प्रतिशत कर दें, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करते हैं बैंकों का एक मिजाज यह भी है मान्यवर, कि पहले तो किसान की जमीन पर लोन नहीं दिया जाता था अब तो किसान की जमीन पर भी लोन दिया जाने लगा है इन्ट्रेस्ट रहेगा बैंक का, बढ़िया कोठी बनाने के लिये लोन दे देगा। महंगी कार खरीदने के लिये लोन दे देगा। उन लोगों को लोन दे देगा जिन लोगों को उतनी महंगी कार खरीदने की हैसियत नहीं होगी क्योंकि उनके पास मौजूद है कार, वह वापस

भी ले जा सकते हैं तो लोन देने के लिये बैंक अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा महफूज हैसियत में महसूस करते हुये लोन देता है और वह शहरों में ज्यादा देता है। देहात में, गांव में, किसानों को मेहनतकश आदमी को लोन देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। यह समस्या है लेकिन इसमें राज्य सरकार को जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई अधिकार नहीं मिलता है उस समय तक सम्भव नहीं होगा। फिर भी 14 प्रतिशत और बढ़ोत्तरी की गयी है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'--

मान्यवर, मुझे जहां तक जानकारी है, मंत्री जी भी इसको ठीक कर लें, आर0 बी0 आई0 की तरफ से एक मार्ग-निर्देशिका पूरे देश में प्रसारित है, वह सभी राज्य सरकारों के पास गयी है कि जो धनराशि जनता बैंकों में जमा करती है, उसका मिनिमम जो दिया है, 60 प्रतिशत, उसको जनता के हित में लगाना ही चाहिये। यह मिनिमम 60 प्रद्रिशत है, अभी 47 प्रतिशत तक हम पहुंचे हैं। मा0 जगदम्बिका पाल जी ने जो सुझाव दिया है, वह एक अच्छा सुझाव है। हम जानते हैं कि आम आदमी जिसको ऋण लेना है, उसेअनेक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। मैं चाहता हूं कि यदि तहसील स्तर पर ऐसी कोई समिति बना दी जाये तो वह ऋण लेने वाली आम जनता की कठिनाई का निवारण करेगी और मोटीवेट भी करेगी और ऋण लेने के जो प्रार्थना-पत्र हों वह स्वीकार हों तथा उनको ऋण प्राप्त हो सके तो मैं चाहता हूं कि आर0 बी0 आई0 की मार्गदर्शिका में 60 प्रतिशत की जो सीमा दी गयी है, बहुत से प्रदेशों में ऋण जमा अनुपात 80 और 90 प्रतिशत तक है। मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि वह इस पर विचार कर लें कि एक समिति तहसील स्तर पर निश्चित रूप से बना दी जाये जो आम आदमी को मोटीवेट करे, मार्गदर्शन भी करें और बैंकों से ऋण दिलाने में मदद करे। इससे 60 प्रतिशत तक पहुंचा जा सकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय सदस्य क्योंकि मंत्री रहे हैं, इसी विभाग के, फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हैं, जवाब भी मुझसे ज्यादा अच्छा मालूम है। मार्ग-दर्शिका और अधिकार में बड़ा फर्क होता है, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। इसलिये केवल मार्गदर्शिका से काम नहीं चलेगा, भारत सरकार से कोई अधिकार मिले तब काम चलेगा। हां, जनपद स्तर पर कमेटी है, जिलाधिकारी उसके चेयरमैन होते हैं, तहसील स्तर पर नहीं है, यह सही है लेकिन जनपद स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 60 प्रतिशत है, हमारा 47 प्रतिशत तक आ गया है, हम 14 प्रतिशत आगे बढ़े हैं, आशा करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रयास जारी है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, निश्चित तौर पर 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हम इसके लिये धन्यवाद देते हैं, कम से कम दो वर्षों में इन्होंने ऋण जमा अनुपात 33 प्रतिशत से 47 प्रतिशत किया है। हम जो सुझाव दे रहे हैं, वह बढ़ाने की दिशा में ही दे रहे हैं कि कम से कम 60 प्रतिशत तक हो जाये या उससे ज्यादा हो जाये। कई राज्यों में यह 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत तक है दक्षिण भारत में तो यह 100 प्रतिशत से भी अधिक है। मान्यवर, उत्तर में आया है कि बैंकों को ऋण जमानुपात बढ़ाने में राज्य सरकार से जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है उसे उपलब्ध कराया जाता है

जैसे कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों में बैंकों द्वारा और अधिक ऋण वितरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा बढ़ा कर 5 लाख की गयी है तो जिस प्रकार कृषि ऋण में छूट दी गयी है, आज पूरे प्रदेश में जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, विधायक हैं वह असेवित ब्लाकों में कन्या इण्टर कालेज और डिग्री कालेज खोल रहे हैं। विधायक अपनी जमीन देकर यह कालेज खोल रहे हैं, उन्हें जमीन का बैनामा कराना है। यह सभी विधायक करते हैं, स्कूल खोलने से बड़ी जनता की कोई सेवा नहीं हो सकती है। हम जिन विद्यालयों के लिये जमीन देते हैं, अगर वह पिछड़ा क्षेत्र है, तो जो जमीन कृषि के लिये खरीदता है, मकान के लिये खरीदता है, कामर्शियल के लिये देते हैं, तो जो इसमें स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं उससे डबुल स्टाम्प ड्यूटी कालेज खोलने के लिये ली जाने वाली जमीन पर ले रहे हैं। राज्य सरकार इस पर विचार करे कि प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं तो वहां पर यदि कोई स्कूल/कालेज खोलने के लिये जमीन क्रय करता है और स्कूल बनाता है तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी वही होगी जो कृषि के लिये जमीन खरीदने आदि के लिये होती है लेकिन इनको डबुल देनी पड़ रही है। इस पर विचार सरकार करे, या ऋण जमा अनुपात बढ़ाने का भी एक काम होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह हमसे सीधे सम्बन्धित नहीं है। यह स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग से सम्बन्धित है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, एक बार इसी सदन में चर्चा हो रही थी तो सरकार ने कहा था कि अगर ऋण जमा अनुपात संतोषजनक स्तर पर लाने की स्थिति में नहीं रहेगा तो सरकार स्वयं अपने बैंक स्थापित करने का प्रयास करेगी। मान्यवर, आज हम 33 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक तो पहुंच चुके हैं लेकिन कुछ राज्यों से बहुत पीछे हैं। तो क्या सरकार महसूस करती है कि बैंकों के असहयोग के कारण यह नहीं हो पा रहा है तो क्या सरकार सदन में दिये गये पूर्व आश्वासन को देखते हुये अपने बैंक स्थापित करने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, 33 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक हम आ गये हैं। बाजपेयी जी तो आशावान व्यक्ति हैं। आप आशा करिये कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं उसमें प्रयास से कुछ वृद्धि हुयी है लेकिन एक नग्न सत्य की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लोग छोटे-बड़े बैंकों में लोनिंग के लिये जाते हैं तो कितने पापड़ बेलने पड़ते है और उसमें जो सुविधा शुल्क देना पड़ता है, हर एक लोनिंग के लिये। तो क्या सरकार इस पर रोक लगाने के लिये विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अच्छा प्रश्न है लेकिन, लेकिन के साथ। अच्छा माहौल है। एक बार एक बुजुर्ग थे, वह बहुत पहुंचे हुये थे लेकिन उनकी पत्नी उन्हें मानने के लिये तैयार नहीं थीं। वह कहते थे कि

लोग उन्हें कई बार नमन करते हैं तो पत्नी कहती थी कि होगा। एक बार पत्नी ने चमत्कार देखा कि आसमान में एक शख्स उड़ रहा था। बाद में उसने अपने पति से कहा कि आपने देखा कि एक शख्स आसमान में उड़ रहा था। तो उसने कहा कि मैं ही तो था। तो पत्नी ने कहा तभी टेढ़े-मेढ़े उड़ रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि सुविधा शुल्क देते ही क्यों हैं ? तभी तो आदत पड़ती है।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

मान्यवर, इस समय वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन काफी मात्रा में चल रही है। बैंकों का रवैया यह है कि गरीब लोग पैसा लेकर खाता खुलवाने के लिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मा0 सदस्य, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

मान्यवर, यह बैंक से सम्बन्धित है। बैंक वाले खाते नहीं खोलते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। यह बैंक केन्द्र के अधीन हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा कि किसानों को स्वरोजगारी बनाने के उद्देश्य से बैंक का सहयोग लिया जा रहा है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो किसान प्रशिक्षण केन्द्र है इसकी क्या रूप-रेखा है और अभी तक कितने किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर चुके हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, एक तो लगता है कि अच्छी खासी स्टडी हमारे माननीय सदस्य ने की है। मान्यवर, कुछ ऐसे नाम हैं जो कभी-कभी अच्छे नहीं लगते हैं जैसे इटावा है, मैनपुरी है, प्रतापगढ़ है, कन्नोज है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा विद्युत् के को-जनरेशन की जानकारी

*1.--डॉ0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि को-जनरेशन द्वारा निजी क्षेत्र की कितनी चीनी मिलें विद्युत् उत्पादन कर रही हैं ? क्या वर्तमान विद्युत् संकट को देखते हुये निजी चीनी मिलों की भांति सहकारी एवं निगम की चीनी मिलों द्वारा भी विद्युत् उत्पादित कराने की कोई कार्य योजना बनाई जायेगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

निजी क्षेत्र की 14 चीनी मिलों द्वारा 194.36 मेगावाट विद्युत् का को-जनरेशन किया जा रहा है।

सहकारी क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियों, यथा-गन्ना एवं बैगास की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सम्प्रति सरजू सहकारी चीनी मिल लि0, बेलरायां, जनपद लखीमपुर खीरी में सह विद्युत् उत्पादन इकाई हेतु साध्यता रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। निगम की केवल रामपुर इकाई में को-जनरेशन की योजना प्रस्तावित है।

निगम की केवल रामपुर इकाई में को-जनरेशन के माध्यम से विद्युत् उत्पादन किये जाने की योजना प्रस्तावित है. जिसमें अतिरिक्त विद्युत् का उत्पादन कर 5 मेगावाट पावर, ग्रिड को विक्रय किये जाने का प्राविधान है।

घाटे में चल रही निगम की मिलों में पूंजीगत निवेश करने हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण को-जनरेशन से सम्बन्धित कोई परियोजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। संघ की अन्य चीनी मिलों में पर्याप्त बैगास उपलब्ध न होने के कारण को-जनरेशन प्रस्तावित नहीं है।

डॉ0 अजय कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, यह वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है कि प्रदेश में विद्युत् का उत्पादन और मांग में भारी अन्तर है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि पिछली सरकारों में पिछले दस पन्द्रह वर्षों में विद्युत् उत्पादन की बढ़ोत्तरी हुई कि नहीं हुई ? मैं बधाई देना चाहूंगा वर्तमान सरकार को जो गम्भीर प्रयास कर रही है। जहां मांग और आपूर्ति में अन्तर है वहां हम ग्रिड से बिजली लेते हैं। चीनी उद्योग ऐसा उद्योग है जो विद्युत् उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमारे क्षेत्र में सैकड़ों चीनी मिलें हैं जो विद्युत् उत्पादन कर रही है। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में 194.36 मेगावाट विद्युत् उत्पादन किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जनहित और व्यवहारिकता में चिन्ता होनी चाहिये विद्युत् उत्पादन को बढ़ाने के लिये। चीनी मिलें, सहकारी क्षेत्र और निगम की चीनी मिलें, को-जनरेशन में आगे हो जायें। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वस्त होना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की भांति क्या माननीय मंत्री जी सहकारी और निगम की मिलों में भी विद्युत् उत्पादन के लिये पूंजी निवेश करेंगे ? जो निजी क्षेत्र में नयी चीनी मिलें लगा रहे हैं क्या उसमें विद्युत् उत्पादन को अनिवार्य बनाया है ? दूसरा निजी क्षेत्र में कौन-कौन चीनी मिलें हैं जो वर्तमान में विद्युत् उत्पादन कर रही हैं और तीसरा सवाल यह है कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि पावर ग्रिड और चीनी मिलों के बीच में कितना पावर परचेज एग्रीमेन्ट हुआ है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न एक साथ पूछे हैं इसलिये चौथे से पहले तक पहुंचता हूं ज्यादा उचित होगा, उनका आखिरी प्रश्न है कि पावर ग्रिड ने चीनी मिलों से कितनी विद्युत् के लिये अनुबन्ध किया है ?श्रीमन् को-जनरेशन द्वारा सह उत्पादित बिजली को जो पावर परचेजिंग एग्रीमेन्ट है वह 723.86 मेगावाट का हुआ है पावर ग्रिड से निजी चीनी मिलों का और आपने मान्यवर, यह पूछा है कि वह कौन-कौन सी चीनी मिलें हैं तीसरा प्रश्न था जो को-जनरेशन कर रही हैं तो मान्यवर, मैं बता देता हूं, मेसर्स एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल, बड़ौत बागपत, मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल, बलरामपुर, मेसर्स शिम्भावली चीनी मिल, गाजियाबाद, मेसर्स जे0 के0 शुगर मिल मीरगंज, बरेली, मेसर्स द्वारिके शुगर इण्डस्ट्री, बिजनौर, मेसर्स बी0एस0एन0 शुगर रोजा गांव,

बाराबंकी, मेसर्स हैदरगढ़ चीनी मिल, हैदरगढ़, बाराबंकी, मेसर्स त्रिवेणी चीनी मिल, देवबन्द, सहारनपुर, मेसर्स बी0एस0सी0एल0 अजमापुर, लखीमपुर-खीरी, मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड खतौली, मुजफ्फरनगर, मेसर्स एच0एल0 शुगर फैक्ट्री, पीलीभीत, मेसर्स अकबरपुर चीनी मिल, अम्बेडकर नगर, मेसर्स मवाना शुगर मिल मवाना, मेरठ और मेसर्स त्रिकोणा शुगर मिल्स लिमिटेड मुजफ्फरनगर, यह 14 मिलें हैं जो को-जनरेशन कर रही हैं। यदि आप श्रीमन् इनकी कितनी उत्पादन क्षमता है, जो अनुबन्ध क्षमता है, इसके बारे में भी अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। इसके अलावा आपने दो प्रश्न पूछे थे एक आपने कहा था कि क्या जो निजी चीनी मिलें लगाई जाने वाली हैं उनके लिये अनिवार्य कर दिया जायेगा कि वह को-जनरेशन करें तभी उनको लगाने की अनुमति दी जाय एक प्रश्न आपने यह पूछा था श्रीमन् जो उनकी स्थापित क्षमता है उसमें अगर वह स्वयं को-जनरेशन का सिस्टम रखती हैं तो उससे उनका उत्पादन ठीक रखने में सहूलियत मिलेगी, लेकिन अगर वह नहीं लगाना चाहती हैं तो इसके लिये हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं। कारण दूसरा भी है कि अगर हम उनको को-जनरेशन के लिये बाध्य करें तो यद्यपि पांच मेगावाट, सात मेगावाट, चार मेगावाट बिजली हमको एक-एक यूनिट से प्राप्त हो जायेगी सरप्लस लेकिन वह इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होगी कि हम इसके लिये उनको बाध्य करें। जबकि दूसरी परिस्थिति यह है कि जिनसे हमारा अनुबन्ध हो चुका है और 2008 तक पूरी क्षमता में जब हमको यह मिलने लगेगी तो हमको 723 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी तो इसलिये मान्यवर, उनको बाध्य किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है और एक चौथा प्रश्न आपने और पूछा था कि इसी भांति सहकारी क्षेत्र में चलने वाली फेडरेशन और निगम की चीनी मिलों के लिये क्या ऐसी व्यवस्था की जायेगी ? हमने मान्यवर, उनकी स्टडी भी कराई है और जैसा मूल प्रश्न के उत्तर में है कि हम अभी इसकी जो साध्यता है उसका परीक्षण करा रहे हैं मान्यवर, बेलरायां में और मान्यवर, जो दो अन्य जगहों पर थीं उनका भी हमने परीक्षण कराया है और इसकी वायबिलिटी होने पर श्रीमन् इस पर विचार किया जायेगा।

श्री पूर्णमासी देहाती--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की हड्डा चीनी मिल जो सबसे अच्छी है और पडरौना, कप्तानगंज, रामकोला और सेवरई बड़ी चीनी मिल हैं क्या इसमें भी विद्युत् संयन्त्र लगाये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी--

श्रीमन्, मूल प्रश्न में जो इसमें दिया गया है अगर उसमें पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे तो पूंजीगत निवेश चूंकि उसमें काफी पैसा लगता है मान्यवर, एक को जनरेसन की यूनिट लगाने में काफी पैसा लगता है और अब तक हमने जो परीक्षण कराया था मान्यवर, उसमें हमको कोई दूसरी स्थिति नहीं मिली इसलिये अब जैसी स्थिति आयेगी वह तो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो को-जनरेशन से विद्युत् उत्पादन हो रहा है और लगभग पांच मेगावाट ग्रिड से भी विक्रय किये जाने का एक प्राविधान बना है तो जो विक्रय का अनुबन्ध है को-जनरेशन का और अन्य रिसोर्सेज से जो

उत्पादन का अनुवन्ध है मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो को-जनरेशन से बिजली उत्पादित की जा रही है और जो ग्रिड को जा रही है उसमें और जो अन्य बिजली उत्पादन हैं और जिसका ग्रिड से अनुबन्ध है क्या उन दोनों के रेट में अन्तर है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि ऊर्जा में रेट अलग-अलग हैं। मान्यवर, विभिन्न सोर्सेज से बिजली खरीदी जाती है अलग-अलग समय में बिजली खरीदी जाती है तो अलग-अलग प्राइज होता है। जैसे लो-फ्रीक्वेन्सी पर आ जाती है तो तीन रुपये यूनिट है। वैसे साढ़े छः सात रुपये प्रति यूनिट मिलती है। निश्चित दर पर बिजली नहीं मिलती है, ग्रिड से। किस फ्रीक्वेन्सी पर किस ग्रिड से क्रय किया जाये यह प्रश्न मूल प्रश्न से भिन्न है।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, आपने बताया है कि पांच मेगावाट जो है वह ग्रिड से अटैच कर दिया गया है। आप को-जनरेशन से अनुबन्ध कर रहे हैं। इस समय जो शुगर मिल में को-जनरेशन से बिजली पैदा हो रही है उसके सम्बन्ध में प्राविधान भी है अनुबन्ध करने का तो मैं यह जानना चाहता हूं कि को-जनरेशन से जो उत्पादन हो रहा है उसका क्या रेट है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, दो रुपये छियासी पैसे प्रति यूनिट रेट है को-जनरेशन से।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यह बताया गया है कि 14 निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में 194.36 मेगावाट बिजली का को-जरनेशन के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा है। और, उत्पादित करने के बाद वह बिजली नेशनल पावर ग्रिड को दी जा रही है या वह कुछ विद्युत् अपनी चीनी मिलों में इस्तेमाल के लिये या अपनी कालोनियों में इस्तेमाल के लिये रख रहे हैं ? दूसरे, यह बताया गया है कि को-जनरेशन में बहुत पैसे की आवश्यकता होती है तो जो यह 194.36 मेगावाट बिजली है या को-जनरेशन है, तो जैसे एन0टी0पी0सी0 आदि में उत्पादन होता है तो उसमें लगभग एक करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की लागत आती है। तो जो यह को-जनरेशन है इसमें कितनी लागत आती है ? मान्यवर, इसी तरीके से जो हमारी सहकारी और निगम की चीनी मिलें हैं यह घाटे में चल रही हैं अगर वह इसी तरह से विद्युत् उत्पादन का कार्य शुरू कर दें या डिस्टिलरी स्थापित करने का कार्य शुरू कर दें। या बगास आदि बाइ-प्रोडक्ट्स का कार्य करके अपनी चीनी मिलों के बारे में एक वाइबिलिटी की स्थिति बना सकते हैं तो उस दिशा में ही मैं यह जानना चाहता हूं कि को-जनरेशन में एक मेगावाट में क्या लागत आ रही है ?

(इस समय 11 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुये।)

मान्यवर, फिर उसी को दृष्टिगत रखते हुये हमारा थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है जो उससे बहुत ही सस्ता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश की सहकारी और निगम की चीनी मिलों में व्याप्त घाटे की समस्या को कम करने के लिये उनमें बाई-प्रोडेक्ट्स के निर्माण पर तथा को-जनरेशन के माध्यम से बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई अनुदान देने पर विचार करेगी या किसी वित्तीय संस्थान से ऋण दिलाने पर विचार करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, जो 194.36 मेगावाट बिजली उत्पादन की बात है जिसका जिक्र हुआ है, इसको पावर ग्रिड को देने का अनुबन्ध है। यह उनकी जो क्षमता है वह अपने इस्तेमाल से सरप्लस है। यह इसलिये दी जा रही है और श्रीमन् चीनी मिल के लिये हम बता देंगे, लगभग तीन करोड़ रुपये प्रति मेगावाट उत्पादन के लिये, उसे लगाने के लिये खर्चा आता है। किन्तु यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

डा0 यशवन्त सिंह--

मान्यवर, जब को-जनरेशन से बिजली उत्पादन होता है और वह ग्रिड को दे दी जाती है यह किसानों से सम्बन्धित एक इंडस्ट्री से बिजली बनाई जाती है जो ग्रामीण क्षेत्र से गन्ना आता है। तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो यह बिजली बनाई जाती है उसको प्राथमिकता से किसानों को दिया जाय, ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाय और उसका वितरण शहरी क्षेत्र में न किया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, बिजली का वितरण ग्रिड के माध्यम से ही हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

शहर और ग्रामीण ग्रिड अलग-अलग हैं भी नहीं।

प्रदेश में गन्ना मूल्य के निर्धारण की जानकारी

*2--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी पेराई सीजन को दृष्टि में रखकर सरकार कब तक गन्ना मूल्य का निर्धारण करेगी ? गन्ना किसानों को गन्ना उत्पादन में बढ़ती लागत तथा चीनी मूल्य के बढ़ते दाम के कारण क्या सरकार गन्ना मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

प्रदेश सरकार गन्ना कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुये गन्ने की उत्पादन लागत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य का स्तर, सम्भावित लेवी चीनी मूल्य, फ्री-सेल चीनी के अनुमानित बाजार भाव पर चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य देने की अनुमानित क्षमता व चीनी परता आदि घटकों के आधार पर राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य की दर निर्धारित करती है। आगामी पेराई सत्र 2006-07 के लिये गन्ना मूल्य निर्धारण करने हेतु समस्त सम्बद्ध पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये उपयुक्त समय पर गन्ना मूल्य दर का निर्धारण किया जायेगा।

प्रदेश में गन्ना विकास परिषदों के संचालन हेतु परिषदों के चुनाव कराये जाने पर विचार

*3--श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न हो जाने के फलस्वरूप गन्ना विकास परिषदों के संचालन हेतु पूर्व की भांति गैर सरकारी अध्यक्ष एवं संचालकों के नेतृत्व में गठन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि परिषदों को कब से प्रशासकों द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं इसका क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

परिषदों के चुनाव कराये जाने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 5 में संशोधन का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विकास परिषदों का कार्यकाल वर्ष 1991-92 तक था जिसके समाप्त होने पर वर्ष 1991-92 में परिषदों के कार्य संचालन का दायित्व सचिव, गन्ना विकास परिषद् को दिया गया था, जिसके विरुद्ध कतिपय गन्ना विकास परिषदों के अध्यक्षों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया तथा निर्वाचित सदस्य कार्य कर रहे हैं।

प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ाने की योजना

*4--डा0 सुशील चौधरी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में विगत वर्षों में दलहन उत्पादन में निरन्तर गिरावट आ रही है ? यदि हां, तो सरकार दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिये केन्द्र पुरोनिधानित आइसोपॉम योजना वर्ष 2004-05 से संचालित की जा रही है।

डा0 सुशील चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से दलहन उत्पादन के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था तो सरकार की तरफ से उत्तर आया 'जी नही', 'प्रश्न नहीं उठता'। तो मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में यूँ तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सहारनपुर और मेरठ मण्डल के बारे में मैं कह सकता हूँ कि कृषि विभाग के जो स्टोर हैं उनमें ब्लाक स्तर पर, तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर कहीं भी दलहन के बीज नहीं हैं और अगस्त में दलहन के बीज की आवश्यकता किसानों को होती है। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो खाद के गोदाम हैं उन पर आज भी बीज नहीं हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, दालों के उन्नतशील बीजों की उपलब्धता कराने के लिए शासन द्वारा समय-समय पर कार्यक्रम चलाये जाते हैं। खरीफ अभियान के समय दलहनी फसलों के उन्नतशील बीजों का वितरण पूरे प्रदेश में कराया गया और इसी तरह से रबी की बुआई के पहले रबी की दलहनी फसलें

हैं उनके बीज उपलब्ध करा दिये जायेंगे। किसी भी प्रकार के बीज की कमी कृषकों को नहीं आने दी जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा कि इस प्रदेश में दलहन के उत्पादन में निरन्तर गिरावट क्यों आ रही है तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया 'जी नहीं' इसी में स्पष्ट तौर पर आप संरक्षण दें कि अगर इसमें गिरावट नहीं आ रही है दलहन में तो निश्चित तौर पर दलहन के उत्पादन में विगत वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, कम से कम अनुपूरक के माध्यम से इसका उत्तर आना चाहिए और दूसरी बात यह सुझाव कि क्या दलहन या तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है तो इसमें भी उत्तर आ गया कि प्रश्न नहीं उठता तो मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्र पुरोनिधानित आइसोपॉम योजना 2004-05 में लागू हुई है तो इस योजना के अन्तर्गत किसानों को क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं और उन सुविधाओं के उपलक्ष्य में या उसके सापेक्ष, उसके फलस्वरूप दलहन में कितनी वृद्धि हुई है ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं गत 3 वर्षों का तुलनात्मक विवरण आपके समक्ष करना चाहता हूँ जो उत्पादन हुआ है दलहन का। मान्यवर, 2001-02 में 23.7 लाख मैट्रिक टन दलहन फसलों का उत्पादन हुआ। मान्यवर, 2002 में 24.48 लाख और 2004-05 में 23.62 लाख मैट्रिक टन दलहनी फसलों का उत्पादन हुआ और यह कहना कि कम हुआ है, तुलनात्मक गिरावट आई है तो गिराघट नहीं आई है। लेकिन यह भी सत्य है कि जितना उत्पादन बढ़ना चाहिए दलहनी फसलों का तो जितनी हमारी आवश्यकता है उतना उत्पादन नहीं बढ़ा है। इसके अलावा जो आइसोपॉम योजना है केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है इसके अन्तर्गत किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराते हैं, और कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराते हैं, उपकरण उपलब्ध कराते हैं। कीटनाशी दवाओं के छिड़काव के लिये और उसकी बुवाई के लिये उपकरणों की उपलब्धता कराते हैं और आइसोपॉम योजना के अन्तर्गत इस वर्ष हमने 21.73 करोड़ की परियोजना भारत सरकार को भेजी है और उसमें मान्यवर, अभी मात्र 9 करोड़ रुपये की स्वीकृतियाँ ही प्राप्त हुई हैं। जैसे ही यह स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जायेंगी, हम इसको और वृहत रूप से चलायेंगे। मान्यवर, एक चीज और बताना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दलहन और तिलहन के उत्पादन के अभिवर्धन के लिये हमने 70 करोड़ रुपये की योजना जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन फार असिस्टेंट (जायका) सहायितित योजना भारत सरकार को प्रस्तुत की हैऔर वह भी मान्यवर, प्रासेस में है, जल्द ही स्वीकृत हो जायेगी। दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है और हमारा भी यह प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश में दलहन की फसलों के उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि करें।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय मंत्री जी कह रहे है कि यह गलत है या यह सत्य से परे है कि दलहन के उत्पादन में गिरावट नहीं आई है। मान्यवर, आप स्वयं रिकार्ड पर देख लें, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2002-2003 में 24.4 लाख मैट्रिक टन दलहन का उत्पादन हुआ और 2004-2005 में 23.6 लाख मैट्रिक टन का हुआ तो निश्चित तौर से माननीय मंत्री जी ने अपने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में स्वयं

स्वीकार किया है कि दलहन के उत्पादन में गिरावट आ रही है और दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दलहन के उत्पादन में गिरावट नहीं आ रही है तो मान्यवर, जब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, रिकार्ड पर यह है कि पिछले वर्ष 24.4 लाख और इस वर्ष 23.6 लाख मैट्रिक टन हुआ तो यह सही है कि दलहन के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। दलहन खाद्यान्न में सबसे आवश्यक चीज है, गेहूँ हो, चावल हो, लेकिन अगर उसके साथ में दाल नहीं है, तेल नहीं है तो निश्चित तौर से इस पर हमेशा इस सदन ने चिन्ता व्यक्त की है और उसके बावजूद भी उसके उत्पादन में गिरावट आई तो अब यह जो उत्पादन में गिरावट आई है और माननीय सदस्य ने भी चिन्ता व्यक्त की कि आज जितने भी इनके केन्द्र हैं, ब्लाकों के, विकास खण्ड के, वहाँ पर एक तरफ माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम उन्नतशील बीज उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी स्वयं उन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर कहा कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जनपदों की उनको निजी जानकारी है, इसी तरह से पूर्वांचल हो, आज वह केवल केन्द्र रह गये हैं लेकिन आज न वहाँ से खाद उपलब्ध हो पा रहा है, न बीज उपलब्ध हो पा रहा है, इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस दलहन और तिलहन उत्पादन की गिरावट को देखते हुए, भविष्य में उन केन्द्रों पर उन्नतशील बीजों को उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार की क्या कार्य योजना है और जो उत्पादन घटा है, उसको बढ़ाने के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर आप विचार करेंगे या किसानों को और कोई सुविधायें देने पर विचार करेंगे ? ठीक है, इन्होंने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है और 9 करोड़ की स्वीकृति ही मिली है लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधनों से उत्तर प्रदेश के किसानों की घटती हुयी दलहन की फसल जो है, उसको बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार अपने किसानों को क्या सुविधा देने जा रही है ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, बीजों की उपलब्धता के लिये उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, जनपदवार जहाँ बीजों की आवश्यकता है, की जानकारी प्राप्त करके उसकी उपलब्धता कराती है। मान्यवर, यह बताते हुये मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्षों में 10 से 12 प्रतिशत बीज का परिवर्तन होता था, अब उसे बढ़ाकर 20 से 24 प्रतिशत तक सीड रिप्लेसमेंट बीज विकास निगम और उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के प्रयासों से सम्भव हो सका है। लोगों को उन्नतशील बीज उपलब्ध हों, यह मान्यवर, हमारी प्राथमिकता है और प्रदेश मे बीजों की उपलब्धता में कहीं कोई कमी न रहने पाये, इसके लिये मान्यवर, हम समय-समय पर विश्वविद्यालयों से ब्रीडर सीड लेकर उसका फाउन्डेशन सीड तैयार कराकर, उस फाउन्डेशन सीड को किसानों तक वितरित करने का कार्य करते हैं। अच्छे और उन्नतशील बीज लोगों को उपलब्ध हों, लेकिन मान्यवर, जहाँ तक देखा जाय, हमारी उत्पादन दर जो भी है, वही देश में बल्कि दूसरे देशों के मुकाबले में हमारी उत्पादन दर अपेक्षाकृत अधिक है। हम लगभग 8.78 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाल का उत्पादन करते हैं जो कि सर्वाधिक है लेकिन मान्यवर, उसके बाद भी जितनी हमारी आवश्यकता है, उसके अनुरूप दलहन के उत्पादन पर और अधिक प्रयास की आवश्यकता है और राज्य सरकार उस पर पूरा प्रयास कर रही है और मान्यवर, जब तक किसानों में जागृति नहीं होगी कि दलहनी फसलों का उत्पादन करें। आप मान्यवर, स्वयं परिचित हैं कि आज किसान की रुचि गन्ना में, गेहूँ और धान में ज्यादा है, दलहनी फसलों के उत्पादन में कम है लेकिन फिर भी सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है कि दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़े।

डॉ0 सुशील चौधरी--

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था, उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि जो सरकारी गोदाम हैं, उन पर चाहे वह ब्लाक स्तर पर हों या तहसील स्तर पर हों या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हों, उनके ऊपर आज भी उनमें उड़द का, मूँग का जो दलहन है, जो इनका अपना सर्टिफाईड बीज हैं न वह उपलब्ध है और न फाउण्डेशन बीज उपलब्ध हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह बीज कब तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, अब तो बुवाई का समय बीत गया है इसलिए अब उपलब्ध कराने की कोई उपयोगिता नहीं है। अब उड़द के बीज को उपलब्ध कराने का क्या औचित्य है ?

श्री अधिष्ठाता--

आपने बताया कि इस वक्त उपयोगिता नहीं है तो क्या जब सीजन था तब बीज उपलब्ध करा दिये गये थे ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, उड़द के उत्पादन में भी हमने आपको तीन वर्षों की जानकारी दी है वर्ष 2003-04 में 1.34 लाख मैट्रिक टन, वर्ष 2004-05 में 1.7 लाख मैट्रिक टन, और वर्ष 2005-06 में 2.11 लाख मैट्रिक टन तीनों वर्षों में उड़द का उत्पादन तुलनात्मक देखें तो कहीं अधिक हुआ है। हमने इस उत्पादन को 1.34 लाख से बढ़ा करके 2.11 लाख मैट्रिक टन तक पहुँचाया है।

श्री धर्मपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस समय दाल का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और सरकार की योजना दलहन बढ़ाने की नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार दालों की इस बढ़ती हुई महंगाई को कैसे रोकेगी ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, इसके लिए हम अपने माननीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग चाहेंगे कि वह किसानों की दलहनी फसलों के उत्पादन में रुचि बढ़ायें। मान्यवर, हम सब लोग मिल करके विचार करें, आज किसान कैसे क्राप्स को पैदा करने में विशेष रुचि ले रहा है। गन्ना क्षेत्रफल में गन्ने का उत्पादन और गेहूँ का उत्पादन करता है, इसके कारण दलहनी फसलों का उत्पादन निरन्तर घटता जा रहा है और इसलिए किसान की रुचि कम होती जा रही है। हम किसानों पर कोई प्रभाव डालकर ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं लेकिन जब कि किसान अपने क्षेत्र में दलहनी फसलों का उत्पादन नहीं करेगा तब तक उत्पादन बढ़ाना कैसे सम्भव है ?

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, प्रदेश में दलहन का जो भी उत्पादन हुआ है वह किसानों के निजी प्रयास से हुआ है। पहले जो प्रश्न आपने पूछा या माननीय सदस्य ने पूछा, मान्यवर, आज वास्तविकता यह है कि

पूरे प्रदेश में किसी गोदाम में उड़द, मूँग और किसी दलहनी फसलों के उन्नतशील बीज उपलब्ध नहीं थे। आज भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब सीजन निकल गया है इसलिए अब उपलब्ध कराने की कोई उपयोगिता नहीं है। मान्यवर, आज सरकार सदन में दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो उत्तर दे रही है, निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है और न ही गोदामों में इनके उन्नतशील बीज ही उपलब्ध कराये गये। इसलिय मान्यवर, सरकार की किसान विरोधी नीति के विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री जगदम्बिका पाल के साथ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बताया कि किसानों पर दबाव नहीं डाला जा सकता है. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से किसानों को प्रेरित किया जाय कि वह दलहनी फसलों का उत्पादन करें और वह इसलिए भी जरूरी है ताकि फसलों का संतुलन और मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसके लिए भी दलहनी फसलों का उत्पादन आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए खाद की सब्सिडी और बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता पर अनुदान देने का क्या सरकार कार्य करेगी ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, हमने 15 से लेकर 31 मई तक पूरे प्रदेश में कृषि उन्नयन पखवाड़ा एक अभियान के रूप में मानने का निर्णय किया। मान्यवर, प्रत्येक न्याय पंचायत में हमने किसानों को इकट्ठा करके, कृषि गोष्ठियाँ की और उसमें दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित किया गया और यह भी स्वाभाविक है कि दलहनी फसलों का उत्पादन करने से हमारे मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और किसानों को इसके लिए प्रेरित किया गया कि वह दलहनी फसलों का उत्पादन करें और अपना एक फसल चक्र बनायें और दलहनी फसलों का उत्पादन जरूर करें। मान्यवर, पूरे प्रदेश में 15 दिन तक पूरे कृषि विभाग ने लग करके कृषि उन्नयन पखवाड़े के अन्तर्गत किसानों के जन-जागरण का प्रयास किया और यह प्रयास भी किया जा रहा है कि किसान इसके लिए प्रेरित हों। किसानों को उन्नतशील बीज, चाहे उड़द हो, मूँग हो, जो भी दलहनी फसलें हों, सारी फसलों के उन्नतशील बीज उपलब्ध कराये हैं, उनको प्राप्त करके किसानों को उपलब्ध कराया गया। प्रदेश में कहीं पर भी बीज की कमी नहीं आने दी गयी, अब तो खरीफ की दलहनी फसलों की बुआई का समय बीत गया है। जहाँ पर भी कमी पायी जाती है तत्काल सूचना देंगे तो हम बीज की कमी नहीं आने देंगे। जब तक दलहनी फसल पैदा करने के लिए किसान तैयार नहीं होगा, एक वातावरण नहीं बनेगा तब तक दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाना कठिन कार्य है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि किसान की रुचि दलहनी फसलों के उत्पादन में कम हो गयी है तो क्या सरकार प्रेरणा की दृष्टि से अनुदान देने पर विचार करेगी, 'हाँ' या 'न' में बता दें ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, नहीं। बीज हम अनुदान पर देते हैं उर्वरक पर अनुदान देने का विचार नहीं है।

डॉ0 अजय कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर देश और प्रदेश के स्तर पर देखा जाए तो हमने खाद्यान्न फसलों में कई गुना वृद्धि की है लेकिन यह वास्तविकता है कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में प्रदेश और देश दोनों आत्मनिर्भर नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि किसानों की रुचि नहीं है, किसान गन्ने की फसल लेना चाहता है, धान की फसल लेना चाहता है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से दलहनी फसलों के उत्पादन में कमी आयी है।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 सदस्य प्रश्न पूछिये।

डा0 अजय कुमार--

दलहनी फसलों का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है जबकि दलहनी फसल हमारे भोजन का अनिवार्य अंग है इसलिए दलहन का उत्पादन बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है और उसके उत्पादन न बढ़ने के कारणों में जाने की आवश्यकता है जिसकी वजह से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और उन कारणों के निदान के लिए क्या प्रयास किये जायेंगे ? मान्यवर, दलहनी फसलों की यह विशेषता है कि उसमें उर्वरक भी कम मात्रा में प्रयोग होता है। मेरा प्रश्न यह है कि दलहनी फसलों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी न होने का क्या कारण है तथा उसके निदान के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, दलहनी फसलों में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, किसान सुरक्षित फसल पैदा करना चाहता है। दलहनी फसलें प्रकृति के प्रकोप की शिकार होती है। उरद, मूँग की फसल बोयी गयी और अतिवृष्टि हो गयी और अगर पानी खेत में रुक गया तो पूरी की पूरी फसल चली जाती है। अरहर दाल के उत्पादन में भी यही बात आती है जाड़े के दिनों में जब ठंड बढ़ जाती है और पाला गिर जाता है, तो पूरी की पूरी फसल चली जाती है। दलहनी फसलों में सुरक्षा नहीं है, रिस्क फैक्टर होने के कारण किसान इनका कम उत्पादन करते हैं। जो फसलें ज्यादा सुरक्षित होती हैं उन्हीं का उत्पादन करते हैं। यही मुख्य कारण है जिससे किसान दलहनी फसलों का उत्पादन कम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब प्रश्न समाप्त हुये।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य सम्बन्धी जानकारी

1--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा चिलकहर, जनपद बलिया में वर्ष 2002-03 में कितनी सड़कें समग्र विकास योजना के तहत स्वीकृत की गयी थी ? क्या स्वीकृत

सड़कों का लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक लेपन कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव (लोक निर्माण मंत्री)--

प्रश्नगत वर्ष में विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

2--श्री राम नरेश यादव--

[दूसरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

3--श्री राम नरेश यादव--

[दूसरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0 81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के अन्तर्गत पक्की सड़कों के बीच छूटी कड़ियों की कार्य योजना

4--श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के अन्तर्गत स्थित पक्की सड़कों के बीच कुल कितनी छूटी कड़ियां हैं जो 650 मीटर से कम लम्बाई की हैं ? वे कौन-कौन सी हैं और उन्हें पूर्ण करने की क्या कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के अन्तर्गत स्थित पक्की सड़कों के बीच ऐसी कुल 23 छूटी कड़ियां हैं।

सूची संलग्न* है। कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद उन्नाव के विकास खण्डों में बेलदारों से वर्क एजेण्ट के कार्यों का सम्पादन

5--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत आने वाले खण्डों में कितने बेलदारों को सीधे वर्क एजेण्ट के पद पर पद परिवर्तन करके तैनात किया गया है ? इस अनियमितता के लिये कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत मामले में दो दैनिक मस्टररोल एवं तीन कार्य प्रभारित बेलदारों को वर्क एजेण्ट के पद पर तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मस्टररोल/कार्य प्रभारित रूप में वर्क एजेण्ट के

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 191 पर।)

कार्यों का सम्पादन किये जाने हेतु तैनात किया गया था किन्तु ये उक्त पद के नियमित पद धारक नहीं है। नियमित अधिष्ठान में कार्यरत किसी बेलदार को वर्क एजेण्ट के पद पर पद परिवर्तन करके नहीं तैनात किया गया है। उक्त स्थिति में प्रश्नगत मामले में कोई अनियमितता नहीं की गई है। अत: दोषी कर्मचारियों के प्रति कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम बेगमगंज की सफीकुन विधवा को कृषि दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत अवशेष भुगतान कराने की मांग

6--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सफीकुन विधवा स्व0 श्री इस्लामुद्दीन, निवासी ग्राम बेगमगंज, तहसील सण्डीला, हरदोई के पति श्री इस्लामुद्दीन की दिनांक 22-7-05 को आपराधिक तत्वों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके उपरान्त शासनादेश संख्या-1751/1-9-04-962 एल0सी0/2004, दिनांक 20-8-04 की धारा 2 के तहत कृषि दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 एक लाख दिये जाने हेतु समस्त औपचारिकता पूरी कर तहसील सण्डीला, हरदोई में दिनांक 19-8-05 को इनके द्वारा आवेदन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना के तहत इन्हें अब तक मात्र रु0 40,000/- का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो शेष धनराशि रु0 60,000/- का भुगतान अब तक न कराये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त अवशेष का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हाँ।

जी हाँ।

त्रुटिवश उक्त धनराशि रुपये 40,000/- की चेक निर्गत हो गयी। सम्बन्धित बीमा कम्पनी आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 के पत्र दिनांक 22-8-06 द्वारा अवगत कराया गया है कि शेष अवशेष धनराशि रु0 60,000.00 का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में सड़कों के निर्माण की जांच

7--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत तीन सड़कों का निर्माण मानक के अनुरूप न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र माह जुलाई, 2005 में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-7-05 प्राप्त हुआ है जिसमें विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के 04 ग्रामों की सड़कों के निर्माण में कम सामग्री का प्रयोग किये जाने व सड़क खराब हो जाने की शिकायत की गयी है।

प्रश्नगत शिकायत की जांच करायी गयी। प्राप्त जाँच आख्या में उक्त मार्गों की क्रस्ट मानक के अनुरूप पायी गयी तथा वर्तमान में सभी मार्ग पूर्णतया गड्ढामुक्त एवं यातायात हेतु सुलभ हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के हसनापुर से रसूलपुर आंट तक मार्ग निर्माण कराने की मांग

8--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत हसनापुर से रसूलपुर आंट तक मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

निर्माण कार्य मार्च, 2007 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

9--श्री अब्दुल मन्नान--

[1 ले सोम0 के अता0 प्र0 सं0 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के क्षतिग्रत मार्गों की मरम्मत की मांग

10--डॉ0 अजय कुमार--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किरनपुर-बराल से छपरोली मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिससे वाहन एवं नागरिकों के आवागमन में कठिनाई हो रही है ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 145137/वि0को/दिनांक 19-05-06 उक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन चालू है।

जी हाँ।

मरम्मत के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की कतिपय क्षतिग्रस्त नहर पटरी के पुनर्निर्माण की मांग

11--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया के अन्तर्गत तेनूही हरिजन बस्ती गढ़मलपुर से जयदरा तक की नहर पटरी क्षतिग्रस्त है

जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त नहर पटरी का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रत है किन्तु आवागमन हो रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कैम्पियरगंज में चयनित समग्र गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की मांग

12--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कैम्पियरगंज के वर्ष 2004-05, 2005-06 में चयनित समग्र गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन लम्बित है यदि हां, तो उक्त समग्र गांवों को सम्पर्क मार्ग से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड उरुवा के यशवन्तपुर-तरैना नाले पर बने पुल के पुनर्निर्माण की मांग

13--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड उरुवा में यशवन्तपुर-तरैना नाले पर बना पुल जर्जर है जिससे किसी समय दुर्घटना घट सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वर्तमान में ध्वस्त एबटमेंट एवं सुपर स्ट्रक्चर का पुन: निर्माण कर पुल को आवागमन हेतु खोल दिया गया है। सेतु भारी वाहनों के लिये प्रतिबन्धित है, इस हेतु साइनबोर्ड लगा दिया गया है।

सेतु का पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कैम्पियरगंज में चयनित समग्र ग्रामों में पूर्व निर्मित पिच मार्गों के मरम्मत कराने की मांग

14--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कैम्पियरगंज में वर्ष 2004-05, 2005-06 के चयनित समग्र ग्रामों में पूर्व निर्मित पिच मार्गों की

मरम्मत कराये जाने हेतु शासन से स्वीकृति जारी की गयी है ? यदि हाँ, तो उक्त समग्र ग्रामों के मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड बांसगांव की ग्राम सभा धोबौली-गहरवार से जिगना मार्ग पर पिच कार्य कराने की मांग

15--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बांसगांव, जनपद गोरखपुर में ग्राम धोबौली-गहरवार से जिगना मार्ग पर पिच कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत है ? यदि हां, तो पिच कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद बलिया में चिलकहर से कुरेजी क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

16--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में चिलकहर से कुरेजी मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है किन्तु आवागमन हो रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

17--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

[2 सरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में वर्तमान वर्ष में खरीफ के उत्पादन का लक्ष्य एवं कार्य योजना

18--श्री राम नरेश यादव--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2006-07 में खरीफ के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है ? उस लक्ष्य की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्ययोजनायें बनायी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

वर्ष 2006-07 में खरीफ फसल उत्पादन का लक्ष्य 198.40 हजार मी0 टन रखा गया है।

खरीफ उत्पादन अभियान 2006 के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त के परिपत्र संख्या 1842/12-2-2006-67/04, दिनांक 07 अप्रैल, 2006 में विभिन्न कार्य-योजनायें यथा उन्नतिशील बीजों का वितरण, सन्तुलित उर्वरकों का प्रयोग, पौध सुरक्षा कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों एवं कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग, प्रदर्शनों का आयोजन, उन्नतिशील कृषि यंत्रों का प्रयोग, फसलों का विविधीकरण, प्रसंस्करण तथा विपणन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण, आकस्मिक कार्य योजना, एग्रो क्लाईमेटिक क्षेत्र के अनुरूप रणनीति तथा प्रशिक्षण एवं गोष्ठियों का आयोजन जैसी विभिन्न कार्य-योजनायें बनायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायकों से लेपन स्तर तक की सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव

19--श्री राम नरेश यादव--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा में विगत वर्ष 5 किमी0 प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायकों से लेपन स्तर तक की सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव मांगे गये थे ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा 5 किमी0 सड़कों का प्रस्ताव दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उन सभी 5 किमी0 सड़कों का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ है ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

कार्य प्रगति पर है।

मार्च, 2007 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

जनपद जौनपुर की सदर व केराकत तहसीलों में मकानों की क्षति के सापेक्ष प्रभावितों को आर्थिक सहायता

20--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, जुलाई, 2006 में हुये भयंकर वर्षा से जनपद जौनपुर के सदर व केराकत तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान गिरने से हुयी क्षति का आंकलन कराकर पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जनपद जौनपुर की तहसील सदर में माह जून, जुलाई 2006 में भारी वर्षा के कारण मकान क्षति होने के कारण 05 मकानों की क्षति के सापेक्ष प्रभावितों को नियमानुसार कुल गृह अनुदान रु0 10,800 तथा तहसील केराकत में अतिवृष्टि से 23 मकानों की क्षति के सापेक्ष प्रभावितों को नियमानुसार कुल गृह अनुदान रु0 18,800 की धनराशि वितरित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में सीवर निर्माण हेतु स्वीकृत अवशेष धनराशि अवमुक्त करंने की मांग

21--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर, इलाहाबाद में सीवर निर्माण हेतु रुपये 246.59 लाख स्वीकृत हुआ था तथा पहली किस्त के रूप में शासन द्वारा रुपये 50 लाख अवमुक्त कर दिया गया था ? उक्त अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12 मई, 2006 लोक निर्माण मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां, किन्तु परियोजना वित्तीय वर्ष 2000-01 में स्वीकृत की गयी है।

जी नहीं।

पत्र प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु परियोजना को पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था जल निगम द्वारा लागत मूल्य में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता बताई गई है, जिसके क्रम में आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद से पुनरीक्षित आगणन मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर अवशेष धनराशि को अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में राज्य मार्गों के विकास हेतु व्यय धनराशि की जानकारी

22--कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य मार्गों के विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त धन व्यय हो जाने के बाद भी राज्य मार्गों की सड़कों की हालत खस्ता है और सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गयी हैं ? यदि हां, तो राज्य मार्गों को निकटवर्ती हरियाणा, पंजाब व हिमांचल राज्य के स्तर पर लाने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 2003-04 में रु0 14832.13 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2004-05 में रु0 25227.21 लाख व्यय किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कृषि फार्मों के घाटे के उन्नयन हेतु मानक के अनुसार फार्म अधीक्षकों की तैनाती

23--कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय कृषि फार्मों पर फार्म अधीक्षक पदों पर कितने कर्मचारी मानकों के विपरीत कार्यरत हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि घाटे में चल रहे फार्मों के उन्नयन हेतु फार्म अधीक्षकों की तैनाती मानक के अनुसार की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

कोई नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में कतिपय मार्ग निर्माण में अनियमितताओं की जांच

24--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में कतिपय मार्ग निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लो0 नि0 वि0, लखनऊ को दिनांक 5-1-06 को जांच हेतु निर्देशित किया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच करा ली गयी है। प्राप्त जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर में स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कराने की मांग

25--श्री राम नरेश यादव--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश से फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 तथ 2005-06 में किन-किन परियोजनाओं की स्वीकृति मिली थी ? क्या उक्त परियोजनाओं का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

पूर्वांचल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में 11 कार्य एवं वर्ष 2005-06 में 09 कार्य स्वीकृत हैं। जिनका विवरण (संलग्नक 1 व 2) संलग्न है।

वर्ष 2004-05 में स्वीकृत 11 कार्यों में से 09 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा वर्ष 2005-06 में स्वीकृत 09 कार्यों में से 03 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

मार्च, 2007 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 192-193 पर।)

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में विधायक द्वारा प्रस्तावित मार्ग निर्माण सम्बन्धी जानकारी

26--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच किमी0 मार्ग विधायकों की संस्तुति पर निर्माण कराये जाने की घोषणा की गयी थी ? क्या उसके अनुसार जनपद हरदोई में विधान सभा सण्डीला में क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रस्तावित 5 किमी0 मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निर्माण कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण कार्य दिनांक 31-3-2007 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में मार्ग के निर्माण में अनियमितताओं की जांच

27--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 व 2005-06 में निर्मित कराये गये तीन मार्ग जो मानक क अनुरूप नहीं बनाये गये हैं की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता की शिकायत पर सचिव, लोक निर्माण विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 137/13-6-05-51(75) ई एम/05, दिनांक 22 मार्च, 2006 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग को जांच के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

शासन के पत्र दिनांक 22 मार्च, 2006 द्वारा नहीं अपितु शासन के पत्र संख्या-47 वी0आई0पी0/23-6-05-51(75) ई एम/05, दिनांक 13-12-05 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग को दिये गये थे।

प्राप्त जांच आख्या में उल्लिखित मार्गों पर क्रस्ट की मोटाई मानक के अनुरूप पायी गयी है। वर्तमान में उक्त मार्गों की स्थिति संतोषजनक है। मार्ग गड्ढामुक्त तथा यातायात हेतु सुलभ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तरवां के डुभाव एवं तरवा नदी पर टोल-टैक्स की वसूली बन्द कराने की मांग

28--श्री सुखदेव राजभर--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तरवां के अन्तर्गत डुभाव एवं तरवा नदी पर निर्मित पुल के टोल-टैक्स की अवधि क्या है ? क्या

मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यदि टोल-टैक्स की अवधि समाप्त हो चुकी है तो क्या सरकार टोल-टैक्स वसूली बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

विकास खण्ड, तरवां के अन्तर्गत लालगंज-तरवा मार्ग के किमी0 16 में दोना नाला पर निर्मित दुभांव सेतु पर टोल-टैक्स की वसूली दिनांक 11-5-1984 से तथा मेंहनाजपुर-चिरैयाकोट मार्ग के किमी0 13 में स्थित दोना नाला पर निर्मित तरवां सेतु पर वसूली दिनांक 16-11-1977 से प्रारम्भ की गयी।

प्रदेश में अवस्थित पुलों पर टोल-टैक्स की वसूली तब तक जारी रहती है जब तक मूल निर्माण लागत, उक्त लागत पर आंकलित ब्याज, पथकर वसूली पर होने वाले व्यय तथा पुल के रख-रखाव पर होने वाले व्यय की पूर्ण वसूली नहीं हो जाती अथवा वसूली प्रारम्भ हुये 50 वर्ष न हो जायें।

विकास खण्ड, तरवां के अन्तर्गत लालगंज-तरवां मार्ग के किमी0 13 में दोना नाला पर निर्मित तरवां सेतु पर पथकर वसूली का सम्बन्ध है, इस सेतु पर उपरोक्त शर्तों की पूर्ति हो चुकी है, अतः इस सेतु पर पथकर की वसूली समाप्त करने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम बंधवा बाजार एवं सलाहपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कृत कार्यवाही

29--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम बंधवा बाजार एवं सलाहपुर में वर्ष 1985 से अब तक कुल कितने लोगों ने ग्राम समाज की भूमि-तालाब, चारागाह, मरघट, रिजर्व लैण्ड पर अवैध ढंग से स्थायी निर्माण तथा प्रतिबन्धित तालाब आदि पर कब्जा कर लिया है ? उनके स्थायी पते क्या हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-10-04 प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम बंधवा बाजार, ग्राम सभा सलाहपुर मझौली की गाटा संख्या 990/0.349 हे0 नवीन परती व 985/0.770 हे0 तथा 327/1.473 हे0 तालाब के खाते की भूमि पर अवैध ढंग से स्थाई निर्माण है तथा गाटा संख्या 999/0.063 में 03 व्यक्तियों का कब्जा है। कुल 50 व्यक्तियों का कब्जा पाया गया है।

अवैध ढंग से निर्माण करने वाले व्यक्ति उसी ग्राम सलाहपुर व मझौली के स्थाई निवासी हैं। (सूची संलग्न* है।)

जी नहीं, वरन् विषय से सम्बन्धित मा0 राजस्व मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 01-10-04 प्राप्त हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 194-196 पर।)

गाटा संख्या 327 ग्राम मझौली के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकार गाटा संख्या 990 में अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में ज0वि0अ0 की धारा 122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी जिससे पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित हुआ वि0भू0र0अ0 की धारा 123 के अन्तर्गत अधिकार परिपक्व हो चुके हैं, नोटिस 49 को वापस लिया गया है। गाटा संख्या 999 ऊपर के खाते में अंकित है जिस पर तीन व्यक्तियों के मकान बने होने के कारण ज0वि0अ0 की धारा 122 बी के अन्तर्गत तहसीलदार न्यायिक के न्यायालय में संस्थित किया गया है जो विचाराधीन है। गाटा सं0 985 ग्राम सलाहपुर के सम्बन्ध में वाद दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से सम्बन्धित मार्ग के

निर्माण की मांग

30--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से संबंधित मार्ग बेला-पट्टी-ढखवा जो विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश स्टेट रोड प्रोजेक्ट-2 के द्वितीय चरण के 32 वृहद् रख-रखाव के कार्यों के पैकेज में शामिल हैं ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

निर्माण कार्य 01-05-06 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत कन्हानी व अन्य ग्रामों में

चकबन्दी में हो रही अनियमितताओं के संबंध में

पत्र पर कृत कार्यवाही

31--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत कन्हानी व अन्य ग्रामों में चकबन्दी में हो रही अनियमितताएं रोकने के संबंध में आपके पत्र संख्या/आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-147492/06, दिनांक 20-06-2006 द्वारा जिलाधिकारी शाहजहांपुर को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो जिलाधिकारी द्वारा अब तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी गयी तथा जांच में धन उगाही की शिकायत निराधार पायी गयी। चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने हेतु सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के तहसील मुख्यालय बांसगांव में थाने से बहिडाडी जूनियर हाई स्कूल तक छूटे पिच मार्ग के निर्माण की मांग

32--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-मुख्यालय-बांसगांव, जनपद गोरखपुर में थाने से बहिडाडी जूनियर हाई स्कूल तक छूटे हुये पिच मार्ग के निर्माण के लिये धन स्वीकृत है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नगत मार्ग किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत न होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर में ग्राम समाज की भूमि का अवैध पट्टे करने पर कार्यवाही की मांग

33--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र ख-3/069057, दिनांक 1-7-05 जो ग्राम सभा मदाफरपुर, तहसील पट्टी, प्रतापगढ़ में ग्राम समाज की भूमि का अवैध रूप से किये गये पट्टों के दोषी पूर्व प्रधान श्री जगदीश तथा अन्य के विरुद्ध जांच कराने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/069057, दिनांक 1-7-05 को पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-589/02, दिनांक 31-12-02 से संबंधित है जिसके संबंध में भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे ग्राम सभा के व्यक्तियों द्वारा धारा-198 (4) व 122 सी की उपधारा (6) के अन्तर्गत कार्यवाही का वाद योजित किया गया जो अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। ग्राम मदाफरपुर में कुल 31 व्यक्तियों के पक्ष में स्वीकृत प्रस्ताव दिनांक 10-12-93, 31-12-93 व 14-4-95 को आदेश दिनांक 19-5-05 के अन्तर्गत धारा 198 (4) जमींदारी विनाश अधिनियम द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिसे अपर आयुक्त, पंचम, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30-08-05 को स्थगित कर दिया गया है। उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन है। दोषी लेखपाल श्री इन्द्रपाल वर्मा के विरुद्ध आरोप-पत्र सिद्ध न पाये जाने के कारण निलम्बित लेखपाल को उप जिलाधिकारी, कुण्डा

के आदेश दिनांक 6-01-06 के अन्तर्गत सवेतन बहाल किया गया व तत्कालीन लेखपाल/वर्तमान स0 र0 अ0 श्री पारसनाथ के विरुद्ध आरक्षित भूमि की श्रेणी परिवर्तित करने एवं अपात्र व्यक्तियों को आवंटन के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि, सत्यनिष्ठा संदिग्ध तथा एक वर्ष के लिए एक वेतनवृद्धि रोकी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम मदाफरपुर के ग्राम प्रधान द्वारा किये गये भूमि के पट्टों की जांच पर कार्यवाही की मांग

34--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मदाफरपुर, तहसील पट्टी, प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान श्री जगदीश एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1990 से 1995 तक ग्राम सभा की कुल कितनी भूमि का कृषि, आवासीय, वृक्षारोपण, तालाब, कुम्हारी के लिये पट्टे किये गये हैं ? पट्टा किये गये लोगों में कितने लोग अन्य जनपद एवं ग्राम सभाओं के हैं ? क्या जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा दोषी ग्राम प्रधान तथा अन्य के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज किये जाने हेतु अपने पत्र 3594/शिविर-99, दिनांक 23-10-99 द्वारा उप जिलाधिकारी, पट्टी को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो एफ0 आई0 आर0 कब दर्ज करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

ग्राम प्रधान श्री जगदीश नारायन व अन्य कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1990 से 1995 तक ग्राम सभा की कुल 58 बीघा 04 बिस्वा 07 धूर भूमि का पट्टा कृषि एवं आवास हेतु किया गया है। वृक्षारोपेण तालाब कुम्हारी कला का पट्टा नहीं दिया गया है।

पट्टा किये गये लोगों में से कोई व्यक्ति अन्य जनपद व अन्य ग्राम सभा के नहीं हैं।

जी हां।

वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं करायी गयी है।

वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं करायी गयी है परन्तु तत्कालीन लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए दण्डित किया जा चुका है।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-खंजनी में जमुरा नाले पर पुल निर्माण की मांग

35--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में विकास खण्ड-खंजनी मुख्यालय के ठीक सामने जमुरा नाले पर बना पुल पूरी तरह जर्जर है जिससे दुर्घटना का भय बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

नये पुल का निर्माण विश्व बैंक पोषित, उ0 प्र0 स्टेट रोड प्रोजेक्ट-2 के अन्तर्गत पैकेज संख्या-यू0पी0एस0आर0पी0/यू0पी0/09 में सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील पट्टी के हरीपुर पट्टी के भू-माफियाओं द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग

36--श्री गया चरन दिनकर--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भू-माफिया पवन कुमार, संजय कुमार, अरविन्द कुमार, बड़े लाल, धर्मराज, रामराज, राम नारायण उर्फ जमादार, निवासी-हरीपुर पट्टी, तहसील हण्डिया, जिला इलाहाबाद द्वारा ग्राम समाज भीटा संख्या 762 चक मार्ग संख्या 692, नाली संख्या-784 पर छप्पर आदि रखकर अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम समाज की जमीन, नाली व चक मार्ग से अतिक्रमण हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

पूर्व में प्रश्नगत आराजियात के बाबत शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके क्रम में समस्त अतिक्रमण हटवा दिया गया था, वर्तमान में विवादित आराजियात पूर्णतया खाली है, कोई अतिक्रमण नहीं है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया के ग्राम हरीपुर में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण हटवाने की मांग

37--श्री गया चरन दिनकर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-हरीपुर पट्टी, विकास खण्ड प्रतापपुर, तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद में तालाब सं0 308, 521/क, 521/ख, 564, 566, 567 जो कि 1332 फसली में सम्पूर्ण तालाब अभिलेख में दर्ज था किन्तु उँक्त तालाबों के कुछ हिस्से को भू-माफियों द्वारा अपने नाम अभिलेखों में दर्ज करवा कर अतिक्रमण कर लिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

आराजी सं0 308 पर झरिहग पुत्र लक्षिमन, निवासी ग्राम सन् 1401 फ0 रकबा 0.1320 हे0, जयराम पुत्र राम किशोर व शिवकुमार पुत्रगण दुनमुन व सुरसत्ती पत्नी दुनमुन, निवासी ग्राम 1400फ0 रकबा 0.2170 हे0, शोभानाथ पुत्र राम दयाल, निवासी ग्राम 1400 फ0 रकबा 0.1320 हे0 नाम अंकित है। उपरोक्त नम्बर 308 रकबा 0.5840, 1359फ0 के खसरे में तालाब अंकित था उसी आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में उक्त खातेदारों का नाम निरस्त करते हुए आराजी सं0-308 क्षे0पूर्ववत् तालाब दर्ज कर दिया गया है।

आराजी सं0 521क रकबा 1.4270 हे0 वर्तमान में तालाब के खाते में अंकित है, जिस पर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है। तालाब के पूर्वी हिस्से में चम्पापुर जलालपुर पक्का मार्ग व दक्षिण में पक्का सम्पर्क मार्ग बना है, जो तालाबी रकबे पर है, शेष तालाब पूर्ववत् खाली है।

आराजी संख्या 521 ख पर वर्तमान में राम दुलारे पुत्र बाबादीन व लालता प्रसाद, मिठाई लाल पुत्रगण बलदेव व धर्मराज, रामराज, बड़ेलाल पुत्रगण रामदुलार का नाम रकबा 0.046 हे0 संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, जांच में पाया गया कि वर्ष 1359 फ0 के खसरे में 521 का पुराना नं0 725 मि0 रकबा 0.046 हे0 पर झरिहग सिंह आदि का नाम दर्ज है, चूंकि उक्त रकबा भूमिधरी है, कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है, शेष आराजी सं0 521क जो 1359फ0 में व वर्तमान में रकबा 0.427 हे0 तालाब के खाते में दर्ज है एवं मौके पर खाली है कोई अतिक्रमण व फर्जी इन्द्राज नहीं है।

आराजी सं0 564, 566, 567 मि0 फ0 वर्ष 1359 वर्तमान खतौनी वर्ष 1410 लगायत 1415 में तालाब के खाते में दर्ज है, मौके पर खाली है तथा किसी प्रकार का अतिक्रमण व फर्जी इन्द्राज नहीं है।

जनपद देवरिया के पकड़ी बाजार के ग्राम नगवा (अकटहिया टोला) में अवैध शराब बनाने का कथित प्रकरण

38--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत पकड़ी बाजार के पास ग्राम नगवा (अकटहिया टोला) में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से शराब बनायी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से बन रही शराब बनना बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं, जनपद देवरिया के अन्तर्गत पकड़ी बाजार के पास ग्राम नगवा (अकटहिया टोला) में अवैध शराब बनाने का कार्य नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में गोमती नदी के पुल की अप्रोच रोड पर व्यय धनराशि का विवरण

39--श्री जगन प्रसाद गर्ग तथा श्री अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-लखीमपुर खीरी में बरबर-औरंगाबाद मार्ग पर गोमती नदी के सेतु की अप्रोच रोड का कार्य 2003 से वर्ष 2006 के मध्य कराया गया था ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्य किस-किस संस्था द्वारा किया गया तथा उस पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा आंशिक रूप से कराये गये कार्य के विरुद्ध रु0 1.55 लाख व्यय किया गया। पुनरीक्षित स्वीकृति के अनुसार शेष कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिस पर अब तक कुल रु0 23.50 लाख का व्यय किया गया है।

जनपद लखीमपुर खीरी के बरबर-औरंगाबाद मार्ग पर गोमती नदी पर बने सेतु हेतु कराये गये मिट्टी के कार्य के बकाये का भुगतान कराने के सम्बन्ध में पत्र

40--श्री जगन प्रसाद गर्ग तथा श्री अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई प्रथम, लखनऊ का पत्र संख्या 386/बरबर-औरंगाबाद सेतु/2006, दिनांक 29-5-2006 जो महाप्रबन्धक (मध्य) उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को सम्बोधित है और जो जनपद लखीमपुर खीरी में बरबर-औरंगाबाद मार्ग पर गोमती नदी पर बने सेतु के लिए कराये गये मिट्टी का कार्य के बकाया के भुगतान के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या फर्म को कराये गये कार्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

मेसर्स पुनदेव एण्ड सन्स द्वारा बिना किसी कार्यादेश के कार्य किया गया है। तत्कालीन इकाई प्रभारी द्वारा बिना किसी कार्यादेश/अनुबंध व बिना कार्य की मापी के रु0 1.55 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया है। इस अनियमितता हेतु संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच संस्थित की गयी है। जांच आख्या के निष्कर्षो के आधार पर ही भुगतान संबंधी कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

जनपद लखनऊ की तहसील सदर के ग्राम-जुग्गौर के चक रोड पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग

41--श्री महेश त्रिवेदी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील लखनऊ सदर के अन्तर्गत ग्राम-जुग्गौर में सतरिख रोड से श्री नांमो लाल के घर तक जोड़ने वाले चक रोड को श्री मेड़ई व श्री नन्हू निवासी जुग्गौर द्वारा अनधिकृत रूप से तोड़ कर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को खाली कराते हुए अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान सूटरगंज, कानपुर के निदेशक के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित जांच रिपोर्ट

42--चौ0 मस्तराम एडवोकेट--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान सूटरगंज, कानपुर के निदेशक के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित जांच रिपोर्ट लोक आयुक्त, उ0 प्र0 के पत्र संख्या 836/2005/15, दिनांक 14-6-2006 द्वारा शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त आख्या के आधार पर दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्व0 प्रभार) श्री योगेश प्रताप सिंह--

जी हां।

संस्थान की निदेशक के विरुद्ध जांच संस्थित की जा चुकी है। सम्प्रति जांच अधिकारी के विदेश जाने के कारण दूसरा जांच अधिकारी नामित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

जांच अधिकारी से जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम दौलतपुर के सम्पर्क मार्ग का निर्माण

43--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम दौलतपुर, विकास खण्ड, मदनापुर, जनपद शाहजहांपुर को वर्ष 2003-04 में समग्र ग्राम में चयनित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग से सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

वर्ष 2005-06 में नाबार्ड-11 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। निर्माण कार्य प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में गरीबी से ऊब कर आत्म हत्या का प्रकरण

44--डा0 सुशील चौधरी--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बांदा में वर्ष 2003 में 190, वर्ष 2004 में 160, वर्ष 2005 में 202, वर्ष 2006 में 31 जुलाई, 2006 तक 65 लोगों ने गरीबी से ऊब कर आत्महत्या की है ? क्या सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने हेतु कोई रूप रेखा बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

वर्ष 2003, 2004, 2005 तथा वर्ष 2006 में 31 जुलाई, 2006 तक गरीबी से आत्महत्या का कोई प्रकरण नहीं है।

आत्महत्या के परिणामस्वरूप मुआवजे का कोई प्राविधान नहीं है, तथापि प्रभावित पात्रों को अन्त्योदय बी0पी0एल0 राशन कार्ड, विधवा/वृद्धावस्था/किसान पेंशन, कन्या विद्या धन योजना तथा बेरोजगारी भत्ता के द्वारा लाभान्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगार गारन्टी से रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत गोमती नदी व सम्बद्ध नालों में अतिक्रमण हटवाने की मांग

45--श्री जगदीश नारयण राय--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश में नदी, तालाबों, नहरों आदि की स्थिति 1952 के पूर्व लाने हेतु उनके अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जनपद जौनपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत गोमती नदी में या उसके सम्बद्ध नालों में ग्राम धर्मापुर, केशवपुर, अलिजानपुर, पचहटिया में अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग

46--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत सत्र में उनके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधायक के विधान सभा क्षेत्र में 07 कि0मी0 सड़क बनायी जायेगी ? यदि हां, तो क्या मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ में उक्त सड़कों का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां, परन्तु प्रश्नगत घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी है।

जी नहीं।

वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया के विकास खण्ड प्रतापपुर के ग्राम हरीपुर पट्टी में श्री देवराज शर्मा की भूमि को ग्राम समाज के अभिलेखों में सुरक्षित करने के आदेश

47--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-हरीपुर पट्टी, विकास खण्ड प्रतापपुर, तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद में सरकारी कर्मचारी श्री देवराज शर्मा को भूखण्ड सं0 515 रकबा 14 बिस्वां 10 धूर कृषि हेतु पट्टा कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि रिहायशी मकान बनवाने के कारण मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद ने मु0अ0सं0 : 775/448, सन् 1994-95, धारा 198 (4) जमीं अ0 इन्दर बनाम देवराज का दि0 21-9-1995 के आदेशानुसार देवराज का नाम खारिज करके ग्राम सभा में अंकित कराने का आदेश उप जिलाधिकारी, हण्डिया को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या देवराज का नाम काटकर ग्राम समाज के अभिलेखों में सुरक्षित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार के हसनपुर मार्ग की खराब सड़क की मरम्मत कराने की मांग

48--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि देवलपुर-महाराजगंज हसनपुर मार्ग, विकास खण्ड कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर अत्यधिक खराब हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु आगणन मंगाकर धन स्वीकृत करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, तथा आवागमन हो रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

सुल्तानपुर-कुड़वार हलियापुर मार्ग, कुड़वार बाजार में खराब पड़े मार्ग की मरम्मत की मांग

49--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर-कुड़वार हलियापुर मार्ग, कुड़वार बाजार में अत्यधिक खराब है, बड़े-बड़े गड्ढे सड़क पर हो गये हैं, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

कुड़वार बाजार के आबादी भाग में मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। आवागमन प्रभावित नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर में टिकरिया से नोनरा सड़क के पुनः सुधार हेतु स्वीकृत धनराशि

50--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों के निर्माण के कितने वर्षों बाद पुनः सुधार हेतु धन आवंटित किया जाता है ? क्या टिकरिया से नोनरा विकास खण्ड दुबेपुर, जनपद सुल्तानपुर सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो कब ? और इसके पुनः सुधार हेतु धन स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर नवीनीकरण का कार्य सम्प्रति राज्य मार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गों पर 4 वर्ष तथा अन्य जिला मार्गों पर 5 वर्ष एवं ग्रामीण मार्गों पर 10 वर्षों के अन्तराल पर चक्रानुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर धन आवंटित किया जाता है।

जी हां।

जून, 1992 में।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को जाने वाली सड़कों के मरम्मत की मांग

51--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 50-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रोसर जमालपुर-हथौड़िया हुसेनापुर को जाने वाली सड़कें जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में चयनित लोहिया ग्राम के अनेकों ग्रामों में विकास कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

52--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या कृषि विदेश व्यापार मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर में लोहिया ग्राम के रूप में चयनित ग्राम सरही, ग्राम ददऊ, ग्राम हुसेनापुर में योजनान्तर्गत अनुमन्य विकास कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिये जायेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जनपद शाहजहांपुर में लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत ग्राम हुसेनापुर के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम-ददऊ व सरही को लोहिया ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु मण्डी समिति द्वारा प्रस्ताव दिनांक 23-8-2006 को पारित किया गया है। लोहिया ग्राम के चयन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बाराबंकी के हेतमापुर तीर्थ स्थल को घाघरा नदी के कटान से रोकने हेतु उपाय

53--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हेतमापुर तीर्थ स्थल जनपद-बाराबंकी को घाघरा नदी के कटान से बचाने हेतु वर्ष 2001 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) से 2 करोड़ 62 लाख रुपया ठोकर एवं बांध बनाने के लिए स्वीकृत कर प्रथम किश्त के रूप में 20 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था परन्तु एक ठोकर का निर्माण कर कार्य को रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

क्या सरकार कटान को रोकने के लिए शेष धन अवमुक्त कर निर्माण प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां, किन्तु प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) से वर्ष 2002-03 में रु0 262.52 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 20.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन कालपी के विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम टिकरी में क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की मांग

54--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालपी, जनपद जालौन, विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम टिकरी में मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्ष 2002-2003 में बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलांश से सी0सी0 रोड स्वीकृत हुई थी ? क्या उसका निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो उक्त रोड का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं। बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलांश से वर्ष 2003-04 में ग्राम टिकरी मुस्तकिल विकास खण्ड कुठौंद, तहसील जालौन में सी0सी0 रोड स्वीकृत की गयी थी।

जी नहीं।

स्थानीय विवाद के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका है। विवाद हल होने के पश्चात् निर्माण कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 31 अगस्त, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से पहली सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर में नेबुआ रायगंज से जटहा जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत जगदीशपुर एवं मोसाह स्थित लिफ्ट केनाल की सफाई कराकर आखिरी छोर तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा उचहवा बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के संबंध में है। चौथी सूचना कुं0 भारतेन्द्र सिंह की है, वह अनुपस्थित

है। पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ में लगभग एक सौ अवैध कालोनियों को शासन द्वारा नियमित करने के संबंध में है। छठी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग की जांच कराने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री देवकी नन्दन कोरी की है, वह अनुपस्थित हैं। आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के ग्राम सराय ताल्लुके छितौना (विजली पुरा क्षेत्र) में तत्काल चकबन्दी कराये जाने के संबंध में है। नवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की जनपद बांदा के बिसण्डा नगर में संचालित राजकीय बालिका विद्यालय में शिक्षकों के नियुक्ति के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की बरेली में ग्राम बेरम नगर में भूमिहीनों को किये गये ग्राम समाज की भूमि के पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में नपुरा, फूलपुर एवं डहिया मुबारकपुर में घाघरा नदी को कटान रोकने के लिये ठोकर बनवाने के संबंध में है। बारहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की जनपद मेरठ एवं मुजफ्फरनगर के चार जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री राम करन आर्य की है, वह अनुपस्थित है। चौदहवीं सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय में परास्नातक कक्षायें चलाये जाने एवं रिक्त प्रवक्ताओं के पदों को भरे जाने के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत 220 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन सोहावल फैजाबाद का निर्माण कार्य न होने से विद्युत आपूर्ति सुचारु न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। प्रतीक्षा सूची में से श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की सूचना जो रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा अमहा में पुल निर्माण कराकर कनहा-भोटी सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में है ली जानी है।

डा0 विनोद तिवारी, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह), श्री मुंशी लाल गौतम, श्री रणवीर राणा की सूचनायें अस्वीकार की गयी है।

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की सूचना को छोड़कर शेष स्वीकृत सूचनाएं सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं)।

जनपद कुशीनगर में नेबुआ रायगंज से जटहा जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूर्णमासी देहाती--

[अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर व मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नेबुआ रायगंज से जटहा मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा काफी पहले निर्माण कार्य कराया गया था उक्त सड़क बहुत ही जर्जर स्थिति में है। और जगह-जगह गड्ढे में तब्दील हो गयी है जिससे लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। जिससे क्षेत्र में जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत जगदीशपुर एवं मोसाह स्थित लिफ्ट कैनाल की सफाई कराकर आखिरी छोर तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय--

[जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बयालसी में लिफ्ट कैनाल जगदीशपुर एवं मोयहां में स्थित है। पूर्व में पानी से सिंचाई हेतु काफी दूर तक नहरें बनी हुई थी लेकिन नहरों की देखरेख एवं सफाई न होने के कारण पानी आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाता है। किसानों की फसलें सूख रही हैं। पानी न पाने के कारण किसानों में अत्यधिक असंतोष की भावना व्याप्त हो गयी है। नहरों की सफाई व देखरेख की व्यवस्था करना तात्कालिक रूप से अपरिहार्य एवं आवश्यक है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने हेतु नहरों की सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा उचंहुआ बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा उचंहुवा बाजार विकास खण्ड-तरवां में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण वहां की जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। गांव से आजमगढ़ सदर अस्पताल तक मरीजों को ले जाने में मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है एवं इससे कई दिक्कतें जनता को उठानी पड़ती है। जिससे जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ में लगभग एक सौ अवैध कालोनियों को शासन द्वारा नियमित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

उ0 प्र0 की राजधानी लखनऊ में लखनऊ नगर निगम की सीमा का विस्तार होने के साथ-साथ सीमा के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि आ गयी है, जिनको किसानों ने सहकारी समितियों को बेच डाला और समितियों ने बिना विकास शुल्क जमा कराये इस भूमि पर प्लाटिंग करके जनसमुदाय को बेच दिया और उन्होंने इस पर भवन बनाकर रहना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार की कालोनियों को सरकार ने अवैध कालोनियों की संज्ञा दी है क्योंकि इनका विकास शुल्क नहीं जमा है। इन

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कालोनियों में रहने वाले लोगों को नागरिक सुविधायें भी प्राप्त नहीं है यद्यपि यह लोग नगर निगम और विधान सभा में मतदाता हैं। दिल्ली की सरकार ने इन अवैध कालोनियों को नियमित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है और शहरी विकास मंत्रालय ने अपनी टिप्पणियों के साथ कैबिनेट नोट विभिन्न मंत्रालयों को भेजा है। लखनऊ में ऐसी कालोनियों की संख्या 100 से ऊपर है। इन कालोनियों में बने हुए भवनों को नियमित करने का कार्य उ0 प्र0 सरकार को भी करना चाहिए और उसके लिए कानून में विशेष प्राविधान किया जाना चाहिए, क्योंकि इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को उजाड़ देना भी लोकहित में नहीं है।

मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त वर्णित कालोनियों को उ0 प्र0 सरकार नियमित करे।

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[जिला योजना जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अनुमोदित विधान सभा क्षेत्र पट्टी के पर्यटक स्थल हनुमान मंदिर पट्टी, शिव मन्दिर अमरगढ़, दुर्गा मन्दिर सवेंजीतपुर, मंगरौरा मन्दिर सहित वर्ष 2001-02 से अब तक विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत मन्दिरों, पर्यटक स्थलों, मजारों के स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी थी। कुछ स्थलों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसका निर्माण एजेन्सी ने दुरुपयोग किया है और कार्य भी पूर्ण नहीं किया है। बार-बार प्रयास करने पर भी कार्यदायी संस्था के लोग राजकीय धन के दुरुपयोग में लिप्त हैं लागत मूल्य बढ़ रहा है।

अत: लोक महत्व एवं जनहित एवं आस्था से जुड़े उपरोक्त विषय पर दुरुपयोग करने वाले कार्यदायी संस्था एवं विभाग के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध गठित तकनीकी समिति से जांच कराये जाने एवं दोषी को दण्डित किये जाने तथा कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सराय ताल्लुके छितौना (बिजली पुरा क्षेत्र) में तत्काल चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना--

[शाहजहांपुर के ग्राम सरांय ताल्लुके छितौना (बिजली पुरा क्षेत्र) ब्लाक भावलखेड़ा में आते हैं इसमें छोटे-छोटे 1-2 बीघा वाले काश्तकारों की खेती पर बड़े-बड़े काश्तकार ने जबरन कब्जा कर रखा है अब तो रास्ता भी जोत लिया है वहां पर ट्रैक्टर ट्राली निकलने का रास्ता भी बन्द कर दिया गया है दबंग लोगों ने जमीन पर व रास्ते दोनों पर कब्जा कर लिया जब कमजोर लोग उस रास्ते से होकर अपने खेतों पर जाना चाहते हैं तो काश्तकार उनके साथ मारपीट भी करते हैं। गांव में रेलवे लाइन व दरिया के बीच चकबन्दी के आदेश हो गये हैं ताकि छोटे काश्तकारों को उनकी जमीन पर कब्जा वापस मिल सके तथा रास्ता भी मिल सके परन्तु जो दबंग हैं, बड़े हैं। उन्होंने वर्तमान में चकबन्दी व्यवहारिक रूप से रोक रखी है। जनहित में चकबन्दी बहुत आवश्यक है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से तत्काल चकबन्दी कराने के आदेश का पालन कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के विसण्डा नगर में संचालित राजकीय बालिका विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबूलाल कुशवाहा--

[आदर्श जनपद बांदा के विसण्डा नगर क्षेत्र में संचालित राजकीय बालिका विद्यालय में मात्र दो शिक्षक ही नियुक्त हैं। शिक्षिकों के अभाव में वहां अध्ययन कर रही लगभग 500 छात्राओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है, अध्यापन कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। छात्रायें अध्ययन के लिये मारी-मारी इधर-उधर भटक रही है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए राजकीय बालिका विद्यालय विसण्डा नगर जनपद बांदा में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद में सोहावल में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह--

[जनपद फैजाबाद-अयोध्या में धार्मिक नगरी होने के कारण उ0 प्र0 ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहां पर विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2001 में 220 के0वी0ए0 विद्युत् सब स्टेशन स्वीकृत किया गया है परन्तु अभी तक सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है। इसके लिए जमीन भी अधिग्रहीत की जा चुकी है। फैजाबाद मण्डल मुख्यालय होने के बाद भी यहां पर गोण्डा के 220 के0वी0ए0 सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जिसके कारण लो-वोल्टेज एवं विद्युत लाइन अत्यधिक दूरी के कारण आये दिन खराब रहती है जिसके कारण समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जनहित में सोहावल में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 में स्वीकृत 220 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण प्राथमिकता के आधार होना आवश्यक है। विद्युत आपूर्ति गोण्डा से होने के कारण आये दिन लो-वोल्टेज एवं लम्बी दूरी के कारण तार टूटने की समस्या के कारण बाधित विद्युत आपूर्ति से जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए 220 के0वी0ए0 सोहावल विद्युत सब स्टेशन का निर्माण अविलम्ब कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बरेली के ग्राम वैरम नगर में भूमिहीनों को आवंटित भूमि दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मपाल सिंह--

[ग्राम वैरम नगर तहसील मीरगंज जनपद बरेली में ग्राम समाज की भूमि के पट्टे भूमिहीनों को किये गये थे। लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। इस 800 बीघा जमीन पर कुछ दबंग व अपराधी लोग काबिज हैं। इस ग्राम समाज की भूमि की पैमाइश जिले स्तर पर उच्चाधिकारियों से कराई जाय ताकि गरीबों को शासन की नीति का लाभ मिल सके।

गरीबों का हक मारा जा रहा है इसलिये ग्रामीणों में रोष व्याप्त है जनता आन्दोलन करने को विवश है।

अत: अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर नियम 301 के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीणों को उनके पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाया जाय।]

जनपद अम्बेडकर नगर में कतिपय ग्रामों को घाघरा नदी की कटान से रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा--

[जनपद अम्बेडकर नगर में ग्राम नेपुरा, फूलपुर एवं मुबारकपुर डुहिया में घाघरा के कटान से खतरा उत्पन्न हो गया है। किसी भी समय अनेकों घर घाघरा नदी में समा सकते हैं। घाघरा नदी के कटान को रोकने के लिए उक्त स्थानों पर ठोकर बनाये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

अत: इस लोक महत्व के अवलम्बनीय एवं तात्कालिक प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये ग्राम नेपुरा, फूलपुर एवं डुहिया मुबारकपुर में ठोकर बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ एवं मुजफ्फरनगर के चार जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

[मान्यवर, जनपद मेरठ के बोहला, सलावा तथा मुजफ्फरनगर के चित्तौड़ा, निराजन जल विद्युत उत्पादन केन्द्र उ0 प्र0 जल विद्युत निगम की उपेक्षा के शिकार है। बोहला बिजलीघर वर्ष 1926 में गंगनहर पर 2.1 मेगावाट क्षमता का स्थापित हुआ था, वर्ष 1940 में जल की मात्रा बढ़ी पर उत्पादन क्षमता क्रमश: घटते हुए । मेगावाट आज आ गयी, आज यदि गंगनहर तथा जानीफाल का संयुक्त उपयोग करके इस बिजली घर की क्षमता वृद्धि की जाये उत्पादन 7 मेगावाट हो जायेगा।

उसी प्रकार सलावा बिजलीघर का जीर्णोद्धार हो तो वर्तमान की उत्पादन क्षमता । मेगावाट से बढ़ कर 3.1 मेगावाट हो जायेगी। उसके हेड में सिल्ट जमा है। उसी प्रकार निराजन 2 मेगावाट तथा चित्तौड़ 3 मेगावाट क्षमता के है, परन्तु उत्पादन 1 मेगावाट कुल हो रहा है। इन चारों बिजली घरों की डी0पी0आर0 रूड़की विश्वविद्यालय से बन कर 2 वर्ष से उ0 प्र0 जल विद्युत निगम पर पड़ी है। यदि इस पर कार्य हो जाये तो लगभग 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो जायेगा।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय में परास्नातक कक्षायें चलाने एवं रिक्त प्रवक्ताओं के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कराना चाहूंगा।

[जनपद चित्रकूट में एक मात्र राजकीय गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय है जिसमें जिले भर के बालक-बालिकायें उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब कि स्नातक वर्ग में सीटों की संख्या प्रथम वर्ष में मात्र 220 है जिसे बढ़ाया जाना आवश्यक है तथा परास्नातक की कक्षायें इस वर्ष चालू किये जाने के सरकार के आश्वासन के बाद भी अभी तक कक्षायें नहीं चालू की जा रही है एवं जिले में एक मात्र उच्च शिक्षा का विद्यालय होने के बाद भी उक्त महाविद्यालय में प्रवक्ताओं के पदों को नहीं भरा जा रहा है जिससे जिले के छात्र आन्दोलित है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरा जाए एवं स्नातक प्रथम वर्ष में 500 छात्रों का प्रवेश लिया जाए तथा परास्नातक की कक्षायें तत्काल चालू कराने की मांग के साथ सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा अमहा में पुल निर्माण कराकर कनहा-भीटी सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तगंत सूचना

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

[मेरी विधान सभा क्षेत्र-96, डलमऊ जनपद रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-डलमऊ के ग्राम सभा अमहा मजरे डलमऊ जो कनहा से भीटी सम्पर्क मार्ग से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है उक्त ग्राम में बाढ़ के समय में गंगा नदी का पानी गांव के चारों ओर भर जाता है छोटे-छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। ग्राम सभा के चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। ग्रामीणों को कमर से भी ऊपर पानी से होकर आना-जाना पड़ता है उक्त ग्राम सभा को कनहा-भीटी सम्पर्क मार्ग से न जोड़े जाने एवं पुल न बनवाये जाने के कारण ग्रामीणों में अत्यन्त रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अत: इस अविलंम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम सभा-अमहा को पुल निर्माण कराकर कनहा-भीटी सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की मांग करता हूं।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 31-8-06 को नियम 300 के अंतर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने की जानकारी

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, एक निवेदन है कि हमने नियम 311 के अंतर्गत एक सूचना दी थी जिसके संबंध में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया था कि अगले दिन लगा दीजिये चूंकि आज सूचना नहीं लिया जाना है। तो इस संबंध में मैं आज नियम 311 के अंतर्गत मैंने सूचना दी है।

श्री अधिष्ठाता--

जब नियम 56 आयेगा तो इस बारे में चर्चा कीजियेगा। मैंने नियम 300 की सूचनायें प्रारम्भ कर दी हैं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता--

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने विधान सभा के वर्ष 2005 के तृतीय सत्र के पहले सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-48 के उत्तर में लखनऊ में राजाजीपुरम् के एफ ब्लाक में भूमिगत पानी के जलाशय का निर्माण धन आवंटन हो जाने और उसके बारे में सदन में दिये गये उत्तर में आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी जलाशय का निर्माण न कराये जाने के संबंध में है।

यह आश्वासन का विषय है, यह नियम 300 का विषय नहीं हो सकता है।

दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर में पूर्वान्चल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों को आयुक्त फैजाबाद मंडल द्वारा स्वीकृत न किये जाने के संबंध में है। इसका नियम 300 से कोई संबंध नहीं है।

तीसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की विगत सत्र में मा0 मुख्य मंत्री उ0 प्र0 द्वारा 7 कि0मी0 सड़क प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में दिये जाने की घोषणा के अंतर्गत भदोही/वाराणसी क्षेत्र में प्रस्ताव के अनुसार सड़क का कार्य पूर्ण न कराये जाने के संबंध में है। इसका नियम-300 से कोई संबंध नहीं है।

चौथी सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली के ब्लाक संदना के अंतर्गत ग्राम सभा बालपुर के मजरों में विगत कई वर्षों से कच्ची शराब बनाने और बेचने के व्यवसाय के बारे में जिला आबकारी अधिकारी को जानकारी होने के बावजूद भी उसे रोकने हेतु कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में है। इसका नियम 300 से कोई संबंध नहीं है।

राजनैतिक दल के कार्यालय में राजनीतिक परिचर्चा के दौरान सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति एवं उनके भाग लेने से आल इण्डिया सर्विसेज (कण्डक्ट) रूल्स, 1968 तथा आचार संहिता का उल्लंघन होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता--

पांचवी सूचना श्री प्रमोद कुमार एवं श्री जगदम्बिका पाल जी की एक राजनैतिक दल के कार्यालय में राजनीतिक परिचर्चा के दौरान सरकारी कर्मचारियों के उपस्थित रहने और उसमें भाग लेने से आल इंडिया सर्विसेज (कण्डक्ट) रूल्स, 1968 तथा आचार संहिता का उल्लंघन होने के संबंध में है। माननीय तिवारी जी इसका नियम 300 से क्या संबंध है ?

श्री प्रमोद कुमार--

इसका संबंध नियम 300 से है।

(इस समय 12 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

कृपया दो मिनट अवसर दें। जो सर्विस रूल्स है वह अंग्रेजी में हैं दो लाइन पढ़कर सुना रहा हूं। नो टाकिंग पार्ट इन पालिटिकल सेटिंग, मीटिंग्स विहच आर योरिली आफ ए पालिटिकल करेक्टर इवेन इफ दे आर प्रिसाइडेड ओवर वाई ए मेम्बर आफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हैज अलसो प्रहिवीटेड द यूज आफ गवर्नमेंट व्हेकिल्स फार पार्टी परपजेज। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने आपको किसी भी राजनैतिक आन्दोलन से दूर रखना चाहिए और उसके साथ सहानुभूति भी नहीं रखनी चाहिए। नो एक्सप्रेशन आफ सिम्पैथी विथ पालिटिकल मूवमेंट गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स मस्ट रिफ्रेन फ्राम पार्टिसिपेशन इन एनी पालिटिकल मूवमेंट एण्ड फ्राम एक्सप्रेसिंग सिम्पैथी विथ इट दे आर टू सो कन्डक्ट देम सेलव्य दैट नाट इवेन एं सम्पीसिअन आफ वीहैविअर कन्ट्रैरी टू दिस प्रिंसिपल इज इन्टरटेण्ड अगेन्सट देम। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि गलत परम्पराएं पड़ रही हैं। सरकारी कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों को राजनैतिक सम्मेलन में नहीं जाना चाहिए और किसी तरह की सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब हो गया।

श्री प्रमोद कुमार--

अभी कुछ दिन पूर्व सर संघ चालक द्वारा बुला लिया गया था।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। मेरा अनुरोध है कि आप कृपया बैठ जायं।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह औचित्य का प्रश्न बनता है। जिसको जो कार्य नहीं करना चाहिए वह कार्य वह कर रहा है। अधिकारियों को राजनैतिक पार्टियों के सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहिए वह मंच से भाषण कर रहे हैं मुख्य सचिव तक तो यह औचित्य का प्रश्न बनता है और इसको आप स्वीकार करें और इसके ऊपर चर्चा कराएं। अगर ब्यूरोक्रेसी पार्टियों के सम्मेलन में जाने लगेंगी तो फिर सरकार और कार्य पालिका दोनों में अन्तर नहीं रह जायेगा सरकार जो चाहेगी मनमानी करती रहेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष--

वाजपेई जी अभी आप इस आसन पर बैठे थे। उस समय आपने ही कहा था कि औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। आप तो कम से कम बैठ जायं।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, कृपया मुझे इस पर एक मिनट सुन लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, एक राजनैतिक सम्मेलन में अधिकारियों का भाग लेना औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं। नेता विरोधी दल तो किसी भी विषय पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह उनका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न औचित्य में नहीं आता। अब हो गया।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, सुन तो लें। मेरे सूचना पर हस्ताक्षर हैं। कृपापूर्वक सुन तो लें। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा। मैं केवल औचित्य के प्रश्न के बारे में कहूंगा। हमारे दल के द्वारा यह औचित्य का प्रश्न उठाया गया और लाल जी टण्डन नेता प्रतिपक्ष ने भी उसको गम्भीरता से लेते हुए कहा कि यह औचित्य का प्रश्न है। नेता बहुजन समाज पार्टी ने भी इसकी गम्भीरता को व्यक्त किया। मान्यवर, किसी भी औचित्य के प्रश्न की नोटिस पर आप सुनते हैं। मान्यवर, यह ऐसा गम्भीर प्रश्न है। भविष्य में ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण न हो इस विषय में औचित्य का प्रश्न यह उठाया गया है।

श्री अध्यक्ष--

विषय वस्तु क्यों बता रहे हैं ? बताइये किस तरह से यह औचित्य में आता है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, आप डाँटते क्यों हैं ?

श्री अध्यक्ष--

डाँट नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आप उन बातों को क्यों दोहरा रहे हैं जो और लोग कह चुके हैं ? अगर यह औचित्य का है तो बतायें कि यह इस तरह से औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, आप नाराज मत हुआ करिये।

श्री अध्यक्ष--

इसकी विषय-वस्तु टण्डन जी ने भी रख दी है। आप उसकी ग्राह्यता पर बताइये कि यह इन परिप्रेक्ष्य में औचित्य बनता है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हम लोग जो भी प्रश्न उठाते हैं वह संविधान और विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत उन विषयों को उठाते हैं जिनसे इस सदन की कार्यवाही विनियमित होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अब बताइये। कार्यवाही कहां विनियमित हो रही है ?

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यह जो इंडियन सिविल सर्विसेज का कन्डक्ट हुआ है। यह विरोधी आचरण है। मान्यवर, यह सरकार स्वयं भुक्तभोगी है। पिछली बार वर्तमान में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ऊपर 150 मुकदमें लगाये गये थे। मान्यवर, इस तरह से अधिकारियों का राजनीतिकरण हो रहा है। मान्यवर, जब अधिकारियों का राजनीतिकरण शुरु कर देंगें। सरकार कहने को कह देगी कि यह सरकारी कार्यक्रम था केवल पार्टी दफ्तर में हो रहा है। मान्यवर, कल इनकी सरकार आ जायेगी तो जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर 150 मुकदमे थे उसी तरह से वे भी करेंगें। मान्यवर, आपने पूर्व मुख्य सचिवों, सचिवों के बयान को पढ़ा होगा अगर कोई सरकारी कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में होता था तो वे लोग नहीं जाते थे। पहले वरिष्ठ अधिकारी कहते थे कि प्रेस कान्फ्रेंस है हम नहीं जायेंगे और वे वास्तव में नहीं जाते थे इस तरह के कार्यक्रमों में। मान्यवर, मेरा कहना है कि अधिकारियों को निष्पक्ष रहना होगा। वे आपके आदेशों का पालन करते हैं। आप कोई योजना बनाते हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को पेंशन दे रहे हैं, उसको आप लागू कर रहे हैं लेकिन कम से कम पार्टी और सरकार के कामों में अंतर होना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रिविलेज भी है और यह आवश्यक भी है कि जहां मुख्य मंत्री हों वहां सम्बन्धित अधिकारियों या ऐसे अधिकारियों जिनको कहीं कोई निर्देश देने हों वे किसी भी मोके पर मौजूद हों। वे यदि परामर्श के लिये आना चाहें तो आ सकते हैं। यह प्रश्न किसी भी तरह से औचित्य का नहीं बनता है। एक बात और कह दूं। पाल साहब ने जो मिसाल दी है कि इस तरह से मुकदमे कायम किये गये। इस विषय में कहना चाहता हूं कि वे मुकदमें किसी अधिकारी की तरफ से नहीं हुए थे। वह तो राजनीतिक उत्पीड़न था। अगर उस सरकार ने ऐसा किया था तो इस सरकार ने बदले की भावना से कोई मुकदमा नहीं किया। यहां तक कि कोई शिकवा या शिकायत भी नहीं की इन मुकदमों के बारे में। पूरा विपक्ष गवाह है इस बात का कि जिस दल ने इस तरह का उत्पीड़न किया उनके खिलाफ माननीय मुलायम सिंह जी ने किसी भी प्रकार की बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, इस पर चर्चा करा लें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस नियम में चर्चा नहीं कराना चाहते हैं तो किसी और नियम में करा लें। चर्चा होनी चाहिए क्योंकि औचित्य का अर्थ यह है कि जो अकरणीय है वह करणीय हो जाय तो औचित्य हो जाता है। करणीय है और अकरणीय हो जाता है तो औचित्य हो जाता है। संविधान ने अलग-अलग व्याख्या की है। विधायिका की अलग है, पोलिटिकल पार्टीज की अलग है। राजनैतिक दलीय व्यवस्था अलग है और यह ब्यूरोक्रेसी अलग है। अगर इनका घालमेल हो जायेगा तो और आगे चलकर क्या होगा ? इसलिये मेरा निवेदन है कि औचित्य के इस प्रश्न पर चर्चा करा लें।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

माननीय, टण्डन जी जो बात कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि टण्डन जी को स्मरण होगा कि पिछली सरकार जब थी तो [x x x] और [x x x] आये थे तो सरकार की तमाम मशीनरी भेजी गई थी और तमाम ऐसे तत्कालीन सरकार के मंत्री भी थे। प्रमोद कुमार जी केन्द्र सरकार के 1-2 वर्ष का कार्यकाल हुआ। मा0 प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। सोनिया जी थीं। कैबिनेट सेक्रेट्री थे। तमाम केन्द्र के वरिष्ठ अधिकारी थे, वहां मौजूद रहे।

*श्री प्रमोद कुमार--

मैंने दल का नाम नहीं लिया था अब मुझे कहना पड़ रहा है वह कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में नहीं था। पार्लियामेन्ट के एनेक्सी में था। मैं तो उठ नहीं रहा था। अगर 2-2 मंत्री जी समझाये जा रहे हैं आजम खां जी ने समझा दिया, दो-दो मंत्री समझायेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी बोल रहे हैं उनको बोलने दें।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जहां मुख्य मंत्री जी मौजूद रहें। वहां चीफ सेक्रेट्री, एपाइन्टमेन्ट सेक्रेट्री न जायें, होम सेक्रेट्री न जायें तो यह कह दिया जाये कि प्रोटोकाल तोड़ दिया जाये, ऐसा तो है नहीं। सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों का आफिशियल कार्यक्रम था इसमें अधिकारी और सभी दलों के लोग बुलाये गये थे भा0ज0पा0 बहिष्कार करे, तो इसमें क्या किया जाये ? आपने कल एक सम्मेलन बुलाया इसमें बहिष्कार कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय नेता विरोधी दल, प्रमोद कुमार जी, पाल साहब, मौर्या जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मा0 परिवहन मंत्री जी को सुना, इनको सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इससे विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली एवं संवैधानिक व्यवस्था बाधित नहीं होती है। इसलिये मैं इसको औचित्य के प्रश्न में नहीं स्वीकार करता हूं। इसे अग्राह्य करता हूं। जहां तक नेता विरोधी दल की बात है वह अपनी बात नियमों में कह सकते हैं।

जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तवों को आयुक्त फैजाबाद मण्डल द्वारा स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मेरा नियम 300 के अन्तर्गत है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय पूर्वांचल विकास निधि है इसी सदन से जारी होती है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री लालजी वर्मा--

सुन लें महत्वपूर्ण प्रश्न है।

नोट :--[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

पूर्वांचल विकास निधि पर हम प्रस्ताव देते हैं, जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव जाते हैं लेकिन प्रस्ताव पर चार-चार महीने लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। इसमें और नियमों में कहें। औचित्य नहीं बनता है। आपके प्रस्ताव में चार महीने लग जायेंगे सरकार की स्वीकृति में विलम्ब लग जाये यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

इसमें कुछ नहीं कहना है इसको एक महीने में स्वीकृत कर दें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 22, जो सदन में दिये जाने वाले कार्यों की सूचना से सम्बन्धित है, का शासन द्वारा अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

अगली सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 का नियम 22 जो सदन में लिये जाने वाले कार्यों की सूचना से सम्बन्धित है, का अनुपालन शासन द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं नियमावली के नियम 22 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहा है। नियम 22 में कहा गया है "सदन में लिये जाने वाले कार्य की सूचना--सभा के किसी अधिवेशन के प्रारम्भिक सप्ताह में लिये जाने वाले कार्य की सूचना विधान सभा सचिवालय के अधिवेशन प्रारम्भ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जायेगी और तदुपरान्त प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम कार्य दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्रि-परिषद् के कोई सदस्य प्रश्नों के उपरान्त सदन को आगामी सप्ताह में किये जाने वाले कार्य की सूचना देगें।" मान्यवर, इस बार जो कार्यक्रम की सूचना विधान सभा सचिवालय को दी है, फिर विधान सभा सचिवालय उस कार्यक्रम की सूचना मा0 सदस्यों को देता है। जब 15 दिन पूर्व शासन को सूचना दी जानी चाहिये थी आप अपने रिकार्ड का अवलोकन कर लें कि शासन ने कितने दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय को सूचना दी तब फिर विधान सभा सचिवालय अपने इस दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहा। इस बार यह नहीं कर पाया कि मा0 सदस्यों को समय से सूचना दे देता और समय से सूचना सदस्यों को न मिल पाने के कारण जो विभिन्न नियमों में असरकारी संकल्प या असरकारी विधेयक या विभिन्न नियमों में जो सूचनायें हमको देनी थी वह देने में कठिनाई हुई और वह सूचना हमको नहीं दे पाई, नियमों का पालन नहीं हो पाया। दूसरी बात जैसा मैंने पहले कहा 15 दिन पहले अंतिम कार्य दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्रि-परिषद् को दिया जायेगा अर्थात् कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश आ जाती है लेकिन जो 15 दिन पूर्व सूचना प्राप्त होनी चाहिये थी, वह प्राप्त नहीं हुई जिससे जो असरकारी संकल्प या प्रश्नो को देने का जो अधिकार है, वह डिप्राइब हुआ, वह प्रभावित हुआ, इसलिये यह औचित्य का प्रश्न है। इस पर मैं आपकी कृपापूर्वक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अध्याय-6 के नियम 22 की बात कर रहे हैं, "सदन में लिये जाने वाले कार्य की सूचना सभा के किसी अधिवेशन के प्रारम्भिक सप्ताह मे लिये जाने वाले कार्य की सूचना विधान सभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारम्भ होने से कम से कम 15 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जायेगी और तदुपरान्त प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम कार्य-दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्रि-परिषद् के कोई सदस्य प्रश्नों के उपरान्त सदन को आगामी सप्ताह में किये जाने वाले कार्य की सूचना देंगे।"

मैं इसको दिखवा लूंगा कि कहां विलम्ब हुआ है।

जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों को आयुक्त फैजाबाद मण्डल द्वारा स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, बड़ा आवश्यक विषय है, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आपका औचित्य का प्रश्न नहीं है, बहुत से नियम हैं आप उनमें अपनी बात रख सकते हैं। आप हर बात को औचित्य का प्रश्न ही मानते हैं।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, अगर विकास योजनाओं में लेट हो रहा है, आप इसमें निर्देश दे देते तो जल्दी हो जाता। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उस पर आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको दिखवा लूंगा और प्रयास करूंगा कि विधायकों के कार्यों में विलम्ब न हो।

अब मद संख्या-3 लेते हैं।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 289 क तथा 291 क "व्यक्तिगत आक्षेप तथा स्पष्टीकरण" के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है, कृपया प्रक्रिया नियमावली के नियम 289 (क) को देखने का कष्ट करें। इसी के (ग) में है कि "किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप तथा लांछन नहीं लगायेंगे।" नियमावली का नियम 291(क) देखने का कष्ट करें जिसमें है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेंगे यद्यपि सदन के सामने कोई प्रश्न न हो, किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं उठाया जायेगा और कोई वाद-विवाद नहीं होगा।"

मेरी अनुपस्थिति में दिनांक 23 अगस्त को मा0 मुख्य मंत्री जी ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाये, मैं चाहता हूं कि आप मुझको अपना स्पष्टीकरण देने दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप यह लिखकर दे देते तो मैं माननीय नेता सदन को दे देता कि वह भी रहते।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

अनेक बार इस पीठ से औचित्य का प्रश्न मौखिक रूप से उठाने की अनुमति दी गई है, यदि आप चाहें तो मैं स्पष्टीकरण दे दूं।

श्री अध्यक्ष--

अधिकार स्पष्टीकरण का तो है, लेकिन औचित्य का नहीं है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मैं, स्पष्टीकरण देता हूं। मुख्य मंत्री जी ने दो-तीन आरोप मेरे ऊपर लगाये, जो आरोप उन्होंने लगाया मैं उनके भाषण का उद्धरण देता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मा0 सदस्य को सुना और उनका कहना भी है कि उनकी अनुपस्थिति में उन पर इल्जाम लगाये गये, लिहाजा वही प्रश्न जो आप का है वही प्रश्न हमारी तरफ से भी है, मा0 सदस्य ने जिन पर प्रश्न उठाया है, उनकी भी आज गैर मौजूदगी है, लिहाजा किसी और दिन ऐसे स्पष्टीकरण को रख दिया जाये जिस दिन मा0 सदस्य भी हों और मा0 नेता सदन भी हों।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

उस दिन बात लम्बी थी और नेता सदन ने बात रखी, बात पर बात, जाहिर है निकल जाती है, एक रास्ते से दूसरा रास्ता जाता है लेकिन जो मा0 सदस्य इस प्रश्न को उठा रहे हैं, वह तो यहां बैठे हैं और विद्वान हैं, कोई माने न माने, बड़े वकील हैं और बार काउन्सिल के मेम्बर हैं, यहां तक कह चुके हैं कि रामपुर दूसरा पाकिस्तान है और हर व्यक्ति देशद्रोही है। ऐसे व्यक्ति को तो सोच-समझकर बात रखनी चाहिये जो ऐसी पीठ पर बैठता रहा हो, बार काउंसिल का मेम्बर हो। जिन्होंने टेलीविजन पर, अखबारों में अपनी मानसिकता का परिचय यहां तक दिया हो। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कहा है तो उसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने आना चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी नियम 289 का हवाला दिया गया है। नियम 289-क किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा। मान्यवर, मैं यहीं रुकता हूं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने नियम 291-क का उल्लेख किया कि कोई वाद-विवाद नहीं होगा। अगर आप वाद-विवाद करना चाहते हैं तो चर्चा करा लीजिये।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक नियम का पालन तो हो जाये।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी सुन तो लीजिये।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय त्रिपाठी जी, आपने सबसे पहले नियम 289-क की बात की थी। नियम 289-क की बात करने के बाद नियम 291 में वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे सकते हैं। वह नियम 289-क के बारे में कह रहे हैं। नियम 291-क आपके लिये सुरक्षित है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, आपने स्पष्टीकरण के लिये अनुमति दी है। उसके बारे में वाद-विवाद क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

आपको अधिकार है। यह नियम 289 में कहना चाहते हैं। नियम 291-क में प्रत्येक सदस्य को अपने बारे में स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। नियम 289 में उनका कहना है कि मैंने उद्धरण दिया था।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। मुझे कहने तो दें। मैं कहना चाहता हूं कि नियम 289 में आपने कह दिया। नियम 289 में कोई ऐसी बात नहीं कही जायेगी जो मानहानिकारक हो। मान्यवर, मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसको आप सुन लें। आप मुझे विद्वान समझते हैं या नहीं समझते यह आपका अनुभव है। आप मुझे विद्वान समझें या नहीं समझें।

श्री लालजी टण्डन--

हम नहीं समझते।

श्री प्रमोद कुमार--

यह इनकी राय है। लेकिन मैं इन्हें विद्वान समझता हूं। अगर टण्डन जी मुझे विद्वान नहीं समझते हैं तो क्या उन्होंने पाप किया है या उन्होंने यहां पर असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है। जब नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी यहां थे तो आदरणीय श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी नहीं थे। [x x x]।

(इस पर डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

यह शब्द निकाल दिया जायेगा। माननीय तिवारी जी, आपकी यह बात लिखी नहीं जायेगी। यह निकाल दिया जायेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपनी जगहों पर खड़े होकर बोलते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, जब यह तय हो गया कि मुख्य मंत्री जी होंगे तभी इस पर बहस होगी तो फिर यह क्यों वाद-विवाद कराया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। माननीय तिवारी जी आप बैठ जायें यह उचित नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार--

[x x x] आखिर यह सदन नियमों से चलेगा कि नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप इसका अध्ययन कर लें। जो भी नेता सदन ने कहा है वह कार्यवाही मंगा कर देख लें। अपना निर्णय सुरक्षित कर लें उसके बाद अनुमति दें। अगर आप इसके पहले निर्णय देंगे तो यह आपकी संवैधानिक भूल होगी। जो शब्द कहे गये हैं उसको आप देख लें। अगर कहीं असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया होता तो आपका अधिकार होता। मान्यवर, अगर यह नहीं बैठे थे तो इनका दल तो यहां पर बैठा हुआ था वह तो कोई आपत्ति करता, लेकिन कोई आपत्ति नहीं की गयी। [x x x]।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल पर आ गये और नारे लगाने लगे कि (x x x)।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायें। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जो मैंने कहा है इसे मैं साबित कर दूंगा। [x x x]।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

मैं दस मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

(12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी।

12 बजकर 55 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है। 1 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आज एक ऐसा वातावरण बन गया था जिससे सदन को स्थगित करना पड़ा। उस संदर्भ में यह है कि जो भी शिकायतें हैं मैं उसको देख लेता हूं कि उसमें अगर वह सब ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिये तो उसे मैं सदन की कार्यवाही से निकाल दूंगा। दूसरी बात, माननीय त्रिपाठी जी ने एक प्रश्न उपस्थित किया था उसके बारे में तो जब माननीय नेता सदन रहेंगे तो माननीय त्रिपाठी जी उनकी उपस्थिति में अपना प्रश्न रखेंगे।

दिनांक 11 मई, 2006 को विधान मण्डल के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का आभार पत्र

श्री अध्यक्ष--

माननीय राज्यपाल जी का एक पत्र है, उसे मैं पढ़ देता हूं--

आदरणीय श्री पाण्डेय, आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-1038/अवि स/2006, दिनांक 31 मई, 2006 के लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं।

इस हेतु मैं आपको तथा आपके माध्यम से विधान सभा के माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सादर, भवनिष्ठ, ह0 टी0 वी0 राजेश्वर। श्री माता प्रसाद पाण्डेय, अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वर्तमान विधान सभा के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, जयवीर सिंह, राम कृष्ण, धर्मपाल सिंह एवं रामजी शुक्ल के प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेश की सदन को दी गयी सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब एक सदन को सूचना देनी है।

श्री योगेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा एवं मुख्य सचेतक, लोकतांत्रिक बहुजन दल द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम 7 के अन्तर्गत मेरे विचारार्थ श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 94, सतांव, जनपद रायबरेली), श्री जयवीर सिंह (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 325, घिरौर, जनपद मैनपुरी), श्री राम कृष्ण (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 66, मछरेहटा, जनपद सीतापुर), श्री धर्मपाल सिंह (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 375, हापुड़, जनपद गाजियाबाद), एवं श्री रामजी शुक्ला (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 285, औरैया, जनपद औरैया), सदस्यगण, विधान सभा के विरुद्ध दिनांक 05 अप्रैल, 2006 को याचिकायें दी गयी थीं। उक्त याचिकाओं के सम्बन्ध में याची तथा प्रतिपक्षीगण को सुनने के उपरान्त मैंने अपने निर्णय दिनांक 10 जून, 2006 द्वारा सभी प्रतिपक्षीगण को संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) के अन्तर्गत निरर्हित घोषित कर दिया था जिसकी सूचना सदन को दिनांक 22 अगस्त, 2006 के उपवेशन में दी गयी थी।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने एस0एल0पी0 संख्या 10497/2006, धर्मपाल एवं अन्य बनाम योगेश प्रताप सिंह तथा एस0एल0पी0 संख्या 10498/2006 में अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2006 के द्वारा प्रकरण संविधान पीठ के समक्ष लम्बित प्रकरण के साथ सम्बद्ध करते

हुये अन्तरिम आदेश पारित किया है कि प्रश्नगत सदस्यगण सदन में उपस्थित हो सकते हैं और उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और उन्हें सदस्य के रूप में मिलने वाला वेतन एवं भत्ते मिलते रहेंगे परन्तु उक्त सदस्यगण सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और न ही सदन में मतदान कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2006 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 24 अगस्त, 2006 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अगस्त, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि--

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 अगस्त, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1950 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि--

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 अगस्त, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 6 में कुछ नहीं है। मद संख्या 7

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का पंचम प्रतिवेदन †

श्री उपाध्यक्ष--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का पंचम प्रतिवेदन, जो राजस्व विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति का
(2006-2007) षष्टम् प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष (सभापति, याचिका समिति)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति का
(2006-2007) सप्तम् प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष (सभापति, याचिका समिति)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति का
(2006-2007) अष्टम् प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष (सभापति, याचिका समिति)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति का
(2006-2007) नवम् प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष (सभापति, याचिका समिति)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2006-2007) का नवम् प्रतिवेदन, जो सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 12 में कुछ नहीं है।

(मद संख्या 13 पुकारे जाने पर)

वर्ष 2005 के प्रथम सत्र के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अस्पष्ट उत्तर पर औचित्य के प्रश्न की सूचना पर मा0 अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित सूचना को दिनांक 31 अगस्त, 2006 को सदन में तलब किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री जगदीश नारायण राय--

मान्यवर, वह मेरा क्या हुआ ?

---

† छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष--

उसमें जो निर्देश जारी किया था, उसमें उत्तर समुचित आ गया है और वह मुझे मिल गया है, इसलिये आज सम्बन्धित सचिव को तलब नहीं किया गया, वह उत्तर आपको प्राप्त करा दिया जायेगा।

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2006 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 31 अगस्त, 2006 से दिनांक 15 सितम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं--

1--दिनांक 11 व 12 सितम्बर, 2006 को सदन के उपवेशन न हों,

2--दिनांक 14 व 15 सितम्बर, 2006 को सदन के उपवेशन हों,

3--दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं,

4--निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण की मदें आज दिनांक 31 अगस्त, 2006 को ही ले ली जायं--

(क) उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006--(आधा घंटा)

(ख) सहारा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006--(आधा घंटा)

(ग) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006

5--दिनांक 31 अगस्त, 2006 से दिनांक 15 सितम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय--

अगस्त, 2006		
31 अगस्त,	1--निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण--	
	(क) उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006-(आधा घंटा)	
	(ख) सहारा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006--(आधा घंटा)	
	(ग) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006	
सितम्बर, 2006		
1--शुक्रवार		
2--शनिवार		
3--रविवार		
4--सोमवार	बैठक नहीं होगी।	
5--मंगलवार		

6--बुधवार

7--गुरुवार

8--शुक्रवार

9--शनिवार

10--रविवार बैठक नहीं होगी।

11--सोमवार

12--मंगलवार

13--बुधवार

14--गुरुवार बैठक नहीं होगी।

15--शुक्रवार

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश के समस्त नहरों, राजबहों व माइनरों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2006 को नियम् 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़ना प्रारम्भ करने पर।)

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, जो पूछा जायेगा, उसे संसदीय कार्य मंत्री जी बता नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

जब वह पढ़ रहे हैं तो बतायेंगे भी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

यह सम्भव नहीं है। अगर मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण न होता तो इस रूप में न आता। अगर कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री होते हुये भी उत्तर नहीं दे पायेंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

समस्त प्रदेश में नहरों, रजबहों, माइनरों की सफाई न होने के कारण कृषक सिंचन सुविधा से वंचित है। सफाई एवं रख-रखाव इस कारण सम्भव नहीं हो सका कि जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को कोई बजट रख-रखाव के मद में प्राप्त नहीं हुआ। उनकी जानकारी के अनुसार नहरों, रजबाहों की सफाई और रख-रखाव का हजारों करोड़ का बजट प्रोजेक्ट कारपोरेशन नामक संस्था को दे दिया गया है। उक्त कारपोरेशन का न तो कोई अधिकारी और न ही कार्यालय जनपद स्तर पर है। कृषक मारे-मारे घूमते हैं परन्तु कोई सुनने वाला नहीं है। नहरों की पटरी मरम्मत के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है सफाई न होने के कारण रजवाहों में दो-दो मीटर ऊंची खरपतवार खड़ी है। पानी चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। जनप्रतिनिधि भी असहाय हो चुके हैं। नहरों में पानी न आने के कारण प्रदेश भर के करोड़ों किसान सिंचाई से वंचित हैं। किसानों में भारी असंतोष व आक्रोश व्याप्त है। यदि तुरन्त विभागीय अधिकारियों को रख-रखाव हेतु बजट उपलब्ध नहीं होता तो आगामी फसल भी चौपट हो जायेगी, तथा कृषकों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग में वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये विधान सभा से पारित आय-व्ययक में नहरों, रजवाहों एवं माइनरों की सफाई हेतु राजस्व लेखे के अन्तर्गत अनुदान संख्या-96 में प्रदेश की मुख्य सिंचाई के अन्तर्गत आने वाली नहर प्रणालियों के लेखा शीर्षक 2701 के अन्तर्गत 04 अलग-अलग शीर्षक मदों में प्राविधान किया गया है, जिसमें 01-अनुरक्षण कार्य, 02-विशेष मरम्मत, 03-यांत्रिक कार्य, 04-सिल्ट सफाई है। उक्त शीर्षक मदों के अन्तर्गत 01-अनुरक्षण कार्य हेतु प्राविधानित समस्त धनराशियां जनपद स्तर पर सम्बन्धित खण्डों को आवंटित कर दी गयी है। इसी प्रकार 02-विशेष मरम्मत हेतु भी 50 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा चुकी है तथा 04-सिल्ट सफाई के मद में प्राविधानित धनराशि को भी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को आवंटित कर दी गयी है। रबी की फसल से पूर्व अक्टूबर, 06 एवं नवम्बर, 06 के माह में खण्डीय अधिकारियों से नहरों की सफाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा यह धन आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। सिंचाई विभाग में सामान्यतः नहरों की सिल्ट सफाई रबी की फसल से पूर्व ही करायी जाती है। अपवाद स्वरूप यदि खरीफ में किसी विशेष नहर पर सफाई की आवश्यकता है तो खण्डीय स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। नहरों की सफाई के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट कारपोरेशन को कोई भी आवंटन नहीं किया गया है। अपितु इस संस्था को केवल नहरों की पुनर्स्थापना अथवा अन्य निर्माण सम्बन्धी परियोजना का कार्य ही आवंटित किया गया है। वर्तमान में खरीफ फसल में नहरें अपनी पूर्ण क्षमता से रोस्टर के अनुसार चलायी जा रही हैं तथा इस वर्ष 7465 टेलों पर पानी पहुंचाया जा चुका है। वर्तमान में वर्षा की कमी के कारण नहरों पर पानी की मांग बढ़ जाने के कारण शेष टेलों पर पानी पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन का सहयोग लेकर युद्धस्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में खरीफ फसल में गत वर्ष 2005-06 में सींच की प्रगति 1326.26 हजार हेक्टेयर के विरुद्ध 1230.64 हजार हेक्टेयर हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सिंचाई मंत्री जी आ गये हैं, क्या आप प्रश्नों का उत्तर देंगे ?

सिंचाई मंत्री (डा0 मेराज उद्दीन)--

मान्यवर, देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, उस दिन भी यही विषय आया था। सूचना दिनांक 24-8-2006 पर दिनांक 31-8-2006 पर निर्धारित वक्तव्य पर टिप्पणी। वक्तव्य नहीं आया, आपने निर्देश वक्तव्य के लिये दिया था लेकिन वक्तव्य पर टिप्पणी आई है। मैं आपका ध्यान तकनीकी बिन्दु की ओर दिलाना चाहता हूं, यह गलती पहले भी हुई थी, आपके द्वारा निर्देश दिये गये थे और पुन: फिर वही गलती हुई है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा, सिद्धान्त पक्ष को कह दिया कि इस-इस बजट के इस-इस हेड में दे दिया गया है लेकिन सच इसके विपरीत है। सिद्धान्त पक्ष कहा गया है, व्यावहारिक पक्ष भी कहा गया है। पैसा सारा प्रोजेक्ट कारपोरेशन को दिया गया है और जहां पर जनपद में अधिकारियों से बात करो तो वह कहते हैं कि हमको कोई धन आवंटित नहीं हुआ है, जो भी धन आवंटित हुआ है, वह प्रोजेक्ट कारपोरेशन को हुआ है और प्रोजेक्ट कारपोरेशन जनपद में कहीं नहीं मिलता। यह बात आपके सामने उस दिन भी आयी थी, यह जब कार्यवाही का भाग थी तो उसी कार्यवाही में इस सबन्ध में स्पष्टीकरण आया है और उसमें इस बिन्दु पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जो बार-बार जनपदों में खण्डीय अधिकारी यह कहते हैं कि हमें कोई धन आवंटित नहीं हुआ है बल्कि प्रोजेक्ट कारपोरेशन को हुआ है और प्रोजेक्ट कारपोरेशन जनपद में कहीं मिलता नहीं है, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी ने इसमें नहीं दिया है। दूसरी बात मंत्री जी ने कहा कि प्रोजेक्ट कारपोरेशन को नहरों की सफाई के सम्बन्ध में कोई भी आवंटन नहीं किया गया है। अपितु इस संस्था को केवल नहरों की पुनर्स्थापना अथवा अन्य निर्माण सम्बन्धी परियोजना का कार्य ही आवंटित किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी वह नहरें हैं जिनकी पुनर्स्थापना और निर्माण के अन्य कार्य हैं जिनके लिये प्रोजेक्ट कारपोरेशन को धन आवंटित किया गया, पहले कितना धन आवंटित होता था और अब कितना किया गया है ? जनपदों में जो खण्डीय अधिकारियों के विभिन्न हेड में धन आवंटित किया गया है वह कहां-कहां हुआ है ? क्या कारण है कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि रबी की फसल के पूर्व नहरों की सफाई करा दी गयी थी और अब खरीफ का समय आ गया है। समय से पैसा ही नहीं उपलब्ध कराया गया तो सफाई नहीं हुयी यह बात सच साबित हो गयी है।

*डा0 मेराज उद्दीन--

मान्यवर, प्रोजेक्ट कारपोरेशन सिंचाई विभाग का ही एक कारपोरेशन है। दूसरी बात यह है कि जब विभाग कार्य कराता है तो उससे प्रोजेक्ट कारपोरेशन का कोई मतलब नहीं है, चाहे सिल्ट सफाई या अन्य कार्य हों। दूसरे उत्तर में कहा गया है कि विधान सभा से पारित आय-व्ययक में अलग-अलग लेखा शीर्षक से धन स्वीकृत किये गये हैं। इस तरह से करने लगेंगे तो विभाग नहीं चल सकता। माननीय सदस्य को हमारे जो अधिकारी यह बताते हैं कि आवंटन नहीं हुआ है, वह गलत सूचना दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा है तो हमें बतायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, आपने मेरी सारी जिज्ञाओं के स्पष्टीकरण के बिन्दुओं को सुना। क्या आप मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं, अगर संतुष्ट हैं तो मैं बैठ जाऊंगा. अगर संतुष्ट नहीं हैं तो कृपा करके संरक्षण प्रदान करें और मा0 मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें कि प्रोजेक्ट कारपोरेशन को पहले कितना धन आवंटित होता था और अब कितना आवंटित हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--

मा0 मंत्री जी, माननीय सदस्य का यह कहना है कि प्रोजेक्ट कारपोरेशन को कोई धनराशि सिल्ट सफाई, नहरों की सफाई के लिये आपके विभाग से आवंटित हुआ है, 'हां' या 'ना' में बता दें ?

डा0 मैराज उद्दीन--

मान्यवर, आवंटित नहीं हुआ है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

जनपद मुजफ्फरनगर और मेरठ में नहरों की सफाई व सिल्ट सफाई के लिये खण्डीय अधिकारियों को कितना-कितना धन आवंटित किया गया, कृपा करके बता दें ?

डा0 मैराज उद्दीन--

मान्यवर, इस वक्त सूचना नहीं है लेकिन मंगवाकर हम उपलब्ध करा देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मंत्री जी को इसमें इमरजेन्सी आवंटन का अधिकार है, अगर ऐसी जरूरत है तो आवंटित किया जा सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। आप अवगत हैं एक तरफ सूखे का माहौल रहा दूसरी तरफ बारिस भी हुई, लोकलाइज बारिस हुई, अब ऐसी सूरतेहाल नहीं है जो 8-10 दिन पहले थी, जहां-जहां जरूरत पेश होती है उसके लिये धन दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

मुजफ्फरनगर के लिये कितना रुपया मिला यह सूचना दे दीजिये ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

कितना रुपया मिला, जितने धन की आवश्यकता हो उतना धन देने का प्राविधान है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बलिया, बस्ती, रामपुर में कितना धन मिला, इतना बड़ा प्रदेश है, इसकी जानकारी के लिये सूचना एकत्र करनी पड़ेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के माननीय सदस्य श्री हुकुम सिंह जी का प्रश्न है और सदन की भावना से अवगत होते हुये आपका वक्तव्य देने का निर्देश था, तब उस वक्तव्य के क्रम में अगर मुजफ्फरनगर के आंकड़े नहीं हैं और उसके लिये सूचना एकत्र करनी पडेगी, तो यह बात समझ में नहीं आती।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष जी, वक्तव्य में लिखा है कि इस संस्था को नहरों की पुनर्स्थापना अथवा अन्य निर्माण सम्बन्धी परियोजना के लिये धन आवंटित किया गया है। तो वह कौन सा कार्य है, इसमें सफाई है नहीं और प्रोजेक्ट कारपोरेशन को कितना धन आवंटित किया गया है यह बता दें दूसरे कौन से निर्माण कार्य हो रहा है ? किस काम के लिये कितना धन आवंटित किया गया यह तो बता दें।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रोजेक्ट कारपोरेशन एक संस्था है जो नहर बनाती है, बंधा बनाती है, सारा काम है उनके पास। वह पूछ रहे हैं कि कितनी धनराशि प्रोजेक्ट कारपोरेशन को इस वित्तीय वर्ष में आपने निर्गत की है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह पूछा कि इस काम के अलावा भी कोई काम उनके जिम्मे है या नहीं है। जो काम उनके जिम्मे है वह आपने बता दिया, वह भी काम है। माननीय सदस्य ने मात्र इतना पूछा था कि क्या इसके अलावा भी कारपोरेशन का कोई काम है। तो यह काम है, पुल बनाना, बांध बनाना, उनका रख-रखाव करना, उनका सौंदर्यीकरण करना यह सारे उनके कार्य हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, आप सहमत होंगे कि उत्तर सदन की भावना के अनुरूप नहीं है। तो इस पर पुनः वक्तव्य के लिये निर्देश दीजिये। किसानों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, अवर्षण की स्थिति है।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मद सं0 25 पर आज एक चर्चा लगी हुयी है, प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। उसमें पूरे विस्तार से एक-एक बिन्दु पर, एक-एक जनपद की जो फीगर है उसको बताया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

यह सूखे का सवाल नहीं है। आपका प्रश्न प्रोजेक्ट कारपोरेशन को सिंचाई विभाग द्वारा कितना धन दिया गया है इसके बारे में है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं बताये देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या बतायेंगे, माननीय सिंचाई मंत्री जी को बताने दीजिये।

माननीय सिंचाई मंत्री जी प्रश्न यह है कि प्रोजेक्ट कारपोरेशन भी काम करता है उसको आप धन आवंटित करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कितना धन प्रोजेक्ट कारपोरेशन को काम करने के लिये दिया है। अगर आपके पास सूचना है तो दे दीजिये नहीं तो बाद में दे दीजियेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 मेराजुद्दीन--

मान्यवर, आप मुजफ्फरनगर के बारे में पूछ रहे हैं। 792 कि0मी0 की लम्बाई है कुल जिसमें 109.54 लाख रुपये का आवंटन हुआ है इस विभाग को।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह था कि पूरे प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में आपने कितनी धनराशि प्रोजेक्ट कारपोरेशन को आवंटित की है जिसमें बंधा बनाना, नहर बनाना भी है, सिल्ट की सफाई भी है इसके बारे में बता दें।

डा0 मेराजुद्दीन--

मान्यवर, 254 करोड़ रुपये का आवंटन प्रोजेक्ट कारपोरेशन को हुआ है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

पिछले वित्तीय वर्ष में कितना धन प्रोजेक्ट कारपोरेशन को आवंटित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

अब हो गया। आपने जो पूछा वह बता दिया है।

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी प्रोजेक्ट कारपोरेशन को सक्षम मानते हैं या सिंचाई विभाग को सक्षम मानते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है।

*कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, बिजनौर बैराज के संरक्षण का सारा पैसा कैंसिल कर दिया गया है। एक टेरेरिस्ट की लिस्ट में है कि बैराज को उड़ाया जायेगा। वहां पर एक चौकीदार है उसको लालटेन के लिये, मिट्टी के तेल तक के लिये पैसा आवंटित नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी दिखवा लेंगे।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

क्या पैसा आवंटित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

अब इसमें स्पष्टीकरण हो गया।

श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष महोदय, पूर्वांचल में अभी तक सूखे की स्थिति थी पिछले दिनों कुछ पानी बरसा है। बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच में बेलहा बेलौली बांध टूट जाने से दो गांव बह गये। अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित किया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न वक्तव्य से सम्बन्धित नहीं है। मैं विषय बताये दे रहा हूं। सिंचाई विभाग की नहरों की सफाई और सिल्ट सफाई के लिये जो धन आवंटित किया गया था उसमें हुकुम सिंह का कहना था कि यह धन विभाग को न देकर प्रोजेक्ट कारपोरेशन को दे दिया गया जिससे सिंचाई विभाग का खण्ड काम नहीं कर पा रहा है उसी के उत्तर में वक्तव्य आया है। इसमें मंत्री जी ने विवरण बता दिया कि सिंचाई विभाग की नहरों की सफाई का पैसा विभाग के खण्ड को दे दिया गया है। प्रोजेक्ट कारपोरेशन को अलग से काम के लिये पैसा दिया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल--

हाउ कैन बी रिस्पांसबिल्टी . . . .

श्री अध्यक्ष--

अंग्रेजी में बोलेंगे तो लिखा नहीं जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

उनकी जवाबदेही कैसे हो सकती है। बेलहा बेलौली बांध कट गया पैसा रहने के बावजूद तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे इसमें दो गांव बह गये उनका अस्तित्व समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी जांच करवा लेंगे।

डा0 मैराजुद्दीन--

हम जांच करा लेंगे।

श्री जटाशंकर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, बेलहा बेलौली बांध 95 कि0मी0 लम्बा बांध है जैसा कि पाल साहब ने कहा कि पैसा रहने के बावजूद बांध कट गया तो यह 95 कि0मी0 लम्बा बांध है जिसके संरक्षण के लिये जहां तक मेरी जानकारी है मात्र 3,17,000 रुपये दिये गये हैं इसमें इतने लम्बे किसी भी बांध का संरक्षण नहीं किया जा सकता। जब बांध कट गया तो वहां के जिलाधिकारी कहते हैं कि चूहों ने छेद कर दिया जिसके कारण बांध कट गया। क्या सरकार इसी प्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सिंचाई मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चूहों के कारण बांध कट गया इस तर्क से आप सहमत हैं।

डा0 मैराजुद्दीन--

इसकी जांच करा लेंगे।

(इस समय 1 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुये।)

श्री जटाशंकर सिंह--

उस जांच में जिलाधिकारी का यह कथन भी क्या शामिल होगा कि चूहों के बिल के कारण बांध कट गया।

श्री अधिष्ठाता--

जांच में सम्पूर्ण बिन्दु शामिल होंगे ?

डा0 मैराजुद्दीन--

शामिल होंगे।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 31 अगस्त, 2006 को नियम 311 की दो सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री लाल जी वर्मा तथा श्री बाबू लाल कुशवाहा की जनपद सुल्तानपुर के थाना कूड़ेभार में ब्लाक प्रमुख एवं हथियारबन्द व्यक्तियों द्वारा थानाध्यक्ष एवं पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर अभियुक्तों को बलपूर्वक छुड़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर कोई दो माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, नियम 311 में मेरे द्वारा दी गयी सूचना को नियम 56 में परिवर्तित करके मुझे बोलने का अवसर दिया है इसलिये मैं आपका आभारी हूं। 24-25 अगस्त की रात को सुल्तानपुर में जिस तरीके से सत्ता पक्ष के एक माननीय विधायक और उनके भाई ब्लाक प्रमुख ने जिस तरह से थाने के थानेदार और अन्य पुलिसकर्मियों को मार-पीट कर अभियुक्तों को छुड़ाया है उससे प्रदेश की जनता के सामने यह साबित हो गया है कि जब सुरक्षाकर्मी स्वयं सुरक्षित नहीं हैं तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। मान्यवर, इस घटना से पूरे प्रदेश के पुलिस विभाग के वरिष्ठ और छोटे कर्मियों के सामने यही बात है और इस घटना से उनका मनोबल गिरा है। इस घटना से जहां एक ओर पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरा है वहीं अभियुक्तों के हौसले इससे बुलन्द हुये हैं। थाने में थानाध्यक्ष को पीटा जायेगा, पुलिसकर्मी पीटे जायेंगे थाने के अन्दर से अपराधियों को सत्ता पक्ष के विधायक अपने पद का दुरुपयोग करके उनको छुड़ा कर ले जायेंगे तो इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग जाता है। इस घटना से जहां प्रदेश में पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरा है पूरे प्रदेश की जनता में भय व्याप्त है और प्रदेश की जनता इस बात से मुतमुईन हो गयी है कि जब सुरक्षाकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, थाने का थानाध्यक्ष और अन्य सुरक्षाकर्मी सुरक्षित नहीं हैं तो हमारा क्या होगा ? प्रदेश की जनता में भीषण आक्रोश है। सुल्तानपुर की जनता और पुलिस इस मामले में एक साथ खड़ी हो सकती है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का और जनहित का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि सारे सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुजन समाज पार्टी के नेता ने .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

केवल ग्राह्यता पर बोलिये।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, मैं उनकी बातों को रिपीट नहीं करूंगा उन्होंने जो बातें कही हैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुये केवल दो बातें कहना चाहता हूं। 24-25 अगस्त की रात की घटना ने पूरे प्रदेश को एक सन्देश देने का काम किया है थाने में थानाध्यक्ष और सुरक्षाकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं यह घटना कोई सामान्य सी घटना नहीं है। 24-25 अगस्त की रात को 50 लोग हथियारबन्द होकर पूरे थाने परिसर को घेरकर बलपूर्वक गिरफ्तार अभियुक्तों को छुड़ा कर ले गये और उसके बाद यह भी पूछा कि उनको किसने गिरफ्तार किया ? जो गिरफ्तार करके लाये थे उनको थप्पड़ मुंह पर मारा नहीं बल्कि एक के हाथ और पैर तोड़ दिये वह सुल्तानपुर अस्पताल में भर्ती है। मान्यवर, जिस तरह से यह घटना एक थाने में घटी। उन लोगों के साथ, जिन पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। थाना और थाने के लोग सुरक्षित नहीं हैं। 40-50 लोगों ने जिस तरह से कब्जा करके बलपूर्वक अभियुक्तों को थाने से छुड़ाया है और पुलिसकर्मियों के साथ मार-पीट की है। खासतौर पर वह कर्मचारी जिन्हें अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किया गया उनके हाथ-पैर तोड़ने का काम किया। पूरे जनपद में इससे भय हो गया है पूरे जनपद में जहां एक तरफ पुलिस का मनोबल गिर गया है जहां पुलिस के लोग इस घटना से आतंकित हो गये हैं। इस तरह आतंकित हो गये हैं कि आतंकित होकर अपराधियों के आगे घुटने टेक दिये तो पूरे प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो जायेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है। अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इस पर सम्पूर्ण सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाये।

संसदीय कार्य, एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, न तो पुलिस का मनोबल गिर रहा है। न ही गिर सकता है और न गिरने दिया जायगा। जिस पुलिस ने बीहड़ों में जाकर डाकुओं का ऐतिहासिक सफाया किया हो, उस पुलिस कि लिये यह कहना कि मनोबल गिर गया है सही नहीं है। लेकिन इससे इस प्रश्न की गम्भीरता में कोई कमी नहीं है। किसी को मुल्जिम बनाने का कोई सवाल नहीं उठता है। इसमें उचित कार्यवाही की जायेगी। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री अधिष्ठाता--

यह औचित्य का प्रश्न नहीं कार्यस्थगन का है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

औचित्य नहीं बनता है।

श्री अधिष्ठाता--

जो सूचना दी है इसके बारे में आपको जानकारी है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मुझे पूरे वाकया मालूम है। बहुत सी चीजें हैं जिनको विस्तार से सदन में नहीं रखना चाहते हैं ताकि आपस में बहस न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर मैंने माननीय मायां जी, माननीय ओ0 पी0 सिंह जी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, इनको सुनने के बाद इसको अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना श्री जगदम्बिका पाल की है। इन्होंने जनपद बस्ती को हरैया तहसील में पुलिस फायरिंग के कारण तीन लोगों को गोली लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मान्यवर, पिछले सत्र की 25 तारीख की बैठक के दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। यह घटना साम्प्रदायिकता या ऐसी किसी सम्पत्ति जिसमें बहुजन, अल्पसंख्यक का मुद्दा था को लेकर नहीं हुई। यह प्राइमरी स्कूल से सम्बन्धित मामला था। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग से सम्बन्धित मामले में जिस तरह से घटना घटित हुई है उसमें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक शक्तियां, हिन्दू युवा वाहिनी के लोगों ने जिस तरह से चेतावनी देकर घटना घटित की उसमें पुलिस मूक दर्शक बनी रही हिन्दू युवा वाहिनी जिससे कोई मतलब नहीं था उन्होंने कहा अगर यह दीवार नहीं बनी तो वह स्वयं दीवार बना देंगे। धारा 144 लागू थी। लेकिन पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी। बस, वाहन और रोडवेज की बसें फूंक दी गयीं। इस तरह से गोली चलने की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी रोज लाठीचार्ज और फायरिंग में तीन चार लोगों को गोली लगी। सौभाग्य से वह बच गये मेडिकल कालेज में वह जीवन मौत से जूझ रहे हैं। मेरे क्षेत्र में पिछले दिनों घटना हुई। दुर्भाग्य से एक बेटी के साथ रेप हुआ। मुल्जिम बनाये गये। हिन्दू युवा वाहिनी ने आग लगाने की कोशिश की इस तरह की घटना हो और कार्यवाही न हो। चेतावनी देकर दीवाल खड़ी करे पुलिस प्रशासन कुछ न करे। एक प्राइमरी स्कूल जिसमें वर्षों से पढ़ाई हो रही है। मान्यवर, गेट लगा नहीं जिसके कारण यह उत्तेजना फैली और प्रशासनिक लापरवाही के कारण गोली चली। आज इस बात को लेकर कुछ साम्प्रदायिक शक्तियां वातावरण को विषाक्त करने की कोशिश कर रही हैं। मान्यवर, बेगुनाह लोगों पर गोलियां चल जायें और वह घायल हो जायें। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है और पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। इसके पहले भी घटनायें हो चुकी हैं लेकिन पुलिस ने कोई प्रिवेन्टिव कार्यवाई नहीं की, परिणामस्वरूप यह घटना हुई, गोली चली और लोग घायल हुये। जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाई हो और बेगुनाह लोगों का उत्पीड़न न हो और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जब गोली चल गयी, तब प्रशासन ने तुरन्त गेट लगवा दिया। गोली चलने के पहले यदि गेट को लगवाने की व्यवस्था हो जाती तो शायद इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना न होती जिसके कारण आज पूरे पूर्वांचल में आक्रोश है। आज पूर्वांचल के तमाम जनपदों में एक संगठन के द्वारा जुलूस निकल रहा है अगर साम्प्रदायिक शक्तियां इस तरह से तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगी तो उससे और दिक्कतें पैदा होंगी लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी है। यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है इसलिये आप इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, 27 अप्रैल को एक दीवार गिराई जाती है, 25 अगस्त तक आश्वासन के बाद भी उसका निर्माण नहीं होता है, गोरखपुर से उत्तेजना पैदा की जाती है और उनकी उत्तेजना पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का कार्य किया जाता है और गोली चलती है, तीन लोग गम्भीर रूप से घायल होते हैं, मान्यवर, अप्रैल से लेकर अगस्त तक कम समय नहीं था, अगर यह दीवार बन जाती और गेट लग जाता तो यह उत्तेजना नहीं फैलती और यह घटना नहीं होती। मान्यवर, चिन्हित करने की आवश्यकता है कि किन लोगों ने इस संवेदनशील मुद्दे को साम्प्रदायिक रूप देने का काम किया। जो बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं, उन्हें छोड़ा जाये और जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाई की जाये। मैं चाहता हूं कि एक सदन की समिति बन जाये, उसमें सभी दलों के सदस्य हों, वह चले जायें और देख लें और शान्ति कायम करने का भी प्रयास करें। मैं इसके लिये एक संसदीय समिति बनाने की मांग करता हूं। मान्यवर, यह अविलम्बनीय तो है ही, लोकमहत्व का भी है इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की जाये।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 लल्लू सिंह हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, हरैया से जो सदस्य हैं, मा0 मंत्री जी यहां मौजूद हैं, वह जानकारी देना चाहते हैं।

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)--

मान्यवर, यह हमारे क्षेत्र का मामला है, अभी पाल साहब कह रहे थे, वह जानते हैं, माइनारिटी के एक व्यक्ति की मौत हुई थी, वहां से मैयत निकालने का कोई रास्ता नहीं था, प्रशासन के प्रयास से दीवार तोड़ कर लाश निकाली गई थी, यह प्रशासन के लोगों ने तोड़वाया था लेकिन इस बात को लेकर न वहां की जनता में कोई बात थी और न हम लोगों से कोई बात कही। एकाएक 25 तारीख को जिस दिन यह घटना हुई, हिन्दू वाहिनी के लोग, वह हमारी विधान सभा के लोग भी नहीं थे, हमारी विधान सभा के एक-दो लोग हो सकते हैं, मार्केट के बाद खड़े रहे होंगे, बाहरी लोग बसों और ट्रकों से आये और उन्होंने एस0 डी0 एम0 को समय दिया था कि आपके सामने बैठक होगी और बात होने के बाद अगर आप दीवार का निर्माण नहीं कराते हैं तो दीवार जबर्दस्ती बनायेंगे। मान्यवर, लेकिन 12 बजे के बाद, जब मस्जिद में नमाज अदा होती है उस समय 250--300 की संख्या में हिन्दू वाहिनी के लोग अद्धे और ईंट से वार करने लगे। अगर वहां पर पुलिस हवाई फायरिंग न करती तो इन लोगों की साजिश कामयाब हो जाती और सैकड़ों की संख्या में हिन्दू और मुसलमान मारे जाते। जब पुलिस ने हवाई फायरिंग की और उसके छर्रे छिटक कर जिन लोगों को लगे उनमें हमारी विधान सभा क्षेत्र का कोई नहीं था। तो मान्यवर, मेरा कहना है कि हिन्दू वाहिनी पर रोक लगनी चाहिये।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हिन्दू वाहिनी पर रोक लगनी चाहिये। यानी यह हमारी बात से सहमत हैं।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, यह मैं मंत्री की हैसियत से नहीं कह रहा हूं बल्कि यह बात वहां के लोगों ने कही है।

श्री धर्म पाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का व्यक्तिगत अनुभव है वह तो सरकार की बात कहेंगे।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, उसमें बैन तो लगना चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी वहां के विधायक हैं यह उनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है। उनसे ज्यादा वेहतर दूसरा नहीं जान सकता है। उनकी भावना का आदर करना चाहिये। हम मंत्री होने के अलावा पहले सदस्य हैं उसके बाद कुछ और हैं। कुछ लोग वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कड़े शब्दों में कहा था कि आज वक्तव्य के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अपना रास्ता छोड़ें अन्यथा उनसे कड़ाई के साथ निपटा जायेगा। मान्यवर, इस मामले ने अगर कोई गम्भीर सूरत अख्तियार कर ली होती तो स्थिति बिगड़ जाती। हवाई फायरिंग हालात को कन्ट्रोल करने के लिये हुयी थी। किसी को किसी तरह की चोट नहीं आयी थी। मामला बहुत हद तक सुलझ गया है। आपसी सौहार्द बना हुआ है और हिन्दू-मुसलमान में प्यार मोहब्बत का माहौल है। वहां पर दूसरी जगह के लोग माहौल बिगाड़ना चाहते थे। भविष्य में अगर कोई कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता हुयी तो उठाये जायेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं माननीय श्री राज किशोर सिंह और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की भावनाओं से बिलकुल सहमत हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वहां पर स्थानीय लोग नहीं थे। बाहरी लोगों ने यह कोशिश की। लेकिन प्रशासन की गलती इतनी है कि एक निश्चित तारीख तक अगर यह काम करा देते तो यह नौबत नहीं आती। लेकिन जिन लोगों ने यह किया है उन पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में आप क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिये। ऐसे लोगों का कोई आदर्श नहीं है, कोई नीति नहीं है। यह लोग देश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं और अगर यह बात स्पष्ट हो रही है तो इस पर रोक लगानी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

तिवारी जी अब आप विषय से हट रहे हैं, कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से इतना आश्वासन चाहता हूं कि इन पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव ला रहे हैं या नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री प्रमोद कुमार जी, मंत्री जी तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह जी की है।

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह--

मान्यवर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में सहजनवां कौड़ीराम में गीडा की स्थापना हुयी। उसमें पहले मुख्य मंत्री जी गये। किसानों के हित की बात आयी। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि जो किसानों की जमीनें अधिग्रहीत की गयी हैं उसका मुआवजा बहुत कम निर्धारित किया जा रहा है। दूसरा यह है कि उसके अनुसार पावर ग्रिड की स्थापना हुयी जिसका लाईन का आयात भूटान से होता है। इसमें तैंतीस हजार किलोवाट की लाईन गुजर रही है और यह आठों दिशाओं से गुजर रही है। नियम यह है कि जहां से तार जाता है इसके पचहत्तर-पचहत्तर मीटर तक इधर-उधर कोई इमारत का निर्माण नहीं हो सकता है, न कोई पेड़ रह सकता है। ऐसी स्थिति में गीडा जमीन अधिग्रहीत भी नहीं कर रही है और पावर कारपोरेशन उसका मुआवजा नहीं दे रहा है। सरकार इसको गम्भीरता से ले। मैं इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। शासन इसको दिखवा ले। दूसरी सूचना श्री चंद्रदेव राम यादव जी की है।

*श्री चंद्रदेव राम यादव--

मान्यवर, आजमगढ़ उद्योग के नाम पर शून्य है। आजमगढ़ में एक सहकारी चीनी मिल सठियावां है। इसकी स्थापना 1971 में हुयी थी।

श्री अधिष्ठाता--

आप विषय पर बोलें।

श्री चंद्रदेव राम यादव--

मान्यवर, यहां पर पांच सौ कर्मचारी एवं उससे सम्बन्धित जनता अपनी रोजी-रोटी चलाती है और कई हजार की संख्या में लोग इससे खाते और जीते हैं। मान्यवर, पूरे जनपद के किसान अपना गन्ना इस मिल को देते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 सदस्य, आपकी सूचना वेतन भुगतान न होने के सम्बन्ध में है, कृपया उस पर ही बोलें। इन्हें कब से वेतन नहीं मिला है।

*श्री चंद्रदेव राम यादव--

मान्यवर, इनको 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कर्मचारियों का वेतन अभी तक नहीं मिलने के कारण लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। एक 80 साल के नेता श्री बिरजू राम मौर्य आमरण अनशन पर बैठे हैं। चीनी मिल चलने का समय भी आ गया है लेकिन चीनी मिल चलाने के लिये सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। किसानों में इससे बड़ा आक्रोश है और यह चिन्ता का विषय हो गया है कि अब हमारे गन्ने का क्या होगा। अगर समय पर चीनी मिल नहीं चलती है तो बीज, बच्चों की लिखाई, पढ़ाई, शादी और कपड़े कैसे बनेंगे ? ऐसी स्थिति में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुये सठियावां चीनी मिल चलाने के लिये कोई व्यवस्था चाहता हूं। वहां के किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर समस्त कार्यवाही रोक कर सदन में चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री चन्द्रदेव राम यादव जी की सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, जनपद बस्ती के मंगल बाजार स्थित सर्राफ की दुकान पर असामाजिक तत्वों द्वारा लूट-पाट एवं आतंक पैदा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना माननीय श्री मुकुट बिहारी वर्मा, जनपद बहराइच में यूरिया खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। केवल दो मिनट में आप अपनी बात कह दें। सीधे-सीधे बिन्दु पर।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

मान्यवर, सरकार की उदासीनता के कारण सूखे को चपेट झेल रहा बहराइच जनपद थोड़ी बरसात होने के कारण जब किसान को यूरिया की आवश्यकता पड़ी तो आज कृत्रिम अभाव बनाकर यूरिया उपलब्ध नहीं है, किसान दर-दर भटक रहा है, साढ़े तीन सौ, चार सौ रुपया बोरी यूरिया इस समय मिल रहा है और वह भी ब्लैक में मिल रहा है और मान्यवर, स्थिति यह है कि अभी बाढ़ की विभीषिका जो बहराइच में आई है, बलहा, बहरौली बांध सौ मीटर कट गया दो दर्जन गांव बह गये, छ: परिवारों का पता नहीं, कितने लोग मर गये, कितने जानवर मर गये, इसका सरकार के पास हिसाब नहीं है, करोड़ों -करोड़ों रुपये का किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार को जब ध्यान आया तो इन्होंने वह स्टीमर भेजा जो बाढ़ में फंस गया और जिसका इंजन चला नहीं, कार्यालय बाढ़ से बचाने के लिये बहराइच में खुलना चाहिये उसका कार्यालय खोल कर इन्होंने रखा है गोण्डा में, कैसे यह नियंत्रण करेंगे, जब इनके मन में उसके प्रति कोई अभिलाषा नहीं है। साथ ही साथ बाढ़ की विभीषिका पर।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी, आप एक मिनट रुकें, आपकी सूचना है यूरिया खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

श्री मुकुट बिहारी वर्मा --

बाढ़ से भी सम्बन्धित है, मान्यवर, आप इसमें पढ़िये मान्यवर, इसमें बाढ़ के ताण्डव ने भी बहराइच जनपद में तबाही मचा रखी है बलहा बहरौली बांध लगभग सौ मीटर कट गया है। दर्जन गांव बह गये हैं, पशु और जानवरों का, अच्छा एक मिनट, सामान्यत: सूचना एक सुनिश्चित विषय पर होनी चाहिये न कि दो विषयों पर, अब आप यह तय कर लें कि आप बाढ़ या खाद की कमी पर किस पर जोर देना चाहते हैं।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

मान्यवर, खाद की कमी पर। बलहा-बहरौली बांध और किसान परेशान हैं उस समय यूरिया का अभाव, एक विषय है दो नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

बाढ़ नहीं है ? एक सूचना में सुनिश्चित विषय एक होगा, आप यह तय कर लें, भले ही माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो गयी है यह सूचना, तो कृपा करके आप यह तय कर लें कि आप यूरिया खाद की कमी पर बोलेंगे या बाढ़ पर बोलेंगे ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

मान्यवर, हम यूरिया की कमी पर बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

तो ठीक है, यूरिया की कमी पर माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी ने जो विषय उठाया है उस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय श्री श्यामदेव राय चौधरी, आपके हस्ताक्षर नहीं हैं सूचना पर।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, एक मिनट आप मेरी बात सुन लें, अब मैं क्या कह रहा हूं, उसको केवल सुन तो लें बस, आप मुझे अनुमति दें या न दें लेकिन क्या कह रहा हूं, उसको सुन तो लें। मान्यवर, हम बाढ़ में फंस जाने के कारण समय से आ न सके आज ही हाउस है आज के बाद लम्बे अंतराल के बाद हाऊस आयेगा। मैं स्वयं बाढ़ में फंस जाने के कारण जल्दी नहीं पहुंच पाया जिसके कारण से मैं नियम में नहीं दे पाया, लेकिन स्थिति इतनी भयंकर है मान्यवर, कि बाढ़ की कोई तैयारी नहीं थी, बाढ़ आ गयी, नेपाल ने पानी छोड़ दिया, यह अक्सर नेपाल पानी छोड़ देता है, पानी नहीं बरसा है इस समय, नेपाल पानी छोड़ देता है जिससे पूरा पूर्वांचल बिना पानी बरसे प्रभावित हो रहा है। इसके इलाज की आवश्यकता है और सरकार ने बाढ़ से निपटने का यह इंतजाम कर रखा था कि 48 घण्टा होने के बावजूद जन रक्षार्थ पर्याप्त नाव भी उपलब्ध न करा सकी।

श्री अधिष्ठाता--

अब माननीय जटा शंकर जी जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। विषय आपका आ गया। माननीय श्री श्यामदेव राय चौधरी, जनपद गोरखपुर में तीन करोड़ रुपये के फर्जी स्टाम्प, एन0एस0सी0 और विकास पत्रों की बरामदगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, मेरी सूचना का विषय बहुत गम्भीर है और इस घटना से ऐसा लगता है कि प्रदेश में बहुत से रैकेट ऐसे चल रहे हैं जो जाली स्टाम्प, जाली टिकट, जाली पासपोर्ट आदि बनवा करके बेच रहे हैं इससे एक तरफ तो जनता को हानि हो रही है दूसरे तरफ सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, यह घटना है गोरखपुर महानगर की ज्यों ही 27 तारीख को पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा और जिसमें तीन करोड़ रुपये से अधिक के जाली टिकट, स्टाम्प पेपर, फर्जी पासपोर्ट, पंजाब नेशनल बैंक का एफ0डी0 आदि पकड़ा गया और इसमें कई लोग पकड़े गये।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, यह अविलम्बनीय इसलिए भी है कि यह जो रेकेट के लोगों को पकड़ा गया है, वह पिछले चार-पांच वर्षों से इस काम को कर रहे थे। यह लोगों के लिए जाली टिकट बनवाते हैं और उसको बेचते हैं, ठेकेदारों के हाथ और स्टेट वेण्डर्स के हाथ बेचते हैं और जो सरकारी कामों में उपयोग करते हैं। और, विचित्र बात यह है कि स्थानीय पुलिस को पिछले चार पांच वर्षों से इसकी

कोई भनक नहीं लगी। मान्यवर, इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी 3 करोड़ रुपये से अधिक का पकड़ा है इन वर्षों में इन्होंने कितने सैकड़ों करोड़ों रु0 का करोबार किया होगा। वहां की पुलिस तथा राजघाट की पुलिस ने जो इसे पकड़ा है उन्हें इसका श्रेय जरूर मिला है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि न इसकी कोई भनक स्थानीय पुलिस को लगी और न ही एल0आई0यू0 को लगी। इसकी सूचना सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो आई0बी0 है उसकी सूचना थी। और उसकी सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने उसे पकड़ा है। बहरहाल पुलिस ने इसे पकड़ा तो है ही।

यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का मान्यवर मामला इसलिए भी है कि जनता को इससे हानि हो रही है जनता ठगी जा रही है और दूसरी तरफ सरकार के राजस्व की भी हानि हो रही है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके अलावा प्रदेश में इस तरह के रेकेट और कहां-कहां काम कर रहे हैं। सरकार को अपने सूचना तंत्र को सक्रिय करके इन लोगों को कठघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है। मैं इस पर सदन में चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं श्री श्यामदेव राय चौधरी जी को सुनने के उपरान्त इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

अगली सूचना श्री मों0 इरशाद खां की जो जनपद लखनऊ में निर्मित एवं निर्माणाधीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय मानचित्र के अनुरूप न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

अगली सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जो जनपद बलिया स्थित सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा किसानों को प्राप्त धान संबंधी बिक्री सम्बन्धित बैंक के चेकों का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यद्यपि इस पर माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय है कि इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया जाय। फिर भी माननीय राम इकबाल सिंह जी इस पर दो मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मैं मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियमों को शिथिल करते हुए बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह समस्या निश्चित रूप से काफी गरीब लोगों से किसानों से जुड़ी हुई है। मान्यवर, इस सरकार का नकाब इस छोटी सी घटना से उठना है।

मान्यवर, रिलांयस इण्डस्ट्रीज को 21 सौ एकड़ जमीन दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया विषय पर आ जायें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, आपके क्षेत्र में तो किसान हैं नहीं। आप वहां जाते हैं तो पलट जाते हैं। आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बोलूंगा, आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं श्री राम इकबाल सिंह जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई, अत: अस्वीकृत हुई हैं।

श्री कौशल किशोर, श्री राजेश कुमार, श्री कौशल किशोर, श्री सलिल विश्नाई, श्री धर्मपाल सिंह...

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा, श्री प्रागी लाल अहिरवार आदि अनेक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये और अपनी-अपनी सूचनाओं पर सुने जाने की मांग करने लगे)

श्री अधिष्ठाता--

श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 इन्द्रदेव सिंह,. श्री लालजी वर्मा, श्री मुंशी लाल गौतम, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री धर्मराज निषाद, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री लालजी वर्मा, श्री रामअचल राजभर, श्री जयराम विमल, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, कुंवर भारतेन्द्र सिंह, श्री स्वामी प्रासाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) श्री बाबूलाल कुशवाहा उसके बाद हस्ताक्षर अपठनीय लिखा है। इन सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री विद्या सागर गुप्त, श्री प्रागी लाल अहिरवार आदि सदन के वेल में बैठ गये)

श्री अधिष्ठाता--

देखिये, आज नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई उनमें 9 सूचनाओं को स्वीकार किया गया। जिसमें निर्णय था कि प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। लेकिन हमने फिर भी माननीय सदस्यों को सुनने का अवसर दिया है।

आप सबसे अनुरोध है कि कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री प्रागी लाल अहिरवार जी, श्री विद्या सागर गुप्ता जी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी कृपया अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव (वेल से)--

मान्यवर, बंगलादेश के नागरिक यहाँ पर बस गये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

बाग्लादेश के नागरिकों के बारे में नियम 51 में डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी की सूचना स्वीकार हो चुकी है इसलिए इसमें दोबारा सूचना स्वीकार होने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

माननीय भारतेन्द जी, गोहत्या पर भी नियम 51 में सूचना स्वीकार हो चुकी है आज आपने कार्य सूची देखी है उसमें नियम 51 में वक्तव्य लगा है। उसमें उसी आधार पर आपको प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। तब पूछ लीजिएगा। अब आप आसन ग्रहण करिये।

माननीय श्रीवास्तव जी और विद्यासागर गुप्ता जी आसन ग्रहण करें।

माननीय श्रीवास्तव जी, आप स्वयं पेशे से अधिवक्ता हैं। यह सदन नियमों से चलेगा नियमों के अन्तर्गत जिस विषय पर एक बार सूचना स्वीकार हो चुकी है उस नियम में दोबारा सूचना

स्वीकार नहीं होगी। उस विषय पर जब शासन से वक्तव्य आयेगा तब आपको स्पष्टीकरण पूछने का अधिकार होगा। उस समय आप स्पष्टीकरण पूछियेगा।

(श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा संसदीय कार्य मंत्री की तरफ जाकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

प्रागी लाल जी, यह नियमों का उल्लंघन है आप इस तरह से नहीं जा सकते हैं। जो बात कहनी है आप यहाँ पर कहेंगे, सीधे से नहीं जायेंगे जब सदन चल रहा होगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव (वेल से)--

मान्यवर, [x x x] इसलिए मैं धरने पर बैठता हूँ।

*श्री मुन्शी लाल गौतम (वेल से)--

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में व जनपद बुलन्दशहर में 5 बच्चे पोलियो की ड्राप पीने के बाद भी पोलियो से ग्रस्त हो गये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से अरबो-खरबों रुपया केन्द्र सरकार के माध्यम प्रदेश सरकार पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए खर्च करती है। मान्यवर, मालागढ़ गांव चिट्टा, गुलावटी गांव भंमरा, सिकन्दराबाग स्थित बगिया गांव और शिकारपुर में नोनिहाल बच्चे दवा पीने के बाद भी पोलियो से ग्रस्त हुए हैं और स्टूल की जांच में उनके पी-। वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है।

श्री अधिष्ठाता--

अभी तो यह सदन जारी रहेगा, आपको फिर अवसर मिलेगा। आप अपनी सूचना दोबारा लगा सकते हैं।

श्री मुन्शी लाल गौतम (वेल से)--

मान्यवर, सरकारी अधिकारियों ने फ्रीजर में दवा को नहीं रखा क्योंकि फ्रीजर को चेलाने के लिए जनरेटर को चलाना पड़ता और इससे उनके डीजल की खपत होती। लेकिन यह डीजल की खपत कागजों पर दिखाकर जनरेटर नहीं चलाया गया और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया गया है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री विद्या सागर गुप्ता जी से, माननीया राजलक्ष्मी वर्मा जी से, माननीय श्री राम इकबाल सिंह जी से, माननीय श्री सुरेश श्रीवास्तव जी से, माननीय श्री प्रागी लाल अहिरवार जी से और माननीय श्री मुन्शी लाल गौतम जी से कि कृपाकर अपना आसन ग्रहण करें।

माननीय राम इकबाल जी, आपकी सूचना स्वीकार होकर ध्यानाकर्षण हुआ है।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्य मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यगण जो यहाँ पर वेल में बैठे हुए हैं वह कृपा करके अपने आसन पर जायं ताकि सदन की कार्यवाही आगे चल सके। और श्रीमन्, एक बात मैं जरूर इनके ध्यान के लिए आपको सम्बोधित करते हुए कहना चाहता हूँ मान्यवर, अलग-अलग प्रश्नों पर अगर इस तरह से माननीय सदस्य वेल में बैठेंगे तो वेल में आने की जो परिस्थितियां होती हैं कि एक दम कोई ऐसी असहज स्थिति हो जाय जिसके कारण यहाँ पर आना पड़े उसका भी हनन होगा। श्रीमन्, और पीठ के कारण वेल में आने की घटना यह नितान्त उचित नहीं है। चूँकि उनका पूरा नेतृत्व, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व न आपने सदस्यों द्वारा उठायी गई समस्याओं के प्रति गम्भीर है और न सचमुच प्रदेश में ऐसी स्थिति के प्रति गम्भीर हैं। इसलिए यह अनियंत्रण की स्थिति है, यह अनियंत्रण की स्थिति है, किस सवाल पर वेल में हैं। प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है कि किस सवाल पर भाजपा वेल में है ?

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, आखिर क्यों नहीं बोलने दिया जायेगा। बांग्लादेश के नागरिकों को बसाया जा रहा है, मतदाता सूची में नाम डाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रीवास्तव जी, आपकी जो सूचना है वह हम पढ़े हैं उस पर नियम 51 में जब वक्तव्य लगा है तो उसी वक्तव्य में आप अपनी बात कह लीजिएगा। जब पढ़ा जायेगा तो आपको कहने का अवसर मिलेगा मेरा आपसे आग्रह है, आप इतने वरिष्ठ हैं, जब उस पर नियम 51 में लगाप है वक्तव्य में तो आप कह लीजिएगा। आपको अपनी बात कहने का अवसर मिल जायेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, जानबूझकर मेरी सूचना नहीं ली जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

जानबूझकर नहीं आपके प्रश्न को मैं निरन्तर पढ़ता हूं। चूंकि वह नियम 51 में एक बार आ चुका था और उस पर जब आतंकवाद की बात चली थी तो उस पर चर्चा में भी उस विषय पर हो गया। नियम यह है कि आप तो खुद इस पीठ पर पीठासीन होते, आपके भी बहुत से निर्णय ऐसे होंगे। जो मामला एक बार सदन में उठ चुका होता है उसे दोबारा उसी सत्र में नहीं उठाया जाता। तो कुछ तो नियम पालन करें आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। तो जब वक्तव्य में लगा हुआ है उसमें वक्तव्य में पूछने का हक है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री विद्यासागर गुप्ता--

उनको योजनाबद्ध तरीके से लखनऊ में बसाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

फिर दे दीजियेगा, ले लेंगे। आपसे मेरा आग्रह है, आप लोग वरिष्ठ सदस्य हैं, यह कोई जरूरी नहीं है कि रोजाना अप लोगों को ही बातों को सुना जाय। आप लोगों को नियम 56 में बहुत

कहने का मौका मिलता है। आप लोगों की सूचना आती है, तो हम स्वयं उसे महत्व देते हैं। इतनी सूचनाएं आज ली गयीं, उसके बाद भी आपको असंतोष है तो फिर अगली बार दे दीजियेगा।

श्री धर्मपाल सिंह--

मान्यवर, हमारी सूचना इतनी महत्वपूर्ण थी कि एक मिनट मुझे भी सुन लें। नौका डूब गयी, 18 लोग मर गये।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, मुंशी लाल गौतम जी, बाबू राम इकबाल सिंह जी, आप सारी बातों को जानते हैं, अगर आप ही इस पीठ पर बैठोगे तो आपके सामने भी यही दिक्कत होगी।

(मद संख्या 16 पुकारे जाने पर)

डॉ लक्ष्मी कान्त वाजपेयी--

मान्यवर, पहले सदन तो व्यवस्थित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो व्यवस्थित करने का बहुत प्रयास कर रहा हूं। अब यह कह रहे है कि मुझे उठवाकर बाहर कराइये, तभी बाहर जायेंगे। अब इसके बाद मेरे पास क्या चारा है। यह मेरे आग्रह को नहीं मानते हैं। देखिये, आप भी बहुत देर से आग्रह कर रहे थे और मैं भी अनुरोध कर रहा हूँ। आपका भी अनुरोध इन्होंने स्वीकार नहीं किया और मेरा अनुरोध भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैं क्या करूँ ? मैं इन्हें बाहर क्यों कराऊँ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

आप बाहर न कराइये, न बाहर कराना उचित है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप जिस गरिमामय पीठ पर विराज रहे हैं, और आपकी जो करुणा इन माननीय सदस्यों के प्रति है, कृपा करके उसके अन्तर्गत आप इनको सुन लें या मना कर दें।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, इसलिये सुनने का सवाल नहीं है।

(वेल में बैठे सदस्यों द्वारा कुछ कहने पर व्यवधान)

माननीय राम इकबाल जी, मैं दरोगा नहीं बनता। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। आपका रिकार्ड निकलवा दूँ तो पता चल जायेगा कि आपको बहुत समय मिला है। अगर किसी दिन आप नहीं बोल सके हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस तरह दबाव बनायेंगे कि जब हम बोल लेंगे तभी सदन की कार्यवाही आगे चलेगी, आप बहुत बार बोले हैं। जो आपका प्रश्न मैंने ले लिया था उस पर मैंने सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कर दिया है। अब बोलकर क्या करेंगे ?

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, 3-3, 4-4 दफा नोटिस दिये हैं, गोहत्या के बारे में मैंने स्वयं दिया है।

श्री अध्यक्ष--

उस सब पर चर्चा हो चुकी है। बार-बार उसी बात को उठाना ठीक नहीं है। आप उसके ऊपर बोल भी चुके हैं। अब कुछ नहीं, अब मद संख्या 16 पर चलिये।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, सदन अव्यवस्थित है। नियमों में आपको अधिकार दिया है कि आप सदन को व्यवस्थित करें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि चूँकि इस समय बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, जिन पर बिना चर्चा के पास हो जायेगा तो उचित नहीं होगा। उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप जिस भी तरीके से चाहें, या अपने चैम्बर में बैठाकर बात कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप ही अनुरोध कर लीजिये।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य सदन के वेल में बैठे रहे।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इन्हें मना लीजिए।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, मेरा सुझाव सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, कोई माननीय सदस्य जिद कर ले कि हमें निकलवाइये तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ?

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, आप सुन तो लें, मेरा सुझाव सुन लें। कभी-कभी इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जब माननीय सदस्य भी कुछ आगे निकल आते हैं और पीछे लौटने में संकोच महसूस करते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ी देर के लिए सदन को स्थगित करके इन्हें अपने चैम्बर में बुला करके बात कर लें, सारी समस्या हल हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष--

देखिये सदन एक बार स्थगित हो चुका है। मैं आग्रह करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यह सारी सूचनाएं अगले दिन दीजिएगा, मैं विचार कर लूँगा। आप वरिष्ठ नेता हैं, मेरी बात मानी जाइए, आपकी बात आ गई है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने स्थान पर चलें, प्रागीलाल जी मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, एक मासूम बच्चे की हत्या हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपकी बहुत सारी सूचनाएं स्वीकार करता हूँ। मैं सबसे ज्यादा आपकी सूचना को ही सुनता हूँ। बाजपेयी जी आप इन लोगों को मनाइये, मैं तो इनकी सूचनाओं क्रो बहुत ज्यादा सुनता हूँ।

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि तीन वर्षीय बच्चे की हत्या हुई है और प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज हुई है, कितना घोर अन्याय हो रहा है। मुझे तो आपसे यह आशा और उम्मीद थी कि आप कम से कम इस सूंचना पर ध्यानाकर्षण करेंगे, सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा, आप चलिये तो। आप मुझे दे दीनिए मैं अलग से कोई व्यवस्था करा दूंगा। अभी 14-15 तारीख को सदन चलेगा। अभी सदन लम्बा चलेगा, सारी सूचनायें आ जायेंगी।

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है, सभी के बच्चे घूमते हैं, खेलने जाते हैं, उसकी अपहरण करके हत्या कर दी जाए, यह सभी लोगों से जुड़ा सवाल है, यह आम समाज से सम्बन्धित सूचना है।

श्री अध्यक्ष--

चलिये आपकी बात आ गई है।

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, अगर नियमों में नहीं आता हो तो न सुने, मान्यवर, कृपया सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दें, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

कह तो दिया है अध्यक्ष जी ने कि ध्यानाकर्षण कर दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर मुझे दे दीजिए, मैं सब कराऊंगा।

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, आप ध्यानाकर्षण करा दीजिए।

(कुंवर भारतेन्दु सिंह एवं विद्यासागर गुप्त के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन के वेल से बाहर निकलकर अपने-अपने स्थान पर चले गये।)

(श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी, आप बैठ जाइये, मैं उसी रास्ते से आता हूँ, मैंने देखा है।

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा--

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2006 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2006 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है।

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं यह संशोधन प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, विधेयक और अध्यादेश के मूल उद्देश्य से कोई मतभेद नहीं है, सहमति है। केवल आपत्ति का कारण एक है, इस विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि अल्पसंख्यकों की जो संस्थायें होंगी उनमें यह आरक्षण नहीं दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि आरक्षण की व्यवस्था से छूट क्यों पायेंगी ? क्या अल्पसंख्यक बिरादरी में पिछड़ी जाति के लोग नहीं हैं, मुस्लिम समाज में क्या पिछड़ी जाति के लोग नहीं हैं। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2006, लाया गया है इसमें यह प्राविधान क्यों रखा कि जो अल्पसंख्यक संस्थायें हैं वह छूट पायेंगी। इस आपत्ति के साथ इस विधेयक की मूल भावना और उद्देश्य से सहमति व्यक्त करते हुए यह माँग करता हूँ कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो इस बिन्दु पर अपनी रिपोर्ट दे उसके बाद इसे सदन में पारित किया जाए।

*श्री मुंशी लाल गौतम--

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2006, है, इस पर डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देता हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड-1 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा । इसमें निजी शिक्षण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संस्थायें भी हैं चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या असहायता प्राप्त। जो मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 क का (का) अगर पढ़ें तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इसी के साथ अगर अनुच्छेद-15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, उसमें यह है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भाजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश में कोई विभेद नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

संशोधन प्रस्ताव पर अपनी बात रखिये।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, उसी पर बता रहा हूँ। संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अनुच्छेद-29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें दिया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो यह तो बात सही है। मान्यवर, शासन प्रशासन को अल्पसंख्यकों के बारे में अधिकार है। इतना ही नहीं आपका जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उससे जो इन संस्थाओं को सहायता मिलती है, ग्रांट मिलती है उसकी मेरे पास सूची है कि किनको यह सहायता मिलती है। मुस्लिम महिला विद्यालय, बुलन्दशहर, मुस्लिम डिग्री कालेज, मुरादाबाद, मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कालेज, मुरादाबाद। नायब अब्बासी डिग्री कालेज, अमरोहा, ज्योतिबा फूले नगर। हाशैमी गर्ल्स डिग्री कालेज, अमरोहा, ज्योतिबाफूले नगर/वी0आई0 कुरेशी डिग्री कालेज, अमरोहा, ज्योतिबा फूले नगर।

श्री अध्यक्ष--

सूची तो बहुत बड़ी है। पूरी सूची पढ़ेंगे।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मुसव्विर हुसैन बालरी मेमोरियल डिग्री कालेज, सैदनगर, ज्योतिबा फूले नगर, राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय, अमरोहा, ज्योतिबा फूलेनगर। गोरखपुर में आपके तीन विद्यालय हैं, जौनपुर में 2 विद्यालय हैं। इनको प्रदेश सरकार से और केन्द्र सरकार से अनुदान मिल रहा है तो अल्पसंख्यक विद्यालयों में, मुस्लिम विद्यालयों में क्यों आरक्षण लागू नहीं होगा। मेरा कहने का उद्देश्य केवल यह है कि आपने जो विधेयक रखा है क्या इन संस्थाओं में नियम भिन्न रहेगा। आपने जो उद्देश्य दिया है उसमें है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति और नीति के प्रारूप के उपबंध करने की शक्ति दी जा रही है जिससे और जिसमें राज्य सरकार द्वारा अभिसूचित प्राधिकारी और अधिकारी आरक्षण के प्रयोजन हेतु जाति प्रमाण-पत्र देगा जो असंवैधानिक है। यह विधेयक जनहित में नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी है। आप पूरा पोथा पढ़ रहे हैं।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, अब तक जो जाति प्रमाण-पत्र था राजस्व अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के यहां से मिलते थे और जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर इनको मकानों का आवंटन, पोखर तालाबों पर किसका कब्जा है यह देखते थे, वारिसान कौन किसका है मैं यह बताना चाहता हूँ कि शासनादेश संख्या 1432/26-3-86-11(वि0स0) दिनांक 10 जुलाई, 86 एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम-2002 (नं0 10/2003) दिनांक 7-1-2003 (भारत सरकार) तथा सचिव समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0 3483/26-3-2003-3(7)/03 दिनांक 30-0-03 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की जो सूची है क्या यह लोग उससे भिन्न है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो सूची है उसमें जो जातियाँ हैं उन्हीं को रखा जाय। यह गुमराह करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार की नियत में खोट है केवल दिखावा है, लाभ नहीं देना चाहते।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी आपको जो बोलना हो बोलिये।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, यह लाजवाब है इनका जवाब देने के लिये न कहें, विधेयक पर माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कहें।

एक सदस्य--

मान्यवर, इनकी लाइन और लेंथ दोनों चेंज करवा दीजिये।

श्री मुंशी लाल गौतम--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री मुंशी लाल गौतम--

यह आपका विशेषाधिकार है।

श्री किरन पाल सिंह कश्यप--

अध्यक्ष महोदय, चूँकि मेरा नाम लिया गया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुंशी लाल गौतम को शंका यह है कि जो मल्लाह, धीवर, बिन्द जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी और आदेश कर दिया था वह कोर्ट ने वापस कर दिया इनका कहना है कि अनुभाग-2 की जो सूची थी उसमें से यह जातियाँ बी0सी0 में आ गईं तब तो आपकी शंका का उत्तर हो जाना चाहिए। जो दो भाग बनाया है इसका निस्तारण सरकार करेगी, मुख्यमंत्री जी करेंगे।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुंशी लाल गौतम--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

गौतम जी आपकी कोई भी बात अब नहीं लिखी जायेगी। ऐसा व्यवहार न करें कि हमें कोई कठोर कार्यवाही करनी पड़े। मंत्री जी आप उत्तर दीजिए।

डॉ अशोक बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कोई नया नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार ने 17-5-94 को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की थी इसके तहत 21 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए व 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए किया गया था। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 12-8-05 को ईमामदार बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र के मामले में एक आदेश पारित किया चूँकि माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया इसलिए मैं जजमेंट की एक लाइन पढ़कर सुना रहा हूँ उसमें है व्हेदर एडेड आर अनएडेड बाई द स्टेट अदर दैन द माइनारिटी एजूकेशन इन्स्टीट्यूट रिफर्ड इन क्लाज आफ आर्टिकल 30-1 तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के शिथिलीकरण के लिए संविधान में संशोधन किया गया और उसं संशोधन में यह व्यवस्था की गयी थी कि इस तरह से अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए शासकीय और गैर शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाय। संविधान के अनुच्छेद 30 के सब पैरा 1 में यह व्यवस्था है कि अल्पसंख्यक चरित्र के जो विद्यालय होंगे वह इससे अलग रखे जायेंगे हमारा जो 93वां संशोधन हुआ उसमें भी यह व्यवस्था की गई। अध्यक्ष महोदय, जो संविधान संशोधन हुआ उसमं व्यवस्था है कि अल्पसंख्यक संस्थान इससे अलग रहेंगे। यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण है कि समाज का जो वंचित तबका है ऐसे सर्वहारा वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो पूर्व में व्यवस्था की गई थी उसी के क्रम में यह विधेयक है। आरक्षण की व्यवस्था प्रदेश् में नई नहीं है। 10 जुलाई, 2006 को इस संबंध में अध्यादेश निर्गत किया गया था क्योंकि उस समय विधान सभा सत्र में नहीं थी चूँकि प्रवेश सत्र प्रारम्भ हो गया था इसलिए अध्यादेश जारी किया गया अब विधान सभा सत्र में है इसलिए विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पूरी व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सकेगी आपत्तियों की इसमें कहीं कोई गुन्जाइश नहीं रहेगी ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनायी जा रही है आरक्षण की व्यवस्था जो पहले से निर्धारित थी। उसमें कोई नई चीज लागू करने का काम नहीं किया गया है जो पहले से व्यवस्था परिचालित थी कि 21 प्रतिशत अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों और 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण की व्यवस्था है वही है। नई कोई चीज नही ली गई है। आवश्यकता जैसा कि मैंने पहले कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ऐसा आवश्यक हो गया था इसलिये उसी आधार पर संविधान में संशोधन किया गया और संविधान संशोधन के बाद इस विधेयक को लाना पड़ा।

नोट :--[x x x] यह अंश भी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डॉ लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य मान्यवर, मैं इसके उद्देश्य और इसकी मूल भावना पर कोई आपत्ति नहीं करता हूं बल्कि मेरी भी उस पर सहमति है। मेरा यह कहना है कि आपने बताया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के इन इन्स्टीट्यूट्स में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। एक उदाहरण तो मैंने तब दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि इन अल्पसंख्यक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय के छात्र नहीं पढ़ते क्या ? और क्या मुस्लिम समुदाय में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं होते ? मेरा कहना यह है कि इन संस्थाओं में यदि कोई पिछड़े वर्ग का या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का छात्र पढ़ता है तो उसको आरक्षण का लाभ कैसे मिल पायेगा। माननीय मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैंने केवल यही प्रश्न पूछे हैं। माननीय मंत्री जी मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शान्त करा दें। विधेयक की मूल भावना और उद्देश्य से मुझे कोई आपत्ति नहीं है बल्कि मैं उससे सहमत हूं।

डॉ अशोक बाजपेई--

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 30 के क्लाज 1 में व्यवस्था है और 93वें संशोधन में भी व्यवस्था है कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी इसीलिए मैंने इसके बारे में पहले अवगत करा दिया।

डॉ लक्ष्मीकान्त वाजपेई--

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा बताई गई बातों से सहमत होते हुए सिर्फ दो जिज्ञासाएं हैं मेरी उनके बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी इन दो जिज्ञासाओं के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर दे दें। मैं कह रहा हूँ कि क्या मुस्लिम समुदाय में पिछड़ा वर्ग के छात्र नहीं हैं। उनको आप किस तरह से लाभ देंगे। इन अल्पसंख्यक समुदाय के इन्स्टीट्यूट्स में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का कोई छात्र यदि प्रवेश ले ले तो जो शासन के नियमों के अन्तर्गत उस वर्ग के छात्रों को जो सुविधाएं मिलती हैं वे मिलेंगी। आपने 93वें संशोधन की बात कही।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद-30 के खण्ड (1) में यह व्यवस्था है कि माईनारिटी के इन्स्टीट्यूट्स में किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। संविधान में संशोधन किये बगैर यह व्यवस्था कैसे हो सकती है। संविधान में संशोधन किये जाने का मामला पार्लियामेंट से ही हो सकता है इसलिये आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से इसमें हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने काफी कुछ बता दिया है अब कुछ कहने के लिये नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

डॉ अशोक वाजपेयी--

जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की व्यवस्था है उसी तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी आरक्षण दिया जायेगा लेकिन इन अल्पसंख्यक समुदाय के इन्स्टीट्यूट्स में आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप इसको वापस ले रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई--

अगर मैं वापस नहीं लूंगा तो भी आप उसको निरस्त कर देंगे क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रिया है और नियमों के अन्तर्गत है। माननीय मंत्री जी ने संविधान के अनुच्छेदों के बारे में तो बताया लेकिन मेरी जिज्ञासाओं को शान्त नहीं किया। मैंने जो जिज्ञासा व्यक्त की है क्या उस कठिनाई से सरकार सहमत है कि नहीं। अगर सहमत है तो क्या भारत सरकार को उस कठिनाई से अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

अब हो गया। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 2006, का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-14 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2006 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, जिनके अन्तर्गत निजी शैक्षणिक संस्थायें भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों, में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में प्रवेश में आरक्षण देने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) यह 10 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

लागू होना

2--यह अधिनियम भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं जिनके अन्तर्गत निजी शैक्षणिक संस्थायें भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त हों, में हो रहे सभी प्रवेशों पर लागू होगा।

परिभाषाएं

3--जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

(क) "किसी प्रवेश के सम्बन्ध में शैक्षणिक वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष जिसके भीतर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ख) "सहायता प्राप्त संस्था" का तात्पर्य अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर किसी ऐसी निजी शैक्षणिक संस्था से है जो राज्य सरकार से या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता वितरित करने वाली किसी निकाय से आवर्ती सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता अंशत: या पूर्णत: प्राप्त कर रही हो;

(ग) "सामान्य अभ्यर्थी" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जो योग्यता के आधार पर किसी अनारक्षित सीट पर चयनित हुआ हो;

(घ) "संस्था के प्रधान" का तात्पर्य किसी समिति जो संस्था चला रही हो के अध्यक्ष या प्रबन्धक या सचिव से है और उसके अन्तर्गत संस्था का निदेशक, प्रधानाचार्य और कोई प्रशासनिक अध्यक्ष भी हो;

(ङ) "शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य--

(एक) सक्षम सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त किसी ऐसे कालेज या स्कूल या ऐसी संस्था, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है जो शिक्षा प्रदान कर रही हो तथा जो किसी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, जिसके अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन परिभाषित किसी समविश्वविद्यालय की कोई ऐसी घटक इकाई भी है जो शिक्षा प्रदान कर रही हो;

(दो) सक्षम सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त ऐसे कालेज या स्कूल या ऐसी संस्था, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम चला रही हो और उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, प्रदान कर रही हों।

(च) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से हो;

(छ) "निजी संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी शैक्षणिक संस्था से है जो राज्य या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित न हो;

(ज) "व्यावसायिक पाठ्यक्रम" का तात्पर्य सक्षम सांविधिक निकाय द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित पाठ्यक्रम से है जिसमें उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, प्रदान किया जाता हो;

(झ) "आरक्षित सीट" का तात्पर्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी सीट से है;

(ञ) "स्वीकृत अन्तर्ग्रहण" का तात्पर्य और अर्द्ध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सीटों की कुल संख्या से है जो किसी संस्था में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए हो;

(ट) "राज्य विश्वविद्यालय" का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से हो;

(ठ) "गैर सहायता प्राप्त संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी निजी शैक्षणिक संस्था से है जो सहायता प्राप्त संस्था न हो;

(ड) "अनारक्षित सीट" का तात्पर्य आरक्षित सीटों से भिन्न सीटों से है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

4--(1) भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, जिसके अन्तर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त हों, में प्रवेश हेतु स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के जिसके लिए किसी

शैक्षिक वर्ष में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में प्रवेश दिया जाना है, प्रवेश के स्तर पर निम्नलिखित प्रतिशत में आरक्षण होगा--

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में	इक्कीस प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में	दो प्रतिशत
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में	सत्ताइस प्रतिशत

(2) किसी शैक्षिक वर्ष के सम्बन्ध में यदि उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी हुई रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा;

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जायेगा;

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के पश्चात् भी बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा;

(5) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और यदि वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति

5--राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा संस्था के प्रधान या संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

शास्ति और सम्बद्धता का वापस लिया जाना

6--(1) संस्था का कोई प्रधान या संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 5 के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है इस अधिनियम के प्रयोजनों का जानबूझकर उल्लघंन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा;

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा;

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, संक्षेपत: किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे;

(4) जहां राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या तद्धीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों या आदेशों का उल्लंघन किया है तो वह ऐसी संस्था की सम्बद्धता या मान्यता को वापस लेने के लिए समुचित सांविधिक निकाय को सिफारिश कर सकती है।

अभिलेख मांगने की शक्ति

7--यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाये गये नियमों का सरकार के आदेशों का अनुपालन न करने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को सम्बन्धित संस्था से मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

प्रवेश समिति

8--राज्य सरकार, आदेश द्वारा प्रवेश समिति में ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

जाति प्रमाण-पत्र

9--इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, द्वारा और ऐसी रीति और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करना

10--यदि इस अधिनियम के उपबन्ध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसा उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

11--इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

12--राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

आदेशों इत्यादि का रखा जाना

13--धारा 5 और धारा 9 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

निरसन और अपवाद

14--(1) उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2006

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-14 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2006 [जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ] पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है।

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, इस विधेयक में भी पिछले विधेयक जैसी स्थिति है। मैंने दो विसंगतियों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह विधेयक है निजी शिक्षण संस्थाओं में फीस का विनियमन करने का। यह ठीक है फीस का विनियमन किया जाना चाहिए। अन्धाधुन्ध फीस न ली जाये। मध्यम वर्ग के छात्रों को, गरीब वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा का उचित और समान अवसर मिले इसके लिए इसकी आवश्यकता थी। लेकिन फिर मान्यवर, इसमें अल्पसंख्यक संस्थाओं को इससे मुक्त किया गया। संविधान के संशोधन 93 और 30-क में यह व्यवस्था नहीं दी गयी है कि फीस के मामले में उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाये जायेंगे। दूसरी बात क्या अल्पसंख्यक संस्थाओं में गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र, जो इस विधेयक को लाने का उद्देश्य है कि अन्धाधुन्ध फीस न हो, गरीबों का शोषण न हो, लूट न हो शिक्षण संस्थाओं में इनकी फीस को नियतन किया जा सके, जब सरकार का यह उद्देश्य है तो फिर सरकार के पास इस बात का कौन सा पैमाना है कि अल्पसंख्यक कैटेगरी की जो संस्थायें हैं उनमें फीस की लूट नहीं होगी। उसमें भी फीस का नियतन करने के लिए सरकार ने ऐसा कुछ किया। जबकि संविधान का संशोधन 93 इसकी छूट नहीं देता है। दूसरा बिन्दु मेरा यह है कि दोनों संस्थायें स्ववित्त पोषित हैं। दोनों संस्थाओं में जिन कोर्सों की मान्यता दी गयी है वह स्ववित्त पोषित दी गयी हैं। जब स्ववित्त पोषित मान्यता है तो फीस का प्रतिबन्ध इन पर लागू होगा उन पर लागू नहीं होगा। इसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार इसकी क्या व्यवस्था करेगी। अगर अल्पसंख्यक संस्थाओं में फीस अन्धाधुन्ध होगी तो वहां जाने पर मजबूरी होगी ऐसी परिस्थिति में सरकार के पास क्या प्रतिबन्ध है कि वह उनको शोषण से मुक्त करा देंगे। या उनको कठिनाई से मुक्त करा देंगे। इसीलिए इस विधेयक में सरकार ने जो अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़ा है मेरा निवेदन है कि फीस के नियमन के संबंध में जो व्यवस्था सरकार करने जा रही है उसमें अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। संविधान की धारा 93 और 30-क कहीं इसकी छूट नहीं देती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द करके इस पर पूर्ण विचार करने के उपरान्त सरकार यहां लाये फिर सदन में पास कराये तो उस भावना के अनुरूप होगा। प्रदेश के गरीब वर्ग के छात्र-छात्राओं के हिसाब से ठीक होगा। यह मैं आग्रह करता हूं।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, आपने इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। जो विधेयक लाया गया है जिसमें सीटों के निर्धारण करने को और साथ ही साथ फीस के नियमन की इसमें व्यवस्था की गई है। इसमें प्रवेश के बारे में अध्याय-3 में दिया गया है कि "राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण में से प्रबन्धतन्त्र श्रेणी के अधीन सीटें आरक्षित कर सकती है।" मान्यवर, प्रबन्धतन्त्र श्रेणी के अन्तर्गत दिया है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रबन्धतन्त्र श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं रहेगा। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक में जो व्यवस्था दी गयी है, एक तो मेरी यह चाहत है कि इसमें यह व्यवस्था की जाये कि फीस का नियतन प्रत्येक वर्ष, प्रवेश होने से पहले किया जाये और दूसरा जो प्रबन्धतन्त्र श्रेणी में आरक्षण की व्यवस्था से वंचित किया गया है, इसमें भी आरक्षण लागू किया जाये। प्रबन्धतन्त्र श्रेणी में भी ऐसे छात्र उपलब्ध होते हैं, अगर 35 परसेण्ट रिजर्वेशन दिया गया है, प्रबन्धतन्त्र को सीटें आरक्षित की गयी हैं अगर 35 परसेण्ट सीटों पर रिजर्वेशन नहीं होगा तो निश्चित रूप से यह पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के साथ भेद-भाव पूर्ण व्यवहार होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें यह व्यवस्था की जाये कि प्रबन्धतन्त्र के अन्तर्गत जो सीटें निर्धारित की गयी हैं, उसमें भी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाये, यह मेरा आपके माध्यम से विधेयक में सम्मिलित किये जाने का सुझाव है, धन्यवाद।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है, जो निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, तकनीकी संस्थाएं हैं, वहां पढ़ने वाले सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग और सभी वर्ग के बच्चे आते हैं उनकी फीस नियमन के लिए मान्यवर, इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी। निजी संस्थाएं मनचाही फीस निर्धारित करती हैं और यह कठिनाई महसूस की जाती रही है कि फीस के मामले में अंकुश लगाया जाये। इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है। इसके लिए एक अध्यादेश निर्गत कर दिया गया। मान्यवर, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं, इसलिए भी इसको लाने की आवश्यकता पड़ी, हम इसको पहले से ही प्रभावी कर सकते थे लेकिन एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया, चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित रिट याचिका 4408/2006 में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डेण्टल कालेज बनाम उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 इसे स्थगित कर दिया गया है, जो अध्यादेश जारी किया गया था, उसे मान्यवर, स्थगित कर दिया गया, इसलिए हमको यह कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, कानून बनाकर हम न्यायालय के समक्ष जायेंगे। मान्यवर, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि हम फीस को पूरे प्रदेश में निजी क्षेत्र की संस्थाओं में मान्यवर, आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ निजी क्षेत्र की संस्थाएं तकनीकी क्षेत्र में आ रही हैं और एक बड़ी संख्या छात्रों की इनमें प्रवेश ले रही है और उसमें हम फीस का निर्धारण कर सकें और जब तक हम इसके लिए कानून नहीं बनाते, शासन के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था

जिससे हम फीस पर नियन्त्रण लगा सकें और मान्यवर, इसका उद्देश्य भी यही है, इसमें एक समिति बनायी जायेगी, इसमें उच्च प्रशासनिक अधिकारी या कम से कम किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो, उस समिति का अध्यक्ष होगा और दो ऐसे ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उसमें सदस्य होंगे, तीन लोगों की यह समिति होगी जो प्रत्येक वर्ष सत्र के लिए फीस विनियमन का निर्धारण करेगी और समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा कि जो व्यवस्था है उसको संस्थाएं लागू करें और अगर उसमें कोई संस्था गड़बड़ करेगी तो इसमें दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है और मान्यवर, इसमें उच्च न्यायालय स्तर के जज के रूप में एक अपीलीय कोर्ट भी बनायी गई है कि उसमें जाकर के यदि कोई समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील करता है तो वह व्यवस्था भी की गयी है। एक पारदर्शी व्यवस्था इसमें बनायी गयी है जिससे शिक्षण संस्थाओं में और विशेष कर तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में फीस के मामले में अंकुश लगाने का काम सरकार कर सके, मनमाने ढंग से निजी संस्थाएं, स्वेच्छाचारी ढंग से यदि फीस वसूल करना चाहेंगी तो सरकार मूकदृष्टा नहीं रह सकती।

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो मैनेजमेंट के कोटे की सीटें आरिक्षत हैं उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाये। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आप जानते हैं कि इतने बड़े निजी संस्थान को खड़ा करने में कितनी बड़ी धनराशि खर्च होती है। उस पर अगर मैनेजमेंट कोटा निर्धारित नहीं होगा तो उनकी इतना बड़ा संस्थान खड़ा करने में क्या रुचि रहेगी। इतने बड़े प्रदेश में जहां पर 17 करोड़ की आबादी है हम चाहते हैं कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हो। जो आज तमाम बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं उनको रोजगारपरक शिक्षा हम दे सकें। इसलिए इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता की नितान्त आवश्यकता है। निजी क्षेत्र की भी रुचि बनी रहे इसलिए केवल मैनेजमेंट कोटे को छोड़कर, आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की और इसके अलावा शेष सारी सीटों के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। जो हम यह विधेयक लाये हैं इससे एकरूपता बनी रहेगी और उन पर अंकुश लग सकेगा, निजी प्रबन्धकों के ऊपर कि वह मनमाने ढंग से वह हमारे प्रदेश की जनता या बच्चों का शोषण न कर सके। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं चाहूंगा कि इसे माननीय सदस्य पारित कराने में सहयोग दें।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आया क्या ? माननीय मन्त्री जी सारे में घूमकर वापस वहीं आ गये। अध्यादेश क्यों जारी किया विधेयक क्यों लाया गया। यह हमें मालूम है। मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न था कि क्या अल्पसंख्यक संस्थाओं में इस विधेयक को लाने का जो उद्देश्य है कि गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को आर्थिक शोषण से बचाया जा सके, निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं द्वारा सम्भावित लूट से बचाया जा सके या अल्पसंख्यक संस्थाओं में लूट नहीं होगी क्या इस बात की कोई गारण्टी सरकार के पास है ? और फिर अल्पसंख्यक संस्थाओं को मनचाही फीस लेने की छूट और उसी के समकक्ष स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में यह संस्थाएं इनके प्रवेश का नियमन और फीस का नियतन करेगी। इस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। इस पर मैं कृपापूर्वक आपका संरक्षण चाहता हूं। विधेयक पर सदन के माध्यम से जनता में संदेश जाता है कि सरकार क्या करना चाहती है ? क्या कर रही है ?

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह बड़ा छोटा सा विधेयक है। यह केवल प्रवेश का विनियमन देने के लिए या प्रवेश में आरक्षण लागू करने के सम्बन्ध में और फीस का शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में है। मैं आपके माध्यम से दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के बच्चे सर्वाधिक संख्या में दक्षिण भारत में जाते थे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आज अगर स्ववित्त पोषित या निजी क्षेत्र में प्रयास करके इन बच्चों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध हो रही है तो इसमें सरकार केवल अंकुश लगाने की बात करती है। सरकार प्रोत्साहित करने का कोई कार्य नहीं करेगी ? ऐसा लग रहा है कि अगर कोई तकनीकी शिक्षा या निजी क्षेत्र में डेण्टल कालेज या इंजीनियरिंग कालेज खोल दे तो वह कोई पाप कर रहा है। मान्यवर, इन उच्च शिक्षण संस्थाओं में फीस लागू करने का नियम है इस सम्बन्ध में एक कमेटी बन चुकी है और यहां कमेटी प्रदेश के उच्च या इंजीनियरिंग कालेजों की फीस निर्धारित करती है। इन संस्थाओं में आज भी आरक्षण व्यवस्था लागू है चाहे पिछड़ी जाति के हों या अनुसूचित जाति के हों और उसी प्रकार से उसमें काउंसलिंग होती है। मान्यवर, इन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया कि वह इसे कड़ाई से लागू करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि विधेयक तो हम पारित कर देंगे लेकिन अगर काउंसलिंग के बावजूद वह आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं तो क्या वह आरक्षित सीटें खाली रहेंगी या सामान्य वर्ग के बच्चों को अवसर मिलेगा। मान्यवर, अगर कोई तकनीकी शिक्षा है तो क्या उन सीटों को वंचित कर देंगे कोई भी शिक्षा हो। चाहे वह आरक्षण की श्रेणी में आता हो या सामान्य वर्ग की श्रेणी में आता हो।

मान्यवर, आज तो इस सरकार का अधिकार और दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि सभी कालेजेस, चाहे वह मेडिकल कालेज हो या इंजीनियरिंग कालेज हो, जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि बड़ा शोषण था, राज्य सरकार इसको समाप्त नहीं कर पा रही थी, प्रदेश में केवल चन्द स्टेट मेडिकल कालेज थे, चन्द इंजीनियरिंग कालेज थे और इससे वहां पर एडमीशन नहीं हो पाता था तो उनके गारजीयन्स के ऊपर कितना व्यय भार होता था, वह कर्नाटका भेजते थे, महाराष्ट्र आदि भेजते थे। उसकी कैपीटेशन फीस किस तरह से होती थी। आज तो यहां, इस प्रदेश में, अगर प्रदेश में पचास साठ हजार सीटें थी तो दस हजार भरी नहीं जाती थी। मान्यवर, जो अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सीट राज्य सरकार देगी, उसको क्लियर करने के बावजूद भी समाज कल्याण विभाग से पैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर अनुसूचित जाति के बच्चों को फ्री इंजीनियरिंग कालेज में या मेडिकल कालेज में इनके एडमीशन की सुविधा है तो उसकी फीस सरकार रिअम्बरसमेंट करेगी लेकिन इस फीस को भी ठीक तरह से रिअम्बर्स नहीं किया जा रहा है। इसको देखेंगे या विधेयक को लेकर के आ जायेंगे। या तो माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है, या माननीय मंत्री जी बताना नहीं चाहते हैं कि - कमेटी का क्या रोल है ? उसकी फीस निर्धारित कर रखी है। यू0पी0 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज ने निर्धारित किया है, शरीर कमेटी ने निर्धारित किया है। तो इस तरह से विधेयक यह ला रहे हैं। तो एक पक्ष नहीं होना चाहिए आज निजी क्षेत्र के लोग उच्च शिक्षा में आ रहे हैं। अगर निजी क्षेत्र में आ रहे हैं तो आज भी जितने लोग काउन्सिलिंग में बैठते हैं उनको प्रवेश नहीं मिलता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं खोलनी चाहिए। मान्यवर, हमारे एक सदस्य ने कह दिया कि मेनेजमेंट में सौ सीट हैं तो पन्द्रह सीट में आरक्षण लागू होना चाहिए। उन्हें नहीं मालूम जो सामान्य ज्ञान है, उसमें यह आरक्षण कोटे नहीं भरते हैं। उतने बच्चे नहीं मिल रहे हैं। अगर हर चीज में राजनीति करनी है तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा चौपट हो जायेगी और प्रदेश का विकास नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, जो राजनीति की रोटी की बात कही गयी है तो यह ठीक नहीं है। कोई भी ऐसा कोटा नहीं है और कोई भी ऐसी फीस नहीं है जिसे देने के लिए पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के लोग आज भी देने के लिए तैयार न हो। जो भी फीस होगी उसके लिए हर वर्ग में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेनेजमेंट कोटा उनकी इच्छा से भर जाय हमें इसमें विवाद नहीं है लेकिन रिजरवेशन लागू होना चाहिए। इसलिए पैंतीस प्रतिशत प्रबन्ध तन्त्र के लिए सीट निर्धारित किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप पहले ही कह चुके हैं। दोबारा क्यों कह रहे हैं। पहले उसका उत्तर सुन लेते।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो उस वर्ग के लोगों को मेनेजमेंट कोटा के द्वारा ही भरा जाय लेकिन उस वर्ग को सम्मिलित करके भरा जाय इस बात की व्यवस्था करेंगे।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय बाजपेई जी जो यह बार-बार कह रहे हैं कि जवाब नहीं दिया जा रहा है तो मैंने जवाब दिया। प्रदेश में निजी क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थान नगण्य है इसलिए उसका प्रभाव नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था है अल्पसंख्यक समुदाय में हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक संविधान में संशोधन न हो तब तक आपकी इच्छा पूर्ति की जानी संभव नही होगी। लेकिन मैंने बार-बार उत्तर दिया है कि जो बहुसंख्यक समुदाय में कम से कम उनका प्रबन्धन और उनका प्रवेश और सारी व्यवस्था और फीस का नियमन हो सके। दूसरा प्रश्न पाल साहब ने कहा, मैं पूरी तरह से जानता हूं कि उन्हें निजी क्षेत्र का अनुभव है और वह इनकी कठिनाइयों से भी आप भिज्ञ हैं। लेकिन आपके अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण पर भी शासन का मन्तव्य नहीं है। अगर अधिनियम आपने पढ़ा होगा कि तो इसमें लिखा है कि किसी शैक्षिक वर्ष के सम्बन्ध में यदि उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी हुई रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा।

फर्स्ट काउन्सिलिंग की जायेगी सेकेण्ड काउन्सिलिंग की जायेगी और अगर सेकेण्ड काउन्सिलिंग से भी सीट नहीं भरती है तो फिर सामान्य श्रेणी से उस सीट को भरा जा सकता है, यह सामान्य व्यवस्था मान्यवर, अधिनियम में की है, इसलिए माननीय पाल साहब को इसको ले करके कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि अगर कोई सीट रिक्त रह जायेगी तो उससे मेनेजमेंट का कोई नुकसान हो जायेगा, उसको भी सामान्य वर्ग से दो बार काउन्सिलिंग के बाद भरा जा सकता है। मान्यवर, जहां तक आपने कहा है मान्यवर, यह शिक्षा जो है राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि अपने विनियमन के लिए अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के लिए और इसीलिए इस समिति का गठन किया गया कि हर राज्य की अपनी शैक्षणिक अलग-

अलग समस्यायें हैं और आवश्यकतायें हैं उस दृष्टि से हमने राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है और मान्यवर, जिसमें एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी या जैसा मैंने कहा है कि कोई विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो ऐसा व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा जिसका सीधा शिक्षा से जुड़ाव हो।

श्री जगदम्बिका पाल--

जस्टिस शरीर की कमेटी आ गई है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय पाल साहब पहले इन्हें बोल लेने दीजिए।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, अब यह कमेटी गठित हो जाने के बाद यह कमेटी अपने सारे दायित्व का निर्वहन करेगी और इसके लिए अभिलेख कमेटी, अभिलेख कोर्ट भी बनाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें उच्च न्यायालय के जज होंगे जिनके पास इसकी अपील हो सकती है जिससे किसी को भी कहीं पर ऐसा लगता है कि समिति द्वारा न्याय नहीं किया गया है तो उसकी अपील भी की जा सकती है।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, मुझे फिर वही बात कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में यदि फीस के नाम पर शोषण होगा तो उसके लिए क्या संविधान ने प्रतिबन्ध लगा रखा है कि उसमे कोई व्यवस्था नहीं करेगी सरकार। जब एक ही शहर में दो संस्थायें हैं एक ही कोर्स चला रही है एक संस्था में हम कह रहे हैं कि फीस आपकी चार सौ रुपये होगी और एक संस्था वहां पर फीस लेगी एक हजार रुपये और केवल इस आधार पर छूट पायेगी तो सरकार क्या उन संस्थाओं में संविधान में ऐसी कोई बाध्यता है।

श्री अध्यक्ष--

है। आपने कई बार प्रश्न पूछा कई बार उत्तर दिया।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय बात यह है कि इस सरकार का काम केवल चूंकि चुनाव आ रहा है जैसे-तैसे कैसे भी हो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करना है इसके अलावा और कोई काम नहीं है।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मेरा माननीय सदस्य मेरठ से आग्रह है कि जरा अपनी सोच को परिवर्तित करें, अल्पसंख्यक समुदाय को ले करके इतना यह चिन्तित और व्यग्र क्यों रहते हैं। यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-17 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन और फीस के नियतन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) यह 10 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

लागू होना

2--यह अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू होगा।

परिभाषाएं

3--जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

(क) "सहायता प्राप्त संस्था" का तात्पर्य अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी ऐसी निजी शैक्षणिक व्यावसायिक संस्था से है जो राज्य सरकार से या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता वितरित करने वाली किसी निकाय से आवर्ती सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता अंशत: या पूर्णत: प्राप्त कर रही हो;

(ख) "समिति" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित प्रवेश और फीस नियामक समिति से है;

(ग) "सामान्य प्रवेश परीक्षा" का तात्पर्य किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था द्वारा चलाये जा रहे किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा से है;

(घ) "फीस" का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है से है;

(ङ) "सामान्य श्रेणी" का तात्पर्य और अर्थ किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था के स्वीकृत अन्तर्ग्रहण में से रखी गयी ऐसी सीटों से है जो प्रबन्धतन्त्र श्रेणी में न हो;

(च) "प्रबन्ध श्रेणी" का तात्पर्य और अर्थ स्वीकृत अन्तर्ग्रहण में से रखी गयी ऐसी सीटों से होगा जो राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं के प्रबन्धतन्त्र को आवंटित की गयी हो;

(छ) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य नेशनल कमीशन फार माइनॉरिटी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन ऐक्ट, 2004 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2005) की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन परिभाषित किसी अल्पसंख्या से है;

(ज) "अल्पसंख्यक संस्था" का तात्पर्य किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित और राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किसी संस्था से है;

(झ) "निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था से है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित न हो;

(ञ) "व्यावसायिक पाठ्यक्रम" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित किसी पाठ्यक्रम से है;

(ट) "व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे किसी ऐसे कालेज या स्कूल या ऐसी संस्था चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय से है, जो--

(एक) किसी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जिसके अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन परिभाषित किसी समविश्वविद्यालय की घटक इकाई भी हो;

(दो) राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे सक्षम सांविधिक निकाय जो व्यावसायिक शिक्षा विनियमित कर रही हो द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो।

(ठ) "स्वीकृत अन्तर्ग्रहण" का तात्पर्य और अर्थ किसी व्यावसायिक संस्था में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सीटों की कुल संख्या से है;

(ड) "ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी" का तात्पर्य भारतीय प्रशासनिक सेवा या उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक सिविल सेवा के किसी अधिकारी से है;

(ढ) "राज्य विश्वविद्यालय" का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से है;

(ण) "गैर-सहायता प्राप्त संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था से है जो सहायता प्राप्त संस्था न हो;

(त) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

अध्याय--दो

समिति

संरचना, अनर्हता एवं कृत्य

4--(1) प्रवेश और फीस नियमन के लिए एक समिति होगी जिसका गठन ऐसी रीति से जो विहित की जाय, किया जायेगा समिति की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी जो राज्य सरकार का ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी राज्य विश्वविद्यालय या किसी समविश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो जिसे समिति का अध्यक्ष कहा जायेगा और उसमें वित्तीय या प्रशासनिक मामलों में अनुभव रखने वाले दो अन्य सदस्य भी होंगे।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगी।

(3) समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल इसी अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष का होगा, तथा इसके पूर्व किसी कारणवश, किसी रिक्ति के प्रोद्भूत होने पर राज्य सरकार शेष कार्यकाल के लिए ऐसी रिक्ति को भरेगी।

(4) समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण ही समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

(5) किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्था से सम्बद्ध कोई व्यक्ति समिति का सदस्य होने के लिए अर्ह नहीं होगा।

(6) समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो राज्य सरकार की राय में समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए अशोभनीय हो तो उसे उक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा दिया जायेगा।

परन्तु ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर दिये बिना राज्य सरकार द्वारा हटाया नहीं जायेगा।

(7) समिति यथाविहित रीति से स्वयं अपनी प्रक्रिया विरचित कर सकेगी।

(8) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था या किसी समविश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय से किसी विहित दिनांक तक ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी जो प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथा उपबन्धित निर्धारित की जाने वाली फीस को अवधारित करने के लिए समिति को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हो और इस प्रकार अवधारित फीस ऐसी अवधि तक विधिमान्य रहेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय।

(9) यदि राज्य सरकार या समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ने इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है या वह इस अधिनियम की धारा 10 में यथा अवधारित फीस से अधिक ले रही है, तो वह सक्षम सांविधिक निकाय से ऐसी संस्था की सम्बद्धता या मान्यता वापस लेने की सिफारिश कर सकेगी।

अध्याय--तीन

प्रवेश

पात्रता

5--किसी निजी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था में प्रवेश की पात्रता ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये।

सीटों का आवंटन

6--(1) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण में से प्रबन्धतन्त्र श्रेणी के अधीन सीटें आरक्षित कर सकती है।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रबन्धतन्त्र श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं रहेगा।

प्रवेश की रीति

7--कोई गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था :

(क) सामान्य श्रेणी के अधीन किसी सीट के लिए प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ऐसी रीति से करेगी जैसी विहित की जाय।

(ख) प्रबन्धतन्त्र श्रेणी के अधीन आरक्षित किसी सीट पर ऐसी रीति से प्रवेश दे सकेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा, किसी अधिसूचित आदेश के माध्यम से विहित की जाय।

सामान्य प्रवेश

8--सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के लिए प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

प्रवेश

9--(1) किसी सहायता प्राप्त संस्था या गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में प्रत्येक प्रवेश इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा और उसके उल्लंघन में किया गया प्रत्येक प्रवेश शून्य हो जायेगा।

(2) राज्य सरकार या समिति का यदि समाधान हो जाता है कि किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या नियमावली या राज्य द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन में प्रवेश लिया है तो वह ऐसी संस्था की सम्बद्धता या मान्यता को वापस लेने के लिए समुचित सांविधिक निकाय को सिफारिश कर सकती है।

अध्याय--चार

फीस का नियतन

कारक

10--(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी :--

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप,

(दो) उपलब्ध अवसंरचना,

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत,

(चार) प्रशासन ओर अनुरक्षण पर व्यय,

(पांच) संस्था के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय,

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी :

परन्तु ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाये मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

अध्याय--पांच

प्रकीर्ण

अपील

11--(1) राज्य सरकार एक अपील प्राधिकरण नियुक्त करेगी जिसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, जिसके समक्ष समिति के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति या कोई व्यावसायिक संस्था ऐसे किसी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील दाखिल कर सकती है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

12--इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रवृत्त होने वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

13--राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

14--(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकता है,

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :--

(क) समिति का गठन और उसकी कार्यप्रणाली तथा निबन्धन एवं शर्तें;

(ख) किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था द्वारा छात्रों से प्रभारित किये जाने वाले फीस के अवधारण की रीति या मानदण्ड;

(ग) व्यावसायिक संस्था द्वारा छात्रों से प्रभारित की जाने वाले फीस।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

15--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, बना सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही की संरक्षा

16--राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अपील प्राधिकारी या समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

निरसन और अपवाद

17--(1) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2006

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड- से खण्ड 2-17 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2006 के अननुमोदन का संकल्प तथा डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

'यह सदन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है।'

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाये।

डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, यह संशोधन जो लाये हैं यह उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 में धारा 9 और 14 में प्रस्तावित किया गया है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश में क्रमशः महा परिषद् और कार्य परिषद् के गठन का उपबन्ध है। चूंकि उक्त महा परिषद् ओर कार्य परिषद् में बार कौंसिल आफ इण्डिया का प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए यह संशोधन लाये हैं। मान्यवर, इसमें यह कहा गया है कि अध्यक्ष, बार कौंसिल आफ इण्डिया को और अध्यक्ष, बार कौंसिल आफ इण्डिया या उसके नाम निर्देशिती को नामित करने की बात है। मान्यवर, अध्यक्ष, बार कौंसिल आफ इण्डिया को इसमें शामिल कर लिया जाये वह तो ठीक बात है लेकिन उनके द्वारा नामित व्यक्ति कौन होगा वह स्पष्ट नहीं है। उसकी योग्यता क्या होगी वह बार कौंसिल आफ इण्डिया के सदस्यों में से होगा या सीधे जनता के बीच से किसी व्यक्ति को उठाकर इसमें लाया जायेगा। यह सब बातें स्पष्ट नहीं हैं। मान्यवर, जिस महान महर्षि के नाम पर इस संस्थान की स्थापना की गयी है और जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर इस संस्थान को स्थापित किया गया है उसके बावत यह जो आप संशोधन लाये हैं इसमें तो मेरा कहना है कि अध्यक्ष, बार कौंसिल आफ इण्डिया को ही रखना चाहिए था। अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति को इसमें रखने का कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर, जहां तक नामित व्यक्ति की बात है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में प्राविधान होना चाहिए था। इसलिए मैं इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने की मांग करता हूं।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा संशोधन हम लाये हैं। मान्यवर, आप स्वयं भिज्ञ हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसका निरीक्षण किया था और यह जिज्ञासा व्यक्त की थी कि इसमें बार कौंसिल आफ इण्डिया के अध्यक्ष को होना चाहिए महा परिषद् में, कार्य परिषद् में। मान्यवर, इसमें केवल महा परिषद् में अध्यक्ष, बार कौंसिल आफ इण्डिया अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को शामिल करने की बात है। इसी तरह से कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में अध्यक्ष स्वयं या उनके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। अब मान्यवर, अध्यक्ष, बार कौंसिल आफ इण्डिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस महान संस्था में आकर सम्मिलित हों या अपने द्वारा किसी व्यक्ति को नाम निर्देशित करेंगे। मान्यवर, उनके द्वारा जो भी व्यक्ति नाम निर्देशित होंगे वह उसकी गरिमा और अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे। मान्यवर, जैसा कि हम लोगा यहां देखते हैं कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत कर दिया जाता है कि वे नाम निर्देशित करें। मान्यवर, इसी तरह से ऐसे आसनों पर पीठासीन महानुभावों से यह अपेक्षा होती है कि वे संस्था की गरिमा के अनुरूप उपयुक्त व्यक्ति को भी नाम निर्देशित करेंगे। इसलिए यह शंका व्यक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मान्यवर, इस संस्था की महा परिषद् में और कार्य परिषद् में जो बार कौंसिल आफ इण्डिया के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित

व्यक्ति को नामित करने की जो व्यवस्था की गयी है वह एक छोटा सा संशोधन है और इसमें और कोई बात नहीं है। मैं चाहूंगा मान्यवर, कि आप इसे पारित करने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, जी नहीं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2006 अनुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह हे कि यह सदन डाक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 का अग्रेत्तर संशोधन के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) यह 14 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2005 की धारा 9 का संशोधन

2--डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 में उपखण्ड (1) में शीर्षक एक-पदेन सदस्य के अधीन आये हुए खण्ड (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(पांच--क) अध्यक्ष, बार कौंसिल आफ इण्डिया।"

धारा 14 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 14 में उपधारा (1) में खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(दो--क) अध्यक्ष, बार कौंसिल आफ इण्डिया या उसका नाम निर्देशिती।"

निरसन और अपवाद

4--(1) डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2006

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में भीषण सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री लालजी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर चर्चा

श्री अध्यक्ष--

अभी दो विधेयक और हैं जिनका एजेण्डा हो रहा है। मैं तब तक मद संख्या-25 ले रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष महोदय, मुझे जाना है, अनुमति दे दें।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने अत्यन्त लोक महत्व विषय पर कृपापूर्वक चर्चा भी मंजूर की। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं जाऊंगा तो सुखदेव राजभर जी के घर पर ही जाऊंगा जहां मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है।

श्री लालजी वर्मा--

मेरा भी रिश्ता इनके यहां से है।

श्री जगदम्बिका पाल--

इसीलिए मैं लालजी वर्मा जी का बहुत ख्याल रखता हूं क्योंकि यह हमारे बहुत करीब हैं इसीलिए मैं पुल की मांग करता हूं। जिससे मैं रात को इनके यहां पहुंच जाऊं।

श्री अध्यक्ष--

रात को पहुंचना बहुत खतरनाक होता है पाल साहब। दिन में पहुंचने की कोशिश करिये।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, तुलसीदास जी अगर एक शव पर बैठ करके नदी पार करके चले गये थे तो हम तो उनके उत्तराधिकारी हैं। पुल की मांग कर रहे हैं कि अगर पुल बन जायेगा तब जायेंगे, हम लोग वह रिस्क लेने वाले नहीं हैं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, कुछ ऐसी रिश्तेदारियां होती हैं जिसमें फाल्गुन में जाते हैं और कुछ ऐसी रिश्तेदारियां होती हैं जहां सावन में जाते हैं, इसलिए श्रीमन्, ध्यान रखिये किसको कहां कब जाना है ?

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यह बात तो समझ में आती है अम्बेदकरनगर का, फैजाबाद का, बस्ती का, लखनऊ वालों का रिश्ता लेकिन बलिया वाले लोग तो एक अलग लाइन के हैं आज भी वह लोग ब्राण्ड गेज पर नहीं आ पाये तो कम से कम वह लोग कहां से बीच में आ गये। मैं तो समझता हूं छपरा आरा की तरफ वह लोग जा सकते हैं बक्सर की तरफ जा सकते हैं लेकिन वह कैसे इधर बढ़ गये ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, बढ़ा नहीं मैंने आपसे कहा संरक्षण करें पाल साहब जो कह रहे हैं अनेक रिश्तेदारियां ऐसी होती हैं जिसमें सावन में जाना पड़ता है पुल न होने से कठिनाइयां होती हैं, बारिश हो जाने से दिक्कत होती है। इसलिए मैंने यह बात कही।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री सुखदेव राजभर--

यह चर्चा तो सूखे की स्थिति पर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, जिस दिन यह कार्यस्थगन का विषय आया था उस दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया था तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि पूरे प्रदेश में जो सामान्य वर्षा की स्थिति है जिसमें लगभग सवा दो सौ मिमी0 की वर्षा जुलाई में होनी चाहिए थी मात्र 25 मिमी0 की वर्षा हुई। जून में जो 15 जून के बाद मानसून सेशन होता है उसमें भी अवर्षण की स्थिति पैदा होगी और पूरे प्रदेश में धान के पौध पीले पड़ गये स्थिति यही हो गयी। मान्यवर, कल बारिश हुई थी लेकिन मानसून के न आने से क्योंकि यूपी और बिहार में मानसून हमेशा वेस्ट बंगाल से आता था।

इस बार जो वेस्ट बंगाल से मानसून उठा, यह दुर्भाग्य रहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश नहीं हुयी और वह मानसून चला गया, गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ तो एक अवर्षण की स्थिति पैदा हो गयी। यह कोई राजनैतिक विषय नहीं है। मान्यवर, आज प्रदेश के किसानों का सूखे से निश्चित तौर से नुकसान हुआ है और उस सूखे के नाते निश्चित तौर से उत्पादन में भी कमी आयेगी तो यह राष्ट्रीय क्षति भी है और किसानों की व्यक्तिगत क्षति भी है और जिस तरीके से प्रदेश में विद्युत् कटौती की स्थिति है, आज सूखे की स्थिति है, इसके बावजूद भी गांव में 14 घण्टे बिजली देने का जो वायदा है, वह भी पूरा नहीं हो रहा है। उस दिन मान्यवर, माननीय विद्युत् मंत्री जी ने कहा कि हम 10 घण्टे बिजली देंगे, उन्होंने 14 घण्टे की जगह 10 घण्टे बिजली देने की बात कही। लेकिन वह 10 घण्टे बिजली भी इस अवर्षण और सूखे की स्थिति प्रदेश में उत्पन्न होने के बावजूद भी नहीं मिल रही है। इसी कारण मान्यवर, लोग अपने खेतों में, चाहे निजी ट्यूबवेल हों, राजकीय ट्यूववेल हों, उनसे पानी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि आज प्रदेश में बड़ी संख्या में ट्रांसफारमर जले हुये हैं। आप भी क्षेत्र में जाते होंगे, देखते होंगे कि महीने में 4 बार 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफारमर जल गया, वहां 63 के0वी0ए0 का लगना चाहिए। मान्यवर, आज जो लोड की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में है, आज जो ट्रांसफारमर है, उनसे अधिक क्षमता का लोड उन पर है। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी सदन में कहे हैं कि कहीं भी जो जले हुए ट्रांसफारमर हैं, उनको समयबद्ध तरीके से बदल दिया जायेगा। अगर नहीं बदला जायेगा तो सहायक अभियंता जिम्मेदार होंगे, अगर एक महीने में नहीं बदला जायेगा तो अधिशासी अभियंता जिम्मेदार होंगे, लेकिन इसके बावजूद व्यवहारिक पक्ष जो है कि आज प्रदेश में जो अधिकांश ट्रांसफारमर जल गये हैं, उन ट्रांसफारमरों को, चाहे विधायक चिट्ठियां लिखते हों, चाहे क्षेत्र की जनता प्रयास करती हो, लेकिन उसके बावजूद समय रहते वह ट्रांसफारमर नहीं बदले जाते। तो एक तरफ मान्यवर, बिजली की कटौती और दूसरी तरफ जो ट्रांसफारमर जल जाने के कारण और तीसरी तरफ रजबहों की सफाई का सवाल आज सुबह ही आया था, यह माना गया कि रजबहों की सफाई न होने के कारण जो टेल एण्ड तक पानी जाना चाहिए था, वह टेल एण्ड तक पानी नहीं गया। आपने स्वयं देखा कि 74 किमी0 नहर की सफाई के लिए मात्र दो लाख रुपया लिया गया। आज एक नई विधा सिंचाई विभाग में शुरू हो गयी है कि आज जो पहले पूरे प्रदेश के उन नहरों की सफाई के लिए मात्राकृत धन निर्धारित होता था, अब मुख्यालय से इसमें सिंचाई मंत्री जी का कोई दोष नहीं है, यह मैं मानता हूं, मैंने सुबह भी कहा था।

श्री अध्यक्ष--

अब कृपया समाप्त करें। एक घण्टे की चर्चा है, मंत्री जी भी बोलेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल--

आज फिर सब नहरों के लिए पैसा ही नहीं दिया गया न उनकी सफाई के लिए, न मरम्मत के लिए। थोड़ा सा दबाव पड़ा पानी का, बाराबंकी और बहराइच में आज बिलवा-बिलौला बांध कट गया, जिससे दो गांव पानी में विलीन हो गये। क्या हुआ मान्यवर, कि जो वह दो लाख दिया भी गया था, वह खर्च भी नहीं हुआ। लेकिन आज यह स्थिति केवल उस क्षेत्र में है, जिनका मैंने उल्लेख किया, लेकिन पूरे प्रदेश में आज सूखे की स्थिति है, आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मान्यवर, आज भी सामान्य वर्षा से कम है। माननीय मंत्री जी स्वयं इसको स्वीकार कर रहे है, उस दिन भी कर रहे थे कि जून में भी 15 जून से 30 जून तक या जुलाई में या अगस्त में जो बारिश होनी चाहिए, दुर्भाग्य रहा कि प्रकृति ने इस बार साथ नहीं दिया और प्रदेश में सामान्य वर्षा से कम वर्षा हुई और मात्र 25 प्रतिशत वर्षा हुई, उसके बावजूद भी उस सूखे से निपटने के जो उपाय किये जाने चाहिए थे, चाहे वह ट्यूबवेलों को युद्धस्तर पर चलाने की बात हो या ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की अतिरिक्त सिंचन क्षमता के लिए नहरों को फुल स्तर पर चलाने की बात हो, मान्यवर, उस दिशा मे भी कोई प्रयास नहीं किया गया। हम लोगों ने कहा कि जिन क्षेत्रों में आज फसल खराब हो रही है, उसमें उत्तर यह आ गया कि जब 50 प्रतिशत की रिपोर्ट आयेगी, तब हम उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करेंगे। मान्यवर, हम इस सदन में आते हैं तो हमारा एक उत्तरदायित्व होता है, हमारी कोई जिम्मेदारी है। सरकार भी अपने को संवेदनशील कहती है। अगर किसानों की मेहनत की कमाई की फसल, अगर धान के खेत पीले पड़ जा रहे हैं, तो उसमें बालियां क्या आयेंगी। जिस तरह से धान के खेत प्रभावित हुए हैं तो उससे प्रदेश में धान के उत्पादन में कमी आयेगी, किसानों को जो व्यक्तिगत क्षति हुयी है, उस अवर्षण में प्रदेश के किसानों के समक्ष कितनी कठिनाई है, यदि वह सरकार से कर्ज लेते हैं, यदि वह व्यवसायी से कर्ज लेते हैं तो वह जब मण्डियों में अपना उत्पाद लेकर जाते हैं तो उसी से वह अपने कर्ज को चुकाते हैं। एक तरफ तो किसान के कर्ज के खिलाफ आर0सी0 जारी हो रही है, रोज आप छुड़ाने की बात करते हो, ट्रैक्टर की आर0सी0 हो रही है, ट्यूबवेल की आर0सी0 हो रही है, हमारे आपके समक्ष रोज इस तरह की स्थितियां आती हैं। तो आज किसानो के लिए जिन क्षेत्रों में उनकी धान की फसल अवर्षण के कारण नष्ट हो गई है, पीली पड़ गई है, उनके लिए प्रति एकड़ माननीय मंत्री जी कुछ इंसेन्टिव की घोषणा कर दें कि हम किसानों के लिए, चाहे एक हजार रुपए ही कर दें जिससे कम से कम सिंचाई के लिए, खाद डालनी होगी, उससे हमारे किसानों को राहत मिलेगी तो मान्यवर, मैं आशा करता हूँ कि सरकार सूखे की स्थिति में अवश्य कोई कार्यवाही करेगी, धन्यवाद।

श्री लाल जी वर्मा--

मा0 आपने मुझे सूखे की चर्चा पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आज भी यह परिस्थिति है कि थोड़ी सी भी बरसात कम हुई तो त्राहि-त्राहि मच जाती है और यदि थोड़ी सी ज्यादा बरसात हो जाती है तो भी त्राहि-त्राहि मच जाती है। हम आज 59 वर्षों की आजादी के बाद भी सूखे से या बाढ़ से निपटने की कोई कारगर योजना नहीं बना पाये हैं। निश्चित तौर से आज प्रदेश में सामान्य वर्षा से कम वर्षा हुई है, जिसके कारण किसानों की फसल की जो स्थिति होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पायी बल्कि किसानों की फसल

पीली पड़ गई, सूखने लगी, रोगग्रस्त हो गई । इस प्रकार की स्थिति खरीफ की फसल की हुई है। जुलाई माह में अगस्त माह में सामान्य वर्षा से बहुत कम बरसात हुई है, आज बरसात के मौसम में कुछ हिस्सों में बरसात हो गई है, वहां पर लोग सूखे की स्थिति से निकल आये हैं लेकिन अधिकांश हिस्सों में आज भी कम वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है। मान्यवर, जब सूखे की स्थिति बनी हुई है तो निश्चित तौर से बरसात कराने का दायित्व तो किसी के वश में नहीं है, पानी बरसे या न बरसे, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता लेकिन सूखे से निपटने के लिए जो कारगर योजनाएं हमारी होनी चाहिए थी, उसके लिए हमें सचेत होना चाहिए था और उन्हीं योजनाओं पर विचार करने के लिए हम इस विषय को यहाँ पर लाये हैं ताकि इन गम्भीर समस्याओं का निदान हो सके। सूखे से प्रभावित प्रदेश में जहाँ सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी नहरों को पूरी क्षमता के साथ उसमें पानी देने की जरूरत है, वहीं आज पूरे प्रदेश में जो स्थिति है, सफाई न होने के कारण, निश्चित रूप से टेल तक पानी राजबहों तक पानी नहीं पहुँचा है, जो अल्पिकाएं है, माइनरें निकली हैं, उसमें से अधिकांश माइनरों में पानी नही पहुँचा है। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पौसरा रजबहा है और उसके किनारे ही मेरा स्वयं का गांव है, उस राजबहे में पानी सूखा हुआ है, उसमें एक बूँद भी पानी नहीं आ रहा है और उससे सम्बन्धित नन्दपुर माइनर, देहरा माइनर, खैरपुर माइनर, केशवपुर माइनर, सादीपुर माइनरें भी सूखी हुई है, उनमें एक बूँद भी पानी नहीं है। हमारी पूरी ताकत इन माइनरों में पानी देने के लिए लगनी चाहिए लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिंचाई विभाग द्वारा कोई रुचि नहीं ली जाती है। कार्यवाही नहीं की गई ।

मान्यवर, इन राजबहों में पानी पहुँचाने का काम किया जाए। इसी तरह से महरीपुर कैनाल है, जिसमें महरीपुर लिफ्ट कैनाल, जिसके माध्यम से कुछ दूर तक महरीपुर कैनाल में पानी पहुँचाने का काम किया जाता है, वहां पर 10 पम्प लगे हुए हैं, उसमें से एक एन0टी0पी0सी0 एक पम्प से पानी लेता है, उसकी बिजली वह स्वयं देकर वहाँ से पानी ले रहा है बाकी सारे पम्प सूखे पड़े हैं, विद्युत आपूर्ति न होने के कारण वह नहीं चल पा रहे हैं। शारदा सहायक कैनाल में कुल साढ़े पांच सौ, साढ़े छ: सौ क्यूसेक पानी की जरूरत है और उसकी जगह पर साढ़े तीन सौ क्यूसेक पानी आज मिल रहा है, जिसके कारण जो सम्बन्धित राजबहे हैं उसमें पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इसी तरह से नलकूप की हालत विद्युत आपूर्ति सही न होने के कारण बहुत खराब है। पूरे प्रदेश के नलकूप जो बिजली से चलते हैं वह बिजली की आपूर्ति न होने के कारण बाधित है और साथ ही साथ एक भी नलकूप विद्युत आपूर्ति न होने के कारण नहीं चल पा रहा है और पूरे प्रदेश में उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। मान्यवर, अम्बेडकर नगर जिले में जहीरगंज, कटेहरी विधान सभा क्षेत्र है, जो राजकीय नलकूपों से आच्छादित है लेकिन कटेहरी विकास खण्ड में एक भी नलकूप नहीं चल रहे है, कहीं विद्युत आपूर्ति न होने के कारण, कहीं ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, कहीं अन्य तकनीकी कारण हैं। और पूरे प्रदेश में राजकीय नलकूपों को प्रधान या ग्राम सभा के अधीन कर देने के कारण उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अधिकांश राजकीय नलकूप जले हुए हैं, वह चल नही पा रहे हैं। इसी तरह से निजी नलकूपों के लिए विद्युत आपूर्ति पहुँचाने की जरूरत थी। अधिकांश ट्रांसफार्मर जले हुये हैं। आप भी क्षेत्र में जाते होंगे, आपसे भी सिफारिश की जाती होगी

कि अमुक-अमुक ट्रान्सफार्मर दो महीने, तीन महीने या पन्द्रह महीने से जले हुये हैं। आज सारे ट्रांसफार्मर अधिभारित हैं, कनेक्शन चाहे वैध हो या अवैध हो, जिसके कारण 15-20 दिन में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, हमें जरूरत इस बात की है कि जिन ट्रांसफार्मरों पर निजी नलकूप हैं और उनके द्वारा सिंचाई व्यवस्था की जाती है, उनके लिए अलग ट्रांसफार्मर हर नलकूप पर लगाने का काम करना चाहिए जिससे यह समस्या न आने पाये और अधिभार न बढ़ने पाये। निजी नलकूपों को अलग ट्रांसफार्मर दे करके विद्युत से आच्छादित करने का काम करें। इसके साथ-साथ आज सूखे की स्थिति है। आज लोग निजी नलकूप के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पा रही है। बहुत लंबी कतार है। क्षेत्र में लोग मेरे पास आते हैं वह कहते हैं कि आप अपने कोटे से लगवा दीजिए। आपके कोटे से कनेक्शन हो जायेगा लेकिन कनेक्शन नही हो पा रहा है।

सरकार से निवेदन है कि निजी नलकूपों को कनेक्शन दिया जाए। डीजल इतना मंहगा हो गया है कि डीजल खरीद करके धान की फसल को जीवित रख पाना नामुमकिन है। इसलिए निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन से जोड़कर एक बड़े पैमाने पर तमाम क्षेत्रों की समस्या का निदान करने की आवश्यकता है। सरकार ने तमाम कार्य किये हैं, तमाम क्षेत्रों में कार्य किये हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दिशा में भी सरकार को सोचने की जरूरत है कि हम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम करें, जहां ट्रांसफार्मर जले हुये हैं उन्हें ठीक कराने का काम करें। निजी नलकूप को कनेक्शन देने के लिए हर विधान सभा क्षेत्र में दस-दस, बीस-बीस कनेक्शन करने का काम कर दिया जाए तो निश्चित रूप से किसानों के लिए एक उपलब्धि होगी। (मा0 अध्यक्ष द्वारा लालबत्ती जलाने पर) मान्यवर, इसे बंद कर दें, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि सूखे से निपटने के लिए सिंचाई महकमे का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। निश्चित रूप से जो सरकारें बनती थी उसमें सिंचाई मंत्री वरिष्ठ व्यक्ति बनाये जाते थे जिसका मुख्य मंत्री जी से सीधा सम्बन्ध होने के कारण उसमें जितने धन की जरूरत पड़ती थी उसको पूरा करने का काम करते थे लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि सिंचाई विभाग को एक पूर्णकालिक मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। अगर सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण महकमे में पूर्णकालिक सिंचाई मंत्री नहीं होगा और सरकार अक्षम होगी इस तरह की व्यवस्था करने में तो निश्चित रूप से सूखे जैसी आपदा से निपटने में कारगर नहीं हो पायेंगे इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि केवल अच्छे-अच्छे भाषण दे करके हम उसकी खामियों को दूर करने का काम न करें, निश्चित रूप से राजस्व मंत्री इस कला में माहिर है। मैं निवेदन करूँगा, आलोचना की दृष्टि से नहीं। आप क्षेत्र में जाते होंगे, इन समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिन नहरों का जिक्र किया है, चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि जिन नहरों का नाम लिया है आज भी उनमें एक बूँद पानी नहीं है, कम वर्षा हो रही है, सूखा है तो निश्चित रूप से सूखे का प्रकोप किसानों के लिए भयंकर परिणामदायक होगा। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार कारगर उपाय करने का काम करे। नहरें पूरी क्षमता से चलाने का काम करें, विद्युत आपूर्ति 18 घण्टे करने का काम करें। ट्रांसफार्मर जो जले है, उन्हें युद्धस्तर पर बदलने की व्यवस्था करने का काम करें तभी सूखे से निजात दिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं।

*श्री धर्मपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, सूखा और बाढ़ यह दोनों दैवी आपदायें हैं जिस पर नियंत्रण के लिए सरकार को पर्याप्त नियोजित योजना से काम करना चाहिये। मान्यवर, खाद बिजली, पानी, डीजल जैसी चीजों को उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। किसी कल्याणकारी सरकार को किसानों को सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। मान्यवर, आज प्रदेश में इन चीजों का संकट पैदा हो गया है। किसान कैसे खेती करे और खेती न करे तो और क्या करे यह उसकी बाध्यता और मजबूरी है। किसान अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण, अपने बेटे बेटियों की शिक्षा आज कैसे दिलावे, उसके सामने यह समस्या खड़ी हो गयी है। आज किसान के लिये खेती कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। किसान की धान की फसल चौपट हो गयी है, उसका गन्ना सूख गया है। अब आगे जो रबी की फसल की संभावना है वह भी कम होती चली जा रही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र आंला है उसमें नहरें नहीं हैं। वहां पर ट्यूबवेल से किसान अपनी सिंचाई का काम करता है। एक लीटर डीजल से एक बीघा खेत भर जाता है। डीजल 36 रुपये लीटर मिलता है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार ने जो डीजल पर टैक्स लगाया है उसको माफ कर दे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रदेश की जनता को 16 घंटे बिजली मिलेगी तो इसे सरकार उपलब्ध करायें। अब आगे आने वाली जो फसलें हैं उसमें किसान को आलू के बीज, रबी की फसलों के बीज, खाद आदि को सब्सिडी पर उपलब्ध कराना चाहिये और किसान पर जो कर्ज हैं उनको माफ करने की व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र आंला में राजकीय नलकूपों का प्रबंध सरकार करायें। आपकी भावना का सम्मान करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा को स्वीकार किया है। यह प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। चाहे वह सिंचाई की समस्या हो या खाद की समस्या हो, ऊर्जा की समस्या हो या किसानों को राहत देने की समस्या हो इसमें भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा किसानों को राहत मिलती है। दुर्भाग्य की बात है कि जब सूखे पर चर्चा कर रहे हैं तो न सिंचाई मंत्री हैं, न राजस्व मंत्री हैं और न ऊर्जा मंत्री हैं और न कृषि मंत्री हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, लघु सिंचाई मंत्री जी मौजूद है, सिंचाई मंत्री जी मौजूद हैं, राजस्व मंत्री जी आपके ही प्रश्नों का जवाब देने के लिए कोई जरूरी सामग्री लेने के लिए गये हैं। संसदीय कार्य मंत्री खुद आपके सामने मौजूद हैं। तो बात तो सही नहीं आयी।

एक सदस्य--

ऊर्जा मंत्री जी नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

सरकार में पहले से ही बहुत ऊर्जा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सुखदेव राजभर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, धान की जो बेहन लगी थी जुलाई, जून में पानी बरसा था इसलिए उसको नुकसान नहीं हुआ था। जुलाई में धान की फसल को लोगों ने अपने ट्यूबवेल आदि से सींचा लेकिन इधर पानी न बरसने से फसल को नुकसान हो रहा है। बरसात की हालत यह है कि कालीदास मार्ग पर पानी बरस रहा हो तो हजरतगंज सूखा रहता है। दो-दो कि0 मी0 पर गैप है। आपके चीफ आफिस से एक आदेश गया है उसमें परिभाषित किया गया है अगर 100 कि0 मी0 लम्बी नहर है और 50 कि0 मी0 तक पानी पहुँच जाता है तो उसको टेल तक पानी पहुँचा माना जायेगा। आप चाहें तो यह रिपोर्ट चीफ आफिस से मंगवा लें नहीं तो मैं कल लाकर दे सकता हूँ। ट्यूबवेल न चलाने के लिए दो तरह की दिक्कतें हैं एक तो मैकेनिकल अगर कोई नट बोल्ट खराब हो गया तो वह ट्यूबवेल नहीं चल पाता है इसके लिए ट्यूबवेल का रख-रखाव ठीक किया जाय। दूसरा दोष विद्युत का है इसका भी समाधान होना चाहिए। पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं दो स्टेज पर धान की फसल का नुकसान हुआ पहला स्टेज एक तो बेहन के समय बारिस न होने के कारण बेहन सूख गई, दूसरा स्टेज जो थोड़ी बहुत धान की रोपाई हुई भी वह भी बरसात कम होने के कारण सूख रही है। बरसात कम होने के कारण चारे का भी अभाव है आप तो यहां भाई चारा बना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि किसानों की मदद का भाव होना चाहिए। हमारे यहां लालगंज में एक किसान को 125 रुपये के बकाये पर जेल भेज दिया गया और चार-चार बड़े बकाएदार हैं उनको छुआ नहीं गया इसलिए निवेदन है कि किसानों का उत्पीड़न बन्द करवा दें व एक सर्वेक्षण करवा लें जो जिले सूखा ग्रस्त घोषित होने के योग्य हों उन्हें सूखाग्रस्त घोषित कर देना चाहिए। अभी राजस्व मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो वह कह देंगे कि बरसात हो रही है हो सकता है कि सुखदेव राजभर के यहाँ न हो रही हो वर्षा छिपपुट हो रही है ऐसी परिस्थिति में उत्पीड़न बन्द करवा दें। बन्द पड़े ट्यूबवेलों को चालू करवाने की व्यवस्था करें नहरों में टेल तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय मैं आभारी हूँ कि आपने सूखे की चर्चा में मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं तीन चार सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव यह है कि जो किसान सूखा ग्रसित है उसकी सबसे बड़ी समस्या बिजली की है सरकार की ओर से कहा गया कि उनको 14 घंटे बिजली देंगे लेकिन बिजली चार घंटे भी नहीं मिल पा रही है। जब बिजली आती है तो ट्यूबवेल चालू किए जाते हैं लेकिन जैसे ही टेल तक पानी पहुँचता है बिजली चली जाती है। तो जितनी देर बिजली आए वह लगातार आए। दूसरी मांग है आपने सामान्य कनेक्शन 190 किए हैं इसकी संख्या 300 कर दी जाय जिससे डीजल मंहगा होने के कारण जो ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि डीजल पर जो 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स लगता है वह खत्म कर दिया जाय जिससे किसानों को ट्यूबवेल चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वे बिजली की समस्या झेल लेंगे। बिजली के बारे में मान्यवर, कहना चाहता हूँ कि गांवों में 6 बजते ही बिजली चली जाती है और रात के 10 बजे आती है। यही समय बच्चों की पढ़ाई का समय होता है। मेरा इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि बिजली की सप्लाई 6 से 10 बजे तक कन्टीन्यू की जाय ताकि बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो सके। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी मांग की थी लेकिन यही कहा गया था कि यह सम्भव नहीं है। मान्यवर, इन्हीं सुझावों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सूखे की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*डा0 सुशील चौधरी--

मान्यवर, आपने मुझे सूखे के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पश्चिम के सहारनपुर, मुज्जफरनगर, मेरठ, बागपत जिलों को पूर्वी यमुना नहर से पानी मिलता है। आपको जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहर बन्द है और किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। सौभाग्य से सिंचाई मंत्री भी हमारे पश्चिम के ही है। जो भी सिंचाई मंत्री हटता है उस पर यही आरोप लगता है कि टेल पर पानी नही पहुँचा। आज जो भी सिंचाई मंत्री रहे मेरा यही कहना है कि टेल तक पानी जरूर पहुँचा दें। बिजली की चर्चा आपके सामने हुई । किसानों को 14 घंटे बिजली दिये जाने का जैसा सरकार का आश्वासन है अगर उसके अनुसार बिजली किसानों को मिले तो किसान सूखे से लड़ने में सक्षम हैं। मैं अपने पूर्व के वक्ताओं की बातों का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि पश्चिम में जो पूर्वी यमुना नहर है उसको अधिक से अधिक चलवाया जाय और उससे सम्बन्धित जितने भी रजवाहे हैं उनमें टेल तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाय तो किसान सूखे से लड़ने में सक्षम होगा। बिजली के बारे में भी यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जिस तरह से सरकार का 14 घंटे बिजली देने का आश्वासन है यदि उसके अनुसार बिजली मिलेगी तो इससे किसानों का भला होगा।

(श्री मुंशी लाल गौतम के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है, बतायें ?

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब भी इस तरह के महत्वपूर्ण विषय आये हैं। मान्यवर, आप भी इस सदन में रहे है और आपने भी देखा है कि हर विभाग के मंत्री अपने विभाग से सम्बन्धित कार्य योजनाएं बताते थे। यहाँ पर राजस्व मंत्री ही इस बारे में बतायेंगे। राजस्व मंत्री किस तरह से सिंचाई विभाग की बात बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

वह भी विषय राजस्व से सम्बन्धित है।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, सूखे पर जो इतनी गम्भीर चर्चा सदन में हो रही है और चर्चा करने वाले माननीय सदस्य इतने गम्भीर हैं कि डेढ़ दो मिनट में अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि वे यथाशीघ्र यहाँ से जाना चाहते हैं। वे सिर्फ यहां पर अपनी बात कहकर कार्यवाही में उपस्थिति दर्ज कराना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते हैं। बाकी लोगों के इस पर क्या विचार हैं, सरकार ने इस बारे में क्या किया है और क्या करने जा रही है यह सब सुनना नहीं चाहते हैं। इससे पता चलता है कि ये कितने गम्भीर है इस विषय पर। लाल जी वर्मा ने एक बात कही है। मान्यवर, सिंचाई मंत्री और लघु सिंचाई मंत्री दोनों ही यहां पर मौजूद हैं यदि वे कहना चाहें तो कह सकते हैं। आप जिन प्रश्नों का निराकरण उनके विभाग से कराना चाहते हैं उनसे कर सकते हैं। वे बड़ी गम्भीरता के साथ सदन में इस चर्चा में उपस्थित हैं आपकी शंकाओं का निराकरण हो जायेगा। मान्यवर, आज इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर सामने आई है वह मूलत: तीन बातें कही गई हैं। एक तो अवर्षण की स्थिति, इस अवर्षण की स्थिति के बारे में सुखदेव राजभर जी ने दूसरी बात कही है। मैं बताना चाहता हूँ। कदाचित इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया, बारिश हुई, कब औसत हुई, कब ज्यादा हुई। दूसरे मा0 सदस्यों ने भी नहीं रखा। इसलिए जो गम्भीरता होनी चाहिए इसका ध्यान नहीं रखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि विद्युत आपूर्ति के कारण ट्यूबवेल, लिफ्ट कैनाल को विद्युत आपूर्ति जो होनी चाहिए थी वह नही हुई। ट्रांसफार्मर जल गए। इसलिए निजी ट्यूबवेलों को नहीं चलाया जा सका। राजकीय नलकूपों से जो सिंचाई जो हो सकती थी वह ट्रांसफार्मर के जल जाने से नहीं हुई । सूखे में जो राहत मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल सकी। जो नहरें थी उनका सिल्ट सफाई का काम सही नही हुआ, जिसके कारण टेल तक पानी नहीं पहुँचाया जा सका। जिसके कारण खेतों को पानी नहीं पहुँच सका। नहरों क[illegible]इतना पानी नहीं दिया जा सका कि सिंचाई हो सके। बाकी लोगों ने बातों को रिपीट किया है।

मूलत: तीनों बातों पर मैं अपने को सीमित रखूँगा और प्रयास करुँगा कि जिन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जो महत्वपूर्ण बिन्दु रखे हैं उन पर उसी गम्भीरता से विचार किया जाए। हमने जो इस संबंध में कदम उठाए है उनसे हम सदन को अवगत कराएं। जो सुझावों पर अमल करते हैं उसमें यह व्यवस्था की जाए कि पानी मिले। क्योंकि आसमान से पानी बरसे या न बरसे उस पर हमें आधारित नहीं रहना है। इसका प्रबन्ध पहले से किया जाना चाहिए। सूखा पड़ता है तो आसमान से होने वाली बारिश को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं लेकिन इसमें सरकार को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। हम पूरी तरह से आपकी चिन्ता से सहमत हैं। सरकार इस चिन्ता से जुड़ी है। इसलिए मान्यवर, थोड़ी सी जानकारी बता दूँ जिससे आप सहमत हों। मान्यवर, 1 जून से 28 जून तक जो वर्षा हुई उसको बता दूँ 98.5 मिलीमीटर वर्ष हुई । 79.3 मिलीमीटर.वर्षा होनी चाहिए यह औसत से 42 प्रतिशत ज्यादा वर्षा हुई । यह जून में हुई । 1 जून से 26 जुलाई तक 333.6 प्रतिशत वर्षा हुई जो औसत के मुकाबले 4 प्रतिशत कम हुई । जितनी बारिश जुलाई में होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हुई । औसत बारिश नहीं हुई। 1 जून से 30 अगस्त तक बारिश जो हुई । यह 22 प्रतिशत प्रदेश में कम हुई । औसत से कम हुई । औसत का फार्मूला है वह जोड़ने के लिए, अब कहीं अगर 90 प्रतिशत कम हो रही है तो सूखा भयंकर हो जाएगा। अगर नहीं हुई 22 प्रतिशत कम हुई या नहीं हुई सब जगह कम हुई ऐसे जनपद हैं जहां सूखे की आशा थी उस आशा के अनुरूप किसी-किसी जनपद में 50 प्रतिशत से औसत से कम बारिश हुई । बारिश इतनी कम हो जाएगी तो स्वभाविक रूप से सूखे का प्रभाव खेती पर पड़ेगा। इसी क्रम में एक बात और कहना चाहता हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 16 प्रतिशत कम बारिश हुई । औसत से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 38 प्रतिशत कम बारिश हुई इसलिए जो मंडल प्रभावित रहे वह पूरे आपके सम्मुख बता दूँ ताकि

सुविधा हो जाएगी, झांसी मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है। सबसे कम बारिश इन मण्डलों में हुई है। बरेली मण्डल में भी औसत से कम बारिश हुई है और अभी भी बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है। चित्रकूट मण्डल में भी ज्यादा कठिनाई नहीं है, इलाहाबाद और फतेहपुर में वर्षा हुई है, मैनपुरी में वारिश कम हुई है, इटावा में कम हुई है। इससे कुछ जिले ज्यादा प्रभावित हुए हैं और बाकी सभी हिस्सों में बराबर प्रभाव नहीं पड़ा है, उसका एक कारण है, जुलाई तक जिन जनपदों में बारिश ठीक हुई और बीच में 21 अगस्त के पहले या 27 जुलाई से लेकर और 21 अगस्त के मध्य बारिश बहुत कम हुई । जहां फसलें ठीक थी और दोबारा बारिश हुई, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मा0 सदस्यों ने सूचना लगायी, उसी दिन से अच्छी बारिश हो रही है, सूखे के कारण फसलों को जो नुकसान हो रहा था, अब वह अच्छी चल रही हैं। 23 जनपदों में बारिश 50 प्रतिशत से कम है, आजमगढ़ भी इसी में है। 21 तारीख के पहले 23 जनपद थे लेकिन अब 13 रह गए हैं, 10 कम हो गए है। मऊ में भी बारिश हो गई है, आजमगढ़ अभी प्रभावित है। मैंने कहा कि अवर्षण की स्थिति है, बारिश जितनी औसत होनी चाहिए उससे कम बारिश की स्थिति है, जो स्थिति है, उसको मैंने आपके सामने का काम किया है। लेकिन एक बात जो कही जाती है कि बारिश नहीं हुई, मानसून चला ही नहीं।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, यह किसने कहा, यह बात तो केवल प्रमोद तिवारी जी ने ही कही थी और किसी ने नहीं कही।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

वह चले भी गए है।

श्री अम्बिका चौधारी--

प्रमोद तिवारी जी के ही एक सदस्य कह रहे थे कि मानसून बना ही नहीं, बंगाल से चला ही नहीं। इस बात से स्पष्ट होता है कि उन्हें सूचना ही नहीं है या वह गांवों से जुड़े ही नहीं हैं, यह स्थिति अच्छी नहीं है कि इस तरह की बात की जाए। आपने भी पुष्टि की है कि जुलाई के महीने में जो औसत से ज्यादा बारिश हुई, इसलिए श्रीमन् यह स्थिति बनी है। बारिश के बाद जो दूसरा विषय आता है, विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में मैं दो चीजों का जिक्र करूँगा कि विद्युत आपूर्ति सामान्यतया नहीं हो पायी और दूसरे जो राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं यदि वह ठीक कर दिए जाते तो राहत मिल सकती थी, इसके पहले मैं उल्लेख करूँगा, यह हमारी सरकार की चिन्ता का विषय था कि यदि ज्यादा सूखा पड़ जायेगा तो क्या इन्तजाम करेंगे, हमारे लघु सिंचाई मंत्री जी मौजूद हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने प्रयत्न किया और जो 37640 नलकूपों की बोरिंग का लक्ष्य था। मान्यवर, हमने 78 हजार 634 नलकूपों की बोरिंग की। यह लक्ष्य के सापेक्ष 209 प्रतिशत है। दुगुने से ज्यादा की उपलब्धि इसमें रही है और मान्यवर, पम्पसेटों को एनर्जाइस करने का लक्ष्य 8 हजार 400 का था उसके सापेक्ष हमने 10 हजार 760 नलकूप एनर्जाइस किए यानी 127 प्रतिशत पम्पसेटों को हमने चालू करने का काम किया। विद्युत दोषों को ठीक करने के लिए विशेष निर्देश दिये गये और उनकी उपलब्धि की हमें इसमें सफलता मिली। थोड़े बहुत रह गये हैं। इसके लिए भी शासन और पावर कार्पोरेशन के मुख्यालय से निर्देश देकर एक अभियान के तहत उन्हें ठीक कराने

का काम कर रहे हैं। यद्यपि पूरे प्रदेश में 4.7 प्रतिशत नलकूप खराब है यांत्रिक और विद्युत दोष के कारण लेकिन उन्हें ठीक कराने का प्रयास किया गया। मेरठ मण्डल, सहारनपुर मण्डल और झांसी मण्डल में कुछ अभी भी खराब हैं। फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ कि जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा सूखे का प्रभाव था वहां हम पूरी तरह से नहीं कर सके। झांसी मण्डल में अनेक स्थानों पर ऐसी स्थिति हुयी कि किसानों के खेतों में इतनी खरपतवार सूखे के कारण हो गयी कि उन्हें अपनी फसल को जोतना पड़ा। मान्यवर, हम झूठी सूचनाएं नहीं देना चाहते।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरठ, सहारनपुर और झांसी मण्डल सर्वाधिक प्रभावित है। माननीय मंत्री जी ने इसमें अपनी पीठ थपथपाई है कि उन्होंने चार दशमलव कुछ प्रतिशत यांत्रिक और विद्युत दोष के कारण खराब ट्यूबवेल को ठीक करने का काम किया है और खुद स्वीकार किया कि सहारनपुर, मेरठ और झांसी मण्डलों में इस प्रकार के विद्युत और यांत्रिक दोषों के कारण, खराब ट्यूबवेल को ठीक करने का प्रतिशत हमारा कम है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भूखे को तो खाना नहीं दियाऔर जिनके पेट में थोड़ा बहुत अन्न था वहां पर उन्होंने ठीक करने का काम किया है। क्या यह ठीक था ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैंने मेरठ के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा कि वहां पर ट्यूबवेल ठीक नहीं हुआ। मैं सूखे की बात कह रहा था। मैंने यह कहा कि जिन जगहों पर अवर्षण की स्थिति ज्यादा थी, स्वाभाविक रूप से वहाँ पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और अवर्षण के कारण और अगस्त में बारिश कम होने के कारण नदियों में जलस्तर में कमी आयी और नदियों में पानी कम होने के कारण इसका प्रभाव हमारी सिंचाई पर ज्यादा नहीं पड़ा। मान्यवर, दो तीन नहरें प्रभावित है, वह है शारदा और पूर्वी यमुना नहर। बाकी नहर इस कारण प्रभावित नहीं हुई कि पानी नहीं था। एक यह कहा गया कि सिल्ट की सफाई नहीं हुई और टेल तक पानी नहीं पहुँचा तो इसका भी जवाब मैं दूँगा। यह कहा गया कि सिंचाई मंत्री ऐसे होते थे जिनका सीधा सम्बन्ध मुख्य मंत्री जी से होता था, तो उनका सम्बन्ध है ही। लेकिन जो मुख्य सहयोगी दल है उसके सबसे बड़े नेता से सीधा सम्बन्ध मंत्री जी का है। जितना सम्पर्क चाहिए उतना सम्पर्क है।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई--

बड़े नेता से तात्पर्य क्या है इसको स्पष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं बता दूँगा। तात्पर्य यह है कि इन सारे माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों, निर्देशों और निर्णयों का सम्मान ही नहीं बल्कि सहयोगी दल की चिन्ता दोनों को मिलाकर के सिंचाई विभाग बना है। श्रीमन् जो आपकी चिन्ता है, इन चिन्ताओं के परे और नहरों के बारे में जो बात कही है कि शत प्रतिशत टेल तक पानी नहीं गया हम स्वीकार करते हैं। लेकिन शत प्रतिशत नहीं

गया इसका तात्पर्य यह नहीं है कि टेल तक पानी नहीं गया। यह भी निर्देश दिये गये कि सिंचाई बन्धु की नियमित बैठकें की जायें और पारदर्शी सूचना दी जाये। किस योजना को चालू करने के लिए कितना रुपया खर्च किया, कब से चल रही है यह जानकारी, मान्यवर, कुल 10237 टेल है और इनमें से 8533 टेल तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 7844 टेल तक पानी पहुँचाया गया। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि पानी पहुँचा नहीं। कहीं कुछ नहरों में पहुँचा नहीं, जैसा कि लालजी वर्मा जी ने अपने क्षेत्र के होसरा रजबहा के बारे में उल्लेख किया, इसको मैं बाद में बताऊँगा। सूखे के प्रकोप को इस प्रदेश ने देखा है। गाँवों में पेयजल के अभाव का उल्लेख किया गया तो मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गाँवों में पेयजल का अभाव नहीं है, चारे की बात माननीय सुखदेव राजभर जी ने कही, तो मैं यह अवगत कराना चाहूँगा कि चारे का भी कोई अभाव नहीं है। अगर होगा तो पशुपालन विभाग को निर्देशित कर रखा है। तो जितने भी विभाग इससे सम्बन्धित है हमने उन सबको कहा है। जो ग्राम्य विकास विभाग है उनके द्वारा चलायी जाने वाली योजनाएं है वह योजनाएं चलायें। खाद्य विभाग भी सचेत हैं। अन्नपूर्णा, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को खाद्य पहुँचाता है। इसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। जो यह कहा गया कि वहां पर डीजल का अभाव है तो कहीं भी एक लीटर डीजल का अभाव पूरे प्रदेश में नहीं है, जितने भी विभाग इससे सम्बन्धित है वह सभी मुस्तैदी के साथ इसमें लगे हुए है। एक और आरोप लगाया गया है। एक मिथ्या आरोप लगा दिया है माननीय सुखदेव राजभर जी ने जो अगम्भीर बात नहीं कहते लेकिन एक अगम्भीर बात उन्होंने कही है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कि सवा सौ रुपये और डेढ़ सौ रुपये की वसूली, एक लाख रुपया से एक रुपया कम 99999.00 रुपये वसूली पर भी कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पूरे प्रदेश में नहीं है। हमारा शासनादेश है और हमने पालन किया है इसका, हम इसको दोहराना चाहते हैं वह दौर गया जब सौ रुपये के लिए कमर में रस्सा लगा के जीप के पीछे बांध के घसीटे जाते थे। एक लाख रुपये तक कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं है एक जगह अगर साबित हो जायेगी।

मान्यवर, तो उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करने वाले के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवायेंगे, उसको जेल भेजने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने मान्यवर, इस तरह का इन्तजाम किया है और आज नहीं जब सूखा पड़ा, जब आपदा आई तो मान्यवर, हमने इन्तजाम किया। मान्यवर पिछले साल पूरे प्रदेश में सूखा नहीं था, लेकिन सोनभद्र में सूखा था, मिर्जापुर में सूखा था, ललितपुर में सूखा था, बुन्देलखण्ड के एक जिले में सूखा था हमने उन जगहों पर भी वसूली स्थगित कर दी और मेरे पास पूरी सूची है आप देख लेंगे, पिछले वर्ष जब सूखा, एक वर्ष पूर्व जब सूखा आया था तो उस सूखे के बाद कृषि निवेश अनुदान के रूप में जो राशि हमने दी है आजादी के बाद आज तक न उतनी बड़ी राशि मिली है और न वैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मान्यवर, कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को जो सूखा पीड़ित था उसको राहत देने का हमने काम किया है। राहत का जिक्र आज सूखे में मैं इसलिए नहीं करूँगा मान्यवर, कि अभी एक भी तहसील हमारी 50 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान वाली बात नही है, वर्षा 50 प्रतिशत से कम वाली है लेकिन 50 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान की कोई तहसील नहीं आयी है, हमने प्रत्येक जिलाधिकारी को निर्देशित कर रखा है श्रीमन् कि जैसे ही यह स्थिति बने, रोज-रोज हम मानीटरिंग करते हैं, डेली, नित्यप्रति मानीटरिंग होती है, रोज के आंकड़े रोज, चार गांव हो गये, पांच हो गये अगर प्रभावित हो गये तो

रोज ये आंकड़े रोज लेते हैंऔर जिस दिन 50 प्रतिशत किसी तहसील का यह आंकड़ा पूरा हो जायेगा मान्यवर, उसी दिन उसको सूखा ग्रस्त घोषित करके जो राशि अनुमन्य है राहत की मान्यवर देंगे, उसको कृषि निवेश अनुदान भी देंगे बाकी सारी राहतें भी देंगे और वसूली के स्थगन का तो मान्यवर हमारा पहला स्टेप होगा। इसको हम करने का काम करेंगे इसके साथ ही मान्यवर अन्य जो आपने सुझाव दिये हैं उन पर हम पहले से ही सजग थे उन पर पहले से हमने प्रबन्ध किया है और श्रीमन्, हम कामयाब क्यों हुए ? कामयाब इसलिए हुए कि हमारी पूरा का आर्डिनेशन है श्रीमन् जहां कृषि विभाग इसकी निगरानी करता है कि कितनी फसलों का आच्छादन हुआ ? कितनी फसलें नुकसान हो सकती हैं ? कौन-कौन सी विधियां अपनाई जायं ? हम कब कौन सी फसल उगाने के लिए लोगों को तैयार कर सकें, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग, इनको मिला करके श्रीमन्, हमारी पूरी दृष्टि है कि यद्यपि प्राकृतिक आपदा हमारे वश में नहीं है लेकिन आपदा के प्रभाव का न्यूनीकरण करना हमारी जिम्मेदारी है और हमने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ मान्यवर, आपके माध्यम से पूरे सदन का, सदस्यों को सबको कि इस सूखे से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को आरक्षित नहीं छोड़ा जायेगा, कहीं भी मान्यवर, हमने सारे प्रबन्ध किये हैं, और इसके बाद भी किसानों की हितकारी यह सरकार है, किसानों के हित में हमने अनेक फैसले लिये हैं। आगे आने वाले दौर में भी मान्यवर, किसी भी तरीके से इस प्रदेश के किसान को पीड़ित नहीं रहने दिया जायेगा, सूखा आना एक बात है, इसी के साथ मान्यवर, मैं समझता हूँ कि सबकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा और आज वस्तुतः बारिश अगस्त में हो गयी है श्रीमन् 22 तारीख से लेकर के 31 अगस्त तक जो बारिश हुयी है, वस्तुतः सूखे की आज कोई भयावह स्थिति हमारे प्रदेश में विद्यमान नहीं है श्रीमन् बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो-तीन बातें जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

दो-तीन बातें नहीं, स्पष्टीकरण की बात करें।

श्री लालजी वर्मा--

जी स्पष्टीकरण, दो-तीन जानकारी, एक तो मान्यवर मैं निवेदन करूँगा कि हर फसलों का एक मिलिटिंग प्वाइंट होता है, अगर इतने दिनों तक पानी नहीं मिलने से वह सूख जाती है चाहे उसके बाद कितनी भी बरसात हो। तो इसके कारण भी काफी फसलें नुकसान हुई मान्यवर, घाघ ने भी कहा है--का बरसा, जब कृषि सुखानी, तो उसके चलते जो 21-22 दिन एकदम बरसात नहीं हुई उससे काफी असर पड़ा दूसरा मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि शारदा सहायक कैनाल जो अम्बेडकर नगर की सीमा में जाती है वहां पर कितने पानी की आवश्यकता है ? और जुलाई माह में, अगस्त माह में कितने क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का काम किया गया है ? इसलिए कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पानी की नहरों में कोई समस्या नहीं है तो इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कितने क्यूसेक पानी की जरूरत थी और कितने क्यूसेक पानी उसको उपलब्ध कराने का काम किया गया ? जहांगीरगंज रजबहा में और शारदा सहायक कैनाल में, अम्बेडकर नगर में।

श्री अध्यक्ष--

पानी कितना गया है, इसके तो आपके पास आंकड़े होंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी--

श्रीमन् शायद माननीय लालजी वर्मा जी सुन नहीं रहे थे, यमुनापुत्तर पूर्वी और शारदा सहायक में पानी का अभाव रहा है यह हमने माना है।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, 50 हजार बोरिंग कराई गयी है लघु सिंचाई द्वारा। तो क्या 50 हजार बोरिंग के सापेक्ष जितने भी किसान विद्युत कनेक्शन लेना चाहेंगे उनके मांग पत्र पर अंकीकरण का कार्य कर दिया जायेगा ?

लघु सिंचाई एवं मुस्लिम अकलियत मंत्री (श्री शाकिर अली)--

मान्यवर, सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में लघु सिंचाई का भी जिक्र आया है। मैं आदरणीय सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर किसानों के फसल के लिए बरसात एक अच्छा साधन है, सस्ता है, निःशुल्क है। लेकिन कोई भी सरकार मान्यवर, बरसात पर ही डिपेन्ड नहीं रहती है। प्रत्येक सरकार मान्यवर, इससे हट करके अपने संसाधन विकसित करती है। हमारी सरकार इस दिशा में सक्रिय है किसानों की खुशहाली के लिए। मान्यवर, सिंचाई के तीन साधन हैं उसमें लघु सिंचाई विभाग भी है। निजी नलकूप के साधन भी है। मान्यवर, हमारा विभाग बोरिंग का कार्य करता है। इसके अलावा सिंचाई विभाग में नहरें हैं, चेक डेम है, जलाशयों का निर्माण है यह कार्य करते हैं। और इनके माध्यम से किसानों की फसल को बरबाद न होने देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होती है। मान्यवर, हमारी सरकार की इस मामले में वचन बद्धता है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह था कि जो 50 हजार बोरिंग कराई है उनको विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करायेंगे।

श्री शाकिर अली--

मान्यवर, जितने भी किसान विद्युत कनेक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए सरकार वचनबद्ध है और कनेक्शन देती भी है। मान्यवर, यह सही है कि तीन तरह की बोरिंग होती है। एक निःशुल्क बोरिंग होती है। मान्यवर, हम पम्पिंग सेट देते हैं। मान्यवर, किसानों की फसल यदि दैवीय आपदा न हो तो सूखे से बरबाद नहीं होगा। मान्यवर, हमारी सरकार ने किसानों के हित में दो काम किये हैं। पहले 30 मीटर के बाद बोरिंग नहीं होती थी और 60 मीटर के बीच में नहीं होती थी। हमने मध्यम बोरिंग योजना शुरू की है जो जरूरत से ज्यादा सफल है। मान्यवर, जिस क्षेत्र में ट्यूबवेल सफल नहीं होता है, वहां मध्यम बोरिंग योजना के माध्यम से किसानों को खुशहाली पहुंची है। मान्यवर, हम उसमें 75 हजार रुपये का अनुदान देते हैं और 10 हजार रुपये नाली बनाने के लिए देते हैं। करीब [illegible] रुपये का खर्च उसमें आता है। मान्यवर, यह 31 मीटर से लेकर 60 मीटर गहराई [illegible] है। अगर कोई 60 मीटर से आगे करना चाहते हैं तो उन्हें यह अतिरिक्त खर्चा देना होता है। 61 मीटर से गहरी बोरिंग शुरू हो जाती है। मान्यवर, इसमें हमने अनुसूचित जाति वर्ग के

लागों की भाँति सामान्य वर्ग के लोगों को छूट दी है। पहले इसमें .5 हेक्टेयर बोरिंग की व्यवस्था थी अब उसे .2 हेक्टेयर करने का काम इस सरकार में किया गया है। मान्यवर, हमारी सरकार किसानों के हित में तमाम कार्य कर चुकी है और भी कार्य कर रही है। मान्यवर, लघु सिंचाई विभाग 76 प्रतिशत सिंचाई करता है। मान्यवर, यह जो बातें आ रही हैं, 50 जनपदों में ग्राउण्ड वाटर बहुत नीचे चला गया है। वहां के सिंचाई साधनों पर प्रतिबन्ध है। मान्यवर, [illegible] लघु सिंचाई विभाग की स्कीमें हैं उससे किसानों को खुशहाली पहुँची है। हमारे यहां जलाशय बनाने की योजना है। चेक डैम बनाने की योजना है। आदर्श जलाशय बनाने की योजना है। मान्यवर, हमारी सरकार किसानों का किसी भी कीमत पर यदि कहीं सूखे की स्थिति है तो उसमें बराबर नहीं होने देगी। यह सरकार की वचनबद्धता है।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, अभी हमारे लघु सिंचाई मंत्री जी ने जो कुछ कहा उस पर नहीं जाना है एक जोश में मैंने कह दिया कि हमारे तहसील में सौ, सवा सौ, डेढ़ सौ लोगों को, बकायेदारों को चन्द दिनों में गोली मार दी गयी। मंत्री जी के समर्थन में तालियां भी बजीं। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानकारी चाहता हूँ कि अगर आप एक लाख तक के नीचे के लोगों का उत्पीड़न बन्द किये हैं तो [illegible] माननीय मंत्री जी कि पचास हजार से नीचे, जहां जिले आपने चिन्हित किये हैं [illegible] पचास हजार से नीचे के ऋण लेने वाले लोग अगर कर्जदार हैं बकायादार हैं उनके खिलाफ जो [illegible] किये हैं क्या उनको वापस करा लेंगे?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैंने आर0 सी0 वापिस करने की बात नहीं कही। आर0 सी0 जारी करना एक कानूनी प्रक्रिया है और हम आर0 सी0 वापिस करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने उत्पीड़न की बात कही है आर0 सी0 जारी होना उत्पीड़न नहीं है। उत्पीड़न है उसको गिरफ्तारी, उत्पीड़न है उसकी कुर्की, उत्पीड़न है उसकी सम्पत्ति की नीलामी, उत्पीड़न है उसको हवालात में ले जाकर बन्द कर देना। उत्पीड़न है जानवरों की तरह से सिविल इम्प्रीजनमेन्ट में डाल कर अमानवीय हरकत करना, गालियां देना, घसीटना। यह सारी बातें मैं कह रहा हूँ आर0 सी0 तो जारी होगी ही लेकिन उत्पीड़न की कार्यवाही एक लाख के नीचे, मैं दुबारा कहता हूँ कि एक घटना भी आप बतायेंगे तो मैं पूरी कार्यवाही करूँगा।

मान्यवर, माननीय लालजी वर्मा ने उस समय क्यूसेक में पूछा था मेरे पास जानकारी है मैं बता देता हूँ। 21,990 क्यूसेक हमको चाहिए था और 20,579 क्यूसेक हमारे पास शारदा सहायक नहर में इस दौरान उपलब्ध था। यह माइनस सिक्स परसेन्ट हमारे पास इसकी उपलब्धता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, सूखा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राजस्व मंत्री जी ने कोई भी कारगर उपाय नहीं बताये। इतना तो कहा कि प्रकृति खुश हो गयी है, पानी बरस रहा है। प्रकृति खुश हो गयी है लेकिन सरकार से किसान खुश नहीं है। सरकार की जो उदासीनता है उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

प्रदेश में अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी मद संख्या-26 आप प्रस्तुत कर दें उसके बाद इस पर चर्चा जारी रहेगी फिर हम विधेयक ले लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संबंध में मैंने जो चर्चा दी थी और आपने कृपया पूर्वक नियम-52 के अन्तर्गत उसे एक घण्टे की चर्चा के लिए स्वीकार किया मैं उसके लिए आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष--

अब आगे चर्चा जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाये।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर इस सदन में प्रस्तुत करे,

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, इस विधेयक में जो सरकार ने व्यवस्था की है केवल दो व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया है। एक तो पहले जो लाइसेन्स एक वर्ष का था उसको दस वर्ष और जो एक हजार से ऊपर की धनराशि कर्ज को देते समय चेक से देने का प्राविधान था उसे ढाई हजार किया इसकी मूल भावना पर आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, सरकार से, कि इस सबके बावजूद सर्राफे के व्यवसायी आज भी आन्दोलित है। मेरे मेरठ जनपद में सर्राफा के व्यवसायी जिलाधिकारी से मिलकर रोज-रोज इसकी कठिनाइयों से अवगत करा रहे हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि पहले यह व्यवस्था थी कि एक हजार रुपये से ऊपर का कर्जा देंगे तो चेक से देंगे, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि सरकार के पास ऐसी कौन सी व्यवस्था थी, कि एक हजार से ऊपर के कर्जे को वह चेक से दिलवाने की बात का अनुश्रवण कर पा रहे थे, या देख पा रहे थे और अब ढाई हजार से ऊपर की रकम अगर कर्ज में दी जायेगी तो चेक से दी जायेगी, इसको सुनिश्चित करने की सरकार ने क्या व्यवस्था बनाई है। क्या मूल अधिनियम में कहीं कोई व्यवस्था सरकार के पास

है, मैं इसके माध्यम से जानना चाहता हूँ और जब तक इसकी व्यवस्था न हो, इसलिये में प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग करता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी--

श्रीमन्, बहुत छोटा सा संशोधन विधेयक है और इस संशोधन विधेयक में, चूँकि इसके पहले मान्यवर, इसमें अवधि वर्ष की तय नहीं थी, वह हमने अबको फाइनेन्शियल ईयर कर दिया एक अप्रैल से 31 मार्च तक। फाइनेन्शियल ईयर में ही जो इसके वर्ष का आगणन होगा, वह इसी फाइनेन्शियल ईयर के हिसाब से होगा। मैं समझता हूँ, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। दूसरा श्रीमन् जो रजिस्ट्री के लिये जो प्रार्थना-पत्र दिया जाता था, उसके लिये मान्यवर, हमने व्यवस्था कर दी है कि या तो 7 दिन में दे देंगे, नहीं देना होगा तो कोई कारण चिन्हित करेंगे। यह नहीं कि प्रार्थना-पत्र पड़ा हुआ है और एक-एक वर्ष तक उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। हमने एक्ट में इसका प्राविधान कर दिया और इस संशोधन विधेयक के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया श्रीमन्, कि 60 दिन में वह प्रार्थना-पत्र निश्चित रूप से निस्तारित हो जायेगा और अगर उसको निरस्त करना होगा तो कारण दिया जायेगा। मान्यवर, दो बातें आपने कहीं है, एक वर्ष से 10 वर्ष पूरे प्रदेश में व्यापारी वर्ग ने भी इसका स्वागत किया है और प्रदेश के किसी भी तबके ने इसका विरोध नहीं किया है। चूँकि अब आपके पास कोई बिन्दु था नहीं, जब आपकी सरकार थी, तब आपने ध्यान दिया नहीं। इसलिये अब कुछ न कुछ विरोध के लिये कहना है। इसलिये आप इसको ले जाये। श्रीमन् इसमें कोई दम नहीं है और एक बात जो आपने कही है अन्तिम कि एक हजार की लिमिट को ढाई हजार क्यों किया, आपको स्मरण होगा, आपने स्वयं यह बात उठाई थी पिछली बार जब हम सूखा राहत का चेक बांट रहे थे तो आपने कहा कि यह चेक इतनी कम राशि का बांटने से यह दिक्कत हो रही है, लोगों को, इसलिये यह राशि बढ़ा दी जाय और श्रीमन् आपने भी इसकी आज्ञा दी थी तो हमने उस राशि को बढ़ा देने का काम किया था, मात्र इस कारण से कि ढाई हजार रुपये से ऊपर का एकाउन्ट पेई का हो, बाकी का नहीं हो इसलिये मैं समझता हूँ कि यह सभी संशोधन स्वागत योग्य है और इसमें आप अपना संशोधन वापस ले लेंगे और इसको ध्वनिमत से पारित किया जाना चाहिये और सर्वसम्मति से मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाताहै :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(9)" "लेखा वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले बारह मास की अवधि से है।"

धारा 7 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 7 में--

(क) उपधारा (3) में शब्द "विहित प्रपत्र में" के स्थान पर शब्द "आवेदन-पत्र प्राप्त करने के दिनांक से 60 दिन के भीतर विहित प्रपत्र में" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

"(3-क) जहां उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार का समाधान न हो वहां वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है और आवेदक को ऐसे कारणों, जिनकें आधार पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया गया हो, सहित उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचित करेगा।"

(ग) उपधारा (4) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "यदि ऐसे उधार की धनराशि एक हजार रुपये या इससे अधिक हो, चेक द्वारा दिया जायेगा," के स्थान पर शब्द "यदि ऐसे उधार की धनराशि दो हजार पांच सौ रुपया या इससे अधिक हो, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा दिया जायेगा" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद संख्या 24 (ख) पुकारे जाने पर)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, यह जो मेरा प्रस्ताव था, इस साहूकारी विधेयक को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द करने का, सरकार की तरफ से इसका जवाब आ गया, औपचारिकता थी यह एक, जिसमें कि आपके द्वारा यह पूछा जाना चाहिए मुझसे कि यह आप वापस ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है, पिछली बार मैंने पूछा तोंआप वापस नहीं लिये।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

फिर भी पूछा जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--

आप अब से वापस लेगें ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

अब तो आपने गिरा दिया, अब तो आपने इसे हलाल कर दिया। अब क्या वापस लूँगा।

श्री अध्यक्ष--

आप बहुत होशियारी से बात रखते हैं, जब वापस लेना था , तब तो बोले नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, माननीय लक्ष्मीकान्त जी ने जो बात कही है .....

श्री अम्बिका चौधरी--

अब मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ, सर्वसम्मत से सभी लोग समर्थन करेंगे। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 पर विचार किया जाए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संशोधन प्रस्ताव करता हूँ कि सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएंगे।)

कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाने के लिए प्रस्ताव है और यहाँ पर पहले से ही दस से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और लखनऊ के बगल में ही सहारनपुर से उत्तरांचल तक एक भी विश्वविद्यालय नहीं है और वहाँ पर बनाया भी नहीं जाता है। मान्यवर, विश्वविद्यालय के लिए कुछ मानक होते हैं, स्टूडेंट, टीचर का रेशियो है या नहीं। जिस जगह पर पहले से ही 11 विश्वविद्यालय खुले हुए हैं वहाँ पर 12वाँ विश्वविद्यालय खोलने की क्या आवश्यकता है ? मान्यवर, भौगोलिक दृष्टि से विश्वविद्यालय बनाया जाता है, कानपुर में आई0आई0टी0 बनाया गया क्योंकि वह उद्योग का केन्द्र है। मान्यवर, मैंने यह पूरा विधेयक ध्यान से पढ़ा है, इसमें कहीं भी स्पष्ट विषय या स्पष्ट कारण नहीं दिये गये हैं। लखनऊ में आखिरकार एक ऐसा विश्वविद्यालय क्यों जबकि पास में ही विश्वविद्यालय नहीं है। सभी हमारे योग्य सदस्य यहाँ पर बैठे हैं और सभी जानते हैं कि जो नयी टेक्नॉलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और अन्य जो टेक्नोलॉजी हैं इन विषयों से हटकर क्या हम कोई नया विषय लायेंगे, जिससे हम अपने देश को टेक्नोलॉजी में बढ़ावा दे सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गयी है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग माननीय सदस्य को बोलने दें।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि इसकी फीस को नियन्त्रण में सरकार कैसे रखेगी, इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय का क्या रोल होगा, इसमें कहीं पर यह चीजें नहीं लिखीं गई हैं। वाइस चॉसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, इनका दायित्व क्या होगा, यह सारी चीजें इसमें नहीं आयीं हैं। इसमें जो कारण हैं, जो बात है, वह नियोजित तरीके से नहीं आ पा रही है। इस विश्वविद्यालय में क्या कोर्स किये जाएंगे, जो कोर्स इसमें दिये गये हैं वह प्रस्तावित हैं, जो उद्देश्य हैं वह है शिक्षा को फैलाने के लिए, मान्यवर, इसमें कोई भी चीज डिटेल में, विस्तार में नहीं बतायी गयी है कि किस-किस शिक्षा की, किन-किन योग्यताओं की यहाँ आस-पास के क्षेत्र में जरूरत है। अगर इंजीनियर की जरूरत है तो हमें किस प्रकार के इंजीनियर की जरूरत है, उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि जिस-जिस तरीके से हमारी शिक्षा प्रणाली चलायी जा रही है, अनप्लांड

सिस्टम की तरह कि एक-एक क्षेत्र में इतने ज्यादा पोस्ट-ग्रेजुएट्स आ रहे हैं कि हम उनको एब्जार्ब नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, ये सारी बातें हैं, मैंने इन्हें सदन के सामने रख दिया है।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ी विषम परिस्थिति देख रहा हूँ, एक विश्वविद्यालय खुल रहा है और उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, हम विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ जानकारियाँ चाह रहे हैं कि किस जगह पर खुल रहा हे, कौन खोल रहा है, उसके लिए जो जमीन दी जा रही है सरकारी जमीन है या प्राइवेट जमीन है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आपकी बात आ गयी। अभी मंत्री जी उत्तर देंगे तो उसका जवाब आ जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहा हूँ, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो क्या विरोध करना जरूरी है ? यह विश्वविद्यालय इसीलिए खोला जा रहा है कि जो नासमझ लोग हैं वह विरोध के नाम पर विरोध करना छोड़ दें। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है तो स्वागत योग्य कदम है और कौन खोलेगा किसको कहाँ खोलने की सुविधा हे यह खोलने वाला तय करेगा या राय बहादुर लोग तय करेंगे यह समझ में नहीं आ रहा है। आप कैसे तय कर दोगे कि यहाँ नहीं वहाँ होगा। जो जहाँ खोलना चाह रहा है वहाँ खोलेगा, एक कानून कोई हो कि एक शहर में या एक जिले में इससे ज्यादा विश्वविद्यालय नहीं खुल सकते, ऐसा कोई कानून नहीं है और जहाँ तक बात है कि किस अंचल में खोला जाए तो मान्यवर, मैं समझता हूँ कि एक काम कर लेंगे, एक प्रयास करें थोड़ा नहीं अभी 10-15-20 साल उधर बैठना है, सब मिलजुलकर एक विश्वविद्यालय वहाँ खोल लें जहाँ का सुझाव दे रहे हैं, समय का ध्यान रखें और जल्दी इसको पारित करवा दें।

श्री लालजी वर्मा--

अभी मा0 प्रमोद कुमार जी सलाह दे रहे थे और माननीय आजम खाँ साहब एक विश्वविद्यालय बना रहे थे माननीय तिवारी जी उसमें कुण्डली मारकर बैठे रहे उसको पास नहीं होने दे रहे थे जो वास्तव में पिछड़े क्षेत्र में बन रहा था और यह चूँकि सहारा बना रहा है जिससे इनको भी हो सकता है कि कहीं से कुछ संरक्षण मिलता हो इसलिए उसकी तरफदारी कर रहे हैं। मान्यवर, रामपुर में बन रहा था जहाँ कोई दूसरा विश्वविद्यालय नहीं है उसका तो विरोध हो रहा था। यह लखनऊ में जहाँ 10-12 विश्वविद्यालय पहले से मौजूद हैं, वहाँ पर बन रहा है। अगर यह विश्वविद्यालय किसी पिछड़े क्षेत्र में होता, चित्रकूट में बनता, प्रतापगढ़ में बनता, फैजाबाद में बनता या अन्य किसी पिछड़े क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बनता तो निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय कार्य होता। इसमें भी इस बात को लेकर वहाँ पर विरोध था कि कुलधिपति किसका होगा, इसमें भी वही प्रक्रिया है, सहारा की सोसाइटी होगी वही कुलाधिपति बनायेगा, उसी से

कुलाध्यक्ष बनेगा, वही कुलपति होगा जब इस तरह का मापदण्ड बनेगा तो विरोध की बात आती है, कोई जन-सामान्य व्यक्ति बनाये और काँग्रेस के लोग उसका विरोध नहीं करेंगे यह बात हास्यास्पद लगती है। मेरा इतना ही कहना है कि यह स्वागतयोग्य काम तब था जब यह विश्वविद्यालय किसी पिछड़े क्षेत्र में बनता। लखनऊ विश्वविद्यालयों का शहर हो जाए यह बात उचित प्रतीत नहीं होती है। निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके फिर उसके बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, समाजवादी पार्टी को और खासतौर से रामपुर को समर्थन दिया गया है, उसकी प्रतिलिपि मायावती जी को भिजवा दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

माननीय अध्यक्ष जी, सहारा विश्वविद्यालय एक इजाफा होगा, लखनऊ के विश्वविद्यालयों में , शिक्षा जगत में। मैंने पूर्व में भी इस सदन में कहा था कि हर जिले में विश्वविद्यालय हो तो भी कम है। अगर हम दुनिया के बड़े शहर जो विश्वविद्यालयों के लिए, शिक्षा के लिए मशहूर हैं, उनका थोड़ा सा इतिहास पढ़ें तो हमें अंदाजा हो कि हर गली में वहां विश्वविद्यालय हैं। अगर आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वगैरह में नजर डालें तो हर गली में विश्वविद्यालय हैं। आज लखनऊ एजुकेशन के हब के तौर पर विकसित हो रहा है, जहाँ ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, लखनऊ को एजूकेशन के हब के रूप में विकसित हो रहा है तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। ऐसे काम करने वाले लोगों की हौसला आफजाई होनी चाहिए। अभी माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर आई0आई0टी0 का जिक्र किया है। कानपुर आई0आई0टी से निकले छात्रों की खपत कानपुर में देखेंगे तो नहीं के बराबर है, क्योंकि कानपुर जो मैनचेस्टर कहलाता था वह अब मैनचेस्टर नहीं रहा क्योंकि आज सारे कारखाने वहाँ बन्द पड़े हैं। पूरी दुनियां में लेबर मूवमेंट खत्म हुआ और इसलिए खत्म हुआ कि मजदूर ने अपने अधिकारों को अधिकारों से ज्यादा मान लिया था। हालात यह हो गये कि जहाँ मजदूर ने हड़ताल की बात की वहाँ मालिक मिल बन्द करके चला गया। इस तरह से हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से, यहाँ तक कम्युनिस्ट कंट्रीज से भी लेबर मूवमेंट लगभग खत्म हो गया। पश्चिमी बंगाल जो इसी के लिये जाना जाता था आज वहाँ पर भी कोई लेबर मूवमेंट नहीं होता। तो मान्यवर, यह स्वागत करने योग्य एक फैसला है। एक सवाल यह भी है कि यह किसी गरीब का है या किसी अमीर का है। इसी सदन में एमिटी विश्वविद्यालय का बिल पास हुआ, इसी सदन में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का बिल पास हुआ फिर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का बिल पास हुआ और एक ही साथ महामहिम की टेबिल पर दो बिल पहुँचे। लेकिन एमिटी बिल पर दस्तखत हो गये, और किन्हीं कारणों से मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो आजादी के सिपहसालारों में से माने जाते हैं और जिनके बारे में बापू ने यह कहा था कि अगर अली बिरादरान नहीं होते, मौलाना मोहम्मद अली जौहर नहीं होते तो हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ होता। तो बहरहाल यह एक फर्क है। यहाँ पर यह भी बात आयी कि यह जमीन सरकार की जमीन है या विश्वविद्यालय बनाने वाले की जमीन है। मान्यवर, सहारा ग्रुप के बारे में यह सोचना कि वह सरकार से कोई जमीन लेंगे, मेरे ख्याल से यह बुद्धिमता की बात नहीं है।

लेकिन बिलकुल इसके विपरीत जैसा वर्मा जी ने कहा, आज बहुत अच्छी बातें की हैं प्रमोद तिवारी जी ने, बहुत खुशी हुयी कि कम से कम उन्होंने सहारा विश्वविद्यालय का समर्थन किया, लेकिन हमारे मित्र ने पता नहीं किन कारणों से मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का विरोध किया।

श्री प्रमोद कुमार--

मैंने कभी विश्वविद्यालय का विरोध नहीं किया है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, उस विश्वविद्यालय की यह खूबी है कि उसमें कोई सरकारी जमीन नहीं है, कोई दान की जमीन नहीं है। सवा दो सौ एकड़ जमीन वहां खरीदी जा चुकी है। 18 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों को दावत देता हूँ कि वह वहाँ पर आयें और देखें कि जिस दिन उस विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा उस समय वहां पर हर व्यक्ति जो मौजूद होगा वह कहेगा कि 2007 से इस विश्वविद्यालय को चलाया जाना बिलकुल शतप्रतिशत उचित होगा। वहां पर तमाम इमारतें बनी हुयी नजर आयेंगी। मान्यवर, अगर किसी शख्स में या किसी संस्था में कमिटमेंट है कुछ करने का, वह कर सकते हैं सहारा बहुत बड़ा ग्रुप है, यह चाहें तो केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में 20 विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। जरूरत है इस बात की कि छोटे शहरों में भी विश्वविद्यालय खोले जांय। इससे सिर्फ शिक्षा का ही प्रमोशन नहीं होता है लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है। इससे प्रदेश और देश का जीवन स्तर बढ़ेगा, विश्वविद्यालय खुलने चाहिये।

वाइस चांसलर के बारे में आपने कहा है तो इस एक्ट में प्राविधान है कि चांसलर की सिफारिश पर वाइस चांसलर का एप्वाइंटमेंट किया जायगा। उसके लिये एक तयशुदा मानक है।

निजी विश्वविद्यालयों और सरकारी विश्वविद्यालयों के मानक अलग-अलग हैं। उन मानकों के विपरीत, यूनीवर्सिटी एक्ट में जो तयशुदा मानक हैं, उनके विपरीत कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया जा सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक सदस्य इस सदन का संकल्प ले कि वह अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनायेगा और मैं उसकी जिंदा, जीती जागती मिसाल खड़ा हूँ आपके सामने। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था अगर वह गरीब व्यक्ति विश्वविद्यालय बनाने की हिम्मत कर सकता है और वह बन रहा है रामपुर में जाकर उसे देखा जा सकता है, तो कोई भी सदस्य अपने क्षेत्र में विश्वद्यिालय बना सकता है। मैं चाहूँगा कि इसका स्वागत किया जाना चाहिये सहारा ग्रुप की सर्विसेज को आप देश भर में देखते हैं, वह विश्वविद्यालय बनायेंगे तो यकीनन वह अच्छा विश्वविद्यालय होगा। एमिटी विश्वविद्यालय के बारे में पूरे देश में बहुत अच्छी राय है। उनका जो स्टैंडर्ड आफ एजूकेशन है वह बहुत अच्छा है। विदशों में उनके छात्रों की मांग है। सहारा जिस वक्त कोई एजूकेशन इंस्टीट्यूट बनायेगा तो यकीनन वहां से निकले हुए छात्र बहुत उच्चकोटि के होंगे। मान्यवर, कई जरूरतें होती हैं, अच्छा परिसर हो, अच्छी इमारतें हों, अच्छी सहूलियतें हों, अच्छे पढ़ाने वाले लोग हों तो विश्वविद्यालय अच्छा होगा। सविंदा पर आने वाले लोग अच्छे होंगे या हम दूसरी यूनीवर्सिटीज से रीडर, प्रोफेसर्स लेकर आयेंगे तब विश्वविद्यालय अच्छा होगा। क्या हुआ संजय गांधी इंस्टीट् यूट का, उसका क्या हाल हो गया ? संजय गांधी इंस्टीट्यूट से हर शख्स एस्कार्ट अस्पताल या अपोलो अस्पताल चला गया था, ज्यादा तनख्वाह पर लोग वहां चले गये। हमारे कायम किये हुये सरकारी इंस्टीट्यूट बौने हो गये बनिस्बत उनके। आज बहुत कोशिश हो रही

है संजय गांधी इंस्टीट्यूट को अपलिफ्ट करने की। जब सहारा जैसी संस्था किसी यूनीवर्सिटी को बनायेगी तो वह अच्छा विश्वविद्यालय होगा इसका स्वागत करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने-अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय बनाने के लिए पहल करेंगे। मैं सदस्य से चाहूँगा कि वह अपना ऐतराज वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास कराएँ।

श्री अध्यक्ष--

क्याआप इस प्रस्ताव को वापस लेंगे ?

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए में इस आग्रह के साथ कि भविष्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय के जो भी प्रस्ताव आएं यह ठीक है कि आप बाध्य नहीं कर सकते लेकिन पहल करके कोशिश करनी चाहिए कि वह पिछड़े अंचलों में स्थापित किये जायं इसके लिए सरकार सहारा ग्रुप पर अपने प्रभाव का उपयोग करके यह कर सकती है कि अगला विश्वविद्यालय यदि खोला जाय तो वह पश्चिमी या पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोले जायं। दूसरी बात अभी मंत्री जी ने कही कि पी0जी0आई0 बौना हो गया है बत्रा, अपोलो और एस्कार्ट अस्पतालों के आगे उनके संसाधनों के आगे सारे अच्छे डाक्टर्स वहाँ चले गए। इस डर को खतरे को मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है इसका मतलब प्राइवेट युनीवर्सिटी जब आएगी तो वह सेविदा पर टीचर नहीं रखेंगी, वह अच्छा वेतन देगी तो दूसरी यूनीवर्सिटी के टीचर छोड़कर चले जायेंगे तो जो सरकार की गरीब और मध्यम वर्ग के लिए वचन बद्धता है, नैतिक जिम्मेदारी है उसका क्या होगा। प्राइवेट यूनीवर्सिटी स्थापित होने से कोई नुकसान नहीं है न ही इसका विरोध है लेकिन जो संदेह है उसको मैंने व्यक्त किया उस पर गौर किया जाना चाहिए। मैं इसका स्वागत करते हुए अपने संशोधन को वापस लेता हूँ लेकिन स्वयं सरकार ने भी जो चिन्ता व्यक्त की है उसका ध्यान रखा जाय इसके साथ मैं संशोधन को वापस लेता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मैंने तो पढ़ी लिखी बात कही थी बाजपेई जी ने ज्यादा पढ़ी लिखी बात कह दी। अब जब ज्यादा पढ़ी लिखी बात कह दी तो वह तो मेरी हैसियत से ऊपर की बात है। जो उन्होंने प्राइवेट यूनीवर्सिटी न खोलने की बात कही है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई--

मैंने न खोलने की बात नहीं कही।

श्री अध्यक्ष--

बाजपेई जी ने अपना संशोधन वापस ले लिया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

प्राइवेट यूनीवर्सिटी पूरी दुनियाँ में बहुत तेजी से खोली जा रही है। सरकार यह जिम्मेदारी नहीं ले सकती।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त वाजपेई--

छत्तीसगढ़ की तरह 436 विश्वविद्यालय न खोल दिये जायं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

यह छत्तीसगढ़ नहीं है। आपने कहा कि आपका प्रभाव सहारा पर है तो आपके पास अमर उजाला है, दैनिक जागरण है आप भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें कि वह चैनल के साथ-साथ यूनीवर्सिटी भी खोलें। आपके पास ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

चूँकि इस पर संशोधन वापस ले लिया गया है इसलिए संशोधन प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न यह है कि सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-51 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006

सहारा आर्ट्स एण्ड मैनेजमेण्ट एकेडेमी सोसाइटी, लखनऊ द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको नियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया गया है :--

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1--(1) यह अधिनियम सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2--जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :--

(क) "विद्यापरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद से है ;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या अन्य बोर्ड से है :--

(ग) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमश: कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है ;

(घ) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय से है ;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है ;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है ;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक या कर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य भी है ;

(ज) "कार्यपरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद से है ;

(झ) "संकाय " का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है ;

(ञ) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य निदेशक/प्राचार्य या किसी अन्य अधिकारी, चाहे जिस नाम से पुकारा जाय ; जो किसी विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हो, से है ;

(ट) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्वानों/छात्रों के निवास से है ;

(ठ) "संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है ;

(ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(ढ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है ;

(ण) "सोसाइटी" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहारा आट्स एण्ड मैनेजमेण्ट एकेडमी सोसाइटी से, है ;

(त) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमश: परिनियमों और अध्यादेशों से है ;

(थ) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है ;

(द) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदभिहित किया जाय ;

(ध) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमश: कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है ;

(न) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी द्वारा स्थापित सहारा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है ;

(प) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है ;

विश्वविद्यालय की स्थापना

3--(1) लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सोसाइटी द्वारा सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक नियमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शर्तें

4--प्रायोजक संस्था, सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा :--

(क) विश्वविद्यालये के लिये चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ या समीपस्थ भूमि को इसके स्वामित्व अधिकार सहित विधिवत रखेगा ;

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा ;

(ग) खण्ड (ख) में उल्लिखित भवन में न्यूनतम 5 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण कार्यालय और प्रयोगशालाओं में स्थापित करेगा ;

(घ) विभागों/विद्यालयों के शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षकों को नियुक्त करना और अवस्थापना स्थापित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनाना ;

(च) ऐसी अन्य शर्तें जिनको, विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाये ;

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5--(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के प्रारम्भ के लिए सोसाइटी को प्राधिकार पत्र निर्गत करने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, सोसाइटी द्वारा इस आशय के अभिलेख सहित की धारा 4 में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी कर दी गयी हैं, एक असंदिग्ध शपथपत्र प्राप्त होने पर प्राधिकार का पत्र जारी होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6--विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को उपर्युक्त वातावरण और निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा :--

(क) शिक्षा में नवीनता की प्रोन्नति करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनसंरचना अध्यापन और ज्ञानार्जन की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके ;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करना ;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की प्रोन्नति करना ;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और नैतिकता की प्रोन्नति करना ;

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7--विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :--

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना, या

(ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, प्रबन्ध और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की और इतिहास, संस्कृति, दर्शन और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आदि की भी शिक्षा प्रदान करना और उनकी प्रोन्नति करना ;

(ग) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना ;

(घ) विश्वविद्यालयेतर व्यक्तियों (के व्याख्यानादि) का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना ;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना ;

(च) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं शिक्षण, जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे पाठ्यक्रम भी हैं जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करें, प्रदान करना ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद प्राचार्य पद, आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद संस्थित करना और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद सृजित करना और उनके लिये नियुक्तियां करना ;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तिया करना ;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना ;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना ;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो ;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदक और पारितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(ड) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना ;

(ढ) अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति, किसी संस्था, विभाग या विद्यालय को केन्द्र घोषित करना ;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है ;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना ;

(द) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिये व्यवस्था करना ;

(ध) छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाये ;

(प) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिये व्यवस्था करना ;

(फ) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए संदान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का जिसके अन्तर्गत न्यास और बन्दोबस्ती सम्पत्तियां हैं, अर्जन, धारण और निपटारा करना ;

(ब) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति, उसके धन पर उधार लेना, बन्धक रखना या आडमान करना ;

(भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषांगिक या सहायक हों।

प्रवेश और मानक

8--(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9--विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और प्रत्येक वंश, मत, जाति, वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारिवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पर आरक्षण, तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की विधियों एवं आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

कुलाध्यक्ष

10--(1) कुलाध्यक्ष की नियुक्ति सोसाइटी द्वारा स्वयं की जायेगी।

(2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुशासन, शालीनता और समुचित कार्यप्रणाली के मानकों को सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किन्हीं संस्थाओं, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पॉलीटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को कुलपति द्वारा उसे निर्दिष्ट मामलों के विवाद में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :--

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रति-कुलपति

(घ) संस्थाओं के निदेशक/प्रधान ;

(ङ) कुलसचिव ;

(च) कोषाध्यक्ष ;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष ;

(झ) कुलानुशासक ;

(ञ) वित्त अधिकारी ; और

(ट) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

12--(1) कुलाधिपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी के परामर्श से की जायेगी।

(2) कुलाधिपति राज्य सरकार के प्रासाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) कुलाधिपति, राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(4) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन कुलाधिपति अपने पद ग्रहण दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा ;

परन्तु कुलाधिपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले

(5) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अन्तरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(6) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

कुलपति

13--(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा पांच वर्ष के लिये ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् और विद्या परिषद का अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस अधिकारी को अवगत कराएगा :

परन्तु यदि सम्बन्धित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी तो वह मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसे दिनांक से, जिस पर ऐसे कार्यवाही के आधार पर विनिश्चय उसे संसूचित किया जाय, एक माह के भीतर कुलाधिपति को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और इस पर कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है उसे रद्द कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसी विहित की जाय।

प्रतिकुलपति

14--(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसी विहित की जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यो का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति ऐसी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जैसी सोसाइटी द्वारा अवधारित की जाय।

कुल सचिव

15--(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसी विहित की जाए।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद और विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा।

कोषाध्यक्ष

16--(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसी विहित की जाय।

(2) कोषाध्यक्ष वार्षिक बजट, वार्षिक सम्परीक्षा, निधियों आदि के आवंटन सहित समस्त वित्तीय मामलों में कुलपति की सहायता करेगा।

संकायों के संकायाध्यक्ष

17--प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसी विहित की जाय।

वित्त अधिकारी

18--(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसी विहित की जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

19--विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

20--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :--

(क) कोर्ट ;

(ख) कार्य परिषद ;

(ग) विद्या परिषद :

(घ) वित्त समिति ;

(ङ) नियोजन बोर्ड ;

(च) संकाय बोर्ड ;

(छ) प्रवेश समिति ;

(ज) परीक्षा समिति ;

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें।

कोर्ट

21--(1) कोर्ट के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियों और कृत्य होंगे, अर्थात :--

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपाय का सुझाव देगा ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में कुलाध्यक्ष को परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिये निर्दिष्ट किया जाय, और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो विहित किये जायें।

कार्य परिषद

22--(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

विद्या परिषद

23--(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किया जाए।

वित्त समिति

24--(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय का प्रधान वित्तीय निकाय होगा।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

नियोजन बोर्ड

25--(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इसकी अन्य शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

26--संकायों की परिषदों, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

27--(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये कुलाधिपति के अनुमोदन से परिनियम बनायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ये परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् :--

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाय, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनकी परिलब्धियां नियत करना ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति ;

(च) सेवानिवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि के लिए उपबन्ध सहित कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां ;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त ;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद को अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) सम्मानित उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ट) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना ;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना ;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना और समाप्त करना ;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा विहित किये गये हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और नही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति विश्वविद्यालय को अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियमों में उपबन्ध करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद ऐसे किसी निर्देश को उसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर लागू करने में असमर्थ रहे तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए कार्य परिषद् द्वारा संसूचित कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् परिनियमों को उपयुक्त, रूप में बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

28--इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेश कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :--

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिये अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना, और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले माध्यम ;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य शुल्क ;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और परीक्षकों और अनुसीमको के कर्तव्य भी हैं ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना ;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों विशिष्ट प्रयोशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग और सहभागिता जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी हैं, की रीति ;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के सुधार के लिये आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य ;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीकारों को भुगतान किये जाने वाले परिश्रमिक ;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों ;

वार्षिक रिपोर्ट

29--(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जाय और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

30--(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलनपत्र कार्यपरिषद के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह माह से अनधिक अन्तराल पर की जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की प्रति, कार्यपरिषद के टीका टिप्पणी सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा किये गये टीका टिप्पणी को कोर्ट और कार्य परिषद के संज्ञान में लाया जायेगा और कार्य परिषद द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात टीका टिप्पणी यदि कोई हो, कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

31--(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा या काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और सेवा के रूप में नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी के लिये अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप में या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं होगा।

अपील करने का अधिकार

32--(1) किसी परीक्षा के लिये कोई छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेशों या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसे एक से अधिक वर्ष तक के लिये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से विवर्जित कर दिया गया हो, लिखित रूप में अपने द्वारा ऐसे संकल्प की प्रति या ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

33--विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये जो विहित किये जाएं ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसी वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय और निकायों के गठन के बारे में विवाद

34--यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

35--जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो वहां ऐसी समितियां अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, गठित होंगी।

रिक्तियों का भरा

36--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुयी सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुये हैं, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था, भरा जायेगा। ऐसी स्थिति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति ऐसे शेष पदावधि के लिये ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिये वह नियुक्त या सहयोजित किया गया है।

कार्यवाही की अविधिमानता

37--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति

38--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हो, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

39--(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थानीय विन्यास निधि

40--(1) विश्वविद्यालय, कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, निदेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

41--(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगी जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् --

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाये,

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि,

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान, और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

42--(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्--

(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है,

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि,

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान,

(घ) किसी अन्य शक्ति या निकास द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान, और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

43--धारा 40, 41, और 42 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्तीय शर्तें

44--विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायक अनुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये अर्ह नहीं होगा।

शुल्क

45--विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जायेगा और ऐसी फीसों के अवधारण में तत्समय प्रवृत्त विधियों को ध्यान में रखा जायेगा।

सूचनाओं और अभिलेखों को मंगाने के लिये राज्य सरकार की शक्तियां

46--(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मांगा जाय।

(2) राज्य सरकार, यदि यह समझती है कि इस अधिनियम अथवा परिनियमों अथवा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह विश्वविद्यालय को धारा 50 के अधीन ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

47--(1) विश्वविद्यालय राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

48--(1) धारा 47 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा।

49--(1) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर, जो उचित समझे, किन्तु जो दो मास के कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाये।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त करेगी।

(4) जहां राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिये कोर्ट को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह अधिसूचना द्वारा यथास्थिति कोर्ट को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टत: निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :--

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(6) जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसमें इस अधिनियम और उसके अधीन परिनियमों, अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्वानुमोदन से अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निदेश देने की शक्ति

50--राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

51--(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टत: उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जहां तक संस्थाओं का प्रबन्ध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उस उपधारा में निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5। तक, खण्ड-। प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 के अननुमोदन का संकल्प

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष--

कुछ बोलेंगे नहीं ? मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई--

मान्यवर, यह जो ला रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं है पुराने को ही यथावत् किया है। केवल एक विषय कि चक्रानुक्रम से करेंगे जिसको मैं रखना चाहता था उसके बारे में राय साहब ने एक संशोधन में कह दिया है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो यह कहा है कि नगर निगम या नगर पालिका का आरक्षण अगली बार उसके जस्ट बाद के चुनाव में आरक्षित नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से विधान सभा के क्षेत्र निर्धारित है उसी तरह से इसको भी कर दें नहीं तो अगली बार किसको माना जायेगा किसको नहीं माना जायेगा यह समझना मुश्किल होगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, कोई शरारत इनकी छुपी हो तो वह बात अलग है क्योंकि यह मेरे उत्तर में कुछ पकड़ नहीं पाये। इसीलिये बार-बार नगर निगम नगर निगम कर रहे हैं।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई--

एक स्थान मान लीजिये इस बार आरक्षित है मेरठ में वह अगली बार आपने कहा कि आरक्षित नहीं होगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

चक्रानुक्रम में सब जगह एक सा चलेगा। जो इन्स्पेक्शन में आयेगा उसमें हम आपसे राय कर लेंगे। यह तो वही है जो आप बहुत जमाने से चाहते थे। मैं समझता हूँ कि इसका आपको स्वागत करना चाहिये।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई--

मैंने विरोध नहीं किया है। जो मैं कहना चाहता था वह पी0 के0 राय जी ने जो एजेण्डा आया है उसमें कहा है।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। बाजपेयी जी आप अपना संशोधन वापस लेंगे।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई--

आप पूछते ही नहीं है बस हाँ ना करा रहे हैं। ठीक है, मैं वापस ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

अब चूँकि आपने वापस ले लिया है इसलिये मैं आगे आता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 9-क का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9-क में उपधारा (5) स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :--

(5) नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए नीचे दी गयी रीति से आरक्षित एवं आवंटित किये जायेंगे :-

(1) अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन--

(क) इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए अलग-अलग एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

(ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या--

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह राज्य में पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या या राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी :

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अनधिक होगी,

(दो) उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये और पिछड़े वर्गों के लिये अवधारित पदों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि पदों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाल पदों की संख्या होगी।

(ग) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए उप खण्ड (ख) के अधीन राज्य के नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के लिए अवधारित पदों की संख्या राज्य के यथास्थिति विभिन्न नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि :--

(एक) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अ[illegible] अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये अवधारित पदों की संख्या को राज्य की यथास्थिति ऐसी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को जिनमें राज्य की नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, आवंटित किया जायेगा और यथास्थिति, नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों, जिनको इस उपखण्ड के अधीन इस प्रकार पद आवंटित किये गये हैं, को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को पुनर्व्यवस्थित किये गये, यथास्थिति ऐसे नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को पहले आवंटित किया जायेगा :

परन्तु किसी निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित को ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें ऐसे अगले नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को आवंटित किया जायेगा, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित हों।

(दो) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या को, राज्य की ऐसी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को जिनमें राज्य की यथास्थिति नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को जिनमें राज्य की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, यथास्थिति उन नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए, जिन्हें मद (एक) के अधीन पद आवंटित किये गये हों, आवंटित किया जायेगा और यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों जिनको इस उपखण्ड के अधीन इस प्रकार पद आवंटित किये गये हैं, को अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या इस प्रकार पुनर्व्यस्थित किये गये, यथास्थित ऐसे नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को पहले आवंटित किया जायेगा :

परन्तु किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आवंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें ऐसी अगले नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को आवंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित हों।

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित पदों की संख्या को राज्य की ऐसी नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को जिनमें राज्य के यथास्थिति नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, यथास्थिति उन नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए, जिन्हें मद (एक) और (दो) के अधीन पद आवंटित किये गये हों, आवंटित किया जायेगा और इस उपखण्ड के अधीन यथास्थिति नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को उनकी पिछड़ी जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या यथास्थित, पुनर्व्यवस्थित की गई ऐसी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को पहले आवंटित की जायेगी ;

परन्तु पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए किसी निर्वाचन में आवंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसी अगली नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को आवंटित किया जायेगा जिनमें पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित है।

(चार) ऐसी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए जिन्हें मद (एक), (दो) और (तीन) के अधीन पद आवंटित किये गये हों, यथास्थिति नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में रखा जायेगा और उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए, उक्त खण्ड के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को पहले, यथास्थित, ऐसी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को आवंटित किया जायेगा :

परन्तु किसी निर्वाचन में महिलाओं के लिए आवंटित पदों को ठीक बाद वाले, निर्वाचन में इस उपखण्ड के अधीन महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत को आवंटित किया जायेगा।

(2) उपाध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन--

(क) नगर पालिका परिषदों के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या नगर पंचायतों के उपाध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए पृथक रूप से एतदपश्चात् उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

(ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या--

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह राज्य में अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के

नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो, तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी :

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अनधिक होगी।

(दो) महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि ऐसे पदों की संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

(ग) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए राज्य की नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों के लिए अवधारित उपाध्यक्ष के पदों की संख्या राज्य में यथास्थित विभिन्न नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि--

(एक) उपखण्ड (ख) के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित उपाध्यक्ष के पदों की संख्या राज्य की यथास्थिति ऐसी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को जिनमें राज्य की नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, आवंटित किया जायेगा--

(दो) उपखंण्ड (ख) के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या को राज्य की यथास्थिति नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, यथास्थिति उन नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए, जिन्हें मद (एक) के अधीन पद आवंटित किये गये हैं, आवंटित किया जायेगा ;

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित पदों की संख्या को जिनमें राज्य की यथास्थिति नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, यथास्थिति उन नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए, जिन्हें उपखण्ड 3 (एक) और 3 (दो) के अधीन पद आवंटित किये गये हों, आवंटित किया जायेगा ; और

(चार) ऐसी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को छोड़ते हुए जिन्हें मद (एक), (दो) और (तीन) के अधीन पद आवंटित किये गये हों, नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में रखा जायेगा और उपखण्ड (ख) के मद (एक) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को, यथास्थिति, इस प्रकार व्यवस्थित नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों का पहले आवंटित किया जायेगा :

परन्तु इस उपखण्ड के अधीन किसी निर्वाचन में महिलाओं के आवंटित पदों को इस उपखण्ड के अधीन ठीक बाद पहले निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें, यथास्थिति अगली नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत को आवंटित किया जायेगा।

(घ) जिन नगर पालिका परिषदों में ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित हों ऐसी नगर पालिका परिषदों में कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद क्रमशः यथास्थिति पिछड़े वर्गों, महिलाओं या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे :

परन्तु यदि किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का पद आरक्षित है तो उस नगर पालिका के उपाध्यक्ष का पद आरक्षित नहीं होगा।

(3) आवंटन के आदेश--

(क) पूर्ववर्ती खण्डों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या का अवधारित करने के पश्चात्, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा पदों को नगर पालिकाओं को आवंटित करेगी।

(ख) उपखण्ड (क) के अधीन आदेश का प्रारूप कम से कम सात दिन की अवधि के लिए आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार आपत्तियों पर, यदि कोई हो विचार करेगी, परन्तु ऐसी आपत्तियों पर तब तक व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे और तदुपरान्त यह अंतिम हो जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट और सम्बन्धित नगर पालिका के कार्यालयों के सूचना पटों पर चस्पा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

राय साहब, आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर दीजिए।

डा0 पी0 के0 राय--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड-2 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9-क की उपधारा (5) खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायं तथा प्रस्तावित उपधारा (5) के खण्ड-1 (क) (ख) (एक) (दो) तथा उपखण्ड (3) यथावत् रहेंगें। .....

श्री मोहम्मद आजम खां--

पढ़ा हुआ मान लेते हैं। पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ा हुआ नहीं माना जायेगा। पढ़ना होगा।

डा० पी० के० राय--

"(ग) राज्य के सभी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को ऐसे क्रम में रखा जायेगा कि राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशत वाले नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत को क्रमांक-1 पर रखा जायेगा और इस क्रमांक की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत को क्रमांक-2 पर तथा शेष को क्रमशः इसी प्रकार अगले क्रमांकों पर रखा जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए उपखण्ड (ख) के अधीन राज्य के नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के लिये अवधारित अध्यक्ष के पदों की संख्या राज्य के यथास्थिति विभिन्न नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि--

(एक) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये अवधारित पद अनुसूचित जातियों को उपखण्ड (ग) के अधीन क्रमांक-1 पर रखे गये नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत से आगे के क्रम में आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(दो) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पद, अनुसूचित जनजातियों को मद (एक) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिये अवधारित पद, पिछड़े वर्गों को मद (दो) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(चार) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त उपखण्ड के अधीन अवधारित पदों को मद (तीन) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(ङ) यदि किसी नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर--

(एक) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिये या अनुसूचित जनजातियों के लिये केवल एक ही पद आरक्षित किया जा सके, तो ऐसा पद महिलाओं को आवंटित किया जायेगा,

(दो) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई भी पद आरक्षित न किया जा सके तो उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट पदों के आवंटन का क्रम इस प्रकार रखा जायेगा मानों उसमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रति कोई निर्देश नहीं है।

(च) किसी परवर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित पद किसी पश्चात्वर्ती निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित नहीं किये जायेंगे और ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वाचन में उसे महिलाओं को आवंटित अन्तिम पद के आगे के पद क्रमानुसार उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।"

2--विधेयक के खण्ड-2 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9-क की उपधारा (5) में खण्ड-2 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :--

"(2) उपाध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन :--

नगर पालिका परिषदों के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के पदों के आरक्षण व आवंटन के संबंध में उपधारा (5) के खण्ड (1) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे,

प्रतिबंध यह है कि इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अनधिक होगी।

प्रतिबंध यह भी है कि महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि ऐसे पदों की संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

प्रतिबंध यह भी है कि किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उसे यथास्थिति अगली नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत को आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह भी है कि यदि किसी नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष का पद आरक्षित है, तो उस नगर पालिका परिषद् के उपाध्यक्ष का पद आरक्षित नहीं किया जायेगा।

परन्तु जिन नगर पालिका परिषदों में ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिये आरक्षित हों, ऐसी नगर पालिका परिषदों में कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद यथास्थिति पिछड़े वर्गों, महिलाओं या अनुसूचित जातियों के लिय आरक्षित होंगे।"

श्री अध्यक्ष--

1--प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड-2 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9-क की उपधारा (5) खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायं तथा प्रस्तावित उपधारा (5) के खण्ड-1 (क) (ख) (एक) (दो) तथा उपखण्ड (3) यथावत् रहें :--

"(ग) राज्य के सभी नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को ऐसे क्रम में रखा जायेगा कि राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशत वाले नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत को क्रमांक-1 पर रखा जायेगा और इस क्रमांक की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत को क्रमांक-2 पर तथा शेष को क्रमशः इसी प्रकार अगले क्रमांकों पर रखा जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए उपखण्ड (ख) के अधीन राज्य के नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के लिये अवधारित अध्यक्ष के पदों की संख्या राज्य के यथास्थिति विभिन्न नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि--

(एक) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये अवधारित पद अनुसूचित जातियों को उपखण्ड (ग) के अधीन क्रमांक-1 पर रखे गये नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत से आगे के क्रम में आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(दो) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पद, अनुसूचित जनजातियों को मद (एक) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिये अवधारित पद, पिछड़े वर्गों को मद (दो) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(चार) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त उपखण्ड के अधीन अवधारित पदों को मद (तीन) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(ङ) यदि किसी नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर--

(एक) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिये या अनुसूचित जनजातियों के लिये केवल एक ही पद आरक्षित किया जा सके, तो ऐसा पद महिलाओं को आवंटित किया जायेगा,

(दो) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई भी पद आरक्षित न किया जा सके तो उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट पदों के आवंटन का क्रम इस प्रकार रखा जायेगा मानों उसमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रति कोई निर्देश नहीं है।

(च) किसी परवर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं का आवंटित पद किसी पश्चात्वर्ती निर्वाचन में क्रमश: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित नहीं किये जायेंगे और ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वाचन में उसे महिलाओं को आवंटित अन्तिम पद के आगे के पद क्रमानुसार उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।"

2--विधेयक के खण्ड-2 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9-क की उपधारा (5) में खण्ड-2 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :--

"(2) उपाध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन :--

नगर पालिका परिषदों के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के पदों के आरक्षण व आवंटन के संबंध में उपधारा (5) के खण्ड (1) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे,

प्रतिबंध यह है कि इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अनधिक होगी।

प्रतिबंध यह भी है कि महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या अध्यक्ष के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि ऐसे पदों की संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

प्रतिबंध यह भी है कि किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उसे यथास्थिति अगली नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत को आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह भी है कि यदि किसी नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष का पद आरक्षित है, तो उस नगर पालिका परिषद् के उपाध्यक्ष का पद आरक्षित नहीं किया जायेगा।

परन्तु जिन नगर पालिका परिषदों में ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिये आरक्षित हों, ऐसी नगर पालिका परिषदों में कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद यथास्थिति पिछड़े वर्गों, महिलाओं या अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित होंगे ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)।

खण्ड--3

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 7 का संशोधन

3--उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 7 में उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

(5) नगर निगम के महापौर एवं उपमहापौर के पदों का आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए नीचे दी गयी रीति से होगा :--

(1) महापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन--

(क) महापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन एतदपश्चात् उपबन्धित रीति से किया जायेगा :--

(ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या--

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस रीति से अवधारित की जायेगी कि वह राज्य में पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या या राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी :

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अनधिक होगी।

(दो) उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये और पिछड़े वर्गों के लिये अवधारित पदों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि पदों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

(ग) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए उप खण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या राज्य में विभिन्न नगर निगमों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि :--

(एक) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये अवधारित पदों की संख्या को राज्य के ऐसे नगर निगमों को जिनमें राज्य के नगर निगमों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, आवंटित किया जायेगा और नगर निगमों को, जिनको इस उपखण्ड के अधीन इस प्रकार पद आवंटित किये गये हैं, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को पुनर्व्यवस्थित किये गये, ऐसे नगर निगमों को पहले आवंटित किया जायेगा :

परन्तु किसी निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें ऐसे अगले नगर निगमों को आवंटित किया जायेगा, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए पद आरक्षित हों।

(दो) उप खण्ड (ख) मद (एक) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उप खण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या को, राज्य की ऐसी नगर निगमों को जिनमें राज्य की नगर निगमों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, उन नगर निगमों को छोड़ते हुए, जिन्हें मद (एक) के अधीन पद आवंटित किये गये हों, आवंटित किया जायेगा और नगर निगम को, जिनमें इस उपखण्ड के अधीन इस प्रकार पद आवंटित किये गये हैं, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किये गये, ऐसे नगर निगमों को पहले आवंटित की जायेगी :

परन्तु किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें ऐसे अगले नगर निगमों को आवंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित हों।

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उप खण्ड के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित पदों की संख्या को राज्य की ऐसे नगर निगमों को जिनमें राज्य के नगर निगमों में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, उन नगर निगमों को छोड़ते हुए, जिन्हें इस उप खण्ड के मद (एक) और (दो) के अधीन पद आवंटित किये गये हों, आवंटित किया जायेगा और नगर निगमों को, जिनमें इस उप खण्ड के अधीन इस प्रकार पद आवंटित किये गये हैं, पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे नगर निगमों को पहले आवंटित की जायेगी :

परन्तु पिछड़े वर्गों की महिलाओं को किसी निर्वाचन में आवंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें ऐसे अगले नगर निगमों को आवंटित किया जायेगा, जिनमें पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित हों।

(चार) ऐसे नगर निगमों को छोड़ते हुए जिन्हें मद (एक), (दो) और (तीन) के अधीन पद आवंटित किये गये हों, राज्य के नगर निगमों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में रखा जायेगा और उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए, उक्त खण्ड के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को ऐसे नगर निगमों को पहले आवंटित किया जायेगा :

परन्तु किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में इस उपखण्ड के अधीन महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें अगले नगर निगमों को आवंटित किया जायेगा।

(2) उपमहापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन :--

(क) उपमहापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से किया जायेगा :--

(ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या--

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह राज्य में महापौर के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो, तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी :

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में महापौर के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अनधिक होगी।

(दो) महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या, महापौर के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि ऐसे पदों की संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

(ग) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए इस उप खण्ड के अधीन अवधारित उपमहापौर के पदों की संख्या राज्य में विभिन्न नगर निगमों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि :--

(एक) उपखण्ड (ख) के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित उपमहापौर के पदों की संख्या राज्य के ऐसे नगर निगमों को जिनमें राज्य की नगर निगमों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, आवंटित किया जायेगा ;

(दो) उप खण्ड (ख) मद (एक) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पदों की संख्या को उन नगर निगमों को छोड़ने के पश्चात्, जिनके पदों को मद (एक) के अधीन आवंटित किया जा चुका है, राज्य के ऐसे नगर निगमों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, आवंटित किया जायेगा ;

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित पदों की संख्या उन नगर निगमों को छोड़ने के पश्चात्, जिनमें मद (एक) और (दो) के अधीन पदों को आवंटित किया जा चुका है, राज्य के ऐसे नगर निगमों को, जिनमें राज्य के नगर निगमों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हो, आवंटित किया जायेगा ;

(चार) राज्य के ऐसे नगर निगमों को छोड़ते हुए जिन्हें मद (एक), (दो) और (तीन) के अधीन पद आवंटित किये गये हों, को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में रखा जायेगा और उपखण्ड (ख) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को, ऐसे नगर निगमों को पहले आवंटित किया जायेगा :

परन्तु किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पदों को इस उपखण्ड के अधीन ठीक बाद वाले निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें अगले नगर निगम को आवंटित किया जायेगा।

(पाँच) यदि किसी नगर निगम के महापौर का पद आरक्षित है, तो उस नगर निगम के उपमहापौर का पद आरक्षित नहीं किया जायेगा।

(3) आवंटन के आदेश--

(क) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या को अवधारित करने के पश्चात् गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा पदों को नगर निगमों को आवंटित करेगी।

(ख) उपखण्ड (क) के अधीन आदेश का प्रारूप कम से कम सात दिन की अवधि के लिए आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार आपत्तियों पर, यदि कोई हो विचार करेगी, परन्तु ऐसी आपत्तियों पर तब तक व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे और तदुपरान्त यह अंतिम हो जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम एक दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट और सम्बन्धित नगर निगम के कार्यालयों के सूचना पटों पर चस्पा किया जायेगा।

डा0 पी0 के0 राय--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड-3 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-7 की उपधारा (5) में खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायं तथा प्रस्तावित उपधारा (5) के खण्ड-1 (क) (ख) (एक) (दो) तथा उपखण्ड (3) यथावत् रहे :--

(ग) राज्य के सभी नगर निगमों को ऐसे क्रम में रखा जायेगा कि राज्य में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या के प्रतिशत वाले नगर निगम को क्रमांक-1 पर रखा जायेगा और इस क्रमांक की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले नगर निगम को क्रमांक-2 पर तथा शेष को क्रमश: इसी प्रकार अगले क्रमांकों पर रखा जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित महापौर के पदों की संख्या राज्य में विभिन्न नगर निगमों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि--

(एक) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये अवधारित पद अनुसूचित जातियों को उपखण्ड (ग) के अधीन क्रमांक-1 पर रखे गये नगर निगम से आगे के क्रम में आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(दो) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पद, अनुसूचित जनजातियों को मद (एक) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित पद, पिछड़े वर्गों को मद (दो) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(चार) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त उपखण्ड के अधीन अवधारित पदों को मद (तीन) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(ङ) यदि किसी नगर निगम में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर--

(एक) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिये या अनुसूचित जनजातियों के लिये केवल एक ही पद आरक्षित किया जा सके, तो ऐसा पद महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(दो) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई भी पद आरक्षित न किया जा सके तो उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट पदों के आवंटन का क्रम इस प्रकार रखा जायेगा मानों उसमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रति कोई निर्देश नहीं है।

(च) किसी परवर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित पद किसी पश्चातवर्ती निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित नहीं किये जायेंगे और ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वाचन में उसे महिलाओं को आवंटित अन्तिम पद के आगे के पद क्रमानुसार उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

2--विधेयक के खण्ड-3 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-7 की उपधारा (5) में खण्ड-2 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :--

"(2) उपमहापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन :--

उपमहापौर के पदों का आरक्षण व आवंटन के संबंध में उपधारा (5) के खण्ड (1) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे,

प्रतिबंध यह है कि इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में महापौर के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अनधिक होगी।

प्रतिबंध यह भी है कि महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या महापौर के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि ऐसे पदों की संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

प्रतिबंध यह भी है कि किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें अगले नगर निगम को आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह भी है कि यदि किसी नगर निगम के महापौर का पद आरक्षित है, तो उस नगर निगम के उपमहापौर का पद आरक्षित नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड-3 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-7 की उपधारा (5) में खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के स्थान पर

निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायं तथा प्रस्तावित उपधारा (5) के खण्ड-1 (क) (ख) (एक) (दो) तथा उपखण्ड (3) यथावत् रहे :--

(ग) राज्य के सभी नगर निगमों को ऐसे क्रम में रखा जायेगा कि राज्य में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या के प्रतिशत वाले नगर निगम को क्रमांक-1 पर रखा जायेगा और इस क्रमांक की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले नगर निगम को क्रमांक-2 पर तथा शेष को क्रमश: इसी प्रकार अगले क्रमांकों पर रखा जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन रहते हुए उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित महापौर के पदों की संख्या राज्य में विभिन्न नगर निगमों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि--

(एक) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये अवधारित पद अनुसूचित जातियों को उपखण्ड (ग) के अधीन क्रमांक-1 पर रखे गये नगर निगम से आगे के क्रम में आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(दो) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित पद अनुसूचित जनजातियों को मद (एक) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(तीन) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपखण्ड के मद (एक) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित पद, पिछड़े वर्गों को मद (दो) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे नगर निगम पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

(चार) उपखण्ड (ख) के मद (दो) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त उपखण्ड के अधीन अवधारित पदों को मद (तीन) के अधीन आवंटित अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक से क्रमानुसार महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(ङ) यदि किसी नगर निगम में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर--

(एक) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिये या अनुसूचित जनजातियों के लिये केवल एक ही पद आरक्षित किया जा सके, तो ऐसा पद महिलाओं को आवंटित किया जायेगा,

(दो) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई भी पद आरक्षित न किया जा सके तो उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट पदों के आवंटन का क्रम इस प्रकार रखा जायेगा मानों उसमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रति कोई निर्देश नहीं है।

(च) किसी परवर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित पद किसी पश्चातवर्ती निर्वाचन में क्रमश: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं को आवंटित नहीं किये जायेंगे और ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वाचन में उसे महिलाओं को आवंटित अन्तिम पद के आगे के पद क्रमानुसार उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

2--विधेयक के खण्ड-3 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-7 की उपधारा (5) में खण्ड-2 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :--

"(2) उप महापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन :--

उपमहापौर के पदों का आरक्षण व आवंटन के संबंध में उपधारा (5) के खण्ड (1) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे,

प्रतिबंध यह है कि इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में महापौर के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अनधिक होगी।

प्रतिबंध यह भी है कि महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या महापौर के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि ऐसे पदों की संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

प्रतिबंध यह भी है कि किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पदों को ठीक बाद वाले निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उन्हें अगले नगर निगम को आवंटित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह भी है कि यदि किसी नगर निगम के महापौर का पद आरक्षित है, तो उस नगर निगम के उपमहापौर का पद आरक्षित नहीं किया जायेगा ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-4, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

निरसन और अपवाद

4--(एक) उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 और उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(दो) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित अध्याय-एक और दो में निर्दिष्ट अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन)

विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 12 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-4, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 जैसा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 31 अगस्त, 2006 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 45 सूचनाएं प्राप्त हुई ।

पहली सूचना श्री चौधरी महेन्द्र सिंह की जनपद अलीगढ़ स्थित हरदुआगंज राजबाहा अंतर्गत निर्मित संवर्धन नलकूपों को चालू कराये जाने के संबंध में है--वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

दूसरी सूचना श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह की जनपद-गोरखपुर में ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा 5 विधान सभाओं में सड़कों का चयन न किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुनर्नियोजित किये जाने पर अंतिम वेतन के आधार पर वेतन दिये जाने के संबंध में है--केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

चौथी सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद--लखनऊ के थाना मलिहाबाद में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस द्वारा हुई मृत व्यक्तियों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में है--केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

पांचवी सूचना श्री शिव तपस्या पासवान की जनपद-चंदौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में है--केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

छठवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद-आजमगढ़ के ग्राम-नरसिंहपुर में दीवार ढहने में मृत व्यक्तियों के परिवारवालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में है--केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

सातवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद-आजमगढ़ स्थित सई नदी पर निर्मित पुल से संबंधित एप्रोच सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है--केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

आठवीं सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर स्थित सहकारी चीनी मिल के उपकरणों की चोरी, अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली-भगत से किये जाने के संबंध में है--केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

नवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद-देवरिया के प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में है--ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

दसवीं सूचना श्री सदल प्रसाद की जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड-बांसगांव में वर्ष 2003-04 में समग्र गांव के अंतर्गत चयनित ग्राम के विकास हेतु धन उपलब्ध कराये जाने के बाद भी विकास कार्य न कराये जाने के संबंध में है--ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

ग्यारहवीं सूचना श्री शिवाकान्त ओझा की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, उ0 प्र0, लखनऊ में फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त वैज्ञानिक की संवायें समाप्त किये जाने के संबंध में है--ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई, उनके नाम निम्नलिखित हैं--श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री मुंशीलाल गौतम श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री हरि प्रताप सिंह घमड़ी, श्री लालजी वर्मा, श्री रामकरन आर्य, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री जगदीश

नारायण राय, डा0 सुशील चौधरी, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, डा0 पी0 के0 राय, श्री अमर सिंह परमार, श्री बीजू पटनायक, श्री प्रमोद कुमार, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री रणवीर राणा, श्री लल्लू सिंह, डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री सुरेश कुमार खन्ना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, डा0 विनोद तिवारी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, डा0 पूर्णमासी देहाती, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री अवधेश कुमार, श्री प्रागीलाल अहिरवार, श्री राम इकबाल सिंह और दो माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर अपठनीय है इसलिए यह सब अस्वीकृत हुई ।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, एक सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, डेढ़-दो सौ ट्रकें खड़ी हैं, सड़क टूटी होने के कारण, टांडा-मया मार्ग के, मान्यवर, उसको ले लें वक्तव्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रास्ता एकदम बाधित है, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं सरकार का इस पर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, 16 वर्ष की लड़की से जुड़ा हुआ मामला है, यह बहुत आवश्यक है, इसको ले लीजिए, चूंकि इधर काफी अन्तराल के बाद हाउस है, इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब कुछ नहीं, अब मैं मद संख्या-28 ले रहा हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना सांगीपुर में मुकदमें में नामजद श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

[दिनांक 18-6-06 को श्री प्रमोद कुमार पाठक पुत्र श्री दृगपाल पाठक, निवासी थाना क्षेत्र-सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ ने सूचना दिया कि वह तथा उसका भाई आशीष कुमार पाठक उर्फ मनोज पाठक उम्र 34 वर्ष व शक्तिधर पाण्डेय पुत्र दूधनाथ पाण्डेय, निवासी गौडवा, थाना सांगीपुर,

प्रतापगढ़ व परिवार के अन्य सदस्य अपने पिता दृगपाल पाठक, जो इलाहाबाद में इलाज हेतु भर्ती हैं, को देखने हेतु इलाहाबाद जा रहे थे, समय करीब 10.15 बजे दिन में प्राथमिक विद्यालय सूबेदार का पुरवा मजरे गोडवा में चाय की दुकान पर चाय पीने लगे तभी पुरानी हत्या की रंजिश को लेकर शोहराब पुत्र जुम्मन अली, इस्लाम उर्फ मुन्ना पुत्र शरीफ, रफीक पुत्र अयूब खां, श्रीमती केशरजहां पत्नी जुम्मन अली, निवासीगण बछलू का पुरवा मजरे गोडवा, थाना सांगीपुर व शोहराब का रिश्तेदार निवासी बेगम बाड़ा थाना कोतवाली नगर आये। श्रीमती केशरजहां के ललकारने पर कि मेरे पति के हत्यारे यहां हैं, इन्हें खत्म कर दो, इस पर उपरोक्त चारों व्यक्तियों द्वारा बम से हमला किया गया, जिसमें आशीष कुमार उर्फ मनोज पाठक को मौके पर मृत्यु हो गयी तथा शक्तिधर पाण्डेय को चोटें आई । इस सूचना पर थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़ में मु0अ0सं0-40/06 धारा-147/148/149/302/307 भा0दं0वि0 व 7 क्रि0लां0एमे0 ऐक्ट का अभियोग शोहराव आदि 5 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप मृतक के परिवार व उसके समर्थकों द्वारा अभियुक्त पक्ष के छप्पर में आगजनी की घटना की गयी, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मृतक आशीष कुमार पाठक उर्फ मनोज पाठक, जनपद प्रतापगढ़ का टाप-10 अपराधी था जिसके विरुद्ध 11 अपराधिक मामले दर्ज हैं।

दिनांक 18-6-06 को लिखाये गये किसी भी मुकदमें में ज्ञानेन्द्र सिंह नामजद अभियुक्त नहीं था। बाद में दिनांक 21-6-06 को उमेश कुमार सरोज निवासी सूबेदार का पुरवा मजरे गोडवा के प्रार्थना-पत्र, जिसमें ज्ञानेन्द्र सिंह को आरोपी बताया गया था, प्राप्त होने पर उसे विवेचना में शामिल किया गया था। अब तक की विवेचना से ज्ञानेन्द्र सिंह की घटना में संलिप्तता नहीं पायी गयी है। विवेचना प्रचलित है।]

श्री अध्यक्ष--

क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

जी मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा आपके माध्यम से यह एक साधारण घटना नहीं है। मान्यवर, साम्प्रदायिक रूप से 140 मुसलमानों और हरिजनों के घर जलाये गये।

मान्यवर, 140 मुसलमानों और हरिजनों के घर जला दिये गये हैं और यह दिन के 10 बजे जलाये गये हैं। हमारे पास जी0डी0 की रिपोर्ट है, सी0डी0 है और एफ0आई0आर0 है। मान्यवर, चूंकि यह घर जलाने वाले व्यक्ति दबंग आदमी हैं पैसे वाला है इसलिए स्थानीय पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उस पर कुछ कार्यवाही कर दे। यह कोई मौखिक रिपोर्ट नहीं है लिखित है कि प्राथमिक विद्यालय सुबेदार का पुरवा मजरे गोडवा में यह घटना की शुरुआत हुई ।

मान्यवर, 140 घर जिस व्यक्ति ने जलाये हैं उसके लिए एक दरोगा की रिपोर्ट आ गयी है कि संलिप्तता नहीं पायी गयी है। मान्यवर, इसके बाद तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन्साफ की कोई चीज नहीं रह जायेगी अगर ऐसी रिपोर्ट आयेंगी। मान्यवर, आप एफ0आई0आर0 की तहरीर की दो लाइन सुन लें। उसमें लिखा है कि श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य जिला पंचायत व

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उनके साथ 15-20 लोग आये जो कि हाथ में मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि लिये थे। श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने उनके साथियों ने एक-एक घर जाकर आग लगाना शुरू कर दिया। मान्यवर, यह पुलिस विभाग में लिखाई गयी तहरीर है और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि उनकी संलिप्तता नहीं पायी जा रही है। मान्यवर, पहले तो उस अपराधी व्यक्ति पर जिसने यह अपराध किया है कार्यवाही होनी चाहिए और दूसरे यह जो [x x x] और स्तरहीन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उस दोषी अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

[x x x] शब्द संसदीय नहीं है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, ठीक है उसे निकाल दीजिए।

मान्यवर, 10.15 बजे दिन में यह घटना हुई और उसे गिरफ्तार नहीं किया जायेगा ? मान्यवर, मेरा संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि डी0जी0 पुलिस मुख्यालय से कोई स्पेशल टीम भेज कर इसकी जांच करा ली जाये और वह शासन को रिपोर्ट करे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय प्रमोद जी ने पहले भी इस घटना के बारे में सदन के अलावा बतलाया है आपके भी संज्ञान में है।

सरकार के भी संज्ञान में है। मान्यवर, इस तरह की कोई वारदात होती है तो उससे साम्प्रदायिक सौहार्द में गड़बड़ी उत्पन्न होने की आशंका उत्पन्न होती है। मान्यवर, नियम-51 के तहत जो जवाब आया है उसमें जवाब को जो अधिकार है वह भी सीमित है। माननीय सदस्य इस बात से पूरी तरह से परिचित है। मान्यवर, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर ही नियम-51 की यह सूचना तैयार हुई है। कोई और तथ्य आपसे मिल जाये तो आसानी होगी।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने आपकी जानकारी में पूरे तथ्य ला दिये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अगर कुछ तथ्य आपसे और मिल जाये तो उन तथ्यों की बुनियाद पर आगे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मान्यवर, इस हादसे पर जो खेद व्यक्त किया जाना चाहिए, वह मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं। मान्यवर, जो तथ्य थे उनकी बुनियाद पर यह रिपोर्ट आ गयी। कुछ तथ्य और माननीय सदस्य से मिल जायें तो इसके बारे में विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

यह जो तथ्य मिले हैं इसके अतिरिक्त आपके पास तथ्य हों तो वह दे दें।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार--

जो कापियां मेरे पास हैं वह मैं दे रहा हूं। मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भुक्तभोगी लोग हैं वही रिपोर्ट लगा रहे हैं और नाम से लगा रहे हैं और यह दिन के 10 बजे की घटना है। मान्यवर, उन्होंने आग ही नहीं लगायी है, मारा है, पीटा है, वह लोग घायल हैं। मान्यवर, यह कोई 5-10 घरों की बात नहीं है, 140 घर हैं। आप यहां डी0जी0 कार्यालय से एक स्पेशल टीम भेज कर इसकी जांच करा लें और वे सभी तथ्य स्वयं ढूंढ लेंगे और वह आपको शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आप वक्तव्य के अन्तिम पैराग्राफ को देखने का कष्ट करें इसमें लिखा है कि-- दिनांक 18-6-2006 को लिखाये गये किसी भी मुकदमें मे ज्ञानेन्द्र सिंह नामजद अभियुक्त नहीं था। बाद में 21-6-2006 को उमेश कुमार सरोज निवासी सुबेदार का पुरवा मजरे गोडवा के प्रार्थना-पत्र, जिसमें ज्ञानेन्द्र सिंह को आरोपी बताया गया था, प्राप्त होने पर उसे विवेचना में शामिल किया गया था।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, 18 तारीख को आग लगी। 21 तारीख को यह रिपोर्ट लिखाई गयी। मान्यवर, जब वहां पर माननीय राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी जी पहुंचे हैं और कहा कि आप लोग वापस आओ पूरी सुरक्षा मिलेगी तब लोगों ने लौटना शुरु किया है। उसके बाद पहली बार वह लोग लौटे हैं और तहरीर थाने में लिखायी है 21 तारीख को। मान्यवर, इसमें 140 घर जला दिये जाये और लोग मारे जायें और कोई कार्यवाही न हो। इसमें आपको क्या आपत्ति है कि डी0जी0पी0 कार्यालय से एक स्पेशल टीम भेजकर इसकी जांच करा लें और वह आपको रिपोर्ट करें। जो तथ्य मैं दे रहा हूं उसके मद्देनजर आप कार्यवाही करें। मान्यवर, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है मैं वहां 19 तारीख को गया हूं। मान्यवर, मैं गया हूं एक -एक से मिला हूं, वहां लोग दहाड़ मार मारकर रो रहे थे। सब लोग कह रहे थे इन्होंने जलाया है अगर उन्होंने नहीं जलाया तो लोग उनका नाम क्यों लेंगें। गरीब लोग हैं जिनकी झोपड़ियां हैं दो-दो तीन-तीन कमरों के घर हैं। अम्बिका चौधरी जी ने जब दबाव डाला कहा कि रिपोर्ट लिखो तो उसके बाद यह रिपोर्ट आई । आपको आपत्ति इसमें क्या है कि डीजी आफिस से एक स्पेशल टीम चली जाय और जांच कर ले।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने सिर्फ इतना कहा कि लास्ट पैराग्राफ का सिर्फ संज्ञान ले लें। दिनांक 18-6-2006 को लिखाये गये किसी भी मुकदमें में ज्ञानेन्द्र सिंह नामजद अभियुक्त नहीं था। बाद में जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं 21-6-2006 को उमेश कुमार सरोज निवासी सूबेदार का पुरवा बजरे गोड़वा के प्रार्थना-पत्र जिसमें ज्ञानेन्द्र सिंह को आरोपी बताया गया था प्राप्त होने पर उसे विवेचना में शामिल किया गया लेकिन घटना में संलिप्त नहीं पाया गया। इसमें यही आपसे आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि कुछ और तथ्यों के साथ अगर आप दें।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपसे सिर्फ विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं एक दो घरों का मामला नहीं है। 140 घरों का मामला है। यह बहुत खराब परम्परा आप डालेंगे उसके बाद बड़े से बड़ा गुनाह करके लोग बच जायेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, नियम 51 की अपनी हदें हैं। जो रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ की तरफ से आई है।

श्री प्रमोद कुमार--

फिर जो तथ्य आ गये वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा होना चाहिए। आश्वासन में क्या जाता है कि आप डीजी आफिस से एक टीम भेजकर इसकी जांच करा लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैं तो आप से कह रहा हूं कि आप तथ्यों के साथ दीजिए अपनी चिट्ठी लगाकर।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, दे दिया, कह दिया, सदन में कह दिया। अब नये कौन से तथ्य लायें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

अब जो तथ्य थे उनकी बुनियाद पर यह रिपोर्ट आ गयी। कुछ हो सकता है कि फैक्ट्स रह गये हों।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपका प्रश्न है डीजी आफिस के बारे में, आप उसमें कुछ हाँ करिये तो मैं आगे बढ़ूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं समझ रहा हूं। राजस्व मंत्री जी मौके पर गये थे, आपके साथ रहे थे। सरकार ने उसकी संवेदनशीलता को महसूस किया था। फौरन भेजा था सरकार ने एक वरिठ मंत्री को भेजा था, गये थे वहां पर लोगों को सांत्वना देकर आये थे। बहुत गम्भीर हादसा था लेकिन नियम 51 के तहत चूंकि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर ही हम बेस करेंगे उस रिपोर्ट के तहत जो सूचना थी वह मैंने सदन में रख दी।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, आप भी अनुभवी हैं और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी अनुभवी हैं। मैं तो सिर्फ एक जांच का अवसर बढ़ाने की बात कर रहा हूं। आप डीजी आफिस से भेजकर जांच करा लें इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैंने कहा आप दीजिए मुझे कुछ लिखकर।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, लिखकर दीजिए।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर जे-जानकीपुरम् में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चौ0 मस्त राम एडवोकेट द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खा)--

लखनऊ महानगर के सेक्टर जे0 जानकीपुरम् में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के . . . . .।

कुंवर भारतेन्दु सिंह--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[यह अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकी पुरम् आवासीय योजना सेक्टर-जे0 में गरीबों के लिए आश्रयहीन भवनों का निर्माण वर्ष 1996-97 में कराया गया था। योजना में नलकूप की बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। पेयजल की समस्या के निस्तारण के लिए पम्प हाऊस के निर्माण कार्य हेतु निविदा इसी माह दिनांक 01-08-2006 को स्वीकृत हो चुकी है। कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। पम्प हाऊस का निर्माण कार्य 3 महीने में पूर्ण कर लिया जायेगा, उक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बोरिंग आदि का कार्य पूर्ण कराते हुए योजना में जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी जिससे आवंटियों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। पेयजल योजना के समस्त कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे हैं।]

प्रदेश में चल रहे वैधानिक/अवैधानिक (कट्टीघर) गो-हत्या के केन्द्र को बन्द कराने एवं गौशालाओं को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[प्रश्नगत सूचना के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई । प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद-लखनऊ के थाना मड़ियांव क्षेत्र में लक्ष्मण गौशाला से शासन के आदेशानुसार राजकीय गौशाला जनपद खीरी लखीमपुर में 417 गौवंश जिनमें छोटे बड़े बछड़े, बछड़ी, गाय, बैल, सांड़ दिनांक 20-05-06 से 01-06-06 तक नियमानुसार पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के आदेशानुसार ट्रक से जिसकी लम्बाई 32 से 36 फीट तक होती है, में लादकर भेजे गये थे। जिनके साथ में पशुओं के देखरेख हेतु ट्रकों पर एक दो व्यक्ति व पशुओं को पानी की व्यवस्था हेतु बाल्टी व खाने (चारा) की व्यवस्था हेतु भूसा, दाना भी साथ में रखा गया था। परिवहन में पशुओं के साथ क्रूरता अथवा बर्बरता नहीं की गई । उपरोक्त पशु नगर निगम द्वारा गौशाला में रखे गये थे। पशुओं की प्राप्ति नगर निगम, लखनऊ में है। उपरोक्त कार्य डा0 एस0पी0 मिश्रा, उपनिदेशक, कार्यपालन विभाग, उ0प्र0 की देख-रेख में किया गया था।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पशुओं को भेजते समय कोई अनियमितता नहीं बरती गई । पूरी सावधानी के साथ पशुओं को भेजा गया था। लक्ष्मण गौशाला, लखनऊ में पशुओं को भेजते समय परिवहन अधि0/गोवध निवारण अधि0/पशु क्रूरता अधि0 तथा एम0वी0 अधि0 का उल्लंघन नहीं किया गया है। विगत 15 दिनों में थाना-मड़ियांव क्षेत्र में गौ-हत्या का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है तथा क्षेत्र में कसाइयों के कोई कमेल (कट्टीघर) नहीं है।

इस सम्बन्ध में पशु पालन विभाग से प्राप्त आख्यानुसार परिवहन के समय पशुओं के लिए पानी/आहार, दवाओं की समुचित व्यवस्था की गई तथा साथ में पशुपरिचर की व्यवस्था की गई थी। कुछ पशुओं की मृत्यु वृद्ध होने के कारण हुई । एक भी गाय कसाइयों के हाथ नहीं दी गई ।

गो सेवा आयोग निरर्थक नहीं है बल्कि आज भी कार्यशील तथा अपने दायित्वों का भली प्रकार निर्वहन कर रहा है। मण्डी परिषद की सकल आय का एक प्रतिशत गो संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गो सेवा आयोग को प्राप्त होता था। वर्ष 2003 में गो सेवा आयोग के स्तर पर मण्डी परिषद से प्राप्त धनराशि में से रु0 50.00 लाख गो सेवा आयोग के कार्यों से इतर, यू0पी0 एग्रो को ब्याज पर देने के कारण, गो सेवा आयोग द्वारा उक्त धनराशि का, मण्डी परिषद को उपयोगिता प्रमाण-पत्र न दे पाने के कारण मण्डी परिषद ने दिनांक 14-02-2003 से गो सेवा आयोग को धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है। फलस्वरूप गो शालाओं को अनुदान दिया जाना बन्द है।]

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

सरकार ने अपने नियम 51 के वक्तव्य में यह कहा है कि पशु क्रूरता अधिनियम और परिवहन अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और सरकार ने कहा कि कोई गाय की मृत्यु वहां नहीं हुई है। मान्यवर, मैं प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करना चाहता हूं गाड़ियों के नम्बर। 20 मई से लेकर 1 जून तक 29 गाड़ियों में 305 पशु भेजे गये। उन्होंने कहा कि 6 पशु से अधिक नहीं भेजे गये, 10, 8, 10, 12, 13, 15, 12, 12, 10, 10, 18, 12, 13, 15, 18, 15, 12, 13, 16, 17, 16, 13, 16, 16, 13, 13, 13, 12, 16, 16 इतने पशु भेजे गये हैं एक एक ट्रक में रखकर और जिलाधिकारी, लखीमपुर, बर्बर गो सदन जिनके अंडर में हैं, उन्होंने उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दी है कि इस गो सदन में 70 पशु थे, 305 पशु लाये गये और आज वर्तमान में जो पशु उन्होंने बतायें हैं, उसके हिसाब से 138 गोवंश गायब है। सरकार कहती है कि किसी गाय की मृत्यु नहीं हुयी है। मान्यवर, मैं उदाहरण में यह चित्र दिखाना चाहता हूं, आपको, यह है गायों को ले जाने की दुर्दशा, यह देखिये यह गाय, जिन्दा गाय की खाल उतारकर ले गये तो मेरा यह निवेदन है कि सरकार या तो इस पर स्पष्ट उत्तर दें, पूरा वक्तव्य दें। यह जो सरकार का उत्तर है, असत्य है, असंगत है और तथ्यों से परे हैं तो मेरा यह निवेदन है कि इसमें स्पष्टीकरण पूछने से कोई लाभ नहीं होगा। जितने तथ्य मेरे पास हैं, सरकार ने उन तथ्यों को छिपाया है, हाई कोर्ट तक का फैसला मेरे पास है। या तो कृपा करके आप नियम 52 में इस पर चर्चा स्वीकार कर लीजिये, यह मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है, नहीं तो मैं नियम 165-166 में सूचना दूंगा, सरकार से उसका स्पष्ट उत्तर चाहिये, लेकिन निर्धारित समय सीमा जो 15 दिन की है, उसमें । अभी पहले का सिंचाई विभाग का उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, साढ़े चार महीने हो गये हैं। यह संवेदनशीलता का मुद्दा है और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा इसलिये नहीं कहना चाहता नहीं तो सरकार

यह कहेगी कि मैं साम्प्रदायिकता की बात कर रहा हूं। लेकिन गायों के साथ जो दुराचार किया गया है, यह देखिये आप गाय का चित्र। मेरा यह कहना है कि सरकार ने जो कुछ उत्तर दिया है, गलत दिया है, यह पशु एक एक गाड़ी में 13, 15, 16 और 10 ले जाये गये हैं, सरकार कह रही है कि 6 से अधिक नहीं ले जाये गये हैं। इसलिये परिवहन अधिनियम का भी उल्लंघन हुआ है, सरकार के पास अगर इस वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ और हो तो कह दें अन्यथा मैं नियम-52 में चर्चा स्वीकार किये जाने की मांग करता हूं। अगर चर्चा स्वीकार नहीं की गयी तो नियम 165-166 में लिखकर दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

अब जो नियमों में हैं, वह दीजियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इसमें कोई साम्प्रदायिक भावना की बात नहीं है बिल्कुल यह उस तरह का मामला ही नहीं है। आपने अपनी संवेदना व्यक्त की है, जाहिर है गाय के साथ इस तरह का अगर बर्ताव हो, तो निन्दनीय है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मैं आपको तमाम तथ्य उपलब्ध करा दूंगा तो आप इसकी जांच कराकर जानकारी दे देंगें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

आप तथ्य दे दीजियेगा, मैं अलग से जांच करा लूंगा अवश्य।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

मैं तीन दफा लिखकर दे चुका हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

आप लिखकर दे दीजियेगा। जांच करा लेंगे। अगर ऐसा होगा तो जाहिर है यह तो गाय है और भी किसी के साथ हो, किसी पशु के साथ हो, उस एतबार से भी गलत है।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, 50 से 75 तक बन्दरों को नशे का इंजेक्शन लगाकर एक के ऊपर एक भर दिया जा रहा है ट्रकों में। मान्यवर, इसके बारे में इन्डिया टी0वी0 में रिपोर्ट आई है, उसमें दिखाया गया है। हम सबने देखा है। मैंने खुद 3 दफा अपने जिले में छापे मरवाकर के ऐसे ट्रकों को पकड़वाया है, पुलिस से पकड़वाया है और रिपोर्ट लिखवाई है। जिला बिजनौर एक केन्द्र बन गया है, उत्तरांचल से सारी गाय वहां आ रही है, हरियाना, पंजाब से गाय वहां आ रही है, वहां पर कट्टीघरों पर उनकी हत्या की जा रही है और वहां से वह साहिबाबाद, मेरठ, गाजियाबाद जो पैकेजिंग यूनिट्स हैं, उन्हें भेजा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में गौ हत्या हो रही है और इससे पूरा एक माफिया पनप रहा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप लिखकर अलग से दे दीजिये, जांच करा लेंगे, बस बात खत्म हो गयी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह तो बड़ा गंभीर मामला है, जिस तरह से आप बात कह रहे हैं, इसमें तो बात बड़ी दूर तक जायेगी। उत्तरांचल से आ रही है, कौन ला रहे हैं, बार्डर पर कौन एलाऊ कर रहे हैं, यह तो बड़ा गंभीर मामला है। इसमें मामला सिर्फ काटने वाला का नहीं है, लाने वाले का भी है। उन्हें भी देखिये, यह कौन लोग हैं।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

जो भी हैं मान्यवर, उन्हें पकड़ना सरकार का काम है। तभी मान्यवर, मैंने तीन दफा नोटिस दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

यह घर के भेदी को पहले पकड़ना होगा।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

चाहे जो भी भेदी हो, वह भेदी है, उसे पकड़ा जाय। गोहत्या अवैध है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

ठीक है मान्यवर।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के बेतवा नाले पर पुल का निर्माण एवं गड्ढा मुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

प्रश्नगत सूचना के माध्यम से जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत गांव जानकी खेड़ा मजरा बेलगढ़ा के पास बेहटा नाले. . . . . .

कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, पढ़ा मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[पर बने पुल के दोनों ओर मिट्टी भराकर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है।

ग्राम जानकी खेड़ा मजरा बेलगढ़ा के सामने बेहटा नाले पर 2 × 9 मीटर स्पान का पुल जल निगम द्वारा वर्ष 1999-2000 में विधायक निधि से निर्मित कराया गया था। इस सेतु के दोनों ओर कुल 2.00 कि0मी0 लम्बाई के पहुंच मार्गों के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2000-2001 में आर0 आई0 डी0 एफ0-6 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रु0 19.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष 910

मी0 लम्बाई में मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराने के बाद पहुंच मार्गों के निर्माण हेतु स्थलीय सर्वेक्षण कराने से ज्ञात हुआ कि जल निगम द्वारा निर्मित सेतु का "वाटर-वे" मानक के अनुसार नहीं है, बल्कि कम है और यदि पहुंच मार्गों पर स्टोन वैलास्ट की कुटाई कराकर पक्का मार्ग बनाया जाता है तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। नया सेतु बनाने की दशा में सेतु तथा पहुंच मार्ग की लागत रु0 248.56 लाख अनुमानित है जिसका निर्माण कार्य प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

श्री कोशल किशोर--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक पुल बेहटा नाले पर बना हुआ है, जिसको बने हुये आज 3 साल से ज्यादा हो गये हैं, बल्कि 5 साल हो गये हैं लेकिन आवागमन का रास्ता उसमें बिल्कुल नहीं है। और दोनों ओर मिट्टी नहीं है, सड़क भी नहीं है और इसमें जो जवाब आया है उसमें है कि सेतु का निर्माण वाटर-वे के अनुसार नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, साधनों की उपलब्धता के ऐतबार पर निर्भर है।

जनपद मैनपुरी में छात्राओं द्वारा प्रवेश न मिलने के कारण किये जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी से प्राप्त आख्यानुसार . . . . . .

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[दिनांक 16-8-06 को ग्राम पतारा, थाना कुर्रा क्षेत्र में मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0 प्र0 की जनसभा हुई । जनसभा के उपरान्त छात्राओं का ग्रुप नारेबाजी करते हुये मंच के पास आया तथा आर0 सी0 डिग्री कालेज में प्रवेश सम्बन्धी मांग-पत्र मा0 मुख्य मंत्री जी को न दे पाने के कारण मंच पर चढ़ गया तथा तोड़फोड़ की एवं पुलिस पर पथराव किया जिसके कारण अफरा-तफरी मच गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा निम्न छात्राओं को गिरफ्तार किया गया :--

1--कु0 रजनी पुत्री श्री रंजीत सिंह, निवासी नई बस्ती देवपुरा, थाना कोतवाली, जनपद मैनपुरी।

2--कु0 संगीता पुत्री श्री रामशरण पाल, नि0 सिकन्दरपुर, थाना कोतवाली, मैनपुरी।

3--कु0 अपुल्नया पुत्री श्री रामविलास, नि0 गोला बाजार, थाना कोतवाली, मैनपुरी।

नोट :--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4--कु0 सरिता पुत्री श्री अनार सिंह, नि0 नगला बेरी, थाना घिरौर, मैनपुरी।

5--कु0 रीतू गौतम पुत्री मुन्शी लाल गौतम, नि0 अम्बेडकर कोतवाली, मैनपुरी।

6--कु0 मोहनी पुत्री श्री सुरेश चन्द्र चौहान, नि0 डालगंज कस्बा व थाना घिरौर, मैनपुरी।

7--कु0 कल्पना पुत्री श्री रमेश शाक्य, नि0 रामलीला मैदान, थाना कोतवाली, मैनपुरी।

उपरोक्त सभी 7 छात्रायें दिनांक 16-8-06 को गिरफ्तार की गयी।

8--कु0 अर्चना व कु0 शशी, पता अज्ञात भागी हुई ।

मा0 मुख्य मंत्री जी के सभा सम्बोधन के समय तेज हवा के साथ बरसात होने लगी। व्यवधान के कारण सभा समाप्त कर मा0 मुख्य मंत्री जी प्रस्थान कर गये। चूंकि छात्राओं का उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध में आने के कारण थाना कुरां पर मु0अ0सं0-108/06 धारा 147/353/356/427 भादवि एवं 7 क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेंट ऐक्ट पंजीकृत किया गया। मा0 मानवाधिकार आयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए महिला आरक्षी के सहयोग से छात्राओं को गिरफ्तार कर समय 15.10 बजे थाना कुरां पर दाखिल किया गया तथा सम्मान के साथ थाना कार्यालय में महिला पुलिस एवं श्रीमती मृदुलता पत्नी श्री रंजीत सिंह निवासी नई बस्ती देवपुरा जो गिरफ्तार हुई छात्रा कु0 रजनी की मां है, के साथ बैठाया गया। आवश्यक/वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त गिरफ्तार हुई छात्राओं को 16.30 बजे सरकारी जीप से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु मैनपुरी रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार हुई छात्राओं के साथ पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई अभद्रता/मारपीट नहीं की गयी। उक्त घटना को लेकर जनपद में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है और न ही शान्ति व्यवस्था की कोई समस्या है।]

श्री अशोक सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो छात्राएं आन्दोलन के माध्यम से अपने प्रवेश के लिए संघर्ष कर रही थी और इण्टर पास करके बी0ए0, बी0एस0सी0 में प्रवेश मांग रही थी, यह आन्दोलन 15 दिन से चल रहा था। दिनांक 16 अगस्त, 2006 को माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए वह छात्राएं गई थीं। केवल पुलिस प्रशासन उनसे जला हुआ था, इसलिए उन्हें बन्द कर दिया है। क्या सरकार इन लड़कियों के विरुद्ध जो आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं, उन्हें वापस लेने का काम करेगी ? और मेरा दूसरा स्पष्टीकरण है कि जो छात्राएं प्रवेश के लिए आन्दोलन चला रही थी, क्या उनको प्रवेश दिलाने के लिए विद्यालय में व्यवस्था सरकार करेगी, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जब स्पष्टीकरण पूछा जाता है तो वक्तव्य जो आते हैं उनके सन्दर्भ से पूछा जाता है, आप अलग से एक नया प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जब कोई आन्दोलन उग्र हो जाएगा, मांगें उग्र हो जाएंगी तो परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे फिर भी इसे हम दिखवा लेंगे।

प्रदेश में जाति एवं आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु नोटरी शपथ-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमारू राम सरोज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा है . . . . . .

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

["पूरे उत्तर प्रदेश में जाति एवं आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु पहले तहसील में सामान्य शपथ पत्र लिया जाता था जिसमें लगभग 25 रु0 तक ही खर्च आता था। परन्तु अब हमारे विधान सभा क्षेत्र केराकत की तहसील जनपद जौनपुर में जाति एवं आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु नोटरी शपथ पत्र लिया जा रहा है, जिससे गरीब छात्रों को 70-100 रुपये तक खर्च करना पड़ता है और वकीलों के पास चक्कर लगाना पड़ता है। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति देने के लिए भी जाति एवं आय प्रमाण पत्र लगवाया जाता है जिसमें सरकार द्वारा जितनी छात्रवृत्ति दी जाती है जिससे अधिक आय एवं जाति प्रमाण पत्र बनवाने में अब खर्च करना पड़ता है जिससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से वक्तव्य दिलाने की मांग करता हूं।"]

उक्त सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि शासन में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही कि प्रदेश में फर्जी जाति एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्त करके कतिपय लोगों द्वारा, शासन द्वारा निर्बल एवं कमजोर वर्गों के लिये चलायी जा रही योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है, जिससे पात्र लोगों को लाभ न मिलकर अपात्र लोग लाभान्वित हो जाते हैं। इस संदर्भ में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0-427 22/2003 राजकुमारी सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 26-9-2003 को यह आदेश दिये कि आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिये नया प्रोफार्मा जारी किया जाये जिसमें आय के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख हो कि आय के श्रोत क्या हैं, क्योंकि बिना पूर्ण जानकारी व जांच के आय प्रमाण पत्र जारी करने से वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। अत: शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया कि वे आय प्रमाण-पत्र हेतु आय के श्रोत के जानकारी भी कर लें, तदोपरान्त ही आय-प्रमाण-पत्र निर्गत करें।

इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से तहसील केराकत जनपद जौनपुर के बारे में जिलाधिकारी, जौनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जाति एवं आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की जो कार्यवाही की जाती है, वह पूर्णत: न्यायालयी प्रक्रिया से इतर होने के कारण उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ दिया जाता है, जो शासनादेश एवं भारतीय शपथ अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुपालन में है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में जनपद तहसील स्तर पर विधि विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।]

नोट :--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ स्थित देवस्थान नामक आवासीय कालोनी पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अतर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

इसे स्थगित किया जाता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में 4 डी (2) में कार्यरत लिपिक व वैयक्तिक सहायक द्वारा लूट-खसोट और दुर्व्यहार किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा, श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा दिनांक 24-08-2006 को . . . . . .

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तगंत यह सूचना दी गयी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशालय के 4डी (2) में कार्यरत श्री बी0एन0 सिंह, सुरेश चन्द्र दीक्षित, राम अचल दीक्षित, विजय कुमार श्रीवास्तव तथा महानिदेशक के कैम्प में कार्यरत दया शंकर पाण्डेय व ओ0 पी0 सिंह, वैयक्तिक सहायक का व्यवहार जनपदों से आने वाले संघ के पदाधिकारियों, आगन्तुकों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रतापूर्ण होता है। उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये पत्रों को गायब कर दिया जाता है। पत्रावलियां भी गायब कर दी जाती हैं। इनके द्वारा प्राप्त होने वाले पत्रों से संबंधित शिकायतों के बारे में संबंधित कर्मियों को दूरभाष पर वार्ता कर उनसे धन दोहन कर उसे नष्ट किया जाता है। इन कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के मैदान के कर्मचारियों का भारी शोषण किया जा रहा है। यहां तक कि रिश्वत न पाने पर उनके व्यक्तिगत पत्रावलियों के पत्रे तक गायब कर दिए जा रहे हैं। इनके इस प्रकार के दुराचरण से स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल होने के साथ-साथ जनसामान्य एवं स्वास्थ्य कर्मियों में त्राहि-त्राहि मची है। अत: मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को तत्काल हटाने एवं उनकी चल-अचल सम्पत्ति की जांच कराने की मांग की गयी है।

2--इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य विधान सभा, श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना दिनांक 24-08-2006 में उल्लिखित तथ्यों की शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर जांच करके जांच आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0, लखनऊ को दिये गये हैं। निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 ने अपने पत्र दिनांक 29-08-2006 द्वारा सूचित किया है कि मा0 सदस्य विधान सभा की सूचना दिनांक 24-08-2006 में उल्लिखित तथ्यों की जांच की जा रही है। अत: प्रकरण में वांछित जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करते हुए उनकी चल-अचल समपत्ति की जांच करायी जायेगी।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ स्थित निजामाबाद रजबाहा में पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद रजबाहा में पानी बहुत कम आ रहा है । जिस कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है और वहां पर रहने वाले किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई हेतु अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश लोगों की फसलें सिंचाई की कमी के कारण सूख रही है व किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

2--इस संबंध में अवगत कराना है कि निजामाबाद रजबाहा की वर्तमान क्षमता 200 क्यूसेक्स तथा दोहरीघाट लिंक नहर की क्षमता 450 क्यूसेक्स है, इन नहरों के हेड पर रोस्टर के अनुसार 360 क्यूसेक्स पानी लगातार मिलना चाहिये था। इस सम्भावित उपलब्धता के आधार पर शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ के रोस्टर के अनुसार निजामाबाद रजबाहा को एक सप्ताह 200 क्यूसेक्स पर तथा शेष उपलब्ध जल बचत के रूप में दोहरीघाट लिंक में दिया जाना था। अगले दो सप्ताहों में दोहरीघाट लिंक नहर में पूरा 360 क्यूसेक्स पानी देना था, परन्तु ऊपर के भाग में वर्तमान में अवर्षण के कारण पानी की अधिक खपत होने तथा पानी की उपलब्धता कम होने के फलस्वरूप दोनों नहरों का पोषण समुचित ढंग से नहीं हो सका। आजमगढ़ जनपद शारदा सहायक प्रणाली के लगभग आखिरी भाग में पड़ता है तथा वर्तमान में अवर्षण की स्थिति के कारण ऊपर खपत अधिक होने से टेल भाग में पानी की कमी रहती है।

निजामाबाद राजबहा में दिनांक 04 जून, 06 को 155 क्यूसेक्स, दिनांक 05 जून, 06 को 199 क्यूसेक्स, दिनांक 15 जून, 06 को 177 तथा दिनांक 17 जून, 60 से 27 जून, 06 के मध्य औसत 156 क्यूसेक्स पानी चला। माह जुलाई 2006 में केवल दिनांक 11 से 17 के मध्य औसतन 138 क्यूसेक्स पानी चला। 30 जुलाई , 06 से 5 अगस्त, 06 तक 199 क्यूसेक्स पानी (नहर की क्षमता) चलाया गया।

निजामाबाद रजबाहा प्रणाली से संबंधित कुल 33 टेलें हैं, जिनमें से सभी 33 टेलों पर माह जून में पानी पहुंचा जिसका उपयोग किसानों ने धान की नर्सरी के लिये किया। माह जुलाई और अगस्त में उपलब्ध होने वाले पानी से 33 में से 31 टेलों पर दोबारा पानी पहुंचाना सम्भव हुआ। क्षेत्र में सामान्य से बहुत कम वर्षा होने तथा टाण्डा टेल पर पानी की उपलब्धता कम होने के कारण इस क्षेत्र में सिंचाई प्रभावित है।

विगत 21 अगस्त, 06 से टाण्डा टेल पर पानी की उपलब्धता बढ़ी है, जो 23 अगस्त, 06 तक 177 क्यूसेक्स रहने के बाद दिनांक 24-08-06 को 199 क्यूसेक्स है। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सभी नहरों में पानी टेल तक पहुंचाया जाय एवं फसलों को सूखने से बचाया जाये।]

जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा स्थित मोहल्ला-मीरानपुर में अचानक हुए अग्निकाण्ड में मृत परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मा0 सदस्य विधान सभा श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील टाण्डा में दिनांक 16-6-2006 को अचानक हुए अग्निकाण्ड में मृतक के परिवार को दैवी आपदा राहत के अन्तर्गत सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 24-8-2006 को दी गयी सूचना में वक्तव्य की मांग की गयी है।

2--जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर ने अवगत कराया है कि जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील टाण्डा में दिनांक 16-6-2006 को कस्बा टाण्डा के मोहल्ला मीरानपुर में घटित अग्निकाण्ड में शिव प्रसाद पुत्र भगेलू तथा उसके परिवार के 2 अन्य सदस्य कु0 सीमा व कु0 पट्टू उर्फ नीलम की जलकर मृत्यु हो गयी थी तथा उसकी एक अन्य पुत्री कु0 मोनिका जल गयी थी, जिसका इलाज अभी चल रहा है। श्री शिव प्रसाद जो परिवार के कमाऊ सदस्य थे, की मृत्यु होने के कारण मृतक के परिवार को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

3--इसी घटना में श्री हरीराम पुत्र भगेलू तथा उनकी पत्नी निर्मला, पुत्री कु0 नीलम व पुत्र अभिजीत की मृत्यु हो गयी थी। परिवार के कमाऊ सदस्य श्री हरीराम की मृत्यु होने के कारण मृतक के परिवार को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

उक्त घटना खाना पकाने के गैस रिसाव के कारण हुई थी, जो दैवी आपदा की श्रेणी में नहीं आती है, अतएव आपदा राहत निधि से राहत सहायता अनुमन्य नहीं है।

जनपद सीतापुर स्थित महाराजा छीता पासी के किले के पुराने भग्नावशेषों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी कि जनपद सीतापुर में प्लाई वुड फैक्ट्री के पास महाराजा छीता पासी के किले के पुराने भग्नावशेष स्थित हैं, उक्त जमीन का नम्बर-395/629 है। इस पर महाराजा छीता पासी की मूर्ति स्थापित है। एक व्यापारी ने रिकार्ड में हेरा-फेरी कराकर उक्त जमीन के संदर्भ में मा0 न्यायालय से एक आदेश प्राप्त कर लिया। शासन द्वारा उचित पैरवी न करने के कारण इस संदर्भ में उचित निर्णय नहीं हो पा रहा है। अत: उचित पैरवी की जाय तथा ग्राम समाज की भूमि का संरक्षण किया जाय।

प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी सीतापुर से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार ग्राम छावनी गौरा बारिक की नान जेड0 ए0 की खतौनी वर्ष 1337 फ0 से खतौनी 1409 फ0 तक उक्त आराजी/भाटा संख्या 395/629 बंजर के रूप में अंकित है किन्तु उक्त भूमि महाराजा छीता पासी

किला का पुराना भग्नावशेष हो, इसका कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। उक्त भूमि नगरपालिका परिषद की सीमा के अन्तर्गत है जिसका सर्वे प्लाट नं0 30 है। उक्त भूखण्ड का बैनामा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 15-2-1940 को व्यवसायी श्री कृष्ण मुरारी लाल के पूर्वज श्री भगवान दास पुत्र श्री मूसाराम निवासी सीतापुर के हक में तहरीर किया गया जिसकी पुष्टि रक्षा विभाग द्वारा करायी गयी जो कि सही पायी गयी।

विवादित भूमि के आंशिक भाग से पूर्वोत्तर रेलवे की पटरी निकाली गयी जिस पर उक्त व्यवसायी एवं रेलवे विभाग के मध्य विवाद हुआ था जिसमें व्यवसायी द्वारा सिविल सूट वाद संख्या 33/93 योजित किया गया जिसमें मा0 न्ययालय के आदेश दिनांक 22-3-2003 द्वारा व्यवसायी को आराजी विवादित का स्वामी माना गया है और गाटा संख्या 395/629 पर ही सर्वे प्लाट नम्बर 30 माना गया। वर्ष 2001 में पासी समाज द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करने व प्रयास के फलस्वरूप व्यवसायी द्वारा सिविल जज सी0 डी0 सीतापुर के न्यायालय में निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने हेतु वाद योजित किया गया था किन्तु मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 24-4-2001 को निषेधाज्ञा प्राप्त न होने पर उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के समक्ष अपील दायर की गयी जिसमें मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 27-4-2001 द्वारा दोनों पक्षों का मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया एवं पार्टी सं0-3 पासी समाज, जिला सचिव श्री अनिल भार्गव को नोटिस निर्गत की गयी। इसी मध्य पासी समाज द्वारा विवादित आराजी पर महाराजा छीता पासी की मूर्ति स्थापित कर दी गयी, जिस पर व्यवसायी श्री कृष्ण मुरारी आदि द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना वाद संख्या 546/2001 दायर किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पक्षों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए मौके पर पुन: यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 7-5-2001 को पारित किया। तब से मौके पर यथास्थिति बनी रही। किन्तु दिनांक 1-4-2006 एवं 2-4-2006 के मध्य रात्रि में उपरोक्त व्यवसायी द्वारा विवादित आराजी की पुरानी नींव पर दीवाल बनानी प्रारम्भ कर दी जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन द्वारा तत्काल निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। तदोपरान्त व्यवसायी द्वारा उक्त अपील में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके दिनांक 18-4-2006 को मा0 उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त किया गया जिसमें किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप करने एवं निर्माण कार्यों में अवरोध पैदा करने से निषेधित किया गया। इसके साथ-साथ जिलाधिकारी सीतापुर को यह निर्देश भी दिये गये कि यदि व्यवसायी की भूमि पर मूर्ति स्थापित है तो उसको हटवा दिया जाय।

उपरोक्त परिस्थितियों के बावजूद उभय पक्षों के मध्य पासी समाज एवं व्यवसायी द्वारा आपस में समझौता कर लिया गया है जिसमें व्यवसायी द्वारा तय की गयी भूमि सर्वे प्लाट नं0 30 में से मूर्ति स्थापित करने हेतु भूमि दी गयी है। वर्तमान समय में विवादित आराजी में ही समझौते के आधार पर महाराजा छीता पासी की मूर्ति स्थापित है तथा दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है।

बैनामा के आधार पर वर्ष 1940 से व्यवसायी का कब्जा रहा है। नगरपालिका सीतापुर के अभिलेखों में बैनामा के आधार पर व्यवसायी का नाम अंकित है तथा वह सर्वे प्लाट नं0-30 का स्वामी भी है। राजस्व अभिलेखों में बंजर अंकित होने और नगरपालिका परिषद् सीतापुर के अभिलेखों में सर्वे प्लाट नं0 30 पर व्यवसायी का नाम अंकित होने के कारण ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हुयी। चूंकि सिविल न्यायालय द्वारा बैनामा के आधार पर व्यवसायी को विवादित आराज़ी

का स्वामी आदेश दिनांक 22-3-2003 द्वारा माना जा चुका है और मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-4-2006 द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि पर व्यवसायी के कब्जे में हस्तक्षेप करने एवं निर्माण कार्य को रोकने से निषेधित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में कोई भी कार्यवाही प्रथम दृष्टया वांछित नहीं है। यह भी स्पष्ट करना है कि राजस्व अभिलेखों में कोई भी हेराफेरी नहीं की गयी है तथा उक्त गाटा अब भी बंजर अंकित है और इससे पासी समाज की भावनाओं को आहत नहीं किया गया है।

मऊ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित श्रीमती रेखा गुप्ता की नियुक्ति न किये जाने के संबंध में श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

सुश्री रेखा गुप्ता का चयन सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2003 के आधार पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर हुआ है। सुश्री रेखा गुप्ता के चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ की आख्या में यह अंकित किया गया है कि श्रीमती रेखा गुप्ता मूल निवासी जनपद अम्बेडकरनगर, मऊ की हैं वहां से भी जांच करा ली जाये। जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या 1535/64-1-06-44-एन/2005, दिनांक 10 अगस्त, 2006 द्वारा जिलाधिकारी, मऊ से उक्त अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व वृत्त की आख्या मांगी गयी है, जो अभी शासन में अप्राप्त है। यह कथन निराधार है कि शासन के कुछ अधिकारी व कर्मचारी जानबूझकर अभ्यर्थी को परेशान कर रहे हैं। वस्तुत: नियुक्ति से पूर्व निर्धारित औपचारिकता को पूर्ण कराया जा रहा है। शासन स्तर से किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया है।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद को स्नातकोत्तर स्तर का बनाये जाने के विषयक दिनांक 23 अगस्त, 2006 की कार्य-सूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-4 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, यह वक्तव्य अभी आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

इस वक्तव्य को अभी स्थगित रखते हैं।

अब हम उठते हैं और 14 सितम्बर, 2006 को 11.00 बजे पुन: मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 05 बजकर 40 मिनट पर गुरूवार 14 सितम्बर, 2006 को अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

आदित्य नाथ मित्तल,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 31 अगस्त, 2006।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर।)

जनपद महराजगंज के तहसील निचलौल के अन्तर्गत दो पिच मार्गों के बीच 650 मीटर से कम लम्बाई की छूटी कड़ियों का विवरण।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (मीटर में)	वर्तमान स्तर
1	2	3	4
1	परागपुर निचलौल मार्ग	600	खड़ंजा
2	बजहाँ से ढेसाँ मार्ग	600	खड़ंजा
3	बहुआर मार्ग से नेपाल बार्डर तक	100	कच्चा
4	ठूठीबारी पिच मार्ग से नेपाल बार्डर तक	400	कच्चा
5	हरगांवा पिच मार्ग से पतवना होते हुए बढईपुरवा पिच मार्ग तक	600	कच्चा
6	हरगांवा पिच मार्ग से देवरिया ब्रांच शाखा करमहिया नहर तक	600	कच्चा
7	इटहिया पिच मार्ग से रेंगहिया पिच मार्ग तक	600	कच्चा
8	लक्ष्मीपुर चकिया से नेपाल बार्डर तक	200	कच्चा
9	ढेसाँ पिपरपाती मण्डी मार्ग से मेन कैनाल नहर बढ़या तक	300	कच्चा
10	सहुआपुर से बरवां दिगम्बर मार्ग	600	खड़ंजा
11	बेलवा इन्टर कालेज से ऊभरी नारायणी नहर पिच मार्ग	500	खड़ंजा
12	खेसरारी से छोटी गण्डक छितौनी घाट तक	500	कच्चा
13	सी0एस0एन0टी0एन0 मार्ग बन्नी ढाला से शेषपुर होते हुए रानीपुर मार्ग	150	कच्चा
14	गौरी बढईपुर पिच से आगे खुड़री स्वीकृत टोला होते हुए खुड़री प्राईमरी पाठशाला पिच मार्ग तक	600	खड़ंजा
15	रानीपुर गांव पिच मार्ग से मझौवा पिच मार्ग तक	400	खड़ंजा
16	गौरी किशुन पिच मार्ग से नहर पटरी होते हुए बीजापुर कुइंया मार्ग तक	650	कच्चा
17	खेसरारी मार्ग से श्रीधवा पट्टी होते हुए मण्डी मार्ग तक	500	कच्चा
18	सेमरी पिच मार्ग से नहर पटरी होते हुए भेंड़िया पिच मार्ग तक	600	खड़ंजा
19	बरवां दिगम्बर नहर से बरियारपुर पिच मार्ग तक	600	कच्चा
20	बरवां कला पिच मार्ग से बरियापुर पिच मार्ग तक	600	कच्चा
21	कारीडीह पिच मार्ग से चनकौली तक	550	खड़ंजा
22	हवती पिच मार्ग से चनकौली तक	600	खड़ंजा
23	खेसरारी पिच मार्ग से प्रतापपुर पिच मार्ग तक	600	खड़ंजा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2006 के द्वितीय गुरुवार हेतु निर्धारित श्री रामनरेश यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-25 के उत्तर का संलग्नक।

वर्ष 2004-2005 की परियोजनायें

संलग्नक--1

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अद्यतन स्थिति
1	शेखवलिया हरिजन बस्ती से यादव बस्ती तक सोलिंग	कार्य पूर्ण
2	खानपुर बेलहमल से रामानुज के घर तक सोलिंग	कार्य पूर्ण
3	खानपुर बेलहमल से अजय यादव के घर से खुरासों जाने वाले मार्ग तक सोलिंग	कार्य पूर्ण
4	दक्षिण गांव से भक्ताना ओरिल तक सोलिंग	कार्य पूर्ण
5	मुनेरपुर से जीता के बांध तक ओरिल दक्षित गांव को जोड़ने के लिये सोलिंग	कार्य पूर्ण
6	इशहाकपुर चोवे के पुरवा से हरिजन बस्ती तक सोलिंग	खड़ंजा का कार्य प्रगति पर है।
7	इब्राहिमपुर (अम्बारी) से उमा यादव के घर से लालमन यादव के नलकूप तक सोलिंग	कार्य पूर्ण
8	मुड़कटिया मार्ग पर अवशेष भाग में अनुसूचित जाति बस्ती तक सोलिंग	कार्य पूर्ण
9	इशहांकपुर चोहान बस्ती से अधूर मार्ग से लगे खड़ंजे से आगे सोलिंग का कार्य	कार्य पूर्ण
10	मकसूदिया से राम लखन यादव के घर से नदी की तरफ सोलिंग लगाने का कार्य	कार्य पूर्ण
11	पवई मित्तूपर से रामपुर खास मार्ग का निर्माण	निविदा आमंत्रण का कार्य प्रगति पर है।

एच0 एन0 पी0 कुशवाहा,
अनु सचिव।

संलग्नक--2

वर्ष 2005-2006 की परियोजनायें

क्र0सं0	परियोजना का नाम	अद्यतन स्थिति
1	लखनऊ बलिया राजमार्ग से बहउद्दीनपुर संपर्क मार्ग	कार्य पूर्ण
2	फूलपुर राजबाहा पर मैगना से कोहड़ा की ओर मार्ग का निर्माण	कार्य प्रगति पर है।
3	माहुल पवई रोड पर माहुल से आगे चलकर बांयी ओर सरकारी अस्पताल माहुल तक लेपन।	कार्य प्रगति पर है।
4	सैदुल्लाहपुर चकिया से दनियालपुर से पोखरे वाले मंदिर तक खड़ंजा का कार्य	कार्य प्रगति पर है।
5	दसमढ़ा हरिजन बस्ती से पहले से लगी सोलिंग पर खड़ंजा कार्य	कार्य पूर्ण
6	समशाबाद फुलवरिया पक्की सड़क पर सगीर की मड़ई से सजनी गांव तक खड़ंजा	कार्य पूर्ण
7	पवई बाजार से कालेज के बगल से दाहिने ओर जलालपुर से जाने वाले मार्ग को मिलाने हेतु पत्थर की ईंट से सुदृढ़ीकरण का कार्य	अनुबंध बनाने का कार्य प्रगति पर है।
8	लोनियाडीह पिच रोड से बघई यादव बस्ती होते हुये दसमढ़ा हरिजन बस्ती तक खड़ंजा कार्य	कार्य प्रगति पर है।
9	रामपुर खुर्द श्री लल्ले सिंह के भट्ठे से श्री राम प्रताप मिश्र के गांव तक निर्माण कार्य	कार्य प्रगति पर है।

एच0 एन0 पी0 कुशवाहा,
अनु सचिव।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30-31 पर।)

ग्राम मझौली तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़

गाटा संख्या-327/4.473 हें0 (तालाब)

विना अधिकार अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों का नाम व पता

क्र0 सं0	नाम	पता
1	श्री रामरती सोनई	मझौली
2	.. शिवबरन पुत्र रघुनाथ	..
3	.. अयोध्या पुत्र रामनाथ	..
4	श्री कल्लू पुत्र बच्चा	..
5	.. रामदीन पुत्र अहिबरन	..
6	.. लठुरी पुत्र बाहिबच्चा	..
7	.. राममूरत पुत्र रामसुंदर	..
8	.. राम्मूनाथ पुत्र रघुनाथ	..
9	.. रामकुमार पुत्र गोविन्द	..
10	.. रामप्यारे पुत्र रामटहल	..
11	.. रामअवध पुत्र शिवकुमार	..
12	.. कैलाश पुत्र रामकरन	..
13	.. रामआधार पुत्र रघुनाथ	..
14	.. रामफेर पुत्र मुलई	..
15	.. राजाराम पुत्र मतई	..
16	.. पारसनाथ पुत्र बंजू	..
17	.. बंशी लाल पुत्र रामसमुझ	..
18	.. श्यामलाल पुत्र भागरु	..
19	.. श्याम बहादुर पुत्र जयराम	..
20	.. श्रीनाथ पुत्र गंगादीन	..
21	.. रामअधार पुत्र प्रभू	..
22	.. हरि प्रसाद पुत्र सुन्दर	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	नाम	पता	
23	,, फूलचंद्र पुत्र रामप्यारे	,,	
24	,, रामसमुझ पुत्र नथाई	,,	
25	,, मनोरथ पुत्र सोमई	,,	
26	,, बद्री पुत्र द्वारिका	,,	
27	,, राजाराम पुत्र भगेलू	,,	
28	,, रामअधार पुत्र बैजनाथ	,,	दीवानी न्या0 से स्थगन आदेश
29	,, रामलखन पुत्र भगवानदीन	,,	,,
30	,, सन्तबक्श पुत्र सत्य नारायन	,,	,,
31	,, इन्द्रजीत पुत्र सत्य नारायन	,,	,,
32	,, भागीरथी पुत्र सोकई	,,	,,
33	,, दिवाकर पुत्र शिवबरन	,,	,,
34	,, आद्धित्यनाथ पुत्र शिवनंदन	,,	,,
35	,, कल्पू पुत्र रामलाल	,,	,,
36	,, हीरालाल पुत्र सुन्दर	,,	,,
37	,, रामलाल पुत्र भागीरथी	,,	,,
38	,, मन्नू लाल पुत्र रामनाथ	,,	,,

ग्राम सलाहपुर तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

गाटा संख्या-990/0.349 हे0

क्रम सं0	नाम	पता
1	गया प्रसाद पुत्र मोलई	सलाहपुर
2	दयाराम पुत्र सरजू	,,
3	रामअधार पुत्र रघुनाथ	,,
4	दूधनाथ पुत्र राजाराम	,,
5	रामजनक पुत्र माताभीख	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गाटा संख्या-985/1.770 हे0

क्रम सं0	नाम	पता
1	बलराम पुत्र सीताराम	सलाहपुर
2	मोहिनी विधवा पुत्री सीताराम	,,
3	राजेन्द्र पुत्र सीताराम	,,
4	महेन्द्र पुत्र सीताराम	,,
गाटा संख्या-999/0.063 हे0		
1	भूलन पुत्र विदेशी	सलाहपुर
2	रामफेर पुत्र विदेशी	,,
3	राजन पुत्र खैरुल्लाह	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0--एल 256 विधान सभा--12-12-06--813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।